खण्ड-341, अंक-2
गुरूवार, 24 ज्येष्ठ, शक संवत् 1901
(14 जून, 1979 ई0)

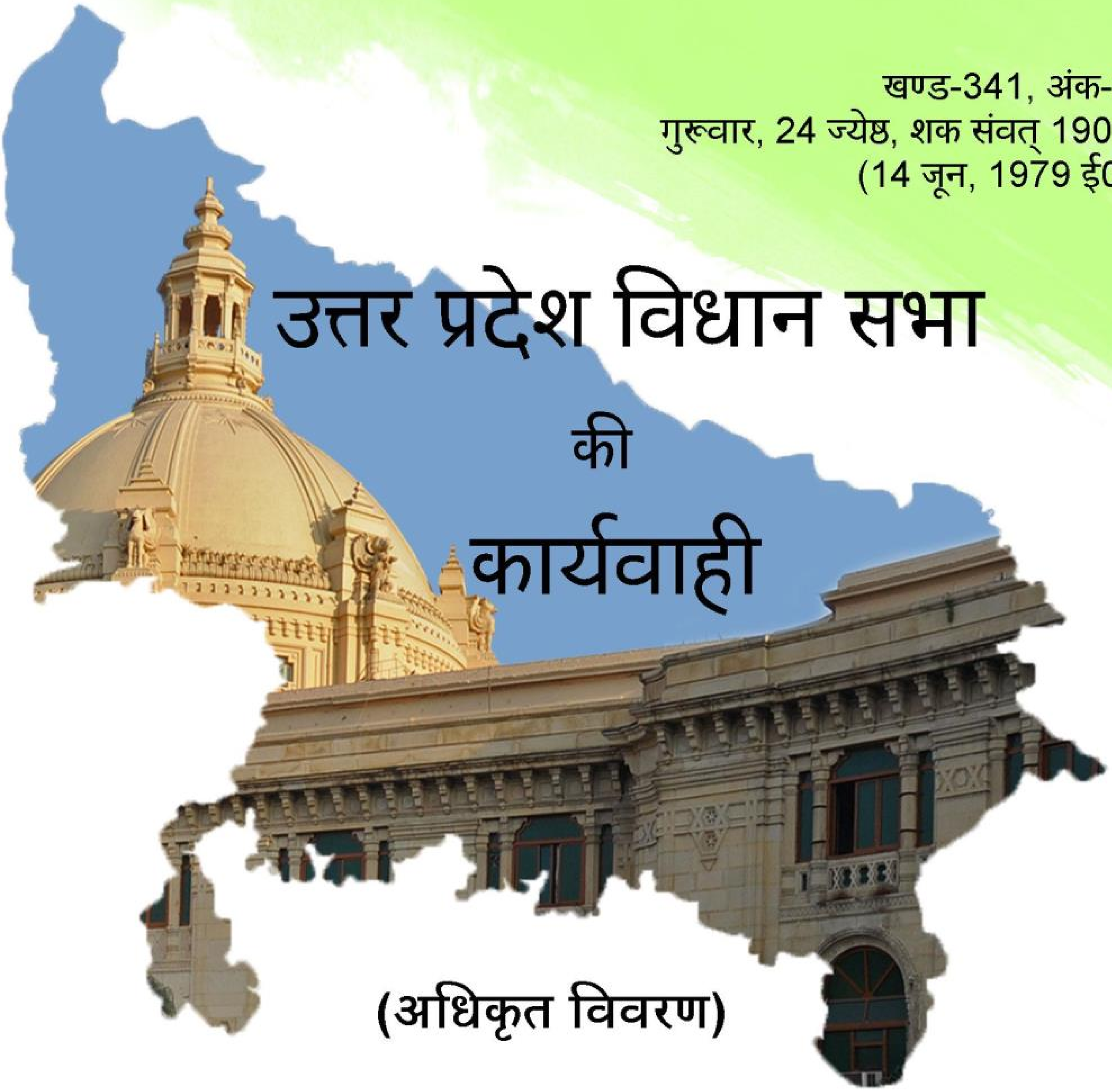

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 341 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
कतिपय सदस्यों की नियम 301 की सूचनाओं को स्वीकार न किये जाने पर आपत्ति	224–225
दारुलशफा ए0 तथा बी0 ब्लाक व लखनऊ शहर में पानी की अव्यवस्था के संबंध में सूचना	225–226
मानिकपुर, के बांदा में पीने के पानी का अभाव होने से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में वक्तव्य	227–228
गोरखपुर कोषागार में बन्द सोना और आभूषण के स्थान पर लोहा और नट बोल्ट मिलने के सम्बध में वक्तव्य ..	228–229
उत्तर प्रदेश भूदान-यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1979 (पारित) ..	230–231
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1979 (पारित) ..	231–246
पंचवर्षीय योजना 1978–83 तथा वार्षिक योजना 1979–80 के प्रारूप पर चर्चा (समाप्त)	246–278
उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	278
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1979 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	278
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 पर नियुक्त प्रवर समिति के सदस्यों के नाम निर्देशन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	279–280
बिजली की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ..	280–292
सदन में पर्चे फेकने वाले मशरूर जाफरी को विचाराधीन बन्दी के रूप में कल तक जिला कारागार में रखे जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	292
जनपद इलाहाबाद तहसील फूलपुर के ग्राम बेलहावान से होकर शारदा सहायक नहर निकलवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	293–296
नत्थियां	297–312

विधान परिषद सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 14 जून, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप लखनऊ में 11 बजकर 4 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 337

अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सठी, श्री
अठई राम,, श्री
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल ,श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मुन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री

गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागनसिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुखी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगा राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेमवती, श्रीमती
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलूलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बरफिया लाल जुबांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ,)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसंत, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री

बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू सिंह,श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिहारीलाल हन्स, श्री
बुद्धूराम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचूराम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मन्नूराम, श्री
मन्नूलाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूलचन्द्र, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र, चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम असारे वर्मा, श्री

राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम बक्श, श्री
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी)
रेवती शरण मौर्य, श्री,
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान वर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री

हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट:—श्रम मन्त्री श्री क्रान्ति कुमार भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

(बृहस्पतिवार, 14 जून, 1979)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

भूतपूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सरदार जोगेन्द्र सिंह के निधन पर बहराइच में गार्ड आफ आनर का सम्मान न दिये जाने संबंधी पत्र

**1—श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

दिनांक 22 मई, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 25 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता की ओर से उठाए गए मुद्दों पर सरकार विचार कर चुकी है? यदि हां, तो सरकार किस निष्कर्ष पर पहुंची है? यदि नहीं, तो इतना विलम्ब का क्या कारण है?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

जी नहीं।

प्रश्नकर्ता द्वारा उठाये गये मुद्दों पर अब भी विचार किया जा रहा है।

श्री अजीतसिंह सेठी—

मान्यवर, प्रश्न का प्रथम उत्तर जो है, जी हां इसको पढ़कर और सुनकर मुझे अब आपसे कुछ निवेदन करना है कि स्वर्गीय राज्यपाल जोगेन्दर सिंह जी का निधन आज से 4 महीने पहले हुआ। उस पर उनकी अर्थी उठाने की इजाजत नहीं दी गयी। हवेली को लाक कर दिया गया। अखण्ड पाठ और कीर्तन तक नहीं होने दिया गया, और न कराया गया। इन मुद्दों के कारण सरकार कीर्तन और अखण्ड पाठ या तो खुद करे या सिक्खों ने जो मांग की है उनके कल्याण के लिये करने की इजाजत दे। यह मुद्दे बिलकुल साफ हैं। हम चाहते हैं कि सरकार वह हवेली खुलवाये लेकिन वह खुलवाते नहीं हैं, कहते हैं कि विचाराधीन है। चार महीने हो गये विचाराधीन क्या चीज है? हवेली खुलवायें और या तो स्वयं अखण्ड पाठ और कीर्तन करें या तो सिक्ख समुदाय को करने की इजाजत दें। कल्याण का कार्य जरूर होना चाहिये। सरकार को कौन सी दिक्कत है इसमें?

श्री उपाध्यक्ष—

जवाब साफ है कि प्रश्नकर्ता द्वारा उठाये गये मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। आप यह पूछें कि कब तक फाइनल कर देगें, अंतिम रूप दे देगें।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में क्या दिक्कतें हैं?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जहां तक विशिष्ट व्यक्तियों के संबंध में राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार करने की बात है, इस सम्बन्ध में पहले निवेदन किया जा चुका है। मैं आज फिर निवेदन करूंगा कि इस संबंध में शासन को खेद है कि शासन को समय पर सूचना नहीं जा पायी और उनका दाह संस्कार राजकीय सम्मान के साथ नहीं हो पाया। मैं फिर इसके लिये खेद प्रकट करता हूं। जहां तक इन मुद्दों का सवाल है, जिन बातों को उठाया गया है, सामान्यतः विशिष्ट व्यक्तियों के संबंध में जो परिपाटी रही है वह यह परिपाटी रही है कि दाह संस्कार राजकीय सम्मान के साथ कर दिया जाय। उसके बाद जो प्रक्रिया है जैसे सेठी जी ने कहा है, ऐसी परम्परा नहीं है और न ऐसा सामान्यतः होता रहा है कि किसी का आदमकद बुत बनाकर खड़ा किया जाय या उनका कीर्तन कराया जाय। इस प्रकार की प्रक्रिया को शासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। जहां तक उनकी विशिष्टता का सवाल है इसमें कोई संदेह नहीं कि वह हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी थे और विशिष्ट व्यक्ति थे। अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसे कामों को करेगी तो उसमें शासन मदद करेगा। जहां तक अन्य मुद्दों का प्रश्न है वह अभी भी विचाराधीन है और कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है तो माननीय सेठी जी से बात करके निकाला जा सकता है।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि सरदार संप्रदाय, बहराइच का, उनके कोई औलाद नहीं है, तो वहां की सिंह सभा यदि आपको प्रार्थनापत्र दे कि हम इस स्थान पर अखंडपाठ और कीर्तन तीन दिन जो होता है, करना चाहते हैं तो क्या सरकार हवेली खोल कर करने की इजाजत देगी ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, यह व्यवस्था की जा सकती है।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, माननीय मंत्री जी को विदित है कि सरदार जी हमारे प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के माने हुए व्यक्ति थे और राज्यपाल भी थे। राज्य की ओर से उनका संस्कार नहीं हो सका तो प्रश्नकर्ता ने जो मुद्दे उठाये हैं वह यह हैं कि जिस स्थान पर उनका शव था और उनकी हवेली पर ताला लगा दिया गया, तो मृत्यु के बाद की जो प्रक्रिया और जो कार्य होते हैं वह पूरे नहीं हुए जिससे सिंह संप्रदाय में बड़ा असंतोष है। प्रश्नकर्ता का अभिप्राय यह है कि या तो यह कार्य शासन स्वयं करे अथवा कोई कमेटी बनाकर जो संस्कार आवश्यक हैं वह कमेटी उसको करे। क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, इस विषय में मैंने अभी निवेदन किया है कि जहां तक शासन के जरिये से करने का सवाल है तो देखना पड़ेगा उस पर विचार जारी है। लेकिन जैसा माननीय सेठी जी ने गुरुद्वारा समिति या कोई संस्था ऐसा करना चाहती है, चूंकि उनके कोई वारिस नहीं था इसलिये यह संपत्ति किसको दी जाय, अभी तक यह निर्णय नहीं हो पाया है। इसलिये उनकी संपत्ति की लिस्ट बनाकर बाकायदा बंद कर दिया गया है। जैसा आपने कहा कोई समिति ऐसा करना चाहती है तो वह पाठ उस जगह पर होगा वह व्यवस्था करा दी जायगी।

श्री यशवन्त प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या शासन के पास इस तरह का आवेदन-पत्र आया है कि उस कोठी में अखंड पाठ तीन दिन का करना चाहते हैं? यदि हां, तो उस आवेदन पत्र पर शासन ने कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया है, उसका क्या कारण है?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, जहां तक किसी संस्था के या समिति के प्रार्थना-पत्र की बात है तो उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। श्री सेठी का पत्र उपलब्ध है जिसमें उन्होंने कई मुद्दे उठाये हैं जिसमें एक मुद्दा अखंड कीर्तन करने का भी है जिसमें विचार किया जा रहा है।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य—

मान्यवर, हमारे देश और प्रदेश के वह सम्मानित व्यक्ति थे जिनकी अन्त्येष्टि राजकीय सम्मान से होनी चाहिये थी। यदि वह नहीं हुई तो उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसको करने में शासन को क्या आपत्ति है जबकि वह राजकीय सम्मान के अधिकृत हैं इसलिये यदि वह तत्काल न किया जा सका तो अब शासन को शेष कार्य जो रह गये हैं उनको करने में क्या आपत्ति है?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब दे चुके हैं। अगर कोई संस्था करना चाहती है तो शासन उसमें सहयोग देगा।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

मान्यवर, वह भूतपूर्व राज्यपाल थे, इसलिये भी उनको राजकीय सम्मान मिलना चाहिये था; इसलिये यदि वह तत्काल न किया जा सका तो अब शासन को शेष कार्य जो रह गये हैं उनको करने में क्या आपत्ति है?

श्री रमाशंकर कौशिक—

इसका जवाब तो हम दे चुके हैं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मंत्री जी जानते हैं कि वह राज्यपाल थे और वह लावारिस मरे, उनकी संपत्ति का कोई वारिस नहीं था और वारिस की हैसियत से सरकार ने ताला लगा दिया तो वारिस का क्या तत्काल कर्तव्य नहीं हो जाता कि उनकी अंतिम क्रिया को वह पूरा करे?

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, सरदार जोगेन्द्र सिंह ने जनपद बहराइच के, प्रदेश के और देश के नेता की हैसियत से सरकार के अन्दर राज्यपाल की हैसियत से कार्य करते हुए अपना जीवन गुजारा जिस पर मंत्री जी कहते हैं कि संप्रदाय की तरह से क्रिया नहीं कर सकते और खेद प्रकट किया। तो क्या सरकार उनकी प्रतिष्ठा को, उनके कामों को याद करते हुए बहराइच में कुछ ऐसे निर्माण कार्य करेगी जैसे सड़क या पुल हैं उनके नाम से बनवाये जिससे जिले में उनकी यादगार बनी रहे?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, ऐसी परम्परा नहीं है कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के मरने के बाद वहां उसकी मूर्ति लगाई जाय। लेकिन यदि कोई संस्था आगे आये तो सरकार उसमें मदद कर सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—

निर्माण न हो लेकिन जैसे अवाहर मार्ग है उसी तरह उनके नाम पर किसी निर्माणाधीन मार्ग का नाम तो रख सकते हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक—

यह बात ठीक है।

प्रदेश सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग के निर्माण पर विचार

**2—श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि क्या प्रदेश सरकार नागरिक उड्डयन का अलग से कोई विभाग बनाने पर विचार कर रही है ? अगर हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध म अब तक क्या कार्यवाही की है और विस्तृत योजना क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

प्रदेश में डायरेक्टर आफ फ्लाइट आपरेशंस के नियंत्रण में सिविल एविएशन निदेशालय स्थापित है। इसके कार्य क्षेत्र में सरकारी उड़ानों की व्यवस्था और चार्टर पर वायुयान उपलब्ध कराना है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस शासन क समक्ष नागरिक उड्डयन निगम बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या किसी कमेटी का गठन किया गया है ? यदि किया गया है तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, सन् 1974 में प्रदेश सरकार ने इस संबंध में निर्णय लिया था लेकिन किसी कारणवश वह कार्य आगे नहीं बढ़ पाया था और एक चार सदस्यीय समिति बन गई है विशेष सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में। इसके संयोजक हैं संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग। तीसरे सदस्य हैं डायरेक्टर आफ फ्लाइट आपरेशंस एंड एवियेशन एडवाइजर। चौथे सदस्य हैं परिवहन आयुक्त, जो कोआपरेटिव हिन्द फ्लाइंग क्लब के प्रशासक भी हैं। इस समिति को कहा गया है कि वह 7 जुलाई तक अपनी संस्तुति दे दे और इसी में यह प्रश्न भी विचाराधीन है कि प्रदेश में वैमानिक सुविधा के विकास हेतु एक अलग वैमानिक निगम बनाना उपयुक्त होगा अथवा नहीं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह निगम जो बनाया जाएगा, इस निगम से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को या और नागरिकों को विमान में आने-जाने के लिए कोई सुविधा दी जाएगी ? क्या ऐसी कोई योजना शासन के पास है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, यह भी विचाराधीन है। जो समिति बनी है, उसके टर्म्स आफ रिफरेन्स में यह है।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि निगम बनाने का उद्देश्य क्या है ? एक फ्लाइंग क्लब मौजूद है सरकारी कार्य के लिए। इस प्रकार का निगम आप जनता के लिए बना रहे हैं या शासन के लिए ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि कोई भी निगम बनता है तो वह शासन के लिए भी होता है और जनता के लिए भी होता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या यह भी प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि विचाराधीन निगम बन जाने से बैल-गाड़ी, लढ़िया, साइकिल वगरह का रिप्लेसमेंट हो जाएगा और जनता को चलने की सुविधा मिल जाएगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, निगम के क्षेत्र में बैलगाड़ी तो आती नहीं है ? मैं सारे प्रश्न आपके सुझाव से कमेटी के आगे रखवा दूंगा।

श्री बीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यह योजना सन् 1974 में कांग्रेसी सरकार के समय में बनी थी और निगमों के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग होता है। तो क्या मंत्री जी यह देखते हुए कि फ्लाइंग क्लब के माध्यम से सारे काम हो रहे हैं, अनावश्यक खर्चा न बढ़े, इसको देखते हुए इस कमेटी को निरस्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, फ्लाइंग क्लब को भी शासन 20.50 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान देता है फ्लाइंग क्लब इस वक्त एक अवक्रमित संस्था है। काफी वर्ष पूर्व इस संस्था को अवक्रमित कर दिया गया था। इस संस्था के प्रशासक इस वक्त परिवहन आयुक्त हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

ग्रामीण उद्योग केंद्र, एटा में अवैध तालाबन्दी

*1—श्री प्यारेलाल शाक्य (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि ग्रामीण उद्योग केन्द्र, एटा की सिलाई फैक्ट्री में विगत 7 फरवरी, 1979 से अवैध तालाबन्दी चल रही है, जिसके कारण बहुत से श्रमिक बेरोजगार हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र तालाबन्दी समाप्त कराकर इन श्रमिकों को काम पर लगवाने तथा अवैध तालाबन्दी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगी ?

श्रम मन्त्री (श्री क्रांति कुमार)—

ग्रामीण उद्योग केन्द्र, एटा में अवैध तालाबन्दी नहीं चल रही है, बल्कि सेवायोजकों ने 30 दिन का नोटिस देकर प्रतिष्ठान की बन्दी कर दी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकर अधिनियम, 1977 पर बकाया जल उपकर

*2—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कितने औद्योगिक संस्थानों पर जो उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण उपकर (सेस) अधिनियम, 1977 की अनूसची 2 के अन्तर्गत आती है पर उपरोक्त उपकर का कितना-कितना रुपया दिनांक 31 मार्च, 1979 को बकाया था ? एवं उपरोक्त उपकर न देने के कारण अधिनियम की धारा 14, उपधारा 1 तथा 2 के अन्तर्गत कितनों क विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? शेष के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री क्रांति कुमार—

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों पर दिनांक 31 मार्च, 1979 को लगभग रु0 1.85 करोड़ जल उपकर बकाया था। जल उपकर वसूलने की कार्यवाही मार्च 1979 में ही प्रारम्भ की गयी है। अभी उद्योगों को उपकर जमा करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है तथा उन्हें उचित अवसर व समय दिया जा रहा है। उद्योगों के विरुद्ध अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है किन्तु निरन्तर अवहेलना होने की दशा में उनके विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में 1977 मे (जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) उपकर अधिनियम पास हुआ और अब 1979 है। इस बीच में क्या कारण है कि ऐसे संस्थानों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और दूसरा यह जो 1.85 करोड़ रुपया बकाया है उस पर पिनेल्टी इनक्लूडेड है या केवल जल उपकर है ?

श्री क्रान्ति कुमार—

मान्यवर, यह 1 अप्रल, 1978 से लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त जलकर वसूली कार्य मार्च, 1979 से आरम्भ किया गया है और जल उपकर देने वाले उद्योगों को भी इस संबंध में सूचित किया जा रहा है। ऐसे उद्योगों की संख्या 25,600 है। 500 आदमियों न रिटर्न भेजे हैं। शेष को नोटिस दिये जा रहे हैं। अभी इसमें एक वर्ष लग जायेगा।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

यह अधिनियम बनने के बाद दो मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री बदल गये हैं कितने मुख्य मंत्री बदल जायेंगे यह तब किया जायेगा। मान्यवर, सेक्शन 14 के उप सेक्शन 2 में बाकायदा व्यवस्था है कि कार्यवाही आटोमेटिक करनी चाहिये। माननीय मंत्री जी जो प्रेरित कर रहे हैं जैसा इन्होंने कहा है तो प्रेरित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो विधान में प्रदत्त व्यवस्था है उसके अनुसार अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? जल प्रदूषण का प्रश्न रोज उठता है। सारे प्रदेश में स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्या कारण है कि अधिनियम लागू करने के बाद भी आज तक ऐसे संस्थानों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई या यदि हो रही है, तो कब तक कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री क्रान्ति कुमार—

मान्यवर, आपने धारा 14 का उल्लेख किया है। धारा 5 को भी पढ़ लें। यदि इजाजत हो, तो मैं पढ़ दूं. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

पढ़ दीजिये ..

श्री क्रान्ति कुमार—

"Every person on carrying on any specified industry and every local authority, liable to pay the cess under section 3 shall furnish such returns, in such form, at such intervals and containing such particulars to such officer or authority, as may be prescribed."

श्री उपाध्यक्ष—

इसका हिन्दी अनुवाद कर दीजिये ।

श्री क्रान्ति कुमार—

इसमें यह कहा गया है कि हर फर्म को अपने-अपने रिटर्न भेजने पड़ेंगे मुकर्रर समय के अंदर और इस पर इस तरह का प्रारूप बनेगा कि कितना पैसा देते हैं । इस तरह का प्राविधान है । मुश्किल से 500 आदमियों ने अपने रिटर्न भेजे हैं । 25600 टोटल फर्म है । हर एक को नोटिस दिये गये हैं कि अपने रिटर्न भेजें । जब रिटर्न नही भेजेंगे तो इसमें 6(1) और (2) में भी तरीका दिया हुआ है । आज्ञा हो तो पढ़ दूं:

"6 (1) The officer or authority to whom or which the return has been furnished under section 5 shall, after making or causing to be made such inquiry as he or it thinks fit and after satisfying himself or itself that the particulars stated in the return are correct, by order, assess the amount of cess payable by the concerned person carrying on any specified industry or local authority, as the case may be.

अभी तक जिन्होंने अपने रिटर्न नहीं भेजे हैं उनका एसेसमेंट नहीं हो पा रहा है.....

श्री उपाध्यक्ष—

इसका अनुवाद हिन्दी में कर दीजिए ।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

अंग्रेजी में पढ़ने की जरूरत क्या है । यह क्या मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वे साथ-साथ इसका हिन्दी में अनुवाद करेंगे ।

श्री क्रान्ति कुमार—

इसका हिन्दी रूपांतर इस प्रकार होगा कि जो भी अधिकारी होगा सक्षम वह रिटर्न को देखेगा और देखने के बाद टैक्स फिक्स करेगा । वसूलयाबी के लिए सेक्शन 14 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है, नोटिस भेजे गये हैं । रिटर्न नहीं आयेंगे तो पैनल्टी भी कर सकते हैं उसका भी प्राविधान है, उसके अनुसार भी कार्यवाही की जायगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो 1.85 करोड़ रुपया 31 मार्च, 1979 तक बकाया है इसमें से कितनी धनराशि एसी है जो एक वर्ष से अधिक बकाया है और उसको अब तक वसूल न करने का क्या कारण है ?

श्री क्रांति कुमार—

यह जो मैंने कोट किया है यह एग्जेक्ट अनुमान नहीं है। उद्योग विभाग से सेम्पिल सर्वे कराया गया था। जिस रोज से उसे किया था वैसे वसूल किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

1 मार्च, 1979 को कोई रकम बकाया हो सकती है। एक साल से बकाया होने पर भी उसके खिलाफ वसूली की कार्यवाही नहीं की गयी। पुरानी वसूली न करने का कारण क्या था ?

श्री क्रांति कुमार—

मार्च, 79 से यह काम शुरू किया। प्रक्रिया अभी जारी है और एसेस किया जा रहा है। इसमें थोड़ा समय चाहिये क्योंकि उसके लिये सा न चाहिये।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

धारा 6 माननीय मंत्री ने पढ़ी तथा 3 का उसमें उल्लेख है। जमा करने से पूर्व रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। सेक्शन 14 में यह व्यवस्था है वह यदि नहीं करता है तो उसे पेमेन्ट करने का पूरा अधिकार है। अब यदि वह समय से रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री क्रांति कुमार—

नोटिस दिया जायगा तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

टी० बी० अस्पतालों में कार्यरत बी०सी०जी० प्रभिज्ञों के अस्थायी पद

*3—श्री अजीत सिंह सेठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि उत्तर प्रदेश में टी० बी० अस्पतालों (क्षय रुजालयों) में कार्यरत बी०सी०जी० प्रभिज्ञों (तृतीय श्रेणी राज्य कर्मचारी) लगभग दस बारह वर्ष से अस्थाई हैं जबकि उक्त पद स्थाई हैं ? क्या सरकार ने ऐसा कोई आदेश 1975–76, 1976–77 में प्रसारित किया कि उक्त अस्थाई कर्मचारियों को ज्यष्ठता के अनुसार स्थाई कर दिया जाय ? यदि नहीं, तो क्या सरकार स्थाई करने का आदेश प्रसारित करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

10 वर्ष से कोई पद स्थायी नहीं है। 290 पद 1977 से अस्थायी हैं जिनमें 102 व्यक्तियों को अब तक स्थायी किया गया है।

श्री अजीत सिंह सेठी—

जो बाकी हैं वे कब तक स्थायी कर दिये जायेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

बहुत जल्दी स्थायी कर दिये जायेंगे 15, 20 दिन के अन्दर ही।

आपात्कालीन उत्पीड़ित परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों को पुरानी सेवाओं का लाभ तथा तत्कालीन अनुपस्थिति की अवधि का भुगतान

*4—श्री कन्हई सिंह, (जिला शाहजहांपुर), श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया); श्री प्यारे लाल शाक्य, श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में आपातकालीन उत्पीड़ित परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों को उनकी पुरानी सेवाओं का लाभ तथा तत्कालीन अनुपस्थिति की अवधि का वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उन्हें भुगतान कर दिए जाने की सम्भावनाएं हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

आपातकाल के दौरान जनपद शाहजहांपुर के जिन 10 परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों को पुनःसेवा में वापस लिया गया है उनमें से 9 स्वास्थ्य सहायकों को पुरानी सेवाओं का लाभ देते हुए अनुपस्थिति की अवधि का नियमानुसार वेतन भुगतान किये जाने के आदेश मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा पारित कर दिये गये हैं। शेष एक परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक को नियमानुसार पुरानी सेवाओं का लाभ देय नहीं है।

श्री हरि केवल प्रसाद—

माननीय मंत्री ने स्वयं माना है कि उनके साथ ज्यादती हुई, लेकिन जो ज्यादती हुई है और जिन कारणों से उनको हटाया गया है, जिस पीरियड में उनको हटाया गया और उत्पीड़ित किया गया और जांच रिपोर्ट के बाद वह निर्दोष पाय गये तो जिन अधिकारियों ने उनको उत्पीड़ित किया गैर कानूनी तरीके से उनको दंडित करने के लिये कौन सी कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जो पुराने बकाये की बात है, उसके सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती थी। जो अवकाश लोगों को देय था वह दिया गया। जो अवकाश सवेतन था वह सवेतन दिया गया और जो वेतन रहित हो सकता था वह वसे उनको दिया गया। जो नौकरी पर रखने की बात थी वह भी कर दी गयी जिनको इमरजेंसी के कारण निकाला गया था लेकिन जिन पर एमरजेंसी का कोई प्रभाव नहीं था और किन्हीं अन्य कारणों से निकाल दिये गये थे उनको नहीं रखा जा सका।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उनका क्या अपराध था, किन कारणों से वे हटाये गये ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, उस समय लक्ष्य पूर्ति न करने के कारण ही वे हटाये गये।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा 9 परिवारों को लाभ दिया गया है और 10 वें परिवार को नहीं दे पाये हैं। उनके सामने कौन-सी ऐसी वैधानिक कठिनाई थी जिससे वे इस परिवार को सहायता न कर सके ? क्या वे पुनः इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें भी सहायता देंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, विचार किया जा चुका है, वे इस योग्य नहीं पाये गये।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मान्यवर, जिन परिवार कल्याण सहायकों को आपतकालीन स्थिति में निकाला गया था उनको सेवा में ले लिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि उनको सेवा से निकालने वाले कौन अधिकारी हैं ? क्या उनके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही हुई ?

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्नों के समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता।

श्री भगवानदीन कुशवाहा (जिला कानपुर)—

चिकित्सा अधिकारी कानपुर के खिलाफ 18 हजार का गबन है और जो जांच कर रहे हैं.... (व्यवधान)

मैं मांग करता हूं कि इस पर आज विचार कर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दूसरा प्रश्न इस पर कर लें।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में ही है 9 स्वास्थ्य सहायकों को उनकी पुरानी सेवाओं का लाभ दे दिया गया है....

श्री उपाध्यक्ष—

जिस अधिकारी ने उनको सेवा से निकाला, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? वे यह पूछ रहे हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, यह सारी बातें देखनी पड़ेगी। शासन की नीति ऐसी थी। यह हर विभाग के साथ मामला है और सुनिश्चित करने की बात है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इस बात को देखना चाहिये कि जो उस वक्त शासन था वह भी दोषी था बजाय इसके कि हम किसी अधिकारी को दोषी ठहरायें।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मान्यवर, जवाब नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सूचना उनके पास नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि आपातकालीन स्थिति के दौरान अत्याचार के कारण जो कर्मचारी सेवा मुक्त किये गये थे उनको पुनः सेवा में ले लिया जायगा और उनको ऐसा ट्रीट किया जायेगा जैसे उनको हटाया ही न गया हो। इस पर उनको छुट्टियों का पूरा वेतन न देने का क्या कारण है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

ऐसे कोई आदेश नहीं हैं और नियमानुसार जो कार्यवाही हो सकती थी, वह की गई है।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको जबरन उस जमाने में इस्तीफा देना पड़ा ? क्या इस बारे में भी मंत्री जी विचार कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो व्यापक सवाल है। यह इससे नहीं उठता।

*5—श्री श्रीनारायण तथा श्री बाबूलाल वर्मा—

[12-6-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 15 द्वारा उत्तरित]

बदायूं जिले में बिजली की आपूर्ति

*6—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या विद्युत् मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र मई, 1979 के दूसरे सप्ताह में इस आशय का प्राप्त हुआ है कि बदायूं नगर में 8 मई से लगातार सायंकाल से ही बिजली चली जाती है ? क्या इस पर शासन ने कोई जांच कराई ? यदि हां, तो जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

विद्युत् मन्त्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

जी हां।

जी हां।

दिनांक 8-5-79 से 31-5-79 तक बदायूं नगर को औसतन 23 घन्टा 13 मिनट बिजली की आपूर्ति की गई। तांबे के तारों को लोहे से नहीं बल्कि एल्यूमोनियम के अधिक साइज के तारों से केवल उन्हीं स्थानों पर बदला गया है जहां पर या तो कम वोल्टेज की समस्या थी या जहां पर टूटे हुए तांबे के तारों को जोड़ सकना सम्भव नहीं था या जहां पर तार के चोरी चले जाने की सम्भावना थी। इससे नगर की विद्युत आपूर्ति में कोई असर नहीं पड़ा है।

लखनऊ मेडिकल कालेज, की सफाई कर्मचारी श्रीमती बन्नो की मृत्यु एवं उसके भविष्य निधि का भुगतान

*7—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर); श्री लालदास (जिला सीतापुर) तथा श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि दिनांक 5 मई, 1979 को मेडिकल कालेज, लखनऊ की एक हरिजन महिला जो वहां सफाई कर्मचारी थी, विश्वविद्यालय के प्रांगण में अपना दम तोड़ दिया ? यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं ? क्या यह सही है कि अपने भविष्य निधि के आंशिक भुगतान के लिये वह विश्वविद्यालय के पिछले 15 दिनों से निरन्तर चक्कर काट रही थी फिर भी उसको उसके धन का भुगतान अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही से न हो पाया ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

रजिस्ट्रार लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मेडिकल कालेज, लखनऊ को एक सफाई कर्मचारी श्रीमती बन्नों, की मृत्यु दिनांक 5-5-79 को विश्वविद्यालय प्रांगण में नहीं बल्कि मोहल्ला बादशाह बाग, वार्ड हसनगंज में हुई। भविष्य निधि के भुगतान के लिय उसका कोई आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय में नहीं प्राप्त हुआ है।

श्री लाल दास—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, कि यदि उसने विश्वविद्यालय में प्रार्थना-पत्र नहीं दिया तो क्या उसका प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी, नहीं ।

बलरामपुर अस्पताल में लैबोरेज केमिकल्स कम्पनी द्वारा निम्नस्तर के दिये गये डैक्स-ट्रोज इंजेक्शन

*8—श्री शतरुद्र प्रकाश तथा श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि क्या यह सही है कि दिनांक 24 मार्च, 1979 को जनपद लखनऊ में स्थित बलरामपुर अस्पताल में 6 मरीजों पर लेबोरेज केमिकल्स कम्पनी के खराब एवं निम्न स्तर के ग्लूकोज पानी का विपरीत असर पड़ा था ? यदि हां, तो इसकी जानकारी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक ने शासन को दे दी थी ? अगर हां, तो शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

दिनांक 24 मार्च, 1979 को वरिष्ठ अधीक्षक, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ तथा खाद्य एवं औषधि नियंत्रक उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचित किया कि उनके अस्पताल में 4 रोगियों को लैब्रास कैमिकल, लखनऊ द्वारा निर्मित 5 प्रतिशत डेक्सट्रोज इंजेक्शन बैच नं0 3379 की प्रक्रिया हो गई हैं । इस घटना की जानकारी शासन को है । प्रश्नगत डक्सट्रोज का लखनऊ की प्रयोगशाला तथा कलकत्ता की प्रयोगशाला से विश्लेषण कराया गया । लखनऊ की प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्न-गत डक्सट्रोज स्टैन्डर्ड स्तर का पाया गया । कलकत्ता की प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत डक्सट्रोज के नमून में "सस्पेन्डेड पार्टीकिल्स" पाय गय । इस तकनीकी त्रुटि के लिए सम्बन्धित फर्म को कठोर चेतावनी दी गई ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता प्रयोगशाला की रिपोर्ट क्या है और शासन को वह कब प्राप्त हुई और शासन ने जो चेतावनी फर्म को दी है वह कब दी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, कलकत्ता प्रयोगशाला की जो रिपोर्ट है वह मैंने जैसा निवेदन किया कि उसमें सस्पेन्डेड पार्टिकिल्स पाये गये यह उनकी रिपोर्ट है और सस्पेन्डेड पार्टिकिल्स के बारे में गवर्नमेंट आफ इंडिया की गाईड लाइंस हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैंने प्रश्न किया था कि वह रिपोर्ट क्या है उसे सदन में पढ़कर बता दें ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, पूरी रिपोर्ट पढ़कर सुना दूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

उसका सारांश बता दें ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

वही बता रहा हूं कि उसमें सस्पेंडेड पार्टिकिल्स होने की सूचना दी गई है कि इसमें सस्पेंडेड पार्टिकिल्स हैं इस ग्लूकोज में और 26 अप्रैल को वह प्राप्त हुई और उसी दिन फर्म को नोटिस दी गई और कड़ी चेतावनी दी गई।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरे पहले प्रश्न का जवाब दिलवा दें। मैंने साफ प्रश्न किया है रिपोर्ट क्या है और कब शासन को प्राप्त हुई ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह उन्होंने बता दिया कि 26 अप्रैल को रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कलकत्ता से आई जिसमें सस्पेन्डेड पार्टिकिल्स पाये गये और उसी दिन वारनिंग फर्म को दे दी गई।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

रिपोर्ट का नतीजा बताया नहीं, रिपोर्ट का कनक्लूजन होता है। तो मैं यह पूछ रहा हूं कि वह रिपोर्ट क्या है और शासन को कब प्राप्त हुई और चेतावनी कब दी गई ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आपने ध्यान नहीं दिया उन्होंने बताया कि 26 अप्रैल को रिपोर्ट प्राप्त हुई और 26 अप्रैल को ही फर्म को चेतावनी दे दी गई। यह जवाब वह दे चुके हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं यह जानना चाहता हूं की जब कलकत्ता प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त हो गई कि वह निम्नस्तर का ग्लूकोज है उच्चस्तर का नहीं है तो क्या कारण है कि उस फर्म का अब तक लाईसेंस निलम्बित नही किया गया जब कि स्पष्ट आदेश है कि जो कोई दवा या ग्लूकोज स्टैन्डर्ड का नही होता है या निम्नस्तर का होता है तो उसका प्रयोग रोक दिया जाता है और उस फर्म का लाईसेंस निलम्बित किया जाता है, तो इस बड़ी फर्म को निलम्बित क्यों नही किया गया ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, इस प्रश्न का जबाब मैंने पिछली बार भी कहा था, पिछले बृहस्पति को जब आया था तब भी मैंने निवेदन किया था कि सस्पेडेड पार्टिकिल्स वाली जो गलती है उसके लिये भारत सरकार की गाईड लाइंस हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, वह कैपसूल के बारे में था, यह दूसरा प्रश्न है।

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, दिखा दूंगा, कल ग्लूकोज के संबंध मे आ चुका है। इसमें भारत सरकार की सस्पेडेड पार्टिकिल्स के बारे में जो गाइड लाइंस है वह यह है कि इसकी मामूली गल्ती माना जाय। इसका एक नियम यह है इसमें जो ड्रग कन्ट्रोलर होता है। वह सर्वेसर्वा होता है। शासन के पास ड्रग कन्ट्रोलर की कोई रिपोर्ट नहीं आती है..... (व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

सवाल कुछ जवाब कुछ आ रहा है, मेरा तो यह सवाल ही नहीं है.....

श्री रमा शंकर कौशिक—

सुन तो लें यह। पिछली बार भी जब यह सवाल आया था, तब मैंने तो बताया था। जिस बिन्दु पर बात हुई तो मैंने यह आदेश दिये हैं कि एडिशनल डाइरेक्टर इस बात की जांच

करें कि क्या इन बिन्दुओं पर इस फर्म का लाइसेंस निलम्बित करना चाहिये था या ड्रग कन्ट्रोलर ने ऐसी संस्तुति की थी तो नियमानुसार क्या कार्यवाही होनी चाहिये थी ? इन सारे बिन्दुओं पर विचार करने के लिये कह दिया गया है ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

इसमें लखनऊ प्रयोगशाला की एक रिपोर्ट है और कलकत्ता प्रयोगशाला की दूसरी रिपोर्ट है, तो क्या किसी तीसरी प्रयोगशाला से मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे, जिससे स्पष्ट मालूम हो सके कि इसमे क्या त्रुटियां हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जहां तक प्रयोगशाला का सवाल है, इनमें जब भी भेद वाली बात आएगी तो निश्चित रूप से कलकत्ता प्रयोगशाला की बात को माना जाएगा । लेकिन इस संबंध में टेकनिकल लोगों का कहना है कि किसी अच्छे ग्लूकोज में भी, यदि उसे लगातार सफर में रहना पड़े, सस्पेन्डेड पार्टिकिल्स हो सकते हैं । यह कलकत्ता प्रयोगशाला की जो रिपोर्ट है तो यह उसके रास्ते में या सफर में होने के नाते भी हो सकती है यानी सस्पेन्डेड पार्टिकिल्स हो सकते हैं । यह मामूली त्रुटि मानी गई है और इसके आधार पर जैसा ड्रग कन्ट्रोलर ने बताया है उनको चेतावनी दी गई है । फिर भी इन सारे बिन्दुओं पर विचार करने के लिए डाइरेक्टर से कह दिया गया है कि वह किसी एडिशनल डायरेक्टर से इसकी जांच करा लें ।

श्री राघवराम मिश्र (जिला खीरी)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पिछले डायरेक्टर ने कितनी ग्लूकोज पानी का वितरण करने वाली कम्पनीज से यह खरीदने के संबंध में सतर्कता बरतने के लिए कहा है और क्या यह भी सही है कि जिन कम्पनीज से उन्होंने न खरीदने का निर्देश दिया है, उनसे भी ग्लूकोज का पानी खरीदा जा रहा है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

ग्लूकोज का पानी उन्हीं फर्मों से खरीदा जाता है, जो महानिदेशक, पूर्ति एवं निपटाने के जरिये एप्रूव होती हैं, और किसी फर्म या कम्पनी से यह नहीं खरीदा जाता है ।

कानपुर नगर में स्थित टेनरियों में साधारण मजदूर व कारीगरों का अनुमन्य न्यूनतम वेतन

*9—श्री मोतीराम (जिला कानपुर)—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर में स्थित टेनरियों में मजदूरी करने वाले साधारण मजदूर एवं कारीगरों का न्यूनतम वेतन क्या है ? उनकी सेवाओं में क्या कोई सुधार वर्तमान सरकार द्वारा किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री क्रांति कुमार—

कानपुर नगर में स्थित टैनरियों में मजदूरी करने वाले साधारण मजदूर एवं कारीगर को वर्तमान समय में अनुमन्य न्यूनतम वेतन निम्न प्रकार है:—

	मूल वेतन	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता	कुल योग
	रु0 पै0	रु0 पैसे	रु0 पैसे
1—साधारण मजदूर .. (अकुशल) ..	160.00 प्रतिमाह	15.40 प्रतिमाह	175.40 प्रतिमाह
2—कारीगर कुशल ..	212.00 प्रतिमाह	15.40 प्रतिमाह	227.40 प्रतिमाह

कानपुर के टैनरी मजदूरों की यह मजदूरी दरें दिनांक 21-2-77 से पुनरीक्षित होकर लागू की गई हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में निर्धारित मजदूरी दरों का पुनरीक्षण 5 वर्ष के अन्तराल से किये जाने का प्राविधान है। उपर्युक्त मजदूरी दरें प्रचलित किये अधिक समय नहीं हुआ है। अतः उनके पुनरीक्षण की अभी आवश्यकता नहीं है।

श्री मोतीराम—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो महंगाई भत्ता रु0 15.40 की दर से बताया है उसी नगर में सूती मिल और दूसरे कारखानों के मजदूरों का अभी 45 रुपये के हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है वह टैनरी मजदूरों पर लागू करने पर शासन विचार कर रहा है? मैंने एक प्रश्न और किया था उनकी दशाओं के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष—

एक बार में एक प्रश्न कीजिये।

श्री क्रांति कुमार—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि 45 रुपया महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, यह मेरे विचार में ठीक नहीं है, ऐसा नहीं किया गया है।

श्री मोतीराम—

मंत्री जी ने उत्तर में यह स्पष्ट नहीं किया कि यह बात ठीक है या ठीक नहीं है कि 45 रुपया सूती मिल मजदूरों को दिया गया है। मेरी निश्चित जानकारी है कि 45 रुपया महंगाई भत्ता दिया गया है सूती मिल मजदूरों को। दूसरे टैनरी मजदूरों की वर्किंग कंडीशंस जो हैं उनको ऐसे केमिकल्स में रहना पड़ता है कि वह कोढ़ी हो जाते हैं, हाथ पैर निकल जाते हैं, मेरा तात्पर्य यह था कि चमड़ा लादना पड़ता है, गमबूट या ग्लव्ज या लादने के लिए कोई चीज रखना ताकि उनकी रक्षा हो सके, केमिकल्स के जरिये वहां के मजदूर काम करते हैं, उनके हाथ-पैर कोढ़मय हो जाते हैं, उनके बारे में क्या कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशंस के बारे में?

श्री क्रांति कुमार—

माननीय सदस्य ने कहा कि 45 रुपये महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, वह ठीक नहीं है ऐसा नहीं किया गया है। वेरिएबिल डी0 ए0 1960 में 100 प्वाइंट मानकर 300 प्वाइंट के ऊपर 35 पैसे प्रति प्वाइंट के हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ता है। 300 प्वाइंट से ऊपर रेट बढ़ाया गया है। वर्किंग कंडीशंस के बारे में वह बतला देंगे तो जो व्यवस्था की जा सकती है, मैं करा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने अपनी निजी जानकारी के बारे में कहा कि 45 रु0 महंगाई भत्ता कर दिया गया है। अगर वह सही है तो भत्ता बढ़ाने पर विचार करेंगे?

श्री क्रांति कुमार—

मैंने निवेदन किया 45 रुपये महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया गया है।

श्री ए0 सी0 ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)—

मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में सूती मिल में हमारी उम्र गुजर गयी, अभी आपने कंट्रैक्ट किया है लेबर के साथ कि 45 रुपये एडहाक डी0ए0 मिलेगा, यह सही है या गलत?

श्री क्रान्ति कुमार—

मान्यवर, जो दोनों पक्षों में वार्ता हुई है, 45 रुपये एडहाक इनक्रीज इन सैलरी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहली अप्रैल से आपने कहा है कि अतिरिक्त महंगाई भत्ता आप देंगे टेक्सटाइल के अन्दर, अगर 45 रुपये महंगाई भत्ता फर्स्ट अप्रैल से मिलेगा, वह पूछ रहे हैं कि 45 रु0 टैनरी वर्क्स को मिलेंगे ?

श्री क्रांति कुमार—

वह जो फैसला हुआ है वह मिल मालिकों और टेक्सटाइल के मजदूरों में हुआ है । सरकार के समक्ष हुआ । उसमें 45 रुपये एडहाक इनक्रीज इन पे है ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहली अप्रैल को कहा था ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि टैनरी मजदूरों को भी कपड़ा मिल के जो मजदूर हैं उनके समान महंगाई भत्ता दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री क्रान्ति कुमार—

मान्यवर, यदि इस प्रकार की मांग श्रमिकों की ओर से आयेगी तो उस पर विचार कर लिया जायगा ।

"अखिल भारतीय शरीर सेमिनार' का आयोजन तथा उपलब्धियां

*10—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद) तथा श्री जय शंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 12, 13 एवं 14 मार्च, 1978 को राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनऊ के शरीर विभाग द्वारा "अखिल भारतीय शरीर सेमिनार" का कोई आयोजन किया गया था जिसमें शासन ने विशेष अनुदान दिया था ? क्या उक्त आयोजन को सफल बनाने के नाम पर आयोजकों ने विज्ञापन तथा चन्दों द्वारा लाखों रुपये का फण्ड भी जमा किया था? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त आयोजन में बहुत बड़ी धनराशि का घोटाला किया गया है और आयोजकगण आवश्यक अभिलेखों को मिटा रहे हैं? यदि हां, तो उक्त आयोजन की उपलब्धियां क्या है ? क्या सरकार धन सम्बन्धी मामले की जांच करा कर पूर्ण तथ्य प्रस्तुत करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

दिनांक 12, 13 तथा 14 मार्च, 1978 को राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनऊ के शरीर विभाग द्वारा अखिल भारतीय शरीर सेमिनार का आयोजन किया गया था । उक्त सेमिनार के लिए शासन द्वारा 8,000 रु0 का अनुदान स्वास्थ्य मन्त्री जी के विवेकाधीन कोष से स्वीकृत किया गया था । सेमिनार को सफल बनाने क लिए आयोजकों द्वारा विज्ञापन से केवल 5,626 रु0 की धनराशि एकत्र की गई थी तथा छात्रों द्वारा चन्दे के रुप में 1,617 रु0 की धनराशि एकत्र की गई थी । इस प्रकार विज्ञापन तथा चन्दे से केवल 7,243 रु0 की आय हुई थी । इस सेमिनार के आयोजन के सम्बन्ध में बहुत बड़ी धनराशि के घोटाले की अथवा आयोजकों द्वारा अभिलेखों को मिटाने की कोई शिकायत शासन को प्राप्त हुई नहीं प्रतीत होती है । प्राप्त सूचना के अनुसार इस आयोजन में न तो किसी प्रकार का वित्तीय घोटाला किया गया है और न अभिलेखों को मिटाया गया है । अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है । सेमिनार के आयोजन की उपलब्धियों का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 297 पर)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार 10 रुपये प्रति डेलीगेट फीस ली गयी, अध्यापकों से चन्दा लिया गया था और अन्य स्रोतों से भी पैसा आया, प्रतिनिधियों की भोजन व्यवस्था सरकार की ओर से की गयी । तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी सहायता समेत सारे स्रोतों से इस आयोजन में कितनी आमदनी हुई और कितना खर्च हुआ ? क्या उसका आडिट कराया गया? यदि नहीं, तो जब तक आडिट न हो जाय तब तक सरकार सारे कागजातों को सील कराने की कृपा करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

जैसा मैंने निवेदन किया कि 8 हजार शासन द्वारा दिया गया है और 5,625 विज्ञापन के द्वारा आया और प्रतिनिधियों के रजिस्ट्रेशन से प्राप्त हुए 1,375 रुपये, अंतिम वर्ष के 45 छात्रों द्वारा 675 रुपये, द्वितीय वर्ष के 40 छात्रों से 826 रुपये तथा अन्य छात्रों से 116 रुपये कुल मिलाकर 16,618 रुपये प्राप्त हुए थे और 15,305 रुपये खर्च हुए जिसमें सारी व्यवस्थायें शामिल हैं जैसे उनका मार्ग व्यय, आतिथ्य उनका यहां पर आने जाने में मोटर व्यय, फोटोग्राफी वगैरह पर 15,305 रुपये व्यय हुए । 16,618 रुपये कुल मिले थे, और शेष रुपये बैंक में जमा हैं । बैंक में शारीरिक सेमिनार के नाम से खाता खोला गया है । निदेशक को लिखा गया है जो इसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित करेंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के साथ उपलब्धियों का एक विवरण संलग्न किया है जिसके आइटम नं0 3,4 और 5 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । आइटम नं0 3 पर है कि शरीर विषय के अध्यापन में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन कठिनाइयों को दूर करने का कौन प्रयास किया गया है और इसका क्या प्रमाण है कि अध्यापकों में अनुसंधान कार्य की अभिरुचि उत्पन्न हुई है और शरीर वर्कशाप आयोजन की रूप रेखा कब तक तैयार हो जायेगी?

श्री रमा शंकर कौशिक---

मान्यवर, इस प्रकार के जो सेमिनार होते हैं वह अवश्यमभावी हैं । जिनको शरीर विज्ञान के ऊपर या मेडिकल साइंस पर अनुसंधान करना होता है उनके लिए सेमिनार बहुत आवश्यक है । दूसरी जो फैकल्टीज हैं जैसे एलोपैथी वगैरह में भी इस तरह का आयोजन होता रहा है । वहां पर लोग विभिन्न पत्रों आदि के साथ आते हैं और उनको वे वहां पर पढ़ते हैं । उससे ज्ञान वर्धन होता है । उसकी उपलब्धि आंकड़ों में नहीं हो सकती है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

माननीय मंत्री जी ने शरीर वर्कशाप के आयोजन के बारे में नहीं बताया । इसको मैंने निश्चित रूप में पूछा था कि उसकी रूप रेखा क्या होगी । आप चौथे को देखें । उसी तरह से उपलब्धि 4 को आप देखें । इसमें कहा गया है कि अध्यापकों में अनुसंधान कार्य की अभिरुचिउत्पन्न हुई है । तो इसका कोई प्रमाण आना चाहिये सेमिनार से । 3 में कहा गया है कि शरीर विषय के अध्यापन में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया । तो कौन-कौन सी अध्यापन में कठिनाइयों उत्पन्न हुई और उनका क्या हल ढूंढा गया, इस पर कुछ तो प्रकाश डालें । खास तौर से यह भी बताने का कष्ट करें कि वर्कशाप कब तक एक्जिस्टेन्स में आ जायगी?

श्री रमा शंकर कौशिक---

मान्यवर, जल्दी हो जायेगी । रूपरेखा बन रही है, तैयारी कर रहे हैं और वह शीघ्र हो जायेगी ।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य—

माननीय मंत्री जी ने उपलब्धियों में कहा है कि इस सेमिनार में 125 प्रतिनिधियों द्वारा शोध पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सर्व-प्रथम आया है, उसको पुरस्कृत करने पर शासन विचार कर रहा है?

श्री रमा शंकर कौशिक—

अभी तो ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

नगरपालिका शमशाबाद, जिला आगरा में पानी की आपूर्ति

*11—श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सरकार को पता है कि शमशाबाद नगरपालिका, जिला आगरा की जलकल व्यवस्था करीब तीन माह से ठप्प पड़ी हुई है और नगर की जनता को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री क्रांति कुमार—

जी नहीं।

यह कहना गलत है कि नगरपालिका शमशाबाद (आगरा) की जलकल व्यवस्था करीब तीन माह से ठप्प पड़ी है। पालिका द्वारा नगर की जनता को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। गत तीन महीने में केवल दिनांक 23-5-79 तथा 27-5-79 को हाइडिल से बिजली प्राप्त न होने के कारण जनता को पानी की आपूर्ति में व्यवधान हुआ था।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

मान्यवर, मैं तो स्वयं देखकर आया हूं और माननीय मंत्री जी ने जो रिपोर्ट दी है यह बिल्कुल गलत है तोता पढ़ने के मुताबिक है। 2 दिन के लिये तो स्वयं माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जल कल ठप्प रहा लेकिन वहां पर मुश्किल से 3 महीनों में 10-5 दिन ही चला होगा। वहां पर जल कल बिल्कुल ठप्प पड़ा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि दूसरा नलकूप जो वहां पर वर्ष 1968 से बना पड़ा है और नगर पालिका की जनसंख्या 20 हजार होने जा रही है तो उस बने पड़े नलकूप को चालू करने की कृपा करेंगे ?

श्री क्रांति कुमार—

यह सही है कि वहां पर दूसरा नलकूप बना पड़ा है हमने उसके लिए निर्देश दे दिये हैं कि शीघ्रातिशीघ्र उस पर पम्प लगाया जाय ताकि लोगों को पानी मिल सके। वहां पर इसके अतिरिक्त पेय जल की एक्सटैन्शन स्कीम में और भी कुएं लगाने की बात चल रही है।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो वहां पर नलकूप है, उसकी कितने क्युसेक पानी देने की क्षमता है ?

श्री क्रांति कुमार—

मान्यवर, यह तो मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन मेरे पास यह सूचना है कि फरवरी 1979 में 2 लाख, 27 हजार, 661 लीटर औसतन पानी दिया गया। इसी तरीके से मार्च, 1979 में 1 लाख, 87,681 लीटर औसतन पानी दिया गया और अप्रैल 1979 में 2 लाख 44 हजार 412 लीटर औसतन पानी दिया गया।

नोट:—नियम 29 (4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनऊ में नवीन छात्रों का प्रवेश

*12—आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनऊ में 1978 में नवीन छात्रों का प्रवेश न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ तथा अन्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में वर्ष 1978–79 के लिए पूल सिस्टम के आधार पर नवीन छात्रों के प्रवश की कार्यवाही दिनांक 25–4–79 से प्रारम्भ हो गयी है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जैन शुद्ध वनस्पति, गाजियाबाद फर्म द्वारा पाम आयल की अवैध बिक्री

*1—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जैन शुद्ध वनस्पति, गाजियाबाद फर्म द्वारा वर्ष 1979 में करोड़ों रुपये का अनरिफाइन्ड हानिकारक पाम आयल सादे टिनों पर रिफाइण्ड पाम का कागज का लेबल लगा कर बलिया तथा राज्य के अन्य जनपदों में बड़े पैमाने पर अवैध ढंग से बिक्री किया जा रहा है? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कर रही है? इस वर्ष बिक्री किया जा रहा पाम आयल के सम्बन्ध में पब्लिक एनालिस्ट की रपेर्ट क्या है और कब प्राप्त हुई ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जैन शुद्ध वनस्पति गाजियाबाद ने वर्ष 1979 में पोर्ट हेल्थ आफिसर द्वारा जो पाम आब प्राप्त किया उसका विवरण निम्नवत् है:—

(क) खाद्य पाम आयल	..	26046.772 मी0 टन
(ख) अखाद्य पाम आयल	..	196.228 मी0 टन

प्रश्नगत फर्म ने वर्ष 1979 में कुल 8800 टिन (16.5 किलोग्राम प्रति टिन) पाम आयल बलिया जनपद को बिक्री किया। राज्य के अन्य जनपदों को भी उक्त फर्म द्वारा पाम आयल भेजा गया किन्तु इस बात की निश्चित जानकारी स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध नहीं है कि उक्त फर्म ने सादे टिनों पर रिफाइंड पाम आयल का लेबिल लगाकर अखाद्य पाम आयल बेचा है अतः किसी रोकथाम की कार्यवाही का प्रश्न अपरिपक्व है।

कथित फर्म के पाम आयल के 15 नमूने चालू वर्ष में अब तक लिए गए हैं जो जन विश्लेशक, लखनऊ को विश्लेषण हेतु भेज दिये गये हैं विश्लेषण रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

कथित फर्म द्वारा बलिया जनपद को भेजे गये पाम आयल के भी 4 नमूने लिए गए। इस सम्बन्ध में भी जन विश्लेषक की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है

प्रदेश की नगरपालिकाओं और नगरमहापालिकाओं में अस्थायी कर्मचारी

*2—श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगरपालिकाओं और नगरमहापालिकाओं में कितने केन्द्रीयित और अकेन्द्रीयित ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें सेवा करते 10

वर्ष बीत चुके हैं किन्तु अस्थायी हैं ? उनकी सेवाएं स्थायी न होने के क्या कारण हैं ? क्या इन लोगों के पेंशन नियम बन चुके हैं? यदि हां, तो कब बनाए गए और कब तक लागू किये जायेंगे ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामाधार पाण्डेय)—

राज्य में 184 नगरपालिकायें एवं 5 नगरमहापालिकायें हैं, जिनसे 10 वर्ष से कार्यरत केंद्रीयित एवं अकेन्द्रीयित अस्थायी कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है जिसमें कम से कम तीन माह का समय लगेगा। केन्द्रीयित सेवा की पेन्शन नियमावली को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और अकेन्द्रीयित सेवा की पेन्शन नियमावली के सम्बन्ध में भी वही कार्यवाही की जा रही है।

ए0 एन0 डी0 डिग्री कालेज, कानपुर के गैर शिक्षक वर्ग के कर्मचारियों के वेतन में भिन्नता तथा महापालिका में स्थानान्तरण

*3—श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर महापालिका द्वारा संचालित ए0 एन0 डी0 डिग्री कालेज, कानपुर के गैर शिक्षक वर्ग के कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारित शैक्षिक योग्यतायें एवं कैडर महापालिका के सामान्य कर्मचारियों से भिन्न है ? यदि हां, तो क्या उन कर्मचारियों के स्थानान्तरण डिग्री कालेज से महापालिका में किये जा सकते हैं? यदि नहीं, तो अक्तूबर, 1978 तथा उसके पश्चात् डिग्री कालेज से कर्मचारियों के स्थानान्तरण किन नियमों के अन्तर्गत किये गये?

श्री रामाधार पाण्डेय—

यद्यपि ए0 एन0 डी0 कालेज और नगरमहापालिका के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के पदनाम और वेतनक्रम में कुछ भिन्नता है, किन्तु कालेज के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारी मूलतः नगरमहापालिका के ही कर्मचारी हैं और नगरमहापालिका सेवा नियमावली 1962 से शासित होते हैं। इनका कालेज से नगरमहापालिका में स्थानान्तरण भी कोई नई बात नहीं है और प्रश्नगत स्थानान्तरण संबंधित कर्मचारियों की प्रार्थना पर किये गये हैं।

प्रदेश में फैला पालित रोग तथा उस पर नियंत्रण

*4—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में संक्रामक रूप से पालित रोग फैल रहा है जिसके कारण किशोर एवं युवावस्था के युवक युवतियों के बाल कुसमय में ही पक जाने से स्वास्थ्य एवं सौन्दर्य विकृत हो रहा है? यदि हां, तो पालित महामारी के नियन्त्रण हेतु प्रभावी कदम उठाए जायेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

ऐसी कोई सूचना स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है कि पालित रोग संक्रामक रूप से प्रदेश में फैल रहा है। आयुर्वेद के मतानुसार पालित रोग संक्रमण द्वारा नहीं फैलता है।

आयुर्वेद के मतानुसार पालित रोग जिसमें समय से पूर्व बाल पक जाते हैं एवं श्वेत हो जाते हैं, संक्रामक रोग नहीं है। अतएव इस रोग के संक्रामक रूप से फैलने का प्रश्न नहीं उठता।

पालित रोग का समावेश महामारी के अन्तर्गत नहीं आता है अतः पालित रोग पर महामारी के रूप में नियन्त्रण हेतु कदम उठाने का भी प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद चौक में स्थित सर्राफा की दुकानों को प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, सेन्टर फैजाबाद द्वारा क्षति पहुंचाना

*5—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 28 अक्तूबर, 1975 को फैजाबाद चौक में हसन रजा वक्फ बोर्ड द्वारा संरक्षित मस्जिद की सर्राफा की दुकानों को प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, फैजाबाद के नेतृत्व में अनाधिकार क्षति पहुंचाई गयी? क्या उक्त दुकानों के निर्माण सम्बन्धी स्वीकृति सन् 1944 में फैजाबाद नगरपालिका द्वारा प्राप्त कर ली गयी थी ? क्या शासन उसकी जांच करायेगा तथा दोषी अधिकारियों को दंडित करेगा और दुकानदारों को, जो प्रभावित हैं, उन्हें क्षतिपूर्ति दिलायेगा ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

नगरपालिका, फैजाबाद के प्रभारी अधिकारी द्वारा इस प्रकार की क्षति पहुंचाने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मौके का नगर अभियन्ता द्वारा निरीक्षण कराया गया। आस-पास के लोगों की सूचना के अनुसार कुल 16 ऐसी दुकानों का प्रोजेक्शन हटाया गया जिससे यातायात में अवरोध होता था। नरपालिका में ऐसे अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं जिससे यह ज्ञात हो सके कि दुकानें तोड़ी गयीं। अभिलेखों के अभव में यह भी कहना कठिन है कि वर्ष 1944 में नगरपालिका द्वारा कथित दुकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी अथवा नहीं। अभिलेखों के अभाव में किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को दण्डित करने और प्रभावित दुकानदारों की क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

विशुनपुरा विकास खंड, देवरिया में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

*6—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह जानकारी है कि विशुन पुरा विकास खण्ड, देवरिया में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार बहुत कम है? यदि हां, तो क्या उक्त खण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अपग्रेडिंग हेतु स्वीकृति दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं। प्रदेश के अन्य विकास खण्डों की भांति विकास खण्ड विशुनपुरा, जिला देवरिया में भी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहा है जिसमें चिकित्सा विंग के साथ-साथ जन स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ शिशु कल्याण वर्ग भी सम्मिलित है।

यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करना कब तक सम्भव हो सकेगा।

जनपद गोरखपुर में स्थायी किये गये स्वास्थ्य निरीक्षक

*7—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में कुछ स्वास्थ्य निरीक्षकों को वर्ष 1978–79 में स्थायी किया गया है यदि हां, तो क्या इसमें कुछ ऐसे स्वास्थ्य निरीक्षकों को भी स्थायी किया गया है जिनकी चरित्र पंजिकाएं उपलब्ध नहीं थीं या उनमें प्रतिकूल प्रविष्टियां थीं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जनपद गोरखपुर में वर्ष 1978–79 में 12 स्वास्थ्य निरीक्षकों को सम्बन्धित उप मुख्य चिकित्साधिकारियों की विशेष गोपनीय रिपोर्ट में की गयी संस्तुतियों के आधार पर स्थायी किया गया है। इनकी चरित्र पंजिकाएं उपलब्ध न होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से किसी की प्रतिकूल प्रविष्टि थी अथवा नहीं।

गोरखपुर मंडल में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षिकायें

*8—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री इस तथ्य से अवगत हैं कि गोरखपुर मण्डल की कुछ जिला स्वास्थ्य निरीक्षकाएं अपने गृह जनपद में कार्यरत हैं? जिससे वे राजकीय कार्येतर गतिविधियों में अधिक भाग लेती हैं और राजकीय कार्य में उतनी उपलब्धि नहीं हो पा रही है जितनी अपेक्षित हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जांच कराकर सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां। गोरखपुर मण्डल में इस समय दो जिला स्वास्थ्य निरीक्षिकाएं अपने गृह जनपदों में कार्यरत हैं। इसमें एक जनपद गोरखपुर में तथा दूसरी देवरिया में हैं।

गोरखपुर जनपद में कार्यरत जिला स्वास्थ्य निरीक्षिका उत्तर प्रदेश मातृ एवं शिशु कल्याण कर्मचारी संघ की अध्यक्षा भी हैं, लेकिन देवरिया जनपद में कार्यरत जिला स्वास्थ्य निरीक्षिका के सम्बन्ध में ऐसी कोई सूचना शासन की जानकारी में नहीं है।

गोरखपुर जनपद की जिला स्वास्थ्य निरीक्षिका के उक्त संघ की राज्य अध्यक्षा होने के कारण उनके सरकारी कार्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और इसलिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव नहीं है।

हरदोई जिले की तहसील बिलग्राम में बिलग्राम–बिरौरी एवं बिलग्राम–छिबरामऊ में नलकूपों में विद्युत कनेक्शन की मांग

*9—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या विद्युत मन्त्री बतायेंगे कि हरदोई जिले की तहसील बिलग्राम में बिरौरी एवं छिबरामऊ की दो जीर्ण स्थिति में पड़ी विद्युत लाइनों को 31 मार्च, 1979 तक चालू न करने के क्या कारण हैं तथा सदन को गुमराह करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

हरदोई जिले की तहसील बिलग्राम में बिलग्राम-बिरौरी एवं बिलग्राम–छिबरामऊ लाइनों को इन पर कनेक्शन की मांग न होने तथा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध कन्डक्टर को तैयार निजी तथा सरकारी नलकूपों के उर्जन में प्राथमिकता पर लगा दिये जाने के कारण 31–3–1979 तक चालू न किया जा सका।

इन लाइनों को 31–3–79 तक चालू करने का आश्वासन अवश्य दिया गया था परन्तु समस्त प्रदेश में अल्यूमीनियम की कमी के कारण केवल सीमित मात्रा में कन्डक्टर उपलब्ध हो सका तथा इन लाइनों पर कनेक्शन की मांग न होने की स्थिति में उपलब्ध कन्डक्टर को तैयार निजी एवं राजकीय नलकूपों को कनेक्शन देने में इस्तेमाल करना जनहित में उचित समझा गया। इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी को दोषी ठहराना उचित प्रतीत नहीं होता।

[दिनांक 14 जून, 1979 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों की मांगें

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वायत्त शासन कर्मचारी संघ द्वारा अपनी हड़ताल वापस लेने पर दिनांक 14 जनवरी, 1978 को शासन द्वारा श्री राधेश्याम रस्तोगी, उपसचिव के माध्यम से कर्मचारियों को कुछ लिखित आश्वासन दिये गये थे ? यदि हां, तो वे क्या हैं तथा उनके कार्यान्वयन की प्रगति क्या है ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

13 तथा 14 जनवरी, 1978 को स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों से उनकी मांगों के सम्बन्ध में बातचीत हुई और कुछ निर्णय लिये गये उन मांगों का विवरण उन पर लिये गये निर्णय तथा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 298–299 पर)

प्रदेश की विधान सभा एवं विधान परिषद् में परिवार कल्याण कार्यक्रम

*2—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि प्रदेश में विधान सभा एवं विधान परिषद् के सदस्यों एवं मंत्रियों के लिये पति या पत्नी दोनों में से किसी एक के लिए या दोनों के लिये नसबन्दी कराना अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं, क्योंकि प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम को पूर्णतया स्वैच्छिक रूप से कार्यान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

*3—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

[9वें गुरुवार के लिए स्थगित।]

*4—श्री जगन्नाथ सिंह—

[31–5–79 को तारांकित प्रश्न संख्या 22 द्वारा उत्तरित।]

*5—श्री भगवान दीन कुशवाहा—

[9वें गुरुवार के लिए स्थगित।]

*6—श्री कौशल किशोर—

[9वें गुरुवार के लिए स्थगित।]

*7—श्री अब्दुल वहीद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

देवरिया जनपद की सलेमपुर टाउन एरिया में सफाई मजदूरों का अनुमन्य वेतन

*8—श्री हरकेवल प्रसाद तथा श्री बसन्त (जिला देवरिया)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद की सलेमपुर टाउन एरिया में सफाई मजदूरों का वेतन मात्र (35.00) रुपये पैंतीस रुपया दिया जा रहा है जिसके विरोध में सफाई मजदूरों ने सफाई का काम बन्द कर देने की सूचना शासन को। मई, 1979 को दी है? यदि हां, तो तथ्य क्या है?

श्री रामाधार पाण्डेय—

जी हां।

जी नहीं।

टाउन एरिया सलेमपुर का सृजन 1 दिसम्बर, 1978 से किया गया। टाउन एरिया में परिवर्तन के पहले ग्रामसभा में जो सफाई मजदूर कार्यरत थे उन्हें 35 रुपये मासिक वेतन मिलता था और उसी वेतन पर उन्हें टाउन एरिया में इस आश्वासन के साथ रख लिया गया कि शासन स्वीकृति प्राप्त करने के बाद उन्हें नियमित वेतन दिया जायगा। जिला मैजिस्ट्रेट, देवरिया ने

22 मार्च, 79 को शासन को इस सम्बन्ध में लिखा और उन्हें 7 अप्रैल, 1979 को सफाई कर्मचारियों को नियमित अनुमन्य वेतन दिये जाने के आदेश दे दिये गये। शासन के निर्देशों के अनुपालन हेतु जिला मैजिस्ट्रेट को पुनः लिखा जा रहा है।

छितौनी, जिला देवरिया में महिला डाक्टर विहीन राजकीय चिकित्सालय

*9—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के महिला राजकीय चिकित्सालय छितौनी में कब से डाक्टर नहीं हैं? इतनी लम्बी अवधि तक महिला चिकित्सालय में डाक्टर न भेजने का क्या कारण है? क्या महिला डाक्टर के अभाव में पुरुष डाक्टर भेजने की व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री रमा शंकर कौशिक—

महिला चिकित्सालय छितौनी जिला देवरिया में जुलाई 1978 से महिला डाक्टर नहीं है। प्रदेश में महिला डाक्टरों की कमी के कारण इस अस्पताल में अब तक महिला डाक्टर की तैनाती नहीं की जा सकी। चिकित्सा अधिकारियों की रिक्तियों को भरने के लिये समाचार पत्रों में विज्ञापन करके प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये जा चुके हैं। शीघ्र ही चयन हो जाने पर इस अस्पताल में महिला डाक्टर नियुक्त करने का प्रयास किया जायेगा। ऐसी स्थिति में इस अल्पकाल में पुरुष डाक्टर तैनात किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जिला फैजाबाद में नवनिर्मित अयोध्या नगरपालिका की आय तथा व्यय

*10—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद में नवनिर्मित अयोध्या नगरपालिका को वर्ष 1978–79 में कितनी आमदनी हुई तथा कितना व्यय हुआ? क्या नगरपालिका अयोध्या घाटे में चल रही है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा नगरपालिका अयोध्या को प्राथमिकता के आधार पर सहायता के लिए आर्थिक अनुदान दिया जायगा? यदि हां, तो कितना और कब तक?

श्री रामाधार पाण्डेय—

जिला फैजाबाद में नवनिर्मित अयोध्या नगरपालिका को वर्ष 1978–79 में 15,92,460 रु0 की आय हुई तथा 18,59,376 रु0 का व्यय हुआ।

यह पालिका घाटे पर चल रही है। शासन में इस पालिका को प्राथमिकता के आधार पर सहायता देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*11—श्री राम नरायन वर्मा, श्री राम सागर तथा श्री अशर्फी लाल यादव—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*12—श्री संगम लाल—

[9वें गुरुवार के लिए स्थगित।]

*13—20—[नियम 47 (1) के अन्तर्गत उपलब्ध न होने के कारण रिक्त।]

चीनी मिलों का त्रिदलीय सम्मेलन तथा निर्णय

*21—श्री गोकरन प्रसाद तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल में दिनांक 20–21 अक्तूबर 1978 को आयोजित चीनी मिलों के त्रिदलीय सम्मेलन के निर्णय क्या-क्या थे तथा उनके कार्यान्वयन की प्रगति क्या है ?

श्री क्रांति कुमार—

चीनी मिलों का त्रिदलीय सम्मेलन 20, 21 अक्तूबर, 1978 को नहीं बल्कि 20, 21 सितम्बर, 1978 को आयोजित किया गया था। उसके निर्णय तथा उनके कार्यान्वयन की प्रगति का विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 300 पर)

*22—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[9वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*23—श्री जयशंकर पांडेय—

[31–5–79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 10 द्वारा उत्तरित।]

अतारांकित प्रश्न

मेरठ कमिश्नरी में औद्योगिक इकाइयों पर बकाया बिजली उपभोग की बकाया धनराशि

1—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि मेरठ कमिश्नरी के प्रत्येक जिले में किन-किन औद्योगिक इकाइयों पर एक लाख रुपये से अधिक बिजली उपभोग की राशि बकाया है? सरकार प्रत्येक मामले में इस बकाया को वसूल करने में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मेरठ कमिश्नरी में कुल 28 ऐसी औद्योकि इकाइया हैं, जिन पर एक लाख रुपये से अधिक विद्युत् उपभोग की धनराशि बकाया है। इन औद्योगिक इकाईयों में से प्रत्येक पर बकाये की धनराशि तथा उसे वसूल करने के लिए की गई कार्यवाही का जिलेवार विवरण संलग्न सूची में उपलब्ध †है।

ग्राम काछीडीह, जिला जौनपुर में जन स्वास्थ्य रक्षक के चयन में अनियमितता संबंधी शिकायती-पत्र

2—श्री हरिकेवल प्रसाद तथा श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम काछीडीह विकास क्षेत्र मुगराबादशाहपुर जौनपुर के नागरिकों तथा प्रश्नकर्ता का जन स्वास्थ्य रक्षक काछीडीह के चयन में बरती गई अनियमितता से सम्बन्धित कोई शिकायती पत्र वर्ष 1978–79 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायतकर्ताओं को साक्ष्य का मौका देते हुए उसकी नियमत: जांच करा ली गयी है ? यदि हां, तो क्या आरोप सिद्ध हुए हैं ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

जी हां, ग्राम काछीडीह के श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह आदि का शिकायती पत्र दिनांक 1–10–1978 को प्राप्त हुआ था।

---

†छापी नहीं गई।

उस पर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर द्वारा जांच हेतु श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह को साक्ष्य के साथ 11-1-1979 को उपस्थित होने के लिए 9-1-1979 को पत्र भेजा गया जिसे उन्होंने प्राप्त करने से इन्कार कर दिया और उपस्थित नहीं हुए। जांच के पश्चात् सभी आरोप निराधार पाए गए तथा जन स्वास्थ्य रक्षक के पद पर चयन नियमानुसार पाया गया।

प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय ऊंचाहार को राजकीय चिकित्सा भवन में आवास की अनुमति का आधार

3—श्री पुरुषोत्तम दास (जिला मिर्जापुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊंचाहार के चिकित्सा भवन को व्यक्तिगत प्रयोग के लिए डा0 बी0 बी0 गुप्ता, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, ऊंचाहार को अनुमति दी गयी थी? यदि हां, तो चिकित्साधिकारी ऊंचाहार ने किस आधार पर उन्हें राजकीय चिकित्सा भवन में आवास की अनुमति दी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां। चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊंचाहार, जिला रायबरेली ने मानवीय आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के टाइप 2 के एक रिक्त आवास गृह को 120 रु0 मासिक किराये पर प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय, ऊंचाहार को दिया था।

उक्त आवासगृह को 30-4-1979 अपराह्न से खाली करवा लिया गया है।

ग्राम-करौरा में नलकूपों का विद्युतीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र

4—श्री राम सागर (जिला बाराबंकी)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के ग्राम काकोरा, तहसील रामसनेहीघाट के किसानों ने वर्ष 1977 में अपने नलकूप के विद्युतीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हां तो उसमें से कितने लोगों को कनेक्शन मिल गया है और कितने को नहीं और क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां, ग्राम करौरा के 9 किसानों ने वर्ष 1977 में अपने नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु आवेदन पत्र, पच्चास रुपये अग्रिम धनराशि सहित दिया था, जिसमें से 8 किसानों को कनेक्शन दे दिया गया है, और शेष एक व्यक्ति को उसके नलकूप की बोरिंग तथा मोटर की फिटिंग आदि पूरी न होने के कारण कनेक्शन देने की आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा सकी।

जल निगम मुख्यालय में बाह्य अभ्यर्थियों की नैत्यिक लिपिक के पद पर नियुक्ति

5—श्री जगदीश सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अक्तूबर, 1977 में जल निगम मुख्यालय में कुछ वाह्य अभ्यर्थियों की नैत्यिक लिपिक के पद पर इस शर्त के साथ नियुक्ति की गयी थी कि सेवायोजन कार्यालय से उपयुक्त अभ्यर्थियों के मिलते ही यह नियुक्तियां स माप्त कर दी जायेंगी? यदि हां, तो क्या माह अक्तूबर, 1977 में सेवायोजन कार्यालय में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे? क्या वह शर्त सहित की गई नियुक्ति समाप्त कर दी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामाधार पाण्डेय—

जी हां। ये नियुक्तियां सेवायोजन कार्यालय से आए अभ्यर्थियों तथा बाहरी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करके ली गई परीक्षा में मेरिट के आधार पर की गयी थीं। ये नियुक्तियां

अभी समाप्त नहीं की गयी हैं क्योंकि 'तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ' के प्रतिवेदन पर विधिक परामर्श प्राप्त किया जा रहा था कि इन कर्मचारियों की नियुक्तियां नियमित की जा सकती हैं कि नहीं और क्या इन नियुक्तियों को समाप्त कर देने से इनका दावा वाद योग्य (Claim actionable) तो नहीं हो जायगा। अब विधिक परामर्श प्राप्त हो गया है जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

6—श्री सुरेन्द्र पाल—

[9वें गुरुवार के लिए स्थगित।]

नगरपालिका अतर्रा द्वारा हरिजन बस्ती मूसानगर में विद्युतीकरण

7—श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगें कि बांदा जनपद की नगरपालिका, अतर्रा के वार्ड नं0 1, मूसानगर हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1978 को परगनाधिकारी, नरैनी (बांदा) को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक इस पर क्या कार्यवाही की?

श्री रामाधार पाण्डेय—

जी हां। नगरपालिका अतर्रा द्वारा हरिजन बस्ती मूसानगर में आवश्यक प्रकाश व्यवस्था करा दी गयी है तथा प्रश्नकर्ता को उसकी मौखिक सूचना भी दे दी गयी है।

8—श्री सुरेन्द्र पाल—

[9वें गुरुवार के लिए स्थगित।]

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा के मेडिकल आफिसर डा0 कमलाकांत के रीडर के पद का वेतन भुगतान

9—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा में एम0 ओ0 (मेडिकल आफीसर) के पद पर कार्यरत डा0 कमला कान्त ने रीडर अथवा प्रोफेसर पद का वेतन पिछले महीनों में लिया है? यदि हां, तो उसका उत्तरदायित्व किस अधिकारी पर है और क्या सरकार दिये गये अवैध वेतन की रिकवरी (बरामदगी) करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री रमा शंकर कौशिक—

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, बांदा में श्री कमला कान्त पाण्डे सम्प्रति रीडर की हैसियत से कार्य कर रहे हैं, किन्तु उक्त पद पर कालेज के प्रान्तीयकरण के पूर्व की गयी उनकी विवादग्रस्त नियुक्ति का मामला शासन के विचाराधीन है। श्री पाण्डे को दिनांक 30-11-78 तक रीडर के पद का वेतन भुगतान किया गया है। चूंकि श्री पाण्डे को उसी पद के लिए वेतन का भुगतान किया गया था जिस पर वह कार्यरत थे, इस लिए भुगतान किये गये वेतन की बरामदगी कराने अथवा इस भुगतान के लिए किसी अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा में प्रधानाचार्य तथा प्रोफेसर के रिक्त पद

श्री राम सजीवन—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा में प्राचार्य एवं रीडर तथा प्रोफेसर की जगहें रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जगहों की अविलम्ब पूर्ति करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री रमा शंकर कौशिक—

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा बांदा में प्रधानाचार्य तथा प्रोफेसर के एक-एक पद रिक्त हैं किन्तु रीडर का कोई पद रिक्त नहीं है। प्रधानाचार्य के पद पर आयोग द्वारा नियमित चयन कराने के लिए अधियाचन भेज दिया गया है और प्रोफेसर, कायचिकित्सा के पद पर नियमित चयन कराने हेतु अधियाचन प्रेषित किया जा रहा है। इन पदों के लिए चुने गये अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में आयोग की संस्तुति प्राप्त होने पर उन पर नियुक्तियां कर दी जायेगी।

जनपद बांदा के ग्राम नन्दवारा में हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

11—श्री सुरेन्द्र पाल—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक महुआ के ग्राम नन्दवारा के हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1978 को अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत खंड, बांदा, को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अभी तक विद्युतीकरण न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार अविलम्ब उपरोक्त गांव की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

ग्राम नन्दवारा की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण दिनांक 29-3-1979 को कर दिया गया है ।

12—श्री सुरेन्द्र पाल—

[9वें गुरुवार के लिए स्थगित ।]

13—श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

देवरिया जिले के विकास खंड रामकोला, नेबुआनौरंगिया तथा खड्डा के गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

14—श्री श्रीनारायण—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विकास खण्ड राम कोला नेबुआ-नौरंगिया तथा खड्डा के किन-किन गांवों को ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्दर लिया गया था और गांवों में 1974-75 से बिजली के खम्भे खड़े हैं, तार भी लगे हैं परन्तु बिजली अब तक किन कारणों से नहीं दी जा रही है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

देवरिया जिले के विकास खण्ड राम कोला, नेबुआ नौरंगिया तथा खड्डा के 47 गांवों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लिया गया है जिनमें से 36 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। सूची संलग्न है ।

केवल विकास खण्ड रामकोला के ग्राम देवरिया बाबू तथा पगार में सन् 1974-75 से बिजली के खम्भे गड़े हैं तथा ग्राम देवरिया बाबू का एल0 टी0 लाइन खींच कर विद्युतीकरण भी कर दिया गया है परन्तु इस गांव में कनेक्शन हेतु कोई भी प्रार्थना पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में लाइन को वर्तमान स्थिति में विद्युत् की चोरी की संभावना को देखते हुए निर्जीव कर दिया गया है। ग्राम पगार में भी कनेक्शन हेतु कोई भी प्रार्थना पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में इस गांव में एल0 टी0 लाइन के तार अभी खींचे नहीं गये हैं ।

इन गांवों में कनेक्शन आ जाने पर उनको बिजली दे दी जायगी ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 301-302 पर)

ग्राम देवरिया बाबू तथा पगार जिला देवरिया में विद्युतीकरण

15—श्री श्रीनारायण—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विकास खंड रामकोला के ग्राम देवरिया बाबू तथा पगार में बिजली के खम्भे 1974 से गड़े हैं और तार भी 1977 से लगे हैं, परन्तु बिजली किन कारणों से नहीं दी जा रही है?

श्री रेवती रमण सिंह—

यह सत्य है कि देवरिया जिले के विकास खण्ड रामकोला के ग्राम देवरिया बाबू तथा पगार में 11 के0 वी0 लाइन के बिजली के खम्भे 1974 से गड़े हैं और तार भी 1977 से लगे हैं। ग्राम देवरिया बाबू का एल0 टी0 लाइन खींच कर विद्युतीकरण कर दिया गया है परन्तु इस गांव में कनेक्शन हेतु कोई भी प्रार्थना पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में लाइन को वर्तमान स्थिति में विद्युत की चोरी की संभावना को देखते हुए निर्जीव कर दिया गया है। ग्राम पगार में भी कनेक्शन हेतु कोई भी प्रार्थना पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में इस गांव में एल0 टी0 लाइन के तार अभी खींचे नहीं गये हैं।

इन गांवों में कनेक्शन आ जाने पर इनको बिजली दे दी जायेगी।

16—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[9वें गुरुवार के लिए स्थगित।]

17—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[9वें गुरुवार के लिए स्थगित।]

उर्सिला अस्पताल, कानपुर के श्री यू0के0 पांडेय व श्याम मोहन श्रीवास्तव का स्थानान्तरण

18—श्री भगवानदीन कुशवाहा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उर्सिला अस्पताल, कानपुर में श्री यू0 के0 पाण्डेय व श्री श्याम मोहन श्रीवास्तव 17 वर्ष से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण नियमानुसार आज तक न किये जाने का क्या कारण है?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं।

19—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

[9वें गुरुवार के लिए स्थगित।]

20—श्री जयशंकर पाण्डेय—

[9वें गुरुवार के लिए स्थगित।]

मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

21—श्री कौशल किशोर (जिला जालौन)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री इकबाल बहादुर श्रीवास्तव द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का प्रार्थना पत्र संख्या 27, दिनांक 15 मार्च, 1979 को जो माननीय जेल मन्त्री द्वारा भेजा गया था उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रमा शंकर कौशिक—

श्री इकबाल बहादुर श्रीवास्तव का शिकायती पत्र दिनांक 15-3-1979 नहीं मिल रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर के विरुद्ध इनके शिकायती पत्र दिनांक 23-5-1979 तथा कतिपय अन्य व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती पत्रों पर जांच अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक से कराई जा रही है।

जिला मेरठ के शराब के ठेकेदारों के विरुद्ध जारी किये गये बकाया वसूली प्रमाण-पत्र

22—श्रीमती पुष्पा तलवार (जिला कानपुर) तथा श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मेरठ में वर्ष 1975-76 तथा वर्ष 1976-77 में कितने विदेशी शराब ठेकेदारों के विरुद्ध आबकारी राजस्व की बकाया वसूली के लिए प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा जारी किये गये? उपरोक्त प्रमाण-पत्र कब जारी किये गये तथा उनके फलस्वरूप कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी, कुर्की अथवा वसूली हुई? उपरोक्त श्रेणी के कितने ठेकेदारों के विरुद्ध प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गए तथा उसके क्या कारण हैं?

श्री रमा शंकर कौशिक—

वर्ष 1975-76 में बकाया न होने के कारण वसूली प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया।

वर्ष 1976-77 में सभी 18 बकायादारों के विरुद्ध जून, 1977 में वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के फलस्वरूप 2 ठेकेदारों के विरुद्ध वारेन्ट गिरफ्तारी जारी करने तथा 8 मामलों में कुर्की की कार्यवाही करने से 6 मामलों में कुल बकाये की वसूली तथा शेष में आंशिक बसूली हुई है।

सभी बकायादारों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये थे।

जनपद बदायूं में बिजली की बकाया धनराशि

23—श्रीकृष्ण स्वरूप—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1979 तक बदायूं जनपद में एक लाख से अधिक किन-किन पर बिजली का बकाया है एवं कब से है और अब तक वसूल न होने का क्या कारण है?

श्री रेवती रमण सिंह—

बदायूं जनपद में 1-4-79 तक एक लाख रु0 से अधिक बकायादार तीन उपभोक्ता हैं यथा (1) मेसर्स जी0 टी0 इण्डस्ट्रीज उझानी, (2) मेसर्स प्रेम स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल उझानी तथा (3) मेसर्स किशोर इलेक्ट्रिक सप्लाई कं0 बदायूं है। इनके विरुद्ध धनराशि बकाया होने की अवधि तथा वसूली न हो पाने के कारण संलग्न (अ) में दर्शित है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 303 पर)

श्रीमती लल्ली दीक्षित, स्वास्थ्य निरीक्षिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पतारा, जनपद कानपुर का स्थानान्तरण व वेतन भुगतान

24—श्री भगवानदीन कुशवाहा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती लल्ली दीक्षित, स्वास्थ्य निरीक्षिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पतारा, कानपुर का 7 माह के अन्दर 5 बार स्थानान्तरण किया व रोका गया और साथ ही उसके कार्य करने के दिनों का वेतन भी नियमानुसार नहीं दिया गया? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर ने आज तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमा शंकर कौशिक—

श्रीमती लल्ली दीक्षित, स्वास्थ्य निरीक्षिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पतारा, जनपद कानपुर का प्रश्नगत अवधि में दो बार स्थानान्तरण किया गया था और इन दोनों बार उनका स्थानान्तरण रोक दिया गया। श्रीमती लल्ली दीक्षित को कार्य दिवसों का वेतन भुगतान किया जा चुका है। उनके प्रसवकालीन अवकाश तथा अनुपस्थिति काल के लिए नियमानुसार देय वेतन भुगतान हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दे दिये हैं।

25—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

तत्कालीन अधीक्षक पुरुष अस्पताल कोंच, (डा० राम चन्द्र तिवारी) जिला जालौन के विरुद्ध जांच

26—श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने 28 दिसम्बर, 1978 को तत्कालीन अधीक्षक पुरुष अस्पताल कोंच (डा० रामचन्द्र तिवारी) जिला जालौन के विरुद्ध की जा रही जांच की रिपोर्ट दिनांक 15 जनवरी, 1979 तक भेजने के आदेश किए थे? यदि हां, तो क्या वह रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है? यदि नहीं, तो कब तक प्राप्त हो जायगी?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां। जांच रिपोर्ट दिनांक 29 मई, 1979 को शासन को प्राप्त हो गई है।

27—श्री रणवीर सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

श्री गोविन्द लाल श्रीवास्तव, बख्शी, टाउन एरिया मुन्डेरा बाजार, जिला गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

28—श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोविन्द लाल श्रीवास्तव, बख्शी, मुन्डेरा बाजार टाउन एरिया, गोरखपुर के गबन एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शासन को प्रश्नकर्ता एवं स्थानीय जनता द्वारा माह अगस्त सन् 1977 से अब तक दिये गये पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामाधार पाण्डेय—

श्री गोविन्द लाल श्रीवास्तव, बख्शी, टाउन एरिया मुन्डेराबाजार जिला गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें गबन तथा भ्रष्टाचार के दस आरोप लगाए गए थे। उन शिकायतों की जांच जिलाधिकारी से कराई गई है। दस शिकायतों में से दो शिकायतें जो टाउन एरिया की जमीन पर नाजायज कब्जे और अनाज उगाकर उसका दुरुपयोग करने तथा भैसागाड़ी की खरीद में की गई अनियमितता के विषय में है, सही पायी गई। इन आरोपों के सम्बन्ध में श्री गोविन्द लाल श्रीवास्वत के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मुन्डेराबाजार से इस बख्शी का स्थानान्तरण भी कर दिया गया है।

आपातकाल में जनपद गोरखपुर की ब्लाक ब्रह्मपुर व खोराबार में विद्युतीकरण

29—श्रीमती शारदा देवी—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि जनपद गोरखपुर तहसील सदर के ब्लाक ब्रह्मपुर व खोराबार ग्रामीण विद्युतीकरण आपातकाल में एवं जुलाई, 1977से अब तक किन-किन गांवों का विद्युतीकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के ब्लाक ब्रह्मपुर व खोराबार में आपातकाल में (2) दो गांवों का तथा जुलाई, 1977 में मार्च, 1979 के अन्त तक 10 (दस)गांवों (सूची संलग्न) का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

इसके अतिरिक्त मिर्जापुर, रावापार, बोछापार, करही, जयाराम व्योम तथा जिहा 6 ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है । प्रश्न नहीं उठता ।

[देखिये नत्थी'च'आगे पृष्ठ 304 पर ।]

30—श्रीमती शारदा देवी—

[8वें गुरूवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

31—श्री नरेश चन्द्र—

[9वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

नगर महापालिकाओं में मुख्य नगर लेखा परीक्षकों के स्वीकृत पद

32—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि नगर महापालिकाओं में मुख्य नगर लेखा अधिकारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के कितने अभ्यर्थी नियुक्त हैं ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

पांच नगरमहापालिकाओं के लिये मुख्य नगर लेखा अधिकारी के नहीं, बल्कि मुख्य नगर लेखा परीक्षकों के पांच पद स्वीकृत हैं । इनमें से किसी पद पर अनुसूचित या पिछड़ी जाति का अभ्यर्थी नियुक्त नहीं है ।

33—श्रीमती रामरति देवी—

[9वें गुरूवार के लिए स्थगित ।]

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निधासन, जनपद खीरी के भूतपूर्व डा० दिलीप सिंह तोमर के विरुद्ध आरोप

34—श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) तथा श्री बसन्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें किसी जन प्रतिनिधि का दिनांक 8 मई, 1979 का इस आशय का गोपनीय पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निधासन

जनपद खीरी के भूतपूर्व डा० दिलीप सिंह तोमर जो निलम्बित हैं के विरूद्ध धन अर्जित करने तथा अनियमित कार्य करने के आरोप है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी सही है कि उक्त निलम्बित डाक्टर को पुन: उसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्त किया जा रहा है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

देवरिया जिले के विकास खंड रामकोला के गांवों का विद्युतीकरण

35—श्री श्रीनारायण—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विकास खंड रामकोला के ग्राम रयाजा, छपरा, दिउलिया, गजियां छपरा में सन् 1974–75 से बिजली के खम्भे गड़े हुये हैं तथा उन पर तार भी खींच दिया गया है, परन्तु अब तक किन कारणों से लाइन नहीं दी गई ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि लाइन. कब तक दे दी जायेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

देवरिया जिले के विकास खण्ड रामकोला में रयाजा, छपरा तथा दिउलिया, गजियां छपरा नामक कोई गांव नहीं है। देवरिया जिले में एक गांव शिवदत्त छपरा के नाम से विकास खण्ड खड्डा में पड़ता है तथा एक गांव देवरियां मनिया छपरा के नाम से विकास खंड राम कोला में पड़ता है । इन दोनों गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले के विकास खंड खड्डा, नौरंगिया तथा रामकोला के गांवों का विद्युतीकरण

36—श्री श्रीनारायण—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगें कि देवरिया जिले के विकास खण्ड, खड्डा, नौरंगिया तथा रामकोला के किन-किन गांवों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बिजली दी जा रही है? यदि हां, तो किन-किन हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जायेगा?

श्री रेवती रमण सिंह—

देवरिया जिले के विकास खण्ड खड्डा, नौरंगिया तथा रामकोला के 36 (छत्तीस) गांवों का विद्युतीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किया जा चुका है तथा अन्य 11 गांवों का विद्युतीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है । (सूची संलग्न) ।

उपरोक्त 47 गांवों को हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण भी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किये जाने का प्राविधान है जिनमें से निम्न 7 (सात) हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है :

1—नेबुआ रायगंज,
2—सखई,
3—सिरसिया बुजुर्ग,
4—भुजौली बुजुर्ग,

5—उधौ छपरा
6—देवरिया बाबू
7—पकड़ी बाजार ।

इसके अतिरिक्त 24 (चौबीस) हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण वित्तीय वर्ष 1979-80 में किया जाना प्रस्तावित है। शेष हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण अगले वर्षों में किया जायेगा।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ पर 305-306 पर ।)

सरायन नदी में नाव दुर्घटना तथा आश्रितों को सहायता

37—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि 20 सितम्बर, 1978 को सीतापुर नगर के बीचों बीच बहने वाली सरायन नदी में हुई नाव दुर्घटना में अनेक व्यक्ति डूब गये जिनमें से 24 सितम्बर, 1978 तक दो लाशें नदी से निकाली जा सकीं तथा कई और के डूबे रहने का सन्देह था ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा आहत व्यक्तियों के आश्रितों को क्या आर्थिक सहायता दी गयी है ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

जी हां ।

दिनांक 20 सितम्बर, 1978 को सरायन नदी के तट पर किसी मल्लाह की नाव बंधी थी, मल्लाह मौजूद नहीं था, कुछ लोग नाव में बैठ गये और नाव को अनधिकृत रूप से खेने लगे जब नाव पुल के निकट तेज बहाव पर पहुंची तो वह पुल के टुटे गोले से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी।

उक्त नाव दुर्घटना के फलस्वरूप कतिपय व्यक्ति डूब गये थे। दो लाशें नदी से निकाली गयीं थीं इनके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के डूबे रहने की सूचना नहीं मिली थी। इन दो लाशों में से एक लाश पालिका के एक सफाई कर्मचारी की थी और दूसरी किसी अन्य की। मृतक सफाई कर्मचारी की विधवा को पालिका में नियुक्त कर लिया गया है और आहत व्यक्तियों के आश्रितों को मुख्यमंत्री जी के कोष से 2000 रु0 प्रति परिवार सहायता दी गई।

38—श्री सन्त बख्श रावत—

[9वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

39—श्री बाबू लाल वर्मा, श्री राम जी तथा श्री औसान सिंह—

[5 वें सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

40—श्री नाथू राम शिक्षक—

[30-5-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 19 द्वारा उत्तरित।]

श्री राजनारायण, आशुलिपिक की सेवा पुस्तिका भेजने में विलम्ब

41—श्री किशन लाल दिलेर (जिला अलीगढ़)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतान का कष्ट करेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम को पत्र संख्या 4311/142/77, दिनांक 12-10-78 एवं 900/142 (ल)/77,

दिनांक 22 फरवरी, 1979 द्वारा श्री राजनारायण, आशुलिपिक की सेवा पुस्तिका उनके वर्तमान विभाग को हस्तांतरित करने हेतु लिखे गये प्राप्त किर गये थे ? यदि हां, तो अब तक सेवा पुस्तिका ने भेजने के क्या कारण हैं ? यदि सेवा पुस्तिका भेज दी गयी है तो क्या सम्बन्धित विभाग द्वारा प्राप्त कर ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामाधार पाण्डेय—

प्रबन्ध निदेशक, जल निगम को श्री राजनारायण, आशुलिपिक की सेवा पुस्तिका भेजने हेतु केवल पत्र सं0 900/142 (ल)/77, दिनांक 22–2–79 प्राप्त हुआ था। श्री राजनारायण, आशुलिपिक जल निगम, विधान सभा में प्रतिनियुक्ति पर है। इसलिये उनकी सेवा पुस्तिका प्रबन्ध निदेशक, जल निगम कार्यालय के पत्र सं0 179/एसी–29 (सेवा पुस्तिका), दिनांक 15–9–78 द्वारा पहले ही अनुसचिव, विधान सभा सचिवालय, अधिष्ठान–2, उत्तर प्रदेश शासन को भेज दी गयी थी। सम्बन्धित विभाग से पूंछ ताछ करने पर ज्ञात हुआ कि सेवा पुस्तिका उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। श्री राजनारायण की डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। सेवा पुस्तिका तैयार होते ही संबंधित विभाग को भेज दी जायगी।

विद्युत् वितरण खण्ड, देवरिया में गबन की जांच

42—श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में विद्युत विभाग में इस समय तक लगभग 6 लाख रुपये के गबन के मामले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो तथ्य क्या है और उसमें अब तक कितन लोग निलम्बित किय गये हैं और जांच किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही।

श्री रेवती रमण सिंह—

विद्युत वितरण खंड देवरिया के विशेष सम्परीक्षा (स्पेशल आडिट) में 6 लाख रुपये के गबन का नहीं, बल्कि रु0 1,82,951.81 का गबन प्रकाश में आया है। सम्परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार दो दैनिक श्रेणी लिपिक सर्वश्री वीरेन्द्र सिंह, पी0 सी0 श्रीवास्तव तथा एक ड्राफ्टस्मैन मिर्जा सैयद अहमद द्वारा यह गबन किया गया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह 1,81,746.31 रुपये के गबन के दोषी हैं। उन्होंने रु0 1,18,569.77 का गबन उन पांच रसीद बुकों द्वारा उपभोक्ताओं से बिजली के बिलों का पैसा वसूल करके किया जो उन्होंने उन 50 रसीद बुकों में से जिन्हें व स्वयं परिषद मुख्यालय, लखनऊ के लेखन-सामग्री अनुभाग से नवम्बर, 1977 में देवरिया ले गये थे परन्तु खण्ड कार्यालय में जमा नहीं किया था। 63,285.54 रुपये का गबन श्री वीरेन्द्र सिंह ने एक अन्य रसीद बुक के द्वारा किया जो विद्युत वितरण खंड, देवरिया के रिकार्ड में नहीं है।

सर्वश्री पी0 सी0 श्रीवास्तव एवं मिर्जा सयैद अहमद ने क्रमशः 796.50 रु0 तथा 300 रु0 का गबन उपभोक्ताओं सें वसूल की गई पूर्ण धनराशि परिषद् कोष में न जमा करके किया।

दैनिक श्रेणी लिपिक श्री वीरेन्द्र सिंह जो इस गबन में मुख्य दोषी है निलम्बित कर दिये गये हैं। उनके विरुद्ध थाने में एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज करा दिया गया है। पुलिस द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था, परन्तु अब वे जमानत पर छोड़ दिये गये हैं।

विशेष सम्परीक्षा प्रतिवेदन परिषद् के विचाराधीन है और जो अधिकारी कर्मचारी दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

गोरखपुर मण्डल में सेवारत दाइयों की आपातकाल में सेवा समाप्ति

43—श्री हरि केवल प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर मण्डल में 3 वर्ष से लगाकर 18 वर्ष तक सेवारत दाइयों की सेवा आपातकाल में समाप्त कर दी गयी थी ? यदि हां, तो उसमें से अब तक कितनी दाइयों को पुनः सेवा में लिया गया है, शेष कब तक रख ली जायगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

प्रश्नगत अवधि में गोरखपुर मण्डल के अन्तर्गत 120 दाइयों की सेवा समाप्त की गई थी । उनमें से एक को सेवा में पुनः ले लिया गया है । उक्त दाइयों की नियुक्ति ए0एन0एम0/परिवार कल्याण कार्यकत्रियों के रिक्त पदों पर प्रशिक्षित ए0 एन0 एम0/ परिवार कल्याण कार्यकत्रियों के अभाव में की गई थी । ज्यों-ज्यों प्रशिक्षित ए0 एन0 एम0/ परिवार कल्याण कार्यकत्री उपलब्ध हुई, उनके स्थान पर अस्थायी तौर पर नियुक्ति दाइयों को सेवा से अलग कर दिया गया । अतः उन सभी को पुनः सेवा में लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

ब्लाक फतेहाबाद, जिला आगरा में अस्पताल खोलने का विचार

44—श्री हुक्म सिंह परिहार—

क्या सरकार को पता है कि फतेहाबाद तहसील जिला आगरा में ब्लाक फतेहाबाद के पूर्व में ऐसा क्षेत्र भी है जहां 17–18 किलोमीटर तक की दूरी तक कोई अस्पताल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में अस्पताल खोलने की कृपा करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां । यदि उक्त क्षेत्र में अस्पताल खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ तथा शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्थान उपयुक्त पाया गया तो वहां अस्पताल खोलने पर विचार किया जा सकता है ।

स्वास्थ्य केन्द्र बेलघाट (गोरखपुर) के चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक पत्रकार पर फायर करने तथा अपमानित करने की रिपोर्ट

45—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 12 अप्रैल, 1979 की रात में स्वास्थ्य केन्द्र, बैलगाठ (गोरखपुर) के एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक पत्रकार पर फायर करने की रिपोर्ट थाना बैलगाठ में दर्ज कराई गयी है ? क्या उससे एक दिन पूर्व एक पत्रकार को अपमानित एवं उसका कुछ सामान छिनने का भी मामला उक्त चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध दर्ज कराया गया है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां ।

दिनांक 12 अप्रैल, 79 के पर्व ऐसी किसी घटना की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई है बल्कि 13 अप्रैल, 79 को एक पत्रकार द्वारा बेलघाट के चिकित्साधिकारी के विरुद्ध अपमानित करने तथा सामान छीनने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौरीगंज जनपद सुल्तानपुर में डा० एस०के० शर्मा एवं डा० आर० के० शर्मा दो सगे भाइयों की नियुक्ति तथा अनधिकृत वेतन का आहरण

46—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौरीगंज, जनपद सुल्तानपुर में डा० एस० के० शर्मा एवं डा० आर० के०शर्मा० दो सगे भाइयों की एक स्थान पर नियुक्ति की गयी है और क्या यह सत्य है कि द्वितीय चिकित्सा अधिकारी डा० आर० के० शर्मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपस्थित नहीं रहते हैं परन्तु उनके भाई प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डा० एस० के० शर्मा बराबर उनका वेतन निकाला करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्ण विवरण से सदन को अवगत कराने की कृपा करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

डा० एस० के० शर्मा एवं डा०आर० के० शर्मा निदेशालय स्तर के अभिलेखों के अनुसार सगे भाई प्रतीत होते हैं। डा० एस० के० शर्मा का कहना है कि वह डा० आर०के० शर्मा के सगे भाई नहीं हैं। अतः इस संबंध में जांच कराई जा रही है। अनधिकृत अवधि का वेतन आहरित किये जाने के संबंध में संयुक्त स्वास्थय लेखा निदेशक फैजाबाद मंडल फैजाबाद से विस्तृत जांच कराके तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुरवल जनपद सीतापुर में कर्मचारियों के वेतन पर औषधियों, किराय तथा भत्तों क रूप में व्यय।

47—श्री रामनारायन वर्मा (जिल सीतापुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977–78, 1978–79 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुरवल, जनपद सीतापुर में कितना पैसा कर्मचारियों के वेतन पर औषधियों के रूप में किराये के रूप में, तथा अन्य भत्तों के रूप में खर्च किया गया ? वर्ष 1977–78, 1978–79 में किन-किन कर्मचारियों ने कितना भत्ता प्राप्त किया ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विविध विषय

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, आज नेता विरोधी दल कौन है ? आज अखबारों में ऐसी कुछ खबरें छपी हैं।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी हमारे हिसाब से तो माननीय नारायण दत्त तिवारी ही हैं। अखबारों में क्या छपता है, इससे कोई मतलब नहीं यह तो छपा ही करता है।

श्री भगवानदीन कुशवाहा (जिला कानपुर)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपके सामनें मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रश्न को लेकर.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया अभी बैठें। पहले मुझे लिख कर दें। इस तरह नहीं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1979 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 3 मई, 1979 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 9 मई, 1979 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 मई, 1979 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1979 उत्तर प्रदेश का 16वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1979 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 3 मई, 1979 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 7 मई, 1979 की बैठकों में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 2 जून 1979 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1979 का उत्तर प्रदेश का 17वां अधिनियम बन गया ।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री भगवानदीन कुशवाहा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं । कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ जांच चल रही है उस सम्बन्ध में प्रश्नों को उन्होंने आकर आगे के लिये बढ़वाने की कोशिश की है.....

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से नहीं, आप हमारे कक्ष में आकर इसे समझ लें । व्यवस्था का प्रश्न अगर है तो आप पहले लिखकर हमें दें । इस तरह से यहां उठाना उचित नहीं है । आप कृपया बैठें ।

नैपाली सीमा सुरक्षा दल लखीमपुर के पास भारतीय भूमि पर अतिक्रमण के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, लखीमपुर खीरी जनपद में भारत नपाल सीमा पर नैपाली सीमा सुरक्षा दल भारतीय भूमि पर बड़ी तेजी से अतिक्रमण कर रहा है । सम्पूर्ण नगर कबीरगंज होते हुए 40 किलोमीटर सीमा रखा जो टेढ़ी मढ़ी थी को नेपाली अधिकारियों न सीधा कर लिया है तथा काफी भारतीय भूभाग पर कब्जा कर लिया है । भारतीय भूमि में स्थित एक लाख रुपये से अधिक कीमत के शीसम और साखू के पेड़ों को काट लिया है तथा वहां पर बसे एक सौ से अधिक परिवारों को उजाड़ कर भगा दिया है । यह परिवार दर दर भटक रहे हैं । किसान इन्टर कालेज सम्पूर्णानगर के प्रधानाचार्य ने मुझे सूचित किया है कि नैपाली अधिकारियों द्वारा भारतीय सीमा पर बसे लोगों को डरा धमका कर उनकी फसलें काट ले जाते हैं और मवेशियों को

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पकड़ ले जाते हैं। इस सम्बन्ध में स्थानीय लोगों ने खीरी जनपद के अधिकारियों का ध्यान मौखिक एवं प्रार्थना पत्र के माध्यमों से आकर्षित कराया लेकिन अधिकारियों ने वहां के लोगों के उत्पीड़न तथा भारतीय भू-भाग पर जबरदस्ती नेपाली अतिक्रमण रोकने की दिशा में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की। नेपाली सुरक्षा दल का दबाव बढ़ता जा रहा है जिससे विस्थापित लोगों में असुरक्षा, भय एवं चिन्ता व्याप्त है जिससे विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है। अतः आज मैं माननीय सदन में आपकी आज्ञा से शासन का ध्यान इस लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करते हुए खीरी जनपद में भारत नेपाल सीमा पर नेपाली अधिकारियों द्वारा भारतीय भू-भाग पर किये जा रहे अतिक्रमण को रोकने, वहां पर बसे नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा व्यवस्था एवं कटे हुए पेड़ों को वापस लेने की मांग करता हूं।

पचपेड़वा सहकारी समिति जिला गोंडा के सत्यापन की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बिन्दू लाल (जिला गोण्डा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गोण्डा जनपद के विकास खण्ड पचपेड़वा में पचपेड़वा सहकारी समिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, पचपेड़वा सोसायटी लगभग चार साल तक सीज थी उसमें लाखों रुपये का गबन है और जो किसानों से रुपये लेकर रसीदें दी गयीं हैं उसको विभाग द्वारा जाली कह कर किसानों से वसूली की जा रही है जिससे किसानों में बड़ा असंतोष व्याप्त है। मैंने कई बार जिला अधिकारियों को इसके बारे में लिखा कि इस रसीदों का सत्यापन करा दिया जावे। लेकिन अभी तक सत्यापन नहीं किया गया। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि जब तक सत्यापन न हो जाय वसूली रोक दी जाय, सीज समय का व्याज माफ किया जाय।

मान्यवर, इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने खुद माना है कि वहां पर गबन है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी इसको देखें (श्री बिन्दू लाल से) कृपया आप बैठिये।

श्री बिन्दू लाल—

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये। मैंने बता दिया है माननीय मंत्री जी को, इसको वह दखेंगे, गम्भीर मामला है।

फैजाबाद के अकबरपुर निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में अग्निकांड से हरिजन भूमिहीनों को क्षति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री हरी राम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अकबरपुर निर्वाचन क्षेत्र जिला फैजाबाद में विमुक्ति, हरिजन, पिछड़ी जातियों एवं भूमि-हीनों के अग्निकांड में हुई भारी क्षति की ओर इस लोक महत्व की सूचना से सदन और शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, ग्राम दुक्खर परन रुदाइन, जैनापुर, सदरपुर, कोटवा महमदपुर, विजय गांव, नासिरपुर, जगदीशपुर, मुसलिमपुर, रावीपुर, बहाउद्दीनपुर (सुलतानपुर) आदि अनकों गांवों में इस अग्निकांड से हुई भारी क्षति से भुखमरी एवं घरविहीन होने की स्थिति पैदा हो गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीराम वर्मा]

मान्यवर, अग्निकांड से क्षतिग्रस्त कृषक, मजदूरों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें उचित सहायता समय पर प्रदान नहीं की गयी । यदि देखा जाय तो उनके पास उतनी ही सम्पत्ति थी जितनी कि इस अग्निकांड में जल कर नष्ट हो गयी ।

मान्यवर, विजयगांव में 5 विमुक्ति जातियों के घर तथा सम्पत्ति समूल रूप से नष्ट हो गई, एक कृषक की एकमात्रजीविकोपार्जन बैलगाड़ी भी जल कर नष्ट हो गयी परन्तु अभी तक इन्हें तहसील से कोई सहायता एवं बरसात के पूर्व मकान बनाने हेतु आर्थिक सहायता नहीं दी गयी है । इसी प्रकार मेरे गांव में एक कृषक की गाढ़ी कमाई के रुपये भी जल कर नष्ट हो गये परन्तु कोई सहायता नहीं दी गयी ।

श्री उपाध्यक्ष--

"जातीय द्वेष" जो आपने लिखा है, इसको मैं काट देता हूं, उसको छोड़कर पढ़िये ।

श्री हरीराम वर्मा--

मान्यवर, तहसील के अधिकारी के कारण जिला अधिकारी से पूर्ण सहायता की मांग न करके केवल अपनी अल्प सहायता से ही इन्हें संतुष्ट करना चाहते हैं ।

मान्यवर, मैं माननीय सदन के माध्यम से शासन का ध्यान अकबरपुर निर्वाचन क्षेत्र जिला फैजाबाद में इस भीषण अग्निकांड से हुई क्षति की जांच करवा कर इन्हें शासन द्वारा उचित सहायता उनकी जीविका निर्वाह हेतु तुरन्त दिलवाने की मांग करता हूं । इसके साथ ही मैं यह भी चाहूंगा कि इनके आर्थिक स्थिति के अनुसार इनको सहायता प्रदान की जाय ।

बस्ती जिले के फल शोध केन्द्र में भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)--

महोदय, मैं बस्ती जिले के फल शोध केन्द्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर सरकार का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं । जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और यहां पर विभाग के अधिकारी रक्षक होकर भक्षक का कार्य कर रहे हैं । इस कारण यहां लाखों का गोलमाल किया जा रहा है । [× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, [* * *] यह बात जो है काट दीजिये ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय--

मान्यवर, [× × ×] जो इस केन्द्र पर गत 20 वर्षों से कार्यरत हैं यह पहले दैनिक श्रमिक के रूप में नियुक्त किये गये थे और आज कल इसी केन्द्र पर अनुसंधान सहायक के रूप में कार्य करते हुए पूरे केन्द्र के इन्चार्ज सर्वेसर्वा बने हुए हैं । यह वर्तमान निदेशक के परिवार के हैं और इन पर उनकी विशेष कृपा रहती है । 20 वर्षों से एक ही जगह पर कार्यरत रहना ही भ्रष्टाचार का प्रमाण है । वाटरगंज के पास घोड़ा रेहार नामक स्थान पर 60 एकड़ जमीन इस केन्द्र की है । जिसमें [***] खेती करायी जाती है और उसका पूरा लाभ यही लेते हैं। जो लाखों रुपये के होता है । यह कृषि विभाग के जानकारी में करायी जाती है । इसी प्रकार फल शोध केन्द्र बस्ती के बाग से लाखों रुपये का फल अवैध रूप से बेच कर हड़प लिया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:-[×××]यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

जाता है। इसी रकम को छिपाने के लिए इस शोध केन्द्र पर पेड़ों की संख्या का कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया है। कटहल, बेल, पपीता, आंवला का फल इस बाग से हजारों रुपये का बेंचा जाता है किन्तु इस मद का एक भी रुपया विभागों के कागजों में आय के रूप में दर्ज नहीं होता। इस केन्द्र का ट्रैक्टर अवैध रूप से किराये पर चलाया जाता है और उससे हजारों रुपये का नाजायज लाभ लिया जाता है। 300 रुपये मासिक वेतन पाने वाले [× × ×] अपनी माता .....

श्री उपाध्यक्ष---

के जो नाम हैं, जो आप बोल रहे हैं, मैं इसको पढ़ने की इजाजत नहीं देता। ये नाम काट दिये जायेंगे।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय---

के नाम निजी बस करीब 80 हजार रुपये की खरीद कर बस्ती में किराये पर चलवाते हैं। बस नं0 यू0 पी0 के0 1994 है। अतः मान्यवर, मामले की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने की मांग करता हूं।

प्रदेश के साधन सहकारी समितियों में कार्यरत सचिवों द्वारा आन्दोलन के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की साधन सहकारी समितियों में सेवारत 7000 से भी अधिक सचिवों द्वारा पिछले सप्ताह प्रारम्भ किये गये आन्दोलन से सहकारी देयों की वसूली, गल्ला खरीद का कार्य सहित राज्य के लगभग सभी सहकारी बैंकों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

5 जून से प्रारम्भ इस आन्दोलन के सन्दर्भ में प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश के 48 जिला मुख्यालयों पर 8 जून को सचिवों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया।

इनका कहना है कि ग्राम स्तर पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की तुलना में इन्हें सर्वाधिक कम वेतन मिलता है। इन्हें कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता। सरकार द्वारा 230 रुपये से 380 रुपये का घोषित वेतन मान भी अभी हर जिले में अलग-अलग हिसाब से वेतन देने की परम्परा है।

मान्यवर, साधन सहकारी समितियों के सचिवों की इन समस्याओं को आपके माध्यम से शासन तथा आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कोई समाधान करके हल निकालने की मांग करता हूं। जिससे कि कथित आन्दोलन वापस होकर स्थिति सामान्य बन सके।

सिधरिया सेवरहा चवर में नहरों के पानी के जल प्लावन से 4000 एकड़ की अगहनी धान की फसल की क्षति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिधरिया सेरवहा चंवर में नहरों के पानी के जल प्लावन से 4000 एकड़ की अगहनी धान की फसल के क्षति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :---[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार (कार्यवाही से निकाल दिया गया।)

[श्री श्रीनारायण]

मान्यवर, देवरिया जिले के विकास खण्ड नौरंगिया से सिधरिया सेवरहा के चवर (ताल) में सिवदत्त छपरा माइनर तथा बहेलिया माइनर से पानी आ जाने से चार हजार एकड़ भूमि में लहलहाती अगहनी धान की नवचा फसल डूबकर बरबाद हो गयी है। चारों तरफ पानी-पानी से जलप्लावन होकर प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया है। किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है।

मान्यवर, जबसे नहरों का निर्माण हुआ तब से बराबर सिधरिया–सेवरहा ताल की फसलें प्लावन से बरबाद हो गयी हैं, और किसान आह करके रह जाता है। हर वर्ष ड्रेन निकालने की बात कही जाती है, परन्तु सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। इसी प्रकार से विजयपुर ब्रिन-हुर्या, महुजवा, खेटही, परलिया चवर, दिउलिहा यनिया छपरा चंवर आदि की फसलें जल प्लावन से सड़कर बरबाद हो जाती है। इसके लिये मैंने विकास खण्ड सड्डा, नौरंगिया तथा रामकोला का सर्वे करके सभी तालों चंवरों तथा अन्य नीची भूमि जहां जल जमाव से किसानों की क्षति होती है, वहां वहां से ड्रेन निकाल कर इस संकट से किसानों को बचाने हेतु सिंचाई विभाग (बाढ़) को अनेकों बार आवेदन पत्र दिया परन्तु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे किसानों की लाखों रुपये की हर वर्ष क्षति हो रही है। सरकारी की इस उदासी, नेता तथा अधिकारियों की लापरवाही से जनता में भीषण रोष एवं असन्तोष व्याप्त है।

अस्तु लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को आपके माध्यम से माननीय सदन एवं मंत्री जी के संज्ञान से लाकर मांग करता हूं कि उक्त तीनों विकास खण्डों का सर्वे कराकर हर तालों तथा चंवरों और जल जमाव के स्थानों से ड्रेन निकाली जाय और जिन किसानों की फसलें डूबकर सड़ गई हैं, उनको मुआवजा दिया जाय और उनका लगान माफ कर दिया जाय ताकि न्याय हो सके।

शाहजहांपुर थाना सदर बाजार में सिरताज नामक युवक पर गोली चलाये जाने की घटना तथा पुलिस द्वारा साम्प्रदायिक दंगा उभारने के प्रयास के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई) —

मान्यवर, शाहजहांपुर जिले के थाना सदर बाजार में 31 मई, 1 जून 79 को श्री राकेश एवं अन्य तीन असामाजिक तत्वों ने श्री सिरताज नामक युवक पर शाम को सरे बाजार गोली चलायी। परिणाम स्वरूप सिरताज एवं एक कायस्थ का बच्चा घायल हुये। 7 जून को राकेश के ऊपर भी किन्ही अनिभिज्ञ लोगों ने 11 बजे दिन में बीच बाजार में फायर कर उसे घायल कर दिया। उक्त घटनाओं को आधार बनाकर थाने के इन्सपेक्टर श्री तोताराम तथा सब-इंन्सपेक्टर एस0पी0 सिंह साम्प्रदायिक उभार देने के लिये शहर के कुछ तत्वों को उक्सा रहे हैं तथा निष्पक्षता को ताक में रखकर अल्प संख्यक समुदाय के बेगुनाह लोगों को मुकदमें में घसीट रहे हैं, जिससे उनमें असुरक्षा एवं आतंक की स्थिति पैदा हो गयी है। उक्त दोनों पुलिस अधिकारियों के क्रिया कलापों से जो साम्प्रदायिक तनाव पैदा हुआ है वह किसी भी समय विस्फोटक रूप ले सकता है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कदम उठाने एवं उक्त घटनाओं की जांच सी0आई0डी0 के सुपुर्द करने की मांग करता हूं।

लहरपुर लखीमपुर मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसों का परमिट रद्द किये जाने से जनता को कठिनाई के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लहरपुर लखीमपुर मार्ग पर चलने वाली निजी बसों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस मार्ग पर 12 निजी बसों को अस्थायी परमिट दिये गये हैं और यह बसें लहरपुर से लखीमपुर तथा लखीमपुर से लहरपुर सवारी ढोने का कार्य कर रही थी, जिससे सैकड़ों गांव के लाखों लोगों को आने जाने की सुविधा प्राप्त थी। परन्तु पता नहीं किन कारणों से परिवहन विभाग ने अन्य कोई व्यवस्था किये बगैर ही इन बसों के परमिट रद्द कर दिये और बसों का आना जाना बन्द हो गया। बसों के बन्द होने के कारण सैकड़ों गांवों के लाखों लोगों के सामने आने जाने का भीषण संकट खड़ा हो गया है आज जबकि यह समय गर्मी और शादी ब्याह का भी है। इससे लाखों लोगों के मन में जनता शासन के प्रति घोर असन्तोष एवं घृणा पैदा हो गयी है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि शासन इस ओर विशेष ध्यान देकर अविलम्बनीय इस संकट को हल करने की व्यवस्था करें।

हिन्दुस्तान शुगर मिल गोला जनपद खीरी के श्रमिकों को अनिवार्य जमा योजना की धनराशि वापस न किये जाने के विषय को नियम 302 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री नरेश चन्द्र वर्मा (जिला खीरी)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान हिन्दुस्तान सुगर मिल्स लि० गोला जनपद खीरी के श्रमिकों की दयनीय दशा व उत्पीड़न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत कटौती की हुई धनराशि श्रमिकों को मिल प्रबन्धकों द्वारा वापस नहीं की जा रही है जब कि शासन ने चार माह पूर्व धन की वापसी की घोषणा कर दी है। कटौती की धनराशि वापस न किये जाने से श्रमिकों में घोर असंतोष व्याप्त हो गया है। प्रबन्धकों की आपसी गुटबन्दी को लेकर श्रमिकों ने हड़ताल कर देने का भी निश्चय कर लिया है। काश्तकारों का गन्ना अभी भी खेतों में काफी खड़ा है। यदि हड़ताल हो गई तो गन्ने की पेराई की समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। बारिश होने वाली है, जिससे काश्तकार का गन्ना खेतों में ही खड़ा रह जायगा मिल तक जाना सम्भव न होगा। अतः मैं आपके माध्यम से शासन से यह मांग करता हूं कि श्रमिकों को उनकी कटौती की गई धनराशि अविलम्ब वापस करने की व्यवस्था करे ताकि यह असन्तोष समाप्त हो सके और इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य भी दें।

बस्ती जिले के विकास खंड जोगिया उदयपुर का मुख्यालय भवन उदयपुर से हटाये जाने पर आपत्ति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री शिव लाल मित्तल (जिला बस्ती)—

महोदय, बस्ती जिले के विकास खण्ड जोगिया उदयपुर का मुख्यालय भवन बाढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत गांव जोगिया के एक छोटे कमरे में था जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को बड़ी असुविधा होती थी तथा कार्यालय संबंधी कार्य करने में कर्मचारी की भी कठिनाई का अनुभव करते थे। अतः जनता की मांग क्षेत्र समिति के प्रस्ताव तथा क्षेत्र के विधायक की सहमति पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवलाल मित्तल]

अप्रैल 79 में कार्यालय उदयपुर सड़क के निकट स्थानान्तरित कर दिया गया। यह स्थान सभी दृष्टियों से उपयुक्त था। यह स्थान बदलने का मुख्य कारण बाढ़ से बचाने के लिए ही किया गया था। डेढ़ माह तक कार्यालय वहां रहने के बाद पुनः शासन के दबाव पर कार्यालय पुराने स्थान पर भेज दिया गया जिसके कारण जनता को पुनः उन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कार्यालय के कर्मचारी भी परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। यह कार्य जनता की निगाहों में मुझे जान बूझ कर अपमानित करने तथा प्रभावहीन सिद्ध करने के लिए किया गया है।

इस सम्बन्ध में माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी को कई बार कहा तथा लिखकर दिया परन्तु उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। फलतः जनता में इससे भीषण उत्तेजना है। अतएव यह मामला आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाकर यह मांग करता हूं कि ब्लाक का मुख्यालय पुनः उदयपुर सड़क पर स्थानान्तरित करने की कृपा की जाय। इस आशय का प्रस्ताव परामर्शदात्री समिति जिला बस्ती ने भी प्रस्ताव पारित किया है। अतः इस ओर अविलम्ब ध्यान देकर कार्यवाही की जाय तथा कार्यालय उदयपुर सड़क के निकट बाढ़ से सुरक्षित स्थान तर सड़क के निकट तथा कर्मचारियों के बैठने योग्य भवन एवं जनता की सुविधानुसार स्थान पर करने की कृपा करें।

कतिपय सदस्यों की नियम 301 की सूचनाओं को स्वीकार न किये जाने पर आपत्ति

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)---

मान्यवर, मैंने नियम 301 की एक सूचना दी थी।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)---

मान्यवर, मैंनें भी एक सूचना नियम 301 में दी थी।

श्री उपाध्यक्ष---

सेठी जी आपने जो, मामला गोंडा जिलें का उठाया था तो वह आ गया है, उसे 15 जून, 1979 को कल के लिये रखा गया है।

श्री रणवीर सिंह---

आपने कहा था कि आज समय देंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

वह नियमों के अनुसार नहीं आता होगा। जो नियमानुसार है, जो मानक बनें हुए हैं उसमें वह नहीं आता होगा। आप लिखकर दे दीजियेगा।

*श्री सुन्दरलाल दीक्षित---

श्रीमन्, व्यवस्था का सवाल है। श्रीमन्, आप इस सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों के रक्षक हैं। हमको यह अधिकार मिला हुआ है कि शून्य प्रहर में जो लोक महत्व के मामले हैं वह आपके माध्यम से सूचित करें। हमने लगातार 4-5 दिन से एक लोक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महत्व का प्रश्न दिया। आपकी महान कृपा नहीं है यहां इस दल पर विशेष आस्था ही समाप्त हो गयी है। मेरी बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी। विजली की लाइन टूट जाने से मेरे यहां हैदरगढ़ में 5 आदमियों की मृत्यु हो गयी है। दूसरी शिकायत यह है कि मेरे दल के लोग कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं। श्रीमन्, जब से आपने अध्यक्ष का भार संभाला है इस दल के प्रतिनिधियों को उसमें अवसर नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार से विधान सभा में मेरे दल के नेता और सदस्यों को क्वेश्चन आवर में आप अवसर नहीं देते हैं। श्रीमन्, हम चाहते है कि जो मेरे अधिकार हैं उन अधिकारों की आप रक्षा करें। उसके तहत मेरा जो प्रतिनिधित्व है, मेरी आवाज है, हमको अवसर मिलना चाहिये। श्रीमन् आप अवसर नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

बिलकुल मिलेगा।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

हम विधायकों के अधिकारों के आप रक्षक हैं, आप सर्वोपरि हैं, अगर हमारे हितों की रक्षा नहीं होगी तो प्रगतिशील विधायक दल के विधायक जो किसी दल से संबंधित नहीं हैं, लेकिन जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम आपकी व्यवस्था के विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(श्री रामआसरे वर्मा, श्री सुन्दर लाल दीक्षित तथा श्री मन्जूर अली खां सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपने जो किया है, यह अनुचित है, नामुनासिब है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्सी (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, 12 तारीख को मैंने नियम 301 में एक सूचना दी थी कि डी0ए0वी0 डिग्री कालेज के प्रिन्सपल को गैर कानूनी तरीके से निलम्बित किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो आपने नियम 301 में दिया था, हमने शासन को भेज दिया है। उस पर कार्यवाही होगी।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ)—

मान्यवर, अभी सुन्दर लाल जी ने पीठासीन अध्यक्ष के विरूद्ध कुछ आरोप लगाये हैं, यह नियम के विरूद्ध है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के आचरणों से सदन की मर्यादा की रक्षा की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने पहले ही कह दिया है कि यह कार्यवाही उनकी अनुचित है।

दारुलशफा ए तथा बी ब्लाक व लखनऊ शहर में पानी की अव्यवस्था के संबंध में सूचना

*श्री शतरूद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जो विधायक निवास है, दारुलसफा उसमें ब्लाक ए और बी में आज सुबह पानी नहीं आ रहा था, अक्सर नहीं आता है। विधान सभा में आने के लिए तैय्यारी हम लोगों को करना होता है और सुबह पता चला कि नलकूपों में कोई तकनीकी गड़बड़ी आ गयी है जिससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरूद्र प्रकाश]

पानी नही आ रहा है। इस संबंध में मैंने आपको सूचित किया और मंत्री जी को भी। इस सत्र में लगभग आठवीं बार पानी चला गया है। इसके अलावा कभी-कभी पानी में मिट्टी और बालू आती है। इसलिये निवेदन है कि सरकार को दारुलशफा का ध्यान रखना चाहिए और आप शासन को निर्देश दें कि इस पर ध्यान रखा जाय।

(व्यवधान)

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, गर्मी में हम लोगों को पानी नही मिलता है, यह हालत मंत्रियों के नाक के नीचे है, ऐसी दुर्दशा यहां है तो बाहर की क्या हालत होगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि तत्काल शासन को निर्देश दें कि पानी की व्यवस्था दारुलशफा में तुरन्त की जाय।

व्यवधान

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

दारुलशफा में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये सफाई की भी व्यवस्था की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठे, आप लोगों की कठिनाई मालूम हो गयी है।

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

दारुलशफा में पानी की बड़ी खराब व्यवस्था है, बिजली की भी खराब व्यवस्था है, बल्ब नहीं हैं, लिफ्ट मैन का पता नहीं चलता है कि कहां रहता है। इसलिये मान्यवर, आप शासन को स्पष्ट निर्देश दें कि वहां की व्वयस्था पर ध्यान दें।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ) —

मान्यवर, पूरे लखनऊ शहर और मेरे क्षेत्र में पानी की बड़ी दिक्कत है। यहां पानी नहाने और पीने के लिये नही मिलता है। एक नल के ऊपर 100–100 लोग बाल्टियां लिये खड़े रहते हैं। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इस संबंध में उन्होंने क्या व्यवस्था किया है?

श्री उपाध्यक्ष—

मान्यवर माननीय मुख्य मंत्री जी, आज लगभग साढ़े सात बजे श्री शतरूद्र प्रकाश का टेलीफोन आया कि आज प्रातः काल से ही पानी दारुलसफा में बन्द है और हम लोग नित्य क्रिया करने को तरस गये हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य मंत्री और सार्वजनिक निर्माण मंत्री को भी उन्होंने फोन किय है, मैंने भी तुरन्त ही सार्वजनिक निर्माण मंत्री को टेलीफोन किया और तब उन्होंने कहा कि हम अपने अधिशासी अभियंता को लेकर साथ वहां पहुंच रहे हैं और तुरन्त पानी की व्यवस्था करेगें। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस पर विशेष ध्यान पहले से ही रखना चाहिये। यदि वहां ट्यूबवेल की मशीन पुरानी हो गयी है तो दूसरी की व्यवस्था करलें। लेकिन जिन दिनों में सत्र चल रहा हो, विशेष तौर से उन दिनों में पानी की दिक्कत माननीय सदस्यों को नहीं होनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मानिकपुर, बांदा में पीने के पानी का अभाव होने से उत्पन्न संकट के संबंध में वक्तव्य

*स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

माननीय सदस्य द्वारा दी गई "मानिकपुर (बांदा) में पीने के पानी के अभाव से जनजीवन खतरे में" शीर्षक से सूचना के संदर्भ में माननीय सदन को अवगत कराना है कि बांदा के मानिकपुर के आसपास के क्षेत्र में पाठा पेयजल योजना द्वारा पेय जल आपूर्ति की जाती है। कुल 250 ग्राम हैं जिनमें पुरव भी शामिल हैं। इस योजना के अन्तर्गत पानी के पांच इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशंस से पम्पिंग करके मानिकपुर के आस-पास के क्षेत्र में पानी पहुंचाया जाता है। क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ती है अतः ग्रामों में जब तालाब इत्यादि सुख जाते हैं तो जानवरों के पीने के लिये पानी का कोई प्राविधान न होने के कारण उनके पेय जल का प्रबन्ध भी इसी योजना से किया जाता है अतः दूर के ग्रामों में पानी नहीं पहुंच पाता। इस संबंध में योजना को पुनर्गठित करने का कार्य जल निगम द्वारा सर्वेक्षण करके प्रारम्भ कर दिया गया है। मानिकपुर के आस-पास के इलाके में जो अधिकांश भाग बंजर और पथरीला है और पाईप लाईन पथरीले क्षेत्रों से होकर गुजर रही है, अतः इस क्षेत्र के चरवाहे तथा बीड़ी पत्ता तोड़ने वाले मजदूर भी पाईप लाईन को जब कभी तोड़ देते हैं और पानी का इस्तेमाल करते हैं जिस से नियमित पेयजल व्यवस्था में बाधा पड़ती है। यद्यपि इस योजना के अन्तर्गत 24 घंटे पम्पिंग करने का प्राविधान है, फिर भी पम्पिंग स्टेशन पर विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उपस्थित होने पर पेयजल की व्यवस्था भी प्रभावित होती है।

झांसी मण्डल जल संस्थान ने इस समस्या के समाधान हेतु जल निगम के माध्यम से जेनरेटर लगाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। अभी इन विभिन्न व्यवधानों के कारण मानिकपुर तथा उसके आसपास के गांवों में औसतन 20–25 दिन प्रति माह पानी चल पाता है जब कि करवी और उसके निकटवर्ती ग्रामों में लगभग नियमित आपूर्ति चल रही है। माननीय सदस्य द्वारा मिलाये गये केन नदी के पार के गांवों जैसे ध्वैरामुगलो, मोहनपुरवा, अछरौड़ा उजरेहटा, मरौली, सुरौली, सुरौड़ा उस सूची में भी आते हैं जो कि जिलाधीश बांदा के द्वारा इन 19 गावों के संदर्भ में पेयजल अस्थायी आपूर्ति हेतु दी गई है, जहां कि गर्मी में पेयजल की कमी हो जाती है। 29 मई से 3 जून तक की सूचना के अनुसार इन सभी गांवों में पीने के पानी की ऐसी कमी नही है कि तुरन्त अस्थायी पेयजल की व्यवस्था प्रारम्भ करनी पड़े। फिर भी सर्वेक्षण के पश्चात् जिन गांवों में पीने के पानी की कमी पायी जायगी वहां पर अस्थायी पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था हेतु टेम्परेरी पाईप लाईन्स तथा ट्रक एवं सचल टैंकर द्वारा पीने का पानी उपलब्ध कराया जायगा।

बांदा शहर में वर्तमान समय में केवल 20 लाख गैलन पानी 55 हजार जनसंख्या को दिया जा रहा है। शहर के अधिकांश भाग में पेयजल व्यवस्था का प्रबन्ध सन्तोषजनक है। कुछ मोहल्लों में पाईप लाईन बिछी न होने के कारण उन मोहल्लों के घरों में अलग-अलग कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त नगर के अन्तिम छोर पर अलीगंज एवं मदननाका मोहल्लों में ग्रीष्म ऋतु में पानी नीचे की मंजिल पर उपलब्ध रहता है। बांदा नगर की पेयजल की जो भी थोड़ी समस्या है उसका पूर्ण समाधान जल निगम द्वारा बांदा नगर की पेयजल योजना का पुनर्गठन दो भागों में करके किया जा रहा है जिसकी लगभग लागत क्रमशः रु0 80.54 लाख एवं 31.32 लाख है। यें दोनों योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं और उन पर काम चल रहा है। इनके अन्तर्गत छोटी साईज की पाईप लाईन बड़ी साईज की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीरीक्षण नहीं किया।

[श्री रमाशंकर कौशिक]

पाईप लाईन में बदलकर, तीन अधिक क्षमता वाले जलाशयों का निर्माण करने एवं 6 नये नलकूपों के निर्माण करने का भी प्राविधान है। यदि योजना की इस व्यवस्था में लगने वाले मेटीरियल जैसे कि सीमेन्ट पाईप, स्टील इत्यादि की उपलब्धता सुचारू रूप से रही तो यह योजाना 1980 तक पूरी करने का संकल्प है।

गोरखपुर कोषागार में बन्द सोना और आभूषण के स्थान पर लोहा और नट बोल्ट मिलने के संबंध में वक्तव्य

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)---

उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में मैंने जिला अधिकारी से सूचना मंगाई है। अभी पूरी सूचना नहीं आ पाई है परन्तु जो सूचना कोषाधिकारी से समयाभाव के कारण टेलीफोन पर प्राप्त की गई उसके अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है:---

गोरखपुर कोषागार के दोहरे ताले में बन्द सोने के आभूषणों के स्थान पर लोहे के नट बोल्ट इत्यादि निकलने के सम्बन्ध में कोषाधिकारी से फोन पर सूचना प्राप्त हुई है। जिला-अधिकारी गोरखपुर से पूरी सूचना अभी प्राप्त की जा रही है। स्थिति यह है कि "कस्टम विभाग का एक बड़ा सन्दूक वर्ष सन् 1972 से भी पहले से गोरखपुर कोषागार के डबल लाक में रखा हुआ है। इस सन्दूक में कस्टम विभाग वाले अपना सामान रखते निकालते हैं और उसमें लगे हुए ताले की चाभियां भी उन्हीं के पास रहती हैं। दिनांक जून 4, 1979 को भी अन्य दिनों की तरह इस सन्दूक का ताला खोलकर उसमें से कुछ सामान निकाला और कुछ रखा भी गया। उस समय उन्होंने न तो ताले में किसी गड़बड़ी की सूचना कोषाधिकारी को दी और न ही निकाले गये सामान पर सीलों में किसी गड़बड़ी को बताया। बक्से में ताला लगाकर और पैकेट लेकर कस्टम विभाग वाले चले गये। दिनांक 9 जून, 1979 तक इस सम्बन्ध में कोषाधिकारी को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि निकाली हुई पैकेट में सोने के स्थान पर नट बोल्ट या रद्दी कागज रखे हुए पाये गये।

अब घटना की पुष्टि कोषाधिकारी ने केन्द्रीय आबकारी विभाग से करवा ली है और घटना सत्य है कि पैकेट में सोने के स्थान पर नट बोल्ट रखे पाये गये। केन्द्रीय आबकारी विभाग का जो बड़ा सन्दूक रखा हुआ है और उसमें लगे हुए ताले की चाभियां भी केन्द्रीय आबकारी विभाग के पास ही है। उसको खोलते और बन्द करने का रजिस्टर कोषागार में रखा जा रहा है और रजिस्टर में नियमानुसार सन्दूक खोले जाने का दिनांक तथा खोलने वाले के हस्ताक्षर कराये जाते हैं। रजिस्टर में दिनांक 4 जून, 1979 में भी सन्दूक खोले जाने की प्रविष्टि उपरोक्तानुसार अंकित है।

इस सम्बन्ध में एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज कराया गया है। जिसके बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त की जा रही है। विस्तृत सूचना आने पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

उपाध्यक्ष जी, एक निवेदन है। इतना अहम सवाल सदन के सामने माननीय मन्त्री जी ने रखा। मैं कोई सवाल नहीं करूंगा लेकिन एक ही बात मुझे निवेदन करनी है कि मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि अभी इसकी जांच नहीं हो पाई है, अग्रिम कार्यवाही की जायगी, क्या आप सरकार को यह निर्देश देंगें कि सदन उठने के वक्त तक की स्थिति सदन को बता दें ?

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

क्या यह सवाल नहीं है ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

चूंकि समय नहीं था इसलिए टेलीफोन पर जो सूचना बताई गई वह प्राप्त हुई और उसको थोड़ा सा यह बता दिया गया। जिलाधिकारी को लिख दिया गया है कि पूरी, विस्तृत तथ्य की सूचना इस घटना के सम्बन्ध में भेजें, जो कल तक प्राप्त हो जायेगी तो बता दी जायगी। एक बार फिर टेलीफोन द्वारा बात कर ली जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

एक बार फिर कह लें ताकि जिले के अन्य अधिकारियों को घटना की गम्भीरता का पता चलता रहे...

(श्री राम अधार के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप क्या पूछना चाहते हैं?

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो सूचना है यह तो अपूर्ण है.....

श्री राम अधार—

मेरा कहना यह है कि वित्त मंत्री दिघे जी का नाम इस में है....

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर प्रश्न न करें, कोई सुझाव देना चाहते हों जिस तरह से उन्होंने दिया वह...

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

जब एक मंत्री ने स्वयं टेलीफोन पर जानकारी प्राप्त की तो यहां पर उन्होंने ही माननीय वित्त मन्त्री जी ने ही, इसे पढ़ा होता, हो सकता है उन्हें अब तक और जानकारी मिल गयी हो और लिखी नहीं गयी हो। अब हर बात कौशिक जी पढ़ देते हैं चाहे संसदीय कार्य मंत्री जी से संबंधित हो, चाहे मुख्य मन्त्री जी से। इसमें लिखा है कि मैंने जिलाधिकारी से सूचना मांगी है यह उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मांगी है, उन्होंने स्वयं बात की है। वह यहां पर नहीं हैं...

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में शेष सूचना अब वित्त मन्त्री जी ही देंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मेरा निवेदन यह है कि कितने सोने की कमी है इसके भी फैक्ट्स नहीं है। इसकी भी पूर्ण जानकारी आनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

जितनी जानकारी प्राप्त हो सकेगी वह कल सदन उठने से पहले दे देंगे।

उत्तर प्रदेश भूदान-यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1979

*उप मुख्य मन्त्री एवं राजस्व मंत्री (श्री नारायण सिंह)---

उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1979 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाय।

यह उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952 में बिनोवा जी को धारा 5 में यह अधिकार था कि जो कमेटी बनायी जाय उस में नाम निर्देशन वह करें लेकिन 67से आज तक विनोवा जी ने नाम नहीं दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है कि राज्य सरकार ही आदमियों के नाम तय करेगी। अतएव सेक्शन 4 में हमन यह प्राविधान किया है (क) में जहां शब्द "श्री आचार्य बिनोवा भावे" आया है उसके स्थान पर "राज्य सरकार" (ख) में शब्द "श्री आचार्य बिनोवा भावे नामांकित करेंगे" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार नामांकित करेगी" रख दिये जायेंगे। उपधारा (2) निकाल दी जायगी। उपधारा (3) में शब्द "या उनकी नियुक्ति" निकाल दिये जायेंगे और शब्द "की जायगी" के स्थान पर शब्द "किया जायगा' रख दिये जायेंगे। सेक्शन 17 में उपधारा (2) में खण्ड (क) में शब्द "अथवा सदस्यों की जैसी भी दशा हो, नामांकन और नियुक्ति" के स्थान पर 'शब्द और सदस्यों के नामांकन" रख दिये जायेंगे।

यह इसलिए किया गया है कि रोजाना के कार्य में परेशानी होती थी। सन् 1967 से आज तक राज्य सरकार ही इनको नांमांकित कर रही थी लेकिन नियम के अनुसार नहीं था। बिनोवा जी की स्वीकृति ले ली है, उन्होंने स्वयं इसे कहा है। तो मैं चाहता हूं कि इसे स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1979, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश भूदान-यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1979

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

संक्षिप्त नाम उ0प्र0 अधिनियम संख्या 10 सन् 1953 की धारा 4 का संशोधन

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा।

2---उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञअधिनियम, 1952 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में,---

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, शब्द "श्री आचार्य बिनोवा भावे" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" और खण्ड (ख) में, शब्द

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"श्री आचार्य विनोबा भावे नामांकित करेंगे" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार नामांकित करेगी" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी;

(ग) उपधारा (3) में शब्द "या उनकी नियुक्ति" निकाल दिये जायेंगे और शब्द "की जायगी" के स्थान पर शब्द "किया जायगा" रख दिये जायेंगे।

3—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द "अथवा सदस्यों के, जैसी भी दशा हो, नामांकन और नियुक्ति" के स्थान पर शब्द "और सदस्यों के नामांकन" रख दिये जायेंगे। धारा 17 का संशोधन

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूदान-यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1979, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

यह जो विधेयक माननीय मंत्री जी लाये हैं उसमें यह जो कमेटी बनी है उसमें विनोबा जी ने मना कर दिया है कि समिति के सदस्यों के नाम नहीं देंगे, सरकार स्वयं ही कमेटी में सदस्यों को नामांकित करे। इस तरह से भू-दान यज्ञ में सारी व्यवस्थायें सरकार अपने हाथ में ले रही है। यह कदम स्वागत योग्य है, इसमें किसी का विरोध नहीं है। लेकिन भूदान यज्ञ में जो कर्मचारी हैं सरकार उनकी सेवाओं का समायोजन अपने विभाग में करेगी। इसके लिये कोई प्राविधान मंत्री जी ने नहीं किया है। मेरा सुझाव है कि जो भी कर्मचारी इसमें हैं उनकी सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिये। इतनी बात मुझे कहनी थी।

श्री नारायण सिंह—

उपाध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा है कि हम यह विचार कर रहे हैं कि जो उस कमेटी में रखे जायं वे भू-दान यज्ञ से सम्बन्धित हों। आचार्य जी सन् 67 से ही हमें मजबूर कर रहे थे कि इसे ले लो। तो जो आपने कहा है उसके अनुकूल हम कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1979, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1979

पशुधन मन्त्री (श्री अब्दुल हलीम खां)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1979 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अब्दुल हलीम खां—

मान्यवर, जिस समय यानी 1955 में प्रिवेन्शन आफ काव स्लोटर ऐक्ट बना था उस समय इस तरह का प्राविजन नहीं था कि प्रदेश से बाहर जाने वाले पशुओं पर किसी तरह का नियन्त्रण हो। इस संशोधन विधेयक के द्वारा यह प्राविजन किया जा रहा है कि बाहर जाने वाले मवेशियों के ऊपर नियंत्रण रखा जा सके ताकि बाहर ले जाये जाने वाले पशुओं के सम्बध में जो गलत शिकायतें आती थीं कि उनको स्लोटर किया जाता है, उस पर रोक लगा सके। इस सम्बन्ध में हमने 18 अप्रैल को एक आर्डिनेन्स के जरिये रोक लगाई और विधान परिषद् में इस तरह का एक अमेंडमेन्ट मूव किया गया कि जो मवेशी बाहर जाए उनके लिये जिलों में एक अथोरिटी बना दी जाय, कलेक्टर को, जो कि 5 रुपये लेकर परमिट ईश्यू करेगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति यह लिखकर देगा कि वह 6 महीने के अन्दर उस मवेशी को वापस ले आयेगा तो उस पर कोई फीस नहीं लगेगी। यह कोई बड़ी बात नहीं है। प्रदेश से बाहर जाने वाले पशुओं का गलत इस्तेमाल न हो, उसके लिये यह अमेन्डमेन्ट लाया गया है। मैं समझता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1979 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अगले सत्र के प्रथम दिवस तक अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, आपको विदित होगा कि पिछले दिनों में लगातार केरल और पश्चिमी बंगाल की सरकारों के खिलाफ प्रचार किया गया कि वहां की सरकारें गोवध निवारण के पक्ष में नहीं हैं। इस सम्बन्ध में खूब धुंवांधार प्रचार किया गया। आज देश के अन्दर लाखों गायें भूखों मर रही हैं, सड़कों पर दर-दर फिरती रहते हैं उनके ऊपर किसी की नजर नहीं जाती। इनकी नजर केवल बंगाल और केरल के ऊपर ही जाती है। मैं नहीं कहता कि उनकी रक्षा न हो। मैं चाहता हूं कि दुधारू पशुओं की रक्षा होना चाहिए। उनसे हमें पोष्टिक आहार मिलता है। वे अच्छा दूध दे सकें, इस तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। हमारा देश एक धर्म निर्पेक्ष देश है। इसके अन्दर हिन्दू भी हैं, मुसलमान भी हैं, इसाई भी हैं। सबकी अलग-अलग फूड हैबिट्स हैं, कोई सामिस है कोई निरामिस है। नागालैण्ड के अन्दर भी गोबध है, मेघालय में भी होता है, गोआ में भी होता है लेकिन गायों के प्रेमियों को केवल केरल और पश्चिमी बंगाल की सरकारें नजर आती हैं। गाय माता के प्रश्न को लेकर आपने इसे एक राजनीतिक हथियार बना दिया है। लिहाजा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें केवल गोवध का प्रश्न नहीं है अगर पशुधन की रक्षा करनी है तो उसे बैल की भी रक्षा करनी पड़ेगी, भैंस की भी रक्षा करनी पड़ेगी, बकरी की भी रक्षा करनी पड़ेगी, ऊंट की भी रक्षा करनी पड़ेगी तो तमाम जितने जानवर हैं सबकी रक्षा करनी पड़ेगी। लिहाजा वह इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दें जिसमें इस विधेयक की परिधि को बढ़ाने का भी अधिकार होगा और उन तमाम चीजों पर उसमें विचार किया जायगा कितनी ही ऐसी पशुओं की नस्ल हैं जो खतम होती जा रही हैं उनको भी संरक्षण देना है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, इस देश में और खासतौर से इस प्रदेश में योजना काल की प्रथम योजना में ही यह विधेयक पारित हो गया था कि गोवध नहीं होगा और यह कानून बन गया था। वह केवल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिए नहीं कि थोड़ी भावना तो रही ही, धार्मिक भावना बल्कि इसमें आर्थिक भावना भी छिपी हुई है। जहां तक मैं समझता हूं और जहां तक मेरी जानकारी है यहां की आर्थिक दशा खेती से ताल्लुक रखती है और खेती का ताल्लुक गाय से बहुत ज्यादा है, बैल से बहुत ज्यादा है और इस वंश से बहुत ज्यादा है। अगर उस समय का जब यह कानून बना, विवाद देखा जाय तो यही पता चलता है कि यह निर्णय इसलिये लिया गया कि इस देश की, और प्रदेश की खासतौर से, 75 से 80 फीसदी आबादी खेतिहर है जिसके लिए गोवंश का जिसमें गाय बैल का विशेष महत्व है इसलिए गोवध को रोका जाय। सन् 55 में इसको रोक दिया गया। लेकिन उसके बाद देखा गया, रोक तो लगी है कि गोवध नहीं हो सकता है लेकिन गाय, बैल और बछड़े को बाहर ले जा सकते हैं जहां उनका वध हो सकता है।

तो एक भावना प्रदेश और देश में जागी, जनजाग्रति आई कि हर हिस्से में प्रतिबन्ध होना चाहिये। इसमें केरल और बंगाल सरकार ने कुछ और प्रतिध्वनित किया हम उनसे सहमत न हो यह दूसरी बात है। दुनियां में तो गायों को काट कर खाया जाता है तो वह दूसरी बात है लेकिन हमारे यहां की जो अर्थ-व्यवस्था है और जैसा हमारा सामाजिक और धार्मिक वातावरण है उसके अनुकूल यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है और मैं समझता हूं कि यह विधेयक उचित है।

लेकिन श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से उनको सीधे बैन करना चाहिय था कि हमारे प्रदेश से बाहर नहीं जायेंगी। अगर टोटल बैन करते तो बात समझ में आती। जिसे बाहर ले जाना होगा वह अनुज्ञा पत्र ले लेगा और 5 रु0 की फीस लगा कर दे देगा। तो यहीं से भ्रष्टाचार की बात शुरू हो जाती है, यह भ्रष्टाचार की जननी है चाहे उसमें अधिकारी-गण हों, या व्यापारी हों दुरुपयोग करने लगते हैं। यह एक परेशानी की बात होगी। पांच रुपये की क्या कीमत होती है। पांच रुपये में रजिस्ट्रेशन कराकर ले जायेंगे। आपके सामने अनइम्पलाईड लोगों की संख्या आई जो हमारे इम्पलायमेन्ट इक्सचेन्ज हैं उसमें 13 लाख लोग अनईम्पलाइड हैं जब की 42, 43 लाख लोग ऐसे हैं। तो आप सोचें कि 5 रु0 में लाईसेंस देकर इस योजना को आप कैसे सफल बनायेंगे। इन तमाम बातों को विचार करने के लिए यह प्रवर समिति में जाय जैसा कि नेगी जी का प्रस्ताव है जिसमें तमाम बातों पर विचार होगा और वहां से छन कर आयेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं केवल यही शब्द कहना चाहता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप का संशोधन है, आप अपने संशोधन पर बोलेंगे या इस समय बलेंगे या फिर....

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

जिस समय संशोधन आयेगा हम नहीं बोलेंगे। अभी बोले लेते हैं। मान्यवर, मैं माननीय पशुधन मंत्री को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा गोवध बन्दी के सम्बन्ध में एक श्रेष्ठ कदम उठाने का प्रयास किया है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है जब कुछ लोगों को हर काम में राजनीति की गन्ध आने लगती है और ऐसे लोग इस मामले में भी राजनीति को घसीट लाये हैं। इस गोबध के मामले को लेकर, इसमें हिन्दू या मुसलमान का सवाल नहीं है इसमें किसी मतमतान्तर का सवाल नहीं है यह हमारी श्रद्धा का मामला है। हमारे भारतवर्ष में एक ऐसी संस्कृति उपजी है, जिसमें विविध प्रकार की मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। यह हमारे विकास का लक्षण है। यहां विविध मत-मतान्तरों के लोगों के रहते हुए भी, वे सभी एक राष्ट्रीय मूल भावना के साथ सन्निहित है। हमारे यहां गाय का प्रश्न भी ऐसा प्रश्न है, हमारे देश में सभी हिन्दू व मुसलमान राजाओं ने अपने अपने शासनकाल में गोवध पर प्रतिबन्ध लगाया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

पूज्य बापू इस बात को कहा करते थे कि गाय की रक्षा का सवाल आजादी की लड़ाई से भी बढ़कर है और इसके कारण भी उन्होंने प्रतिपादित किये हैं। उसका धार्मिक कारण ही नहीं, आर्थिक और समाजिक कारण भी हैं। इसके पीछे हमारे सम्पूर्ण राष्ट्र की एक सूत्र में बांधे रहने का भी उद्देश्य है। इन सब बातों को लेकर महात्मा गांधी ने यह आवाज उठाई थी। जिस समय भारतीय संविधान के बनने का सवाल आया, उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी इस चीज का प्राविधान कर दिया गया। इसके तहद 1955 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की व्यवस्था की थी।

हमारे हिन्दुस्तान में कुछ राज्य ऐसे थे, जिनमें गोवध अब भी निर्बाध रूप से चालू था और इस कार्य के लिए पड़ोसी राज्यों से उत्तर प्रदेश से गायों को वहां भेज दिया जाता था और उनका वहां बध होता था। उसी को रोकने के लिए इस संशोधन विधेयक द्वारा आवश्यक व्यवस्था की गई है---इस सरकार ने कदम उठाया है कि यहां पर से गाय, सांड़ या बैल बाहर नहीं जायेंगे। लेकिन जैसा मेरे पूर्ववक्ता ने कहा, इसमें प्राविधान यह किया गया है कि केवल 5 पये की फीस वहां के विहित प्राधिकारी को देकर वह उससे उसे बाहर ले जाने का अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर सकेगा। अब आप देखें, इसका उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य और कारण में भी स्पष्ट दिया हुआ है---

"गायों और कतिपय बैलों और सांड़ों का इस राज्य के किसी भी भाग में वध करना दण्डनीय अपराध है। शासन की जानकारी में यह बात लाई गई है कि उत्तर प्रदेश से गोवंश को पश्चिमी बंगाल, बम्बई व केरल आदि स्थानों में वध के लिये ले जाया जाता है। उक्त अधिनियम में राज्य से बाहर पशुओं के ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, फलतः इसे रोकने के लिये कोई प्रभावी कार्यवाही करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।" तो इसलिए यह विधेयक लाने की आवश्यकता समझी गयी है। इसके मूल अधिनियम की धारा 5-ए में कहा गया है कि "और सिवाय ऐसी अनुज्ञा-पत्र के निबन्धन और शर्तों के अनुसार, किसी गाय, सांड़ या बैल का किसी स्थान पर बध किया जाना इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, न परिवहन करने के लिये प्रस्तुत करेगा और न परिवहन करायेगा।" तो मान्यवर, इसमें शर्त क्या है, इन शर्तों को स्पष्ट नहीं किया गया है। यदि यह स्पष्ट हो जाय, तो विहित प्राधिकारी, यदि इसके उद्देश्यों का दुरुपयोग भी करना चाहे, तो नहीं कर सकता है।

इस कारण मेरा सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाये, इसमें आप कुछ शर्त भी जोड़ दें, इस बात का स्पष्टीकरण कर दें कि इस अधिनियम के प्रतिबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी ऐसा अनुज्ञा-पत्र तभी जारी करेगा, जब उसे इस बात का पूर्ण समाधान हो जाय कि ऐसे किसी भी गाय, सांड़ या बैल का किसी भी दशा में वध नहीं किया जायगा। इस अधिनियम में स्पष्टीकरण के द्वारा हमने इस बात का प्राविधान नहीं किया तो संदेह की बात हो सकती है कि ऐक्ट बन जाने के बाद विहित प्राधिकारी इसकी मंशा का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह सुझाव मात्र देना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं, एक अच्छा कदम उठाया गोवध पर पूर्ण से प्रतिबन्ध लगाने के लिये, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि गाय का वंश प्रति वर्ष हमारे प्रदेश में कम होता जा रहा है। उसकी रोक के लिए कदम उठाया है। जो मैंने सुझाव दिया है उसके बिना विधेयक की मंशा पूरी नहीं होगी। मैं विधेयक की भावना और इसके पीछे उद्देश्य का स्वागत करता हूं। मैं प्रार्थना करूंगा कि मैं जिस समय वह उत्तर दें उसमें वह मेरे सुझाव को स्वीकार करें। तब इस विधेयक की भावना और उद्देश्य पूरा होगा। हर मामले के पीछे राजनीतिक गंध, मतमतांतर की गंध लाना, छोटे-मोटे स्वार्थों को लाना, राष्ट्र के बड़े हित में यह भावना बाधक है। जो सदस्य इस तरह से सोचते हैं छोटी-छोटी बातों से उठकर राष्ट्र के बड़े हित को सामने रखकर इस सम्बन्ध में सुझाव देने की कृपा करें।

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

श्रीमन, जो प्रवर समिति का संशोधन है माननीय नेगी जी ने दिया है दो एक पहलुओं से देखने की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक हवा चली, उस हवा के चलने में इस बात की रोक इस प्रदेश में हुई, कि वध करने वाले पशुओं को बाहर जाने दिया जाय लेकिन मंशा नहीं लगती है, मंत्री जी जबरन ला रहे हैं विधेयक। पांच रुपया फीस रख-कर कानूनी रूप देना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि जिस नस्ल को बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है। एक आन्दोलन चला, मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं, कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का रहा जब हरिजनों को बेलही में जिन्दा जलाया गया, जहां हरिजनों पर अत्याचार किये गये, इस देश के साधू महात्मा, और संतों ने जिन्दा जलते देखा, उसके बावजूद उन्होंने मौन साध लिया। व्यक्तिगत बात मैं कहता हूं और दूसरी चीजों के लिए आमरण अनशन किया जाय, मैं व्यक्तिगत रूप से इसको स्वीकार नहीं करता।

उसी भावना से उत्तर प्रदेश की सरकार एक आर्डिनेन्स लायी, कि कोई जानवर यहां से नहीं जायगा। लेकिन, आर्डिनेन्स देखने को मिला, उसमें पांच रुपये की फीस लेकर छः महीने की गारन्टी लेकर अलाऊ कर दिया जायगा। नीयत देखिए। जनता जनार्दन की धार्मिक भावना को केवल संतुष्ट करने के लिये लाया गया है। यह विधेयक बिलकुल अधूरा है। अगर मंशा यह है कि जानवर यहां से जाना नहीं चाहिए तो इस तरह का प्राविजन न हो। आर्थिक पहलू भी सोचा जाय। जो जानवर बांझ हो गया है, लंगड़ा हो गया है, वृद्ध हो गया है, मैं खुद रोज देखता हूं, जो गाय बूढ़ी हो जाती है, बैल बूढ़ा हो जाता है, पांच-पांच, चार-चार रुपये में बेंच देते हैं, उस दिन मन में नहीं आता कि कैसे दे रहे हैं। सरकार इस बात का जिम्मा ले कि हम उन जानवरों की सुरक्षा करेंगे, जीवन पर्यन्त रखने के लिए तभी मैं सरकार की नीयत समझूंगा। कुछ वोट प्राप्त करने के लिये धार्मिक भावना को उकसाने के लिए आर्डिनेंस लागू कर दिया। जब उसका रूप देखने को मिला पांच रुपये का सार्टिफिकेट और छः महीने के बाद जानवर को ले आयेगा। मैं जानता हूं कि हलीम साहेब इसको मन से नहीं लाये हैं। मान्यवर, इसके आर्थिक पहलू पर विचार होना चाहिये। हवा को देखकर इस आर्डिनेन्स को लाया गया है। यह एक औपचारिकता है। सरकार ने इस बात को दिखाने के लिए कि वह धार्मिक भावना से दूर नहीं है, इसीलिए इस विधेयक को लायी है।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आधारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने के लिए अवसर प्रदान किया। मान्यवर, इस विधेयक की धारा 5 के नीचे जिसमें किसी गाय, सांड़ या बैल को बेंचने के बारे में प्रतिबन्ध किया जायेगा। दूसरी ओर संविधान की धारा 48 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जिसमें है कि राज्य कृषि और पशु-पालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतः गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरो की नस्ल के परिरक्षण और सुधारने के लिए तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए अग्रसर होगा। मान्यवर, संविधान के अन्दर जो जानवर खेती के काम में आवेंगे उनके बध के लिए सरकार प्रतिबन्ध लगाने के लिए सक्षम है, लेकिन 1955 में जो मूल अधिनियम बना है उसकी धारा 2 जहां पर शब्दों को परिभाषित किया गया है उसके अन्दर खन्ड (क) में उन्होंने गाय को काफ से जोड़ दिया है जिसके माने दोनों हैं बछिया और बछड़ा, लेकिन मैं उसी मूल अधिनियम की धारा 3 को के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबू लाल वर्मा]

खन्ड (ब) और उसके नीचे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें लिखा है कि बैल या बुल अगर 15 साल का हो जायेगा तो उसके लिए सर्टीफिकेट ईशू करने पर उसका बध किया जा सकता है।

अगर वह हल खीचने में अनफिट हो या परमानेंट अनफिट हो या हमेशा के लिए अनफिट हो गया हो तो फिर उसका बध किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1940 में जनगणना के अनुसार देश के अन्दर में 10 करोड़ बैल थे और दूध का उत्पादन 16 करोड़ किलो प्रतिदिन था लेकिन पिछले 30 सालों में क्या हुआ। 1971 की जनगणना के अनुसार केवल 35 करोड़ पशु रह गये जिसमें गाय, बैल भैंस बकरी सुअर आदि सभी जानवर सम्मिलित हैं। बैलों की संख्या 1 करोड़ तथा दूध का उत्पादन घटकर 1 करोड़ किलो प्रतिदिन रह गया। यानी 16 गुना घट गया। 4 व्यक्तियों पर एक छटाक का औसत आया। जब कि डेनमार्क में 5 किलो प्रति व्यक्ति का औसत है मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अधिनियमित किया गया है यह नियम बिलकुल अधूरा और सड़ा है और इसमें बहुत सी कमियां हैं। हमारे हिन्दुस्तान की कृषि वैज्ञानिक और पशुधन विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट कुछ दिन पहले छपी थी जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पशुधन कभी भी अनइकोनामिक नहीं है। गाय, बैल, और भैंस के बारे में कहा कि जितना चारा वह खाते हैं उससे ज्यादा गोबर से आमदनी होती है। या एक गाय जितना चारा खायेगी, उसकी दूनी कीमत का गोबर का खाद देगी और अगर उसके गोबर के उपले पाथे गये तो 3 गुनी कीमत के होंगे। आदमी जो बूढ़े हो गये हैं, वे सिवाय गोमती के पानी को गन्दा करने के और कोई काम नहीं करते हैं। मान्यवर, जो नागालैंड, मणिपुर के जंगलों में बनवासी और आदिवासी लोग हैं, वे आदिमियों का मांस खाते हैं [***]।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, यह बहुत आपत्तिजनक बात है।

श्री उपाध्यक्ष—

जो बात आपत्ति जनक है, मैं उसको कार्यवाही से निकलवा दूंगा।

श्री बाबूलाल वर्मा—

मान्यवर, ऐक्ट में प्राविधान है कि अगर कोई पशु अनइकोनोमिक घोषित कर दिया जाय तो या परमानेन्टली बेकार हो तो वह बध के लिये भेजा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 2 1/2 करोड़ एकड़ जमीन है जिसको जोतने के लिये 4 करोड़ यानी दो करोड़ जोड़ी बैल चाहिये और हिन्दुस्तान की 16 करोड़ एकड़ भूमि के लिये 10, 1/2 करोड़ बैल चाहिये। हमारे प्रदेश में इस समय 20 लाख जोड़ी बैल है जबकि कम से कम 1 करोड़ जोड़ी बैल चाहिये।

हमारे यहां पर डैन्मार्क की एक स्कीम कृत्रिम गर्भाधान की चली लेकिन उसके अन्तर्गत जिस गाय का गर्भाधान किया जायगा अगर वह एक बार कान्सीव नहीं करेगी तो वह हमेशा हमेशा के लिये खराब हो जायगी। दूसरे यदि 15 डिग्री सेंन्टीग्रेड से ज्यादा टैम्परेचर होगा तो उसका बछड़ा धूप सहन नहीं कर पायगा और उस बछड़े के कन्धा भी नहीं होता है। तो वह न तो खेती के काम में ही आयेगा और न वह माल ढोने के काम में आ सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठिए, आपका समय समाप्त हो गया है। यह भाषण तो कहीं सैमिनार हो तब आप दीजिए।

नोट:—[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकलवा दिया गया।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय पशुधन मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। मान्यवर, गोवंश की हत्या का प्रश्न धार्मिक या राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं होना चाहिये। जिन लोगों के मस्तिष्क में यह है कि इसका सम्बन्ध धर्म और मजहब से है, तो वे गलत फहमी में हैं। गोवंश का प्रश्न भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आर्थिक है।

भारत में कौन ऐसा आदमी होगा जो दूध न पीता हो, उसके बछड़े को इस्तेमाल न करता हो। उसके गोबर को इस्तेमाल न करता हो। प्रश्न उठता है कि जो गाय दूध न देती हो, बैल चल न पाते हों, क्या उनकी हत्या कर दी जाय, इसलिये पूरे गोवंश पर प्रतिबन्ध लगाने की बात उठती है। एक बैल अपने गोबर और मरने के बाद चाम और हड्डी से उतना दे देता है जितना उस पर एक किसान व्यय करता है।

इसलिये वह उपयोगी है या नहीं यह विवाद खत्म होना चाहिए। गोवंश तो दूध देकर मरने के बाद भी अपना चाम देकर, हड्डी देकर, हमारी सेवा करता है। इसलिये अनुपयोगी शब्द का तो विवाद ही खत्म होना चाहिये। गोवंश हत्या पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगना चाहिये। आज केरल, बम्बई और पश्चिमी बंगाल को जो हमारे यहां गायें भेजी जाती हैं उससे हमारे यहां इनका ह्रास हो रहा है। यह जो पुस्तिका हमें मिली है संख्यकी इसमें पृष्ठ 134 पर लिखा है कि 1961 में उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 62 लाख 84 हजार गोवंश था और 1972 में, 12 वर्ष के बाद, गोवंश की संख्या घटकर 2 करोड़ 62 लाख 17 हजार रह गयी। एक ओर मनुष्यों की तादाद तो बढ़ती गयी, दूसरी ओर इनकी तादाद कम होती गयी। मेरा ख्याल है कि केरल बम्बई और पश्चिमी बंगाल के लिये जो गायें जाती है उसी के कारण यह ह्रास हो रहा है। माननीय पशुधन मंत्री जी ने जो यह विधेयक यहां पेश किया है तथा जो उनके बाहर जाने पर रोक लगायी जा रही है उसका मैं स्वागत करता हूं। विधेयक में धारा (5) (क) में लिखा है किसी गाय, सांड़ या बैल का जिसका उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर वध किया जाना इस अधिनियम के अधीन दंडनीय है, न तो परिवहन करेगा, न परिवहन करने के लिये प्रस्तुत करेगा और न परिवहन करायेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिनका वध करना दंडित है उनका परिवहन नहीं हो सकेगा, किन्तु जिनका बध करना दंडित नहीं है उनका परिवहन हो सकेगा। जो अनुपयोगी होंगे, जिनकी उम्र 15 साल से अधिक होगी या जो बीमार होंगे उनका परिवहन हो सकेगा। इनका वध करना भी दंडित नहीं होगा मेरा निवेदन है कि जो बीमार है या अनुपयोगी हैं उसे कोई भी बाहर नहीं भेजेगा। इस छूट का अनुचित लाभ उठाया जायेगा। कोई जानवर 14 साल का होगा तब उसे 15 साल से ऊपर का बताया जायेगा। तो एक विवाद खड़ा होगा और नतीजा यह होगा कि पहले की तरह ही गोवंश बाहर जाता रहेगा। इसलिये मैं माननीय पशुधन मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि यह वाक्य हटाकर इस रूप में कर दिया जाये किसी गाय, सांड़ या बैल का न तो परिवहन करेगा न परिवहन के लिये प्रस्तुत करेगा, और न परिवहन करायेगा। अर्थात् शब्द जिसका उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर बध किया जाना इस अधिनियम के अधीन दंडनीय है निकाल दिये जायं। अगर यह नहीं किया जायेगा तो इसका जो वास्तविक उद्देश्य है वह खत्म हो जायेगा और इसका अनुचित लाभ उसी प्रकार गोवंश बाहर जाता रहेगा जिस प्रकार से अब तक जाता रहा है।

इसके साथ ही जहां यह प्राविधान है कि 5 रुपया देने पर परिवहन अनुज्ञा-पत्र जारी होगा उसमें यह शर्त जोड़ दी जायेगी कि यह गोवंश किसी भी तरह से बाहर जाकर बध नहीं किया जायगा।

[श्री हरिश्चन्द्र]

इसके अलावा धारा 5–क(3) में है कि यदि अनुज्ञा-पत्र पर सीमित अवधि के लिए गाय, सांड़ या बैल का परिवहन करने वाला व्यक्ति अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी गाय, सांड़ या बैल को राज्य में वापस न लायें तो यह समझा जायेगा कि उसने उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया है। मान लीजिये कि किसी ने बाजार में ले जाकर बेंच दिया हो तो इसके नाले वह दण्ड का भागी हो जायेगा। इसलिये मान्यवर, मेरा कहना है कि इस प्रकार से लाएं अथवा इसका प्रमाण-पत्र दें कि उसने क्या किया, मैं समझता हूं जोड़ने से उसकी बचत होगी अन्यथा वे लोग अनावश्यक-रूप से जो बेचने के लिये ले जायेंगे, कृषि करने के लिये ले जायेंगे, वे दंडित हो जायेंगे।

*श्री ए0 सी0 ग्राइस (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने बहुत कुछ इस संशोधन के ऊपर सुना है। मैं तीन चीज आपके सामने लाना चाहता हूं। पहले तो श्रीवास्तव साहब ने आपका ध्यान जो 34 पेज के ऊपर लाया है, मैं आपके सामने एक बात लाना चाहता हूं। यह 66 हजार करीबन गांव में था, उसमें से 29 हजार मिल्क और 32 हजार सूखे इकोनामिक, इसको देखा जाय तो गाय यह कहां जायेंगी, आज कल देहात में घूमिये, देखिये, ऊसर की जमीन रिक्लेम हुई है। मैं फैक्चुअल कह रहा हूं, मुझे गाय के मारने के लिए, काटने के लिए कोई वह नहीं है, मैं आपके सामने इकोनामिक्स डाल रहा हूं, जो उनकी इकोनामिक्स है, वह ला रहा हूं। जितनी ऊसर ग्राउन्ड है, रिक्लेम है, आदमियों की आबादी ज्यादा हो रही है, आबादी के लोगों को खाने के लिये इन्तजाम करियेगा कि इन सूखी गायों के लिए जमीन छोड़ियेगा, जो रैंजिग ग्राउण्ड के लिए। अभी आप देखेंगे कानपुर, आगरा, और लखनऊ में कितनी गायें घूम रही हैं रास्ते के ऊपर, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, उनको खाने के लिए इन्तजाम नहीं हो रहा है, यह नहीं पता चल पाता है कि उनका मालिक कौन है, वह कौन इसके लिए जिम्मेवार है, जो कि रास्ते के ऊपर छोड़ देता है, यह बहुत गड़बड़ है। तीसरी बात यह 5 रुपया लगा दिया है, यह ठीक है, 5 रुपया क्या 15 रुपया लग जायगा, 20 रुपया लग जायगा। यह जो नेगी साहब का संशोधन है, इसको मैं सपोर्ट करता हूं। यह पूरा सैलेक्ट कमेटी पर छोड़ दिया जाय, उसका पूरा इन्तजाम हो जायगा।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

मान्यवर, गाय या मसला मआशी यानी आर्थिक है और मजहबी भी है। मुल्क में पुराने जमाने में यानी जब यहां मुसलमानों की हुकूमत थी, तो यहां के बादशाहों ने गाय पर पाबन्दी लगाई थी। जादुनाथ सरकार ने औरंगजेब पर किताब लिखी है जिसमें 152 औरंगजेब के ऐसे फरमान जमा किये हैं जिसमें गाय के मारने पर पाबन्दी का हुक्म दिया गया है और हुमायूं ने बहुत से गोशाले इस मुल्क में बनवाये थे, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल यह है कि एक ऐसा मुल्क जहां के तकरीबन 50–52 करोड़ इन्सान गाय से जजबाती लगाव रखते हैं, उसको अपनी मां मानते हैं और इन 52 करोड़ इन्सानों की मां का और मजहबी जजबात का अगर सेकुलर और सोशलिस्ट मुल्क हिन्दुस्तान में रक्षा नहीं होती तो हिन्दुस्तान के 12 और 18 करोड़ मुसलमान अपनी रक्षा की बात किस तरह कर सकते हैं। इसलिये जो सरकार 52 करोड़ इन्सानों के जजबे मजहबी और उनकी मां का तहफ्फुज नहीं कर सकती है उस सरकार से मुसलमान अपनी तहफ्फुज या रक्षा की उम्मीद कैसे करेंगे। इसलिए मुसलमानों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह आगे बढ़े और इस मामले को अपने हाथ में लें। वे इलाके हिन्दुस्तान के जहां मुसलमान पहले गाय का गोश्त इस्तेमाल करते थे, वहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गाय पर पाबन्दी है। जहां सभी लोग गोश्त खाते हैं जैसे केरल, मगरबी बंगाल और दूसरे इलाके हिन्दुस्तान के। हरीश जी ने एक बात कही कि उसकी खाल और हड्डियों से भी काफी कीमत वसूल हो सकती है। मैं समझता हूं कि यह बात इन्सानी भयंकर के खिलाफ है कि जिसने दूध, गोबर, बछड़ा दिया और खेती में मदद की उसके मरने के बाद उसकी खाल या हड्डियों को बेंच दिया जाये यह मुनासिब नहीं है। उसे जलाया या दफन किया जाय। यह मुनासिब नहीं है कि मरने के बाद उसकी बेइज्जती की जाय। बल्कि दफन किया जाये। चमड़े, जूते की जरूरत होगी, फारेन एक्सचेंज के रुपये की जरूरत होगी, जो इस कमी को किस तरह पूरा करेंगे इसलिए इस मामले को मजहबी और आर्थिक दोनों को सामने रखकर फैसला करना चाहिए कि क्या तरीका अख्तियार किया जाये।

*श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूध देने वाले जितने भी जानवर हैं उनकी हत्या किये जाने का विरोधी हूं क्योंकि दूध की जरूरत है लेकिन वहीं मान्यवर, मैं इस बात को भी उचित, जायज और मुनासिब मानता हूं कि दूध देने वाले जानवर को अगर खाना न मिले न उसे कोई खाना देने वाला हो तो मैं इस हिमायती नहीं हूं कि वह जानवर तड़फ-तड़फ कर मरे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इसे धर्म समझें कि मरने वाला जल्दी न मरे, तड़फ-तड़फ कर मरे। देखा यह जाता है कि कुछ जानवर बीमार, अपाहिज हो जाते हैं, दूध देना बन्द कर देते हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता अ वारा घूमते मैं जानना चाहूंगा कि जो जानवर बीमार या अपाहिज हो गये हैं, दूध देना बन्द कर दिया है और बेकार हैं उसकी कितनी उपयोगिता है। फिर जो लोग गाय की हिमायत करते हैं बकरा, बकरी, भैंस और अन्य जानवरों की हिमायत क्यों नहीं करते। इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने की भावना छिपी है कि किस तरह से धार्मिक भावना उभाड़ कर राजनीतिक लाभ उठाया जाये। दूसरी बात जो लोग मानव शोषण के विरोधी नहीं हैं, उसकी हिमायती करते हैं उनके गाय संबंधी शोषण के विरोध का क्या औचित्य है। उन लोगों के अन्दर न तो धार्मिक भावना काम कर रही है न कोई राजनैतिक अच्छी भावना ही कही जा सकती है। किस को नहीं मालूम कि गांव के हरिजन, गरीब आदमी, हर जाति के जिस को 2 जून भर पेट खाना नहीं मिलता, एक बिस्वा जमीन नहीं है या जो मिलों में कारखानों में काम करते हैं, मिल मालिक उनको मनमाना पैसा देता है। उनसे पूरे दिन भर काम लेते हैं, उन सबका शोषण होता है, न उनकी दवा का प्रबंध होता है, न उनके खाने-पीने का प्रबन्ध होता है। गरीब आदमी का शोषण हो रहा है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं, यह कोई धर्म का अखाड़ा नहीं है जो लोग उस शोषण को जायज करार देते हैं, मैं नहीं समझता कि उनके अन्दर धार्मिक भावना है या केवल वक्ती बयान देने के लिये ऐसा करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इसके सामने कोई अर्थ वाला मामला नहीं जुड़ा हुआ है। जो जानवर उपयोगी नहीं रह गया, दूध भी नहीं देता, वह कोई काम करने वाला नहीं है, उसके साथ अर्थ कहां जुड़ा हुआ है। सिवाय आर्थिक नुकसान करने के उससे क्या फायदा है। अगर कोई जानवर चरने लायक है, उपयोगी नहीं रह गया है तो सिवाय इसके कि किसानों के खेतों का नुकसान करे, कोई फायदा होने वाला नहीं है।

मैं आखिर में यह शब्द कहूंगा कि यह जो विधेयक है इसका समर्थन तो करना ही पड़ेगा लेकिन बिलकुल ऊपरी मन से अन्दर से नहीं, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष—

यह दिल से इसका समर्थन करते हैं। ऊपर से समर्थन करें, ऐसी बात नहीं है।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री फजलुल बारी (जिला गोण्डा)—

मान्यवर, इसका मतलब यह हुआ कि नेगी जी को बुलवा रहे हैं तो हमको मौका नहीं मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने बुला लिया।

श्री फजलुल बारी—

बुला लिया, तो बदल भी सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आधे घण्टे का समय निर्धारित किया गया था।

श्री फजलुल बारी—

मुझे सिर्फ दो मिनट चाहिये। मैं यह समझता हूं कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये। जब पारित करने का समय आयेगा तब आपको हम बुला लेंगे।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, जहां तक गोवंश की रक्षा का सवाल है मैं समझता हूं कि इसमें किसी की दो राय नहीं हैं। म तो इतना कहूंगा कि अगर वाकई गोवंश की रक्षा करनी है तो उन मुल्कों को जहां गोबध पर प्रतिबन्ध ह, देखें। मैं जर्मनी गया था। जर्मनी में एक-एक गाय 40—40 किलो, 50—50 किलो दूध देती हैं। यदि वह 26 किलो पर आ गयी है तो वह अनइकोनामिक समझी जाती है। आस्ट्रलिया के अन्दर योरोप के अन्दर जहां भैंस का नाम नहीं, गाय से ही दूध मिलता है। उन गऊ माताओं को देखिए और अपनी गऊ माताओं को देखिये जो सड़कों पर घूमती रहती हैं। ऋषीकेश और हरिद्वार में जायें तो वहां जितने भी तीर्थालय हैं, वहां बड़ी-बड़ी गौशालायें बनी हैं। जब तक गायें दूध देती ह, उन्हें रखते हैं जहां दूध देना बन्द कर देती हैं, वहां दो लाठी मार कर बाजार में फेंक देते ह। इनकी नस्ल सुधारिये, पालन-पोषण कीजिए। केवल इस नाम पर कि गाय माता है, धर्म के नाम पर, ऐसा करना न्याय नहीं है। बकरी को खतम कर सकते हैं, और चीजों को खतम कर सकते हैं तो गोमाता में क्या रखा है। एक तरफ गोमाता पूज्यनीय ह जब स्वर्गवास हो जाता है तो खाल खींचकर जूता बनाने के लिय आप तैयार हैं।

जितनी श्रद्धा आप दिखाते हैं मरने के बाद उसकी खाल खींचकर जूता बनाने के लिये तैयार हैं। इस तरीके से अंध विश्वास के आधार पर इसकी रक्षा नहीं हो सकती। हमारे देश में अनेक धर्म हैं और हर एक धर्म की अलग-अलग मान्यता है, अलग-अलग रीति-रिवाज हैं, खान-पीने के तरीके अलग-अलग ह। हिन्दुओं की अलग मान्यतायें हैं, इस्लाम की अलग और क्रिश्चियनटी की अलग-अलग मान्यतायें हैं और अपने-अपने तौर-तरीके हैं। केरल के अंदर, बंगाल के अन्दर वहां के समाज में अपने खाने-पीने के तौर-तरीके हैं। अगर देश के अंदर धर्म निरपेक्षता कायम रखनी है, अगर देश के अन्दर हर एक धर्म के लोगों की भावनाओं का आदर करना है तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उनका आदर करें।

केरल के अन्दर केवल धर्म का मामला नहीं है, वहां उनकी फूड हैबिट का मामला है वहां कोई प्रोटीन नहीं मिल पाती। तो जो राजेन्द्र प्रसाद जी गुप्त और हरिश्चन्द्र जी ने विचार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखे हैं, उन्होंने इसके बारे में कुछ शंकायें जाहिर की हैं। जाहिर है कि उन्होंने अपने दृष्टि-कोण से शंकायें जाहिर की। वह इस बात को मानते हैं कि जिस हालत में यह विधेयक हमारे सामने है, वह विधेयक उस हालत में अपने में पूरा नहीं है। मेरी बात मंत्री जी मानने के लिये तैयार नहीं हैं तो हरिश्चन्द्र जी और राजेन्द्र प्रसाद गुप्त जी की बात मान लें और इस बिल को प्रवर समिति को सौंप दीजिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

जरा मुझको बोल लेने दीजिए।

श्री अब्दुल हलीम खां—

मान्यवर, मैं उन तमाम सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस संबंध में अपने विचार इस सदन में रखे। मैं जाती तौर पर इस बात का मानने वाला हूं कि गोवध के प्रश्न में चार तरीके से सोचा जा सकता है। एक तो तरीका पोलीटिकल, दूसरा इकोनामिक, तीसरा रिलिजस और चौथा तरीका वास्तविक हैसियत के एतबार का है, यह बात सोचने में। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि चाहे पोलीटिकल दृष्टिकोण हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण हो, या मजहबी दृष्टिकोण है, इस विषय में देश भर में विचारों में विभिन्नता है। अगर हकीकत प्रसंदी से इस बात को देखा जाय और सोचा जाय तो यह विधेयक सामने है और जो अमेंडमेंट आया है, कानून इसलिये बनता है कि कानून को माना जाय। उसमें दण्ड का क्लाज इसलिये रखा जाता है कि जो न माने उसको दंडित किया जाय।

इस मसले में चाहे आर्थिक दृष्टि से या मजहबी दृष्टि से सोचें मैं इस बात को यकीनी तौर से कहना चाहता हूं कि गाय की रक्षा करना हो चाहे आर्थिक या मजहबी नुकतये नजर से हो, यह बात ठीक नहीं है कि जवानी के अन्दर गाय जब दूध देगी तो उसको अपने खूटें पर रखेंगे और जब दूध देना बन्द कर देगी तो वह सड़क पर घूमें। यह चल नहीं सकती। अगर मां और बाप से आराम हासिल करना है, अगर वह अपाहिज हो जायं तो सड़क पर बाहर भेज देंगे, तो कानून बनाकर सड़क से बाहर फेंकने से रोका नहीं जा सकता। यह जो कानून बना है, इससे जो गायें बाहर जाती हैं उनके रोकने में मदद मिलेगी। मैं यह मानता हूं कि गलत सर्टीफिकेट दे दिया जाय, फीस के आधार पर दूसरे सूबों के अन्दर ले जायं और उनके किल करने की कोई बात हो तो मैं इस पासिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता। मैं यह भी मानता हूं कि यह विधेयक पूर्ण है, जिसके बारे में जिक्र किया गया है वह तमाम कमियां दूर हो जायेंगी लेकिन उस डाइ-रेक्शन में यह एक कदम है। क्योंकि जो ट्रक या रेल द्वारा मवेशी ले जाते थे उन पर कोई रोक नहीं थी लेकिन अब यह रुकावट की गयी है कि मवेशी बाहर ले जाने से पहले उनका इंस्पेक्शन होगा और कोशिश की जायगी कि जो मवेशी दूध देने वाला होगा वह न जाय, इसलिये यह संशोधन लाया गया है। मान्यवर, जो राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का ख्याल है उससे मैं इत्तिफाक रखता हूं और इसके अन्दर जो उनकी भावनायें हैं वह मौजूद हैं कि जो मवेशी दूध देने वाला होगा उसको बाहर जाने का सर्टिफिकेट नहीं दिया जायगा। इसके अलावा अन्य साथियों की जो बातें हमन सुना उससे ज्ञान बढ़ा है और मालूम हुआ कि उसमें कुछ बातें पोलिटिकल है, कुछ साथियों ने इकोनामिक बताया और कुछ ने रिलीजस ढंग से सोचा।

लेकिन हमारे विरोध पक्ष के लीडर श्री गुलाब सेहरा की तकरीर मेरी समझ में नहीं आयी, मैं उनकी बात से यह नहीं समझ पाया कि वह गोवध के खिलाफ बोल रहे हैं या उसके पक्ष में। यह विधेयक 1955 में उन्हीं की सरकार द्वारा बनाया गया था, इसलिये उनको स्पष्ट कहना चाहिये था कि काऊ सलाटर के बारे में उनके क्या विचार हैं। यदि इसको वह साफ नहीं करते हो यह कहा जा सकता है कि यह पोलिटिकल बात हो सकती है,। इसलिये मान्यवर, सदन से मेरी गुजारिश है कि इसमें कोई बारीक बात नहीं है, इसमें कुछ कमियों की बात है जिनको सुधारा जायेगा जिसके लिये यह संशोधन आया है। इसलिये आशा है कि इसको सर्वसम्मति से माननीय सदन पास करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

नेगी जी, क्या आप इसको वापस ले रहे हैं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1979, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अगले सत्र के प्रथम दिवस तक अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1979 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, खंड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1979

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1956 में नई धारा 5-क का बढ़ाया जाना।

2—उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

गाय आदि के परिवहन का विनियमन

"5-क—(1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान को, सिवाय राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित आदेश से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र के, और सिवाय ऐसी अनुज्ञा-पत्र के निबन्धन और शर्तों के अनुसार, किसी गाय, सांड़ या बैल का जिसका उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर वध किया जाना इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, न तो परिवहन करेगा, न परिवहन करने के लिये प्रस्तुत करेगा और न परिवहन करायेगा।

(2) ऐसा अधिकारी प्रत्येक गाय, सांड़ या बैल के लिये पांच रुपये से अनधिक ऐसा शुल्क जिसे नियत किया जाय, देने पर अनुज्ञा-पत्र जारी करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगा यदि गाय, सांड़ या बैल परिवहन अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट छ मास से अनधिक अवधि के लिए हो।

(3) यदि अनुज्ञा-पत्र पर सीमित अवधि के लिए गाय, सांड़ या बैल का परिवहन करने वाला व्यक्ति अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी गाय, सांड़ या बैल को राज्य में वापस न लाये तो यह समझा जायगा कि उसने उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

(4) अनुज्ञा-पत्र का प्रारूप, उसके लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप और ऐसे आवेदन-पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी नियत की जाय।

(5) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष अधिसूचित आदेश से प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस धारा के अधीन की गयी कार्यवाही की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ, किसी समय, किसी मामले के अभिलेख को मंगा सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है और ऐसा आदेश उस पर दे सकता है जैसा वह उचित समझे।"

धारा 8 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (2) में, शब्द "प्रस्तुत न करें" के पश्चात् शब्द और अंक "या धारा 5—क की उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करें" रख दिये जायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा 5—क (1) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय :—

"स्पष्टीकरण—प्राधिकृत अधिकारी ऐसा अनुज्ञा-पत्र तभी जारी करेगा जब उसे इस बात का पूर्ण समाधान हो जाय कि इस प्रकार प्रदेश के बाहर किसी गाय, सांड़ या बैल को ले जाने के बाद किसी भी दशा में उसका बध नहीं किया जायगा।"

श्री अब्दुल हलीम खां—

मान्यवर, इस संबंध में मुझे जो कहना था वह कह दिया इसलिये अब निवेदन है कि राजेन्द्र कुमार गुप्त जी इसको वापस ले लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो अभी भाषण दिया था उस समय उन्होंने आश्वासन दिया कि जो प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जायेगा, जो शर्तें बनायी जायेंगी वह शर्तें बनाते समय इन भावनाओं को प्रविष्ट कर दिया जायेगा, इस आश्वासन की वजह से मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को अपना संशोधन वापस करने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, खंड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अब्दुल हलीम खां—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1979 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री बर्क, आप दो मिनट में अपनी बात कह लें, ज्यादा समय न लें।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं तो गोवध के सिलसिले में इतना ही अर्ज करना चाहूंगा कि इस देश के अन्दर हमारे हिन्दू भाई धार्मिक एतबार से उसको माता मानते हैं। ठीक है वह इनका मजहबी मामला है। उससे हमें कोई सरोकार नहीं है लेकिन जहां तक इस देश में गोरक्षा के सिलसिले में मुसलमानों का तालुक है, मुसलमान गाय का गोस्त खाते हैं लेकिन अगर यहां गाय नहीं कटेगी तो मुसलमानों के लिये इसका आल्टरनेटिव मौजूद है। वे कभी इस बात की जिद नहीं करते कि गाय यहां पर जिबाह हो। अगर आप इस पर कोई पाबन्दी लगाते हैं या कन्ट्रोल कर सकते हैं तो हमें इससे कोई एतराज नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि मुसलमान से ज्यादा गोश्त इस वक्त हिन्दू भाई खाते हैं और उन्होंने इस देश के अन्दर गोश्त को मंहगा कर दिया है। गोश्त का दूसरा आल्टरनेटिव भी मौजूद है, यानी भैंस, बकरा, मुर्गा मिल जाता है....

श्री उपाध्यक्ष—

इससे यहां क्या मतलब है? अब आप समाप्त करिये।

श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, यह एक ऐसा मामला है जिसके लिये मैं आपके माध्यम से श्री बर्क से कहूंगा कि वे इस पर अधिक न बोलें, तो अच्छा होगा।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मैं तो यह अर्ज कर रहा हूं कि जहां तक गोरक्षा का सवाल है, जो भी उनका नजरिया हो सकता है, मुझे उससे कोई इक्तलाफ नहीं है। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि अगर गोरक्षा की जाती है तो जैसे उसकी खाल का सवाल है, उसका जूता पहना जाता है, अगर किसी चीज का एहतराम करना है तो आपको उसकी हर चीज का एहतराम करना चाहिए।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, यह बिल राजनीतिक और धार्मिक प्रेरणा से लैस है। मैं आपके माध्यम से एक चीज सदन को बता देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने भी इस विषय का बड़ा कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था, पूरी तरह गोहत्या बन्द करने का विरोध सिर्फ इस राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों ने ही नहीं किया बल्कि खुद महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया। सन् 1947 के 31 अगस्त को उन्होंने गोहत्या का कानून बनाने का प्रबल विरोध किया था। जवाहरलाल नेहरू भी गोहत्या के मामले में मुखर थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री फजलुल वारी (जिला गोन्डा)—

मान्यवर, आपने मुझे दो मिनट का समय देने का वायदा किया था, उपाध्यक्ष जी, यह जो विधेयक माननीय मंत्री जी लायें है उस विधेयक के सिलसिले में इतनी बात कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से और हमारे माननीय सदस्यों से जिन्होंने अभी यहां पर अपने विचार प्रकट किये हैं कि उन्हें साफ-साफ यह कहना चाहिये था कि राजनीतिक तथा धार्मिक आधार पर हमें यह विधेयक लाना है तो बात ठीक थी लेकिन यहां पर इकानामिक्स लाई गई। और जब इकानामिक्स लाई गई तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि एक मामूली पढ़ा लिखा भी इकानामिक्स की बात जानता है "ला आफ डिमीनिशिग रिटर्न"। एक बड़ा अहम् प्रिन्सपिल है। अगर किसी चीज की डिमीनिशिग वैल्यू नहीं होगी तो वह धीरे-धीरे खत्म हो जायेगी। मान्यवर, यही हालत हमारे देश में जानवरों की हो रही है। अभी कुछ लोगों ने कहा कि दूध देने वाले जानवर काट दिये जाते हैं।

मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि डेनमार्क, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैन्ड, यहां के जो दूध देने वाले जानवर हैं जाने माने, मैं यह देख चुका हूं जब मिडिल ईष्ट में था, वहां के जानवरों का गोश्त आया करता था। जो गाय या भैंस दूध देने वाली है अगर 10 लीटर एक वक्त दूध देती है तो एक दिन में 20 लीटर दूध हुआ और एक महीनें में लगभग 1200 रुपये की आमदनी उससे हुई। जो जानवर 1200 रुपये की आमदनी देगा तो कोई बेवकूफ होगा जो उसे कटवा देगा। साफ तौर से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि वह साफ-साफ कहें कि राजनीतिक तथा धार्मिक भावनाओं को शान्ति पहुंचाने के लिये यह विधेयक लाया गया है तो मैं इसका समर्थन करता हूं। इसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में मुसलमान भी रहते हैं और मुसलमानों को भी जानवरों से नफरत है। उसके पालने, उसके काटने, उसके लाने, ले जाने, पर पाबन्दी (व्यवधान) वह है सुअर।

(पशुधन.....मंत्री को पुकारे जाने पर)

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मान्वर, बोलने दें! यह गोवध का प्रश्न हिन्दू मुसलमान का प्रश्न नहीं है, न यह हिन्दू भावना से जुड़ा है और न मुसलमान भावना से, यह राष्ट्रीय प्रश्न है और राष्ट्रीय प्रश्न पर विचार करते वक्त सारे देश राष्ट्र और समाज का ध्यान रखना पड़ता है।

मान्यवर, मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी, जय प्रकाश जी, डा0 लोहिया, आचार्य कृपालानी, विनोवा भावे या और उनसे पुराने जितने भी महर्षि हुये उन्होंने कहा कि गोवध में गौ का प्रश्न है। वह उपयोगी है। मैं समझता हूं कि उसका बछड़ा काम आता है, उसका दूध काम आता है और उसका मूत्र भी काम आता है। आयुर्वेदिक दवाईयां में कम से कम 55 प्रकार की उससे बनायी जाती है। हर चीज जो काम आती है। यह हिन्दू मुसलमान का सवाल नहीं है। राष्ट्रीयता का सवाल है। राष्ट्रीय प्रश्न पर ज्यादा वहस की जरूरत नहीं है। गोवध सारे देश, प्रदेश, जिला, गांव में बिलकुल एक कलम से बन्द होना चाहिये। इस तरह का कानून सरकार को पास करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि इस प्रश्न को इसी दृष्टिकोण से लें तो मैं समझता हूं कि सारी बात साफ हो जायगी।

(श्री छोटेलाल, और श्री मुख्तार अनीस के खड़े होने पर तथा पशुधन मंत्री को बुलाने और उनके खड़े न होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप नहीं बोलना चाहते हैं । अब मैं प्रश्न ले रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक 1979 ...

श्री छोटे लाल (जिला फतेहपुर)—

डा० लोहिया ने नहीं कहा था ...

श्री उपाध्यक्ष—

जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पंचवर्षीय योजना 1978-83 तथा वार्षिक योजना 1979-80 के प्रारूप पर चर्चा (क्रमागत) †

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर चर्चा करने हेतु जो समय मान्यवर् आपने दिया उसके लिये मैं आभारी हूं । विपक्ष के नेता माननीय नारायण दत्त जी को मैंने ध्यानपूर्वक सुना है । मान्यवर, योजनाओं के प्रारूप हमारे देश में इसलिये आवश्यक है कि 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं और घोर गरीबी में जीवन यापन करते है । उनके स्तर को ऊचां उठाने के लिये योजनाओं का प्रारूप तद्नुसार बनाने की आवश्यकता है । 5 जो योजनायें बन चुकी हैं या उनके द्वारा औसत गरीबी की हालत सुधारने में हमें कोई सफलता मिली है या गरीबी की रेखा को बढ़ाने में सफलता मिली है या बड़े आदमियों की जेब में और पैसा डालने के लिये इन योजनाओं द्वारा लाभ हुआ है । इन पहलुओं पर हमें गम्भीरता से विचार करना होगा ।

(इस समय 1 बजकर 56 मिनट पर अभिष्ठाता श्री शम्भूनाथ पीठासीन हुए)

गत योजनाओं को देखने से पता चलता है कि उनमें खेती की पैदावार करने वाले प्रति व्यक्ति की आमदनी जो हाथ से मेहनत करते हैं उनकी प्रति व्यक्ति औसत आमदनी घटी है और उन लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ है जो बड़े-बड़े उद्योग पति हैं जिनके कल कारखाने लगे हुए हैं । हमें यह देखना होगा कि इस पंचवर्षीय योजना के प्रारूप से क्या गरीबी की रेखा से नीचे पड़े हुए लोगों को उठाने के लिये कोई संकल्प प्रस्तुत किया गया है कि नहीं । इसके दो रूप हैं । पहली है खेती योग्य भूमि और भूमि ऐसी लचीली वस्तु नही है जिसका आकार बढ़ाया जा सके । जमीन पर आबादी का धनत्व बढ़ता जा रहा है । निर्माण कार्य होने से भी खेती योग्य जमीन कम होती जा रही है । देश में 80 फीसदी लोग खेती पर निर्भर करते हैं, उनमें बहुत गरीबी है । आवश्यकता इस बात की होती है कि हम भूमि का किस तरह से नियोजन करें जिससे इस देश में खेतिहर लोग तरक्की कर सकें भूमि हम बढ़ा नहीं सकते । इसके लिये जरूरत इस बात की है कि अपने देश में हम सघन खेती करें और ऐसी फसलें पैदा हों जो दोहरी हों ।

जो प्रारूप हमें देखने को मिला उसमें जो प्रगति के आंकड़े दिये हुए हैं उनको देखने से पता चलता है कि दोहरी फसल करने वाली खेती में वृद्धि नहीं हुई है बल्कि जो प्रतिशत मिला है वह घटता ही चला गया है । मेरा नियोजकों से निवेदन है कि वह सघन खेती तथा दोहरी फसल वाली खेती की ओर ध्यान दें । इस मद के लिये अधिक से अधिक रुपया उनको देना चाहियें । भूमि सम्बन्धी एक मामला और है।

---

†दिनांक 13 जून, 1979 की कार्यवाही से ।

भूमि कटती जा रही है, भूस्खलन हो रहा है । नदियों के इलाके में भूमि का कटान हो रहा है । आगरा में, जमुना, चम्बल तथा उटगंन में भुमि का बड़ा कटाव हो रहा है और आगरा की इन तीनों नदियों का क्षेत्र सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। इसके लिये धिक रुपया प्रदान किया जाय जिससे उस क्षेत्र का पिछड़ा पन दूर हो, भूमि का कटाव कम हो । वाह तहसील, फतेहाबाद तहसील और फिरोजाबाद तहसील को ओर चलिये, वहां भुमि का कटाव हो रहा है । यह भूमि की हालत है ।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि वाह, खैरागढ़, आगरा, सिरवली, एतमादपुर आदि तहसीलों में जो भूमि का कटाव हो रहा है उसके लिये आप योजना बनावें और उनका नाम जमुना चम्बल विकास प्राधिकरण रखें । तभी भूमि का कटाव रोका जा सकता है और पिछड़ा हुआ इलाका उठाया जा सकता है ।

मान्यवर इसके साथ ही साथ मैं प्लानिंग के प्रारूप पर दो बाते रख देना चाहता हूं । हमने पुस्तकों में पढ़ा था कि नियोजन का मतलब यह है कि प्रत्येक ग्राम को एक इकाई माना जायेगा और यहां पर माइक्रो प्लानिंग होगा लेकिन मैं समझता हूं कि यह केवल प्रचार तक ही सीमित रहा । कभी भी यहां पर माइक्रो प्लानिगं नहीं हुई । मैं कहता हूं कि जब तक आपने एक गांव को इकाई नहीं माना तब तक उसका विकास सम्भव नहीं है और न तब तक कोई सुधार ही हो सकता है । इसलिये आवश्यक है कि ग्राम्य विकास के अन्तर्गत, क्षेत्रीय विकास के के अन्तर्गत जो योजनायें बनी हैं, एक गांव को इकाई मान कर उसके सारे प्रारूपों का अध्ययन करने के बाद उसकों विकसित करें । तभी आप की सही माने में प्लानिंग हो सकेगी ।

एक हास्यास्पद स्थिति हमारे सामने यह आयी है कि विमुक्त जाति, जन जाति, पिछड़ी जाति के नाम पर जो सहायता हम देते हैं, जो सहायता पिछले 5 प्लानों में इन्हें दी है उससे हमें कोई खास प्रगति नहीं दिखाई दी । कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया । जब आप किसी काम के लिये किसी योजना पर पैसा लगातें हैं, अनुदान देते हैं तो निश्चित रूप से उसमें गड़बड़ी होती है । आपके अधिकारी अनुदान का 50 प्रतिशत पैसा खा जाते हैं । करोड़ों रुपयों की योजना होती है और केवल 25/30 प्रतिशत ही उस योजना पर लग पाता है बाकी सब अधिकारियों की जेब में चला जाता है । इसके लिये आप को प्रभावी कदम उठाने चाहिये अन्त्योदय के जरिये जो पैसा आपने गरीबों को दिया है, निर्बल वर्ग का दिया है भैंस खरीदने के लिये, गधे खरीदने के लिये दिया उसके सम्बन्ध में बहु भ्रष्टाचार है ।

उस किसान या गरीब आदमी तक पहुंचते-पहुंचते 1 हजार की भैंस की कीमत ढाई हजार हो जाती है । इस तरह से अन्त्योदय के माध्यम से जो धनराशि आप गरीबों को देना चाहते हैं, वह उसके पास न जाकर अधिकारियों की जेबों में जा रही है । इसको रोकने के लिये हमें क्रान्तिकारी कदम उठाने पड़ेगें ताकि वह पूरी सहायता सही आदमी के पास पहुच सके ।

इसके अतिरिक्त सिंचाई और ग्राम्य विकास ये दोनो ऐसे विभाग है जिस पर कोई रूपरेखा देखने को नहीं मिली है । इसके लिये हमें कारगर उपाय सोचने पड़ेंगे कि किस तरह से खेती को उपयोगी बनाया जा सके । हमारे प्रदेश मे जितना सिंचित क्षेत्र है वह केवल 40 प्रतिशत है जब कि पंजाब में 78 प्रतिशत और हरियाणा में 50 प्रतिशत है । इसको बढ़ाना चाहिये । दूसरी सिंचन शक्ति बढ़ाने के लिये हम दोहरी फसल ले सकते हैं यदि सही मानों में हमें देश को उठाना है, इस देश की तरक्की करनी है तो जो गरीबी की लाइन से नीचे के लोग है उनका स्तर उठाना होगा और उनके ऊपर ध्यान देना होगा । मुझे यह देखने को मिला है कि शहर में रहने वाले लोग, जिनकी इनकम एक महिने में एक हजार है या दो हजार है उनको गृह निर्माण के लिये सरकार से सहायता मिलती है और बैंकों से ऋण भी मिलता है । लेकिन जो सीमांत और लघु कृषक है उनके लिये न कोई ऋण की

[श्री रघुवर दयाल वर्मा]

व्यवस्था है और न ऐसी कोई योजना सरकार के पास है जिससे उनके मकान बन सकें। इस-लिये मैं निवेदन करूंगा कि देहातों में लघु और सीमात कृषकों के गृह निर्माण के लिये हमारी इस पंचवर्षीय योजना में कोई धनराशि हो ताकि उनके अपने मकान पक्के हो सकें।

श्री अधिष्ठाता—

श्री मोहन सिंह (देवरिया), जरा समय का ध्यान रखियेगा।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

मान्यवर, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के ऊपर हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं। मैं यह विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस पंचशाला योजना में प्राथमिकता तय करते समय कुछ खास मुद्दों पर विशेष बल दिया गया है जो मेरी समझ में अनावश्यक है। आज इसमें 52.5 प्रतिशत सिचाई और विद्युत पर, 16.15 प्रतिशत कृषि पर, 7.93 प्रतिशत उद्योगों पर प्राविधान किया गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कृषि कि जो प्रगति है उत्तर प्रदेश में इसमें सर्वाधिक लोग यानि 78 फीसदी लोग कृषि में लगे हुए हैं। कृषि में इतना बड़ा बोझ होने का एक मात्र करण यह है कि यहां उद्योग संबंधी रोजगार नहीं है। इस समय कृषि के लिये जो भी सुविधायें आपने दी हैं उनका फायदा बड़े काश्तकार ले रहे है। भूमिधारण संबंधी कानून में मौलिक परिवर्तन किये बिना छोटे काश्तकार को उसका लाभ नहीं हो सकता है। इसलिये कृषि संबंधी कानून का सारा लाभ कुलक, बड़े-बड़े काश्तकार लिये जा रहे हैं। उनको ही इनका लाभ अभी तक चला गया है। जो सामान्य कृषि मजदूर है उसकी आर्थिक हालत में इजाफा नहीं हुआ है।

विद्युत् और सिचाई पर जोर पूंजीनिवेश पर जो दिया है वह भी कृषि पर आता है, जो कि आज बढ़ता चला जाता है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो खेती की तरक्की हुई है, अधिक पूंजी निवेश करने से कोई अधिक फायदा अब होने वाला नहीं है। क्योंकि कृषि अपने सैचुरेशन प्वाइंट पर पहुंच गई है। इसलिये उद्योगों के ऊपर कृषि से अधिक पूंजीविनेश करना चाहिये और कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश थोड़ी कमी करके उद्योगों के क्षेत्र में इसे मोड़ना चाहिये। मुझको इस बात का अफसोस है कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने नारा तो जरूर दिया कि मध्यम और निम्न श्रेणी के उद्योगों को प्राथमिकता देंगें, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देंगे। इसके नाम पर बड़े उद्योगों का एक तरफ असर कम किया जा रहा है। जनता पार्टी के घोषणा पत्र में यह कहा गया कि जिन क्षेत्रों में बड़े उद्योगों में आसानी होगी उन्हीं क्षेत्रों में बड़े उद्योग लगाये जायेंगे लेकिन इसके माने यह नहीं है कि बड़े उद्योग उत्तर प्रदेश में लगे ही नहीं।

मेरी केन्द्रीय सरकार से यह शिकायत है, खासकर उद्योग मंत्रालय से कि हमें कोई बड़े उद्योग नहीं मिले। पहले कहा जाता था कि बड़े उद्योग हमारे यहां इसलिये नहीं लगते हैं कि चूंकि केन्द्र में हमारी राजनीतिक शक्ति है इसलिये उद्योगों की तरक्की का अवसर नहीं उपलब्ध होता लेकिन आज हमारे हाथ से राजनीतिक शक्ति भी दूसरे प्रान्तों में चली गई और बड़ उद्योगों में भी पिछड़े रह गये हैं। पिछड़े दो वर्षों में भी उत्तर प्रदेश को इस संबंध में कुछ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में एक कालीन प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया और छोटे उद्योग थोड़े बहुत जिलों में दिये गये लेकिन कोई बड़ा उद्योग केन्द्र सरकार ने नहीं दिया। मेरा निवदन है कि इस पंचशाला में स्वयं अपने संसाधनों से बड़े उद्योगों का कुछ प्राविधान करना चाहिये। जैसे ट्रैक्टर के कारखाने का 15 करोड़ की लागत से आपने

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहो किया।

प्रतापगढ़ में खोलने का प्राविधान किया है। गोरखपुर क्षेत्र में हैवी इंजीनियरिंग का कारखाना खोला जा सकता है। जनता पार्टी की यह घोषित नीति है कि जहां कहीं भी आर्थिक केन्द्रीकरण होगा उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे वह चाहे निजी हाथों में हो या दूसर क्षेत्रों में।

पिछले 30 सालों में कुछ खास इलाकों का औद्योगीकरण हो गया। मेरी यह शिकायत है कि यह जो नियोजन की रूप रेखा प्रस्तुत की गई है उसमें कुछ कम्प्लैक्स बनाये गये हैं कुछ औद्योगिक आस्थान बनाये गये हैं और 4 सौ करोड़ रुपया इस वर्ष आप व्यय भी करने जा रहे हैं और वह सारा व्यय दिल्ली के आस पास होने वाला है। उसके आस पास के 5-6 जिलों को औद्योगिक प्रगति का अधिकांश और सारा हिस्सा मिला हुआ है और इसके द्वारा आगे और मिलने वाला है। यदि इन्हीं 4–5 जिलों में पूंजी निवेश होता रहा, जिनमें पहले से औद्योगिक तरक्की है जिसके चलते पश्चिमी जिलों की आमदनी पूर्वी जिलों से दो-ढाई गुना अधिक है, तो आर्थिक असंतुलन जो क्षेत्रीय स्तर पर है वह टूटने वाला नहीं है, निरन्तर विषमता की खाई बढ़ती रहेगी। इसलिये पूर्वी और मध्य इलाकों में भी औद्योगिक स्थानों के लिये बल दिया जाना चाहिये और पूंजी निवेश किया जाना चाहिये।

आपका एक एलेक्ट्रिक कारपोरेशन है और एक विदेश निर्यात का भी कारपोरेशन है, लेकिन उसका केवल एक केन्द्र कानपुर में है और भदोही, वाराणसी में भी एक सेन्टर आपने खोला है। हमने 100 कालीन प्रशिक्षण केन्द्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में खोले हैं और कुछ हैण्डीक्राफ्ट बोर्ड की ओर से और कुछ कारपोरेशन की ओर से और कुछ उद्योग मंत्रालय की ओर से हैं। लेकिन जैसा बनारस या कानपुर में है उसी प्रकार का एक केन्द्र या कार्यालय गोरखपुर मंडल में भी खोलना चाहिये। अब आप विद्युत क्षमता का विस्तार करना चाहते हैं, उसके अनुसार जितने जूनियर इंजीनियर की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करने में आप समर्थ ह। इस क्षेत्र में आप क्या करने जा रहे हैं, उसकी रुपरेखा प्रस्तावित दस्तावेज में हमें दखने को नहीं मिली है।

वृहद् सिंचाई योजनाओं का लाभ भी जनता को पूरा-पूरा नहीं पहुंच सका है और जो तीन बड़ी-बड़ी आपकी परियोजनायें हैं, उनमें जो प्लानिंग आप करते हैं, वह भी फलदायी नही है। इसके सिंचाई विस्तार का कार्य तो एक समादेशक करता है और कितनी सिंचाई क्षमता है, वह इंजीनियर के हाथ में है तो इनमें एक रुपता समुचित सामजस्य होना चाहिये। हमारी अन्त्योदय की योजना है, उसके बारे में मेरी विमति है। यह अन्तिम आदमी का उद्धार करने के बजाय, उसको और अन्तिम बनाये रखने में सहयोगी बन रही है। लोकल प्लानिंग का 15 करोड़ रुपया पिछले वर्ष के बजट में था और 20 करोड़ रुपया इस बजट में रखा है। आप इस 35 करोड़ के आंकड़ें सारे जिलों से मंगा लें, उसका कोई उपयोग नही हुआ है। इसको आप को लोकल प्लानिंग में ही जोड़ना चाहिये और जितने भी नये उद्योग कायम करायें, उसको सहकारी क्षेत्र में कायम किया जाय और उस सहकारी औद्योगिक संस्थाओं का सदस्य उस अन्तिम आदमी को बना दिया जाय और उसकी तरक्की में उसे भागीदार बनायें।

बहुत सारे क्षेत्र में आपने तमाम कारपोरेशंस बना दिये हैं। लेकिन हमारी सम्मति है, सड़कों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश निरन्तर पिछड़ा होता जा रहा है। आपने उसक लिये तमाम योजनायें बनाई हैं। ये योजनायें तमाम विभागों द्वारा कार्यान्वित होती हैं, जिससे उनका समन्वय नहीं हो पाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि एक रोड कारपोरेशन उत्तर प्रदेश में बनना चाहिये, और जितनी भी सड़कें विभिन्न विभागों की हैं, उन सबको इसकी मातहती में रखा जाना चाहिये इनका रखरखाव 5 साल में त्वरित योजना बनाकर करना चाहिये।

[श्री मोहन सिंह]

आपने सम्पूर्ण रूप से एक पेयजल योजना की बात कही है। उसके लिये जितने धन की अपेक्षा है, उसका पूरा प्राविधान अपने संसाधन के जरिये आप करने में असमर्थ हैं। अक्षम हैं। मेरा सुझाव है कि आपने इस योजना को जो जल निगम में रखा है, उसको सिंचाई विभाग में रखा जाए और सिंचाई विभाग में जो नलकूप हैं, उनसे उनके साथ पेयजल की व्यवस्था को भी जोड़ने का प्रबन्ध किया जाय। सीमित पूंजी पर बहुत सारे उद्योगों को बड़ी आसानी से बनाने का काम किया जा सकता है। इन दो चीजों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अन्त्योदय योजना पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और उद्योग धन्धों के ऊपर हमें विशेष बल देना चाहिये और अपनी प्राथमिकता क्रय करनी चाहिये जिससे औद्योगिक प्रगति हो।

*श्री छोटेलाल—

मान्यवर, छठवीं पंचसाली योजना का प्रारूप सदन के सामने प्रस्तुत है। मेरी नजर पंचायतों की तरफ गयी। पांचवी पंचसाला योजना में जबकि पंचायतों के प्रारूप सीमित कार्यक्रम थे, तब 76 लाख पंचसाला योजना में खर्च का प्राविधान था। लेकिन छठवीं पंचसाला योजना में तमाम कार्यक्रम हैं। ऐसे गांवों से आप सब सदस्य आत हैं या उनको लिखा है, एक महिला को एक किलोमीटर टट्टी क लिये जाना पड़ता है, उसमें पंचायतों क माध्यमसे छठीं पंचसाला योजना में गांव में पी० आर० ए० आई० टाइप टट्टियां बन न का प्राविधान हो रहा है। साढ़े आठ हजार न्याय पंचायतों के भवन का कार्यक्रम भी मैंन देखा। एक साल में, पंचायत के जितने भी कर्मचारी हैं, डाइरेक्टर से लेकर, गांव के सचिव तक, करीब पांच करोड़ रुपया वेतन में ले लेते हैं। इस पांच साल में 25 करोड़ का वेतन हो गया और 26 लाख की योजना बनी। यह जो कर्मचारियों की फौज है, 25 करोड़ तो उसको वेतन ही दे देते हैं जबकि पंचायतों के प्रशिक्षण का प्राविधान अलग है। तो 26 लाख में क्या-क्या काम हो सकता है।

माननीय मोहन सिंह ने बात सही कही। गांव के लोग खती बारी से खा पी सकते हैं लकिन उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है, वे धनवान नहीं हो सकते हैं। इसलिय उनको कुटीर उद्योगों में लगाना चाहिये। जो पंचायतों के माध्यम से उद्योग तजी से कर रहें हैं, उनके भवन बन जाने चाहिये। मान्यवर इस तरह का पहले भी सुझाव आया था। पहले भी यह मांग की गयी थी, 26–27 करोड़ पूरा लग जा। तो गांव की साढ़े आठ हजार न्याय पंचायतों में भवन बन जाते, जो बहुत जरूरी है, दो दृष्टिकोणों से। ग्राम सेवक और पंचायत सक्रटरी का बस्ती उनका पूरा आफिस उनके झोले में रहता है। वह भी हमारी इकाई सरकार है। अगर हम लोग सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की बात करते हैं, इक ई सरकार का कार्यालय तक न हो तो इकाई सरकार कैसे चलैगी, कैसे गांव के लोगों की तरक्की होगी ?

इसलिये मैंने हिसाब लगाया, अगर 20–25 करोड़ रुपया रख दें, तो मुश्किल से तीन, साढ़े तीन साल में भवनों का निर्माण हो सकता है। वह बहुत जरूरी है क्योंकि गांवों के लोगों को अगर अखबार पढ़ने की सुविधा नहीं होगी, सूचना संबंधी चीज नहीं हो पायेंगी, न्याय पंचायत के स्तर पर टेलिविजन वगैरह की व्यवस्था हो, तो गांव वालों की सीखने का मौका ज्यादा मिलेगा। आज तक जाति बिराबरी को झगड़ा चल रहा है। जो समाज में द्वेष पैदा हो रहा है, अगर एक जगह बैठेंगे तो मेरा ख्याल है तो बहुत कुछ आपस की विभिन्नता जो मानव मानव कें बीच होती जा रही है, उस खायी की पाटने का काम उन न्याय पंचायतों के मुख्यालयों से दूर किया जा सकता है। हम लोग गांव का नाम जरूर लेते हैं। लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजना जो बनायी जाती है, उस में कोई पैसा नहीं रखा जाता है। योजना का जो नया प्रारूप आने वाला है उसमें क्या करेंगे। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि उसमें पंचायत विभाग को समाप्त ही कर दिया जाना चाहिए क्योंकि नाममात्र पैसा देने से काम चलन वाला नहीं है। पहले 76 लाख रुपया इसक लिय दिया गया परन्तु इस योजना में कवल 26 लाख रुपया पंचायत विभाग को दिया जा रहा है। एक ओर तो आप सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं और प्रक्रिया जो आपकी है वह केन्द्रीयकरण की है। जब कोई कार्यक्रम नहीं रहगा और न वित्तीय सहायता दी जायगी तो वह कवल एक रश्मि इकाई बन कर रह जायगी। गांव के लोगों की जिन्दगी को ठीक बनाना है तो वहां पर आने जाने के लिये सड़कों का निर्माण होना चाहिये। ब्लाकों के भवन नहीं हैं, और वहां पर रहने के लिए कोई मकानों की व्यवस्था नहीं है। इन 26 लाख रुपयों में क्या होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर दुबारा सोच और इस रुपये को अधिक करें ताकि गांवों का विकास हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मैं माननीय श्यामधर मिश्र जी का बहुत आभारी हूं कि उन्हीं के प्रयास से आज हम लोगों को छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विचार-विमर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं माननीय सदन क माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूं और सरकार से अपेक्षा करूंगा कि वह उन पर गौर करे। मान्यवर यह तो फारमैलिटी है। मैं कुछ कह नहीं सकता हूं कि मेरे सुझावों का सरकार पर कितना असर होगा। कुछ रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं जिससे इस प्रदेश की स्थिति ठीक हो सके। जितनी भी योजनायें चली हैं अगर उनका ठीक प्रकार से विवेचन किया जाये और उनका विश्लेषण किया जाये तो यह देखना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी है। सम्पूर्ण योजनाकाल में 1951 में हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 260 रुपये थी और पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय 248 रुपये थी, जो देश की प्रति व्यक्ति आय से 5 प्रतिशत अधिक थी। जो प्रति व्यक्ति आय देश में थी उससे 5 प्रतिशत अधिक प्रति व्यक्ति आय हमारे प्रदेश की थी। और इसी बुनियाद पर हम काम शुरू करते हैं।

पहली योजना 1952 में बनी। 198 करोड़ हमारे प्रदेश में व्यय किया गया योजनाओं में और आते-आते 1960–61 में प्रति व्यक्ति आय 246 रुपये हमारे प्रदेश की रह गयी और पूरे देश की 306 रुपये प्रति व्यक्ति हो गयी अर्थात् हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 24 प्रतिशत देश की प्रति व्यक्ति आय से कम हो गयी। 1965–66 में हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 364 रुपये और पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय 426 रुपये हो गयी। मान्यवर, 1970–71 में हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 523 रुपये और पूरे देश की 633 रु0 हो गयी। हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से 21 प्रतिशत कम रही। श्रीमन् इसी प्रकार से 1975–76 में जो आंकड़े मिले हैं उसके हिसाब से हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 781 रुपय और पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय 1,005 रुपये हो गयी यानी 29 प्रतिशत हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश से कम रही। हमारे प्रदेश की आर्थिक विकास की दर 74–75 में 109 प्रतिशत है और भारत की जो विकास की दर है (मास इनकम) उसकी 3 प्रतिशत है और प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोत्तरी जो हमारे प्रदेश में हुई वह 0.7 प्रतिशत जब कि भारत की 2.1 प्रतिशत है। हमारे देश में 58 जिले सबसे पिछड़े जिले हैं जिनमें 22 पिछड़े जिले हमारे प्रदेश में हैं जिनमें प्रति व्यक्ति आय 129 रुपये प्रति वर्ष और 22

[श्री देव बहादुर सिंह]

पैसे प्रतिदिन है । असली विकास हमारे प्रदेश का तभी होगा जब 27 पैसे प्रतिदिन आय वाले लोगों की आमदनी को आप बढ़ा देंगे । जो लोग इस समय गरीबी की रेखा के नीचे हैं जब तक उनकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोत्तरी नहीं करते हैं, उनकी प्रगति नहीं करते हैं, उनको समान नहीं करते हैं, उनकों उनकी आवश्यकता की चीजें नहीं देते है तब तक हमारा प्रदेश सबसे पिछड़ा रहेगा । इसका एक कारण जनसंख्या में वृद्धि भी है । इस जनता पार्टी की सरकार को जनसंख्या में वृद्धि रोकने में एलर्जी है । कल भी हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जनसंख्या के बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया ।

मान्यवर आज हमारी स्थिति क्या है ? पूरे देश में प्रत्येक वर्ष में एक आस्ट्रेलिया की जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है । आज 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हमारे प्रदेश में हो जाती है हम अपनी योजनाओं में कितना ही पसा लगाते जायें, डालते चले जांय, अगर जनसंख्या को रोकने का कोई कारगर ढ़ंग नहीं अपनाया गया तो प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का प्रश्न नहीं आता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि इस ओर ध्यान देना चाहिये । जब यह सरकार आयी तो परिवार नियोजन और नसबंदी के कारण ही आयी । अगर उस समय नसबंदी न हुई होती तो न तो इस सरकार का और न जनता पार्टी का जन्म ही हुआ होता । जिस प्रकार से हम लोग अपने पूर्वजो को श्रृद्धान्जली देते हैं, पिंडदान अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से यह नसबंदी का पिंडदान करते हैं ।

मान्यवर, नसबन्दी का पूरे देश में वर्ष 1977–78 में 40 लाख का लक्ष्य रखा गया था लेकिन कुल 10 लाख ही पूरा हुआ अर्थात् 1/4 वर्ष 1978–79 में यह लक्ष्य 86 लाख का रखा गया था पूरे देश में लेकिन केवल 12 लाख ही पूरे हो पाये । जब कांग्रेस हुकूमत थी तो वर्ष 1978–79 में हमने जन्म दर प्रति हजार 30 रखा था लेकिन जनता सरकार ने इस अवधि को 1982–83 बना दिया है कि इस लक्ष्य की पूर्ति हम 1982–83 तक पूरा करेंगे ।

आज जनसंख्या की जो वृद्धि है वह 33.4 प्रति हजार प्रतिवर्ष है और अब आशंका यह है कि यह 35 प्रति हजार प्रतिवर्ष हो जायेगी । इसलिये अगर जनसंख्या की वृद्धि पर रोक नहीं लगायी गयी तो आप कितना ही रुपया क्यों न खर्च करें आपकी पर कैपिटा इन्कम बढ़ नहीं सकती । मैं यह नहीं चाहता कि जोर जबरदस्ती हो, जो गलती हो गयी वह हो गयी, सख्ती ठीक नहीं है लेकिन इसको रोकना भी आवश्यक है ।

फिर मान्यवर, हमारे यहां जितनी भी योजनायें बनी हैं उसमें प्रति व्यक्ति निवेष 529 रुपये अब तक खर्च किये जा चुके हैं विकास के काम में । बजट का वेतन की मद में आज हम 41 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च कर रहे हैं, जीप तथा रख-रखाव आदि का खर्च अलग है । जितना पैसा हमको मिलता है उससे अधिक हम खर्च कर देत हैं रख-रखाव पर । इसलिये जितनी हमारी अपेक्षा थी उतना विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है ।

अब मान्यवर, बैंकों में हमारी कितनी धनराशि जमा है और उसका कितना हिस्सा हम ऋण के रूप में विकास कार्य में देते हैं उसका विवरण भी देना चाहता हूं । अन्य राज्यों के भी आंकड़े प्रस्तुत करूगां । 31-12-77 तक उत्तर प्रदेश में बैंकों में जो हमारी धनराशि जमा थी वह है 1891.7 करोड़ और लोगों को विकास के लिये जो ऋण के रूप में मिला वह है 831.9 करोड़ । इसी प्रकार तमिलनाडु में जमा राशि है 1426.3 करोड़ और ऋण के रूप में वितरित की गयी 1379.6 करोड़ । कर्नाटक में जमा हुई 1117.7 करोड़ और ऋण क रूप में वितरित हुई 932.5 करोड़ महाराष्ट्र में जमा हुई 4414 करोड़ और वितरित हुई 3559.2 करोड़ । अब यह है आप का मापदंड । हमारे यहां कितना कम विकास के

कामों पर खर्च हुआ । और जगह विकास का काम किस रफ्तार से हो रहा है यह देखिये । बैंकों में जो रुपया हमारा जमा है उसका 80 प्रतिशत जब तक विकास के कार्यों के लिये नहीं दिया जायेगा तब तक हमारे प्रदेश का विकास नहीं होगा ।

अब कैसे विकास हो? हम अपनी योजनाओं में किन चीजों का समावेश करें । इस पर मान्यवर, विचार करना है । हमारे प्रदेश की आबादी 10 करोड़ के करीब है और वह और बढ़ रही है । हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि 10 वर्षों में सबको रोजगार उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

सब लोग जितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं, उतनी अवधि की बात करते हैं कि अमुक कार्यक्रम पूरा कर देंगे । ये तो मान्यवर, जनता को वादा कर लेते हैं कि 10 साल तक अमुक कार्यक्रम पूरा कर देंगे, जबकि दस साल के लिये चुने ही नहीं गये हैं । अन्त्योदय का कार्यक्रम जो इनका है, उससे विषमतायें दूर नहीं होगी, इसलिये हम उसका विरोध करते हैं । ग्रामीण अंचल के विकास के लिये छोटे छोटे उद्योग लगाये जायें जिससे सबका विकास हो सके, क्योंकि उनको हमेशा-हमेशा के लिये रोजगार उपलब्ध होता रहेगा । छोटे-बड़े, मध्यम हर तरह के उद्योग लगाये जायें और उसी से इस प्रदेश का विकास होगा और एकमात्र प्रदेश के विकास का साधन होगा । दूसरे जनता पार्टी के लोग ही इसके बारे में सुनिश्चित नहीं हैं कि किस प्रकार के उद्योग लगायें जायें, कुछ कहते हैं कि छोटे उद्योग लगाय जायें, कुछ लोग कहते हैं कि बड़े उद्योग लगाये जायें । इसके बारे में उनको उद्योग नीति जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए, जब तक इसको तय नहीं कर लेंगे, तब तक इस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(श्री बाबूराम वर्मा के नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य---

हमको भी समय दिया जाय ।

*श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)---

मान्यवर, राष्ट्रीय योजना पर कल से चर्चा चल रही है । इस राष्ट्रीय योजना पर अनेकों मित्रों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । राष्ट्रीय योजना की रूप रेखा (1978 से 83) के तीन आधार मूल उद्देश्य जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश की भी योजना की दिशा नीति ली गयी है, निम्न प्रकार से हैं:---

(1) बेरोजगारी का उन्मूलन, अर्द्ध बेरोजगारी में महत्वपूर्ण कमी ।

(2) निर्धन वर्ग के रहन-सहन के स्तर में उत्साहजनक सुधार ।

(3) निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वच्छ पेय जल प्रारम्भिक एवं प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, सड़क एवं भवन तथा शहर के मलिन बस्तियों के लिये न्यूनतम सेवाओं की व्यवस्था ।

तो मान्यवर, ये तीन जो मापदण्ड इस योजना के निश्चित किये गये हैं, इससे लगता है कि हमारे प्रदेश का खासकर पिछड़ापन जिसमें अधिकांश लोग जो जीवन-स्तर के मापदण्ड के नीचे अपनी जिन्दगी बिता रहे हैं, उनके रहन-सहन में वृद्धि होगी । मान्यवर, वैसे तो हमारा प्रदेश जो है, हर क्षेत्र में पिछड़ा है ही, लेकिन उस पिछड़े हुए प्रदेश में हमारे बस्ती जिले की स्थिति और भी अजीब सी है । इधर जो ये कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिये, सिंचाई के लिये जो प्राविधान किये गये हैं, उसमें पूर्वी जिलों की उपेक्षा की गयी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बाबूराम वर्मा]

मान्यवर, हम एक आंकड़ा जो इसी पुस्तिका में है, कृषि के संबंध में, उत्पादन की दृष्टि से मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। यह उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला बस्ती है उसकी उत्पादन आदि की दशा यह है परिशिष्ट 3, पृष्ट 22 पर। बस्ती गेहूं के उत्पादन के सम्बन्ध में प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 10.38 कुंटल, चावल का उत्पादन 7.67 कुंटल मक्का का उत्पादन है 2 कुंटल प्रति हेक्टेयर जौ का उत्पादन 6.36 प्रति हेक्टियर, गन्ने का 334.32 कुंटल प्रति हेक्टियर। तो मान्यवर, यह बस्ती का उत्पादन है और इसी के साथ-साथ जो है दूसरा जिला ले रहा हूं। बुलन्दशहर में औसत उत्पादन देख लें। बुलन्दशहर में गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 19.34, चावल का 11.05, गन्ने का है 9.97, जौ का है 11.58 कुंटल प्रति हैक्टियर। गन्ने का है 420,85 कुंटल प्रति हेक्टियर। तो यह उत्पादन की स्थित है। इसी के साथ-साथ खाद का उपयोग हुआ प्रति हेक्टेयर में बुलन्दशहर में 34.41 किलोग्राम बस्ती में 18.83। इसी तरीके से उत्पादन बढ़ता है कैसे, उर्वरक के साथ साथ पानी के प्रयोग से। बस्ती जिले में नहरों से सिंचाई नाम मात्र को होती हैं। 2-3 नहरें जो हैं, कहने के लिये। सात सौ के लगभग सरकारी नलकूप हैं, उनसे कितनी सिंचाई होती है। यह भी अपने स्थान पर सही रूप से अगर कहा जाय तो नाम मात्र की है। बस्ती जनपद में सिंचाई की कितनी योजनायें है। वाम्ब पेटी घाघरा नहर तो पहले से प्रस्तावित है और 83-85 तक पानी पहुंचने की बात है, तो उसकी प्रगति को देख कर यह अनुभव करता हूं कि इससे 15 साल के पहले पानी पहुंचने वाला नहीं।

ट्यूबवेल्स के मामले में बस्ती जनपद में केवल 28 नलकूप वितरित किये गयें हैं। 14 विधायक हैं, 2-2 के हिसाब से मिले हैं। इस ढंग से सिंचाई के क्षेत्र में अगर हम प्रगति करेंगे तो कब तक इस समस्या का समाधान होगा। लघु सिंचाई के सम्बन्ध में वस्ती जिले में 85 प्रतिशत कृषक ऐसे हैं जिनके पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है जो अपनी सिंचाई के लिये निजी साधनों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। वस्ती जनपद के लिये सिंचाई के सम्बन्ध में विशेष योजनायें बनायें और नलकूपों की संख्या जब तक....

श्री अधिष्ठाता--

कृपया समाप्त करें।

श्री बाबू राम वर्मा--

नहर नहीं है, अधिक से अधिक मात्रा में बढाने की कृपा करें।

(श्री नाथूराम शिक्षक का नाम पुकारे जाने पर) (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप तो शिष्य हैं। इस सदन में शिक्षक जी को बोलने दीजिये।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

अधिष्ठाता महोदय, यह पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हूं। जो प्रारूप बना है वह ऐसे सदस्यों के हाथों से बना है जो नागरिक जीवन के पैदाइशी आदी हैं। पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बनाने के लिये ग्राम स्तर पर वहां जो स्थानीय सामग्री मौजूद है, उनको अध्ययन करके बनाया जाये, तो हर क्षेत्र की समस्या का समाधान करने में बहुत ज्यादा सहायता मिल सकती हैं। हर क्षेत्र में प्राकृतिक नालें नदियां, पहाड़, झील ऊसर-बंजर, है। अगर इनके उत्थान के लिये इन योजनाओं का सृजन किया जाये तो अधिक लोगों को काम मिल सकता है, गरीबी दूर करने में सहायता मिल सकती है। मैं अपने क्षेत्र की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। मेरे क्षेत्र

इलाहाबाद के जिले के ये प्राकृतिक हिस्से हैं, गंगापार, जमुना पार और गंगा जमुना के बीच का हिस्सा है जिसे द्वाबा कहते हैं। गंगा पार और जमुना पार से हमेशा प्रधान मंत्री होते रहे हैं। उनके हाथों में जितनी शक्ति थी उस शक्ति का प्रयोग उन्होंने गंगापार और जमुना पार में ही किया। द्वावा क्षेत्र अछूता ही रहा। मन्झनपुर, क्षेत्र जहां से मैं आता हूं, वहां से बुन्देलखण्ड की शुरुआत होती है। मेरे ही क्षेत्र में कौशाम्बी एतिहासिक स्थान है, जहां पर शोध का कार्य चल रहा है देश और विदेश के बन्धु वहां पर आते हैं, बिलकुल खंडहर पड़ा है। इतना महत्वपूर्ण स्थान है जिसके उत्थान के लिये 30 वर्ष में शासन ने कुछ नहीं किया, केवल खेती का कार्य होता है। पपोसा पहाड़ है जिसको सर्वे कराकर मिट्टी निकालने का काम शुरु करवाया जाये जिससे सड़कों का निर्माण हो सकेगा। पहाड़ जो हैं वह कुदरत का खजाना हैं यदि उनके नीचे जाया जायें तो पता नहीं क्या-क्या मिले।

महेवाघाट के पास अलवारा झील है जिसका एरिया 6-7 किलोमीटर है। यदि इसका सुधार कराकर इससे सिंचाई मत्स्य पालन और पर्यटन आदि के काम लिये जायें तो इससे विकास होगा। वहीं से आगे बढ़ कर जमुना नदी पर राजापुर, तुलसीदास की जन्म भूमि है, इसकी भी देख-रेख करनी चाहिये। चित्रकूट, बांदा, कलिंजर आदि इसी से मिले हैं। इस प्रकार से मान्यवर, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण हो तो स्थानीय समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है और इसका लाभ मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री रामदुलारे (जिला रायबरेली)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो छठी पंचवर्षीय योजना है, इसके विषय में में अपने विचार रखना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

विरोध पक्ष को भी सुनिये। इनको समय दिया गया है, इन्हें भी आप लोग सुनें।

*श्री रामदुलारे––

जनता पार्टी के शासनकाल में इन्होंने शुरू में कहा कि हम प्लान नहीं बनायेंगे। प्लान समाप्त कर देंगे। रोलिंग प्लान बनायेंगे। मान्यवर, रोलिंग प्लान क्या चीज होती है, कौन सी चिड़िया होती है। आज तक तो हम लोगों ने न सुना है और न देखा है। पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, 1979 में समाप्त होने वाली थी उसको एक साल पहले समाप्त कर दिया। इसके पीछे रहस्य क्या है। रहस्य यह है। आप तो जानते हैं कि फाइनेन्सियल इयर में प्लान का जो आखिरी समय होता है जितना धन बचता है उसका उपयोग किया जाता है। जो धन आखिर में बचा है उसका यह उपयोग करेंगे। इनको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। यह चाल है और कोई बात नहीं। यह देश का सुधार कर देंगे, प्रदेश का सुधार कर देंगे। कोई सुधार नहीं होने वाला। यदि हम अपने प्रदेश के आर्थिक ढांचे पर दृष्टि डालें तो देखते हैं कि हमारे प्रदेश के अन्दर आबादी का उपयोग होना चाहिये। पेज दो पर आंकड़े दिये हैं जिसमें कहा है कि कृषि एवं संवर्गीय कार्यकलाप में 78 प्रतिशत, खनिकर्म विनिर्माण तथा निर्माण में 7.9 प्रतिशत, परिवहन तथा संचार में 5.8 प्रतिशत, अन्य में 8.3 प्रतिशत, तो इस तरह स हमारे देश की आबादी का उद्योगानुसार वितरण है।

यह भी देखना है कि जो भी देश तरक्की करते हैं वह छोटे-छोटे प्लानों और उद्योगों के आधार पर तरक्की करते हैं। हमारे प्रदेश में जो उद्योग लगे हैं, उनको ट्रांसफर किया जाये, छोटे-छोटे उद्योग लगाये जायें, दूसरी जगह लगाया जाये तब प्रदेश की आर्थिक तरक्की हो सकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम दुलारे]

मैं एक कोटेशन पढ़ना चाहता हूं। "फेडरल फाइनेंस एंड अंडर डेवलपिंग इकोनामी" किताब से जिसके लेखक हैं डा० बलजीत सिंह।

A generalization of major importance that is often neglected follows, viz that development of primary industries requires for its sustance a much higher rate of development in other sectors of economy that its own.

श्री बाबू राम वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं।

श्री राम दुलारे—

आप लोग भी अंग्रेजी बोलते हैं। आपके मिनिस्टर्स अंग्रेजी बोलते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप इसका अनुवाद हिन्दी में कर दीजिए।

श्री राम दुलारे—

मैं अनुवाद कर रहा हूं।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, यह आप व्यवस्था दीजिये। अंग्रेजी में बोलना कोई जुर्म है। इसका अनुवाद वह कर देंगे।

श्री राम दुलारे—

मैं हिन्दी में अनुवाद कर रहा हूं। अगर प्राइमरी सेक्टर्स की, खेती की तरक्की करना चाहते हैं तो दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनकी तरक्की हमको ज्यादा रेट से, ज्यादा तादाद से करनी पड़ेगी तब उनकी तरक्की होगी। यह इसका अर्थ है। आप भी अंग्रजी बोलते हैं और आपक मिनिस्टर्स भी बोलते हैं। और आप नहीं बोल सकते तो आपको यहां आने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने जो प्रारूप रखा है मैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि हम बहुत तरक्की करेंगे। इनका जो कृषि एवं संवर्गीय कार्यक्रम है उसमें पूरे देश का 6.15 प्रतिशत है, सहकारिता में 0.93 है। जल तथा विद्युत में 52.51 प्रतिशत, उद्योग एवं खनिकर्म में 4.89 प्रतिशत ग्रामीण एवं लघु उद्योग में 2.95 प्रतिशत है।

मान्यवर, इन्होंने बहुत जोर से ढोल पीटा था कि हम प्रदेश के अंदर बहुत भारी तहलका मचा देंगे। प्रदेश के अन्दर तमाम कारखाने कायम कर देंगे। लेकिन इन्होंने जो फीगर्स दिये हैं अगर हम तुलना करें अगर पांचवीं पंचवर्षीय योजना में तुलना पहले वाली योजना से करते हैं तो उसके अन्दर कोई अन्तर नहीं है। दो चार परसेंट का अन्तर है। इससे यह कहना कि हम कोई बड़ा भारी किला ढहा देंगे और गांवों की तरक्की कर देंगे तो इससे यह संभव नहीं है। जब आपका पर्दाफास किया जाता है तो आप सुनने क लिये तैयार नहीं होते हैं। बार-बार यही कहा जाता ह कि हमारी 30 साल की कांग्रसी सरकार ने प्रदेश में कुछ नहीं किया। लेकिन मैं यह कहता हूं कि हमने अपने 30 वर्षों के शासनकाल में आपको पैदा किया है। मुख्य मंत्री जी स्वयं हमारी कांग्रेस के हैं। हमने तीस साल में कुछ नहीं किया तो आपको पैदा किया है।

मान्यवर, बेरोजगारी की समस्या है और उन्होंने कहा है कि रोजगार के अवसर बढ़ाये जायेंगे। मान्यवर, इस योजना के बीच में, जो पांच साल की है, इसमें 33.74

लाख लोग बेरोजगार बढ़ जायेंगे। अभी बेरोजगार लोग 4.89 लाख और अर्ध बेरोजगार 22.35 लाख हैं। टोटल जो इन्होंने लगाया है उसके हिसाब से 60.98 लाख लोगों के लिये रोजगार का प्राविधान करना पड़ेगा। उनक आका ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि हम 10 वर्ष में बरोजगारी देश से दूर कर देगें। इसके अन्दर एक चालाकी की बात है कि जनता ने इनको 5 साल के लिये चुना है और यह जनता से कह रहे हैं कि हमको 10 वर्ष तक बने रहने दो। इसका क्या यकीन है कि 5 साल के बांद आपको जनता चुनेगी। आप केवल पांच साल की बात कर सकते हैं। 10 साल की बात नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, इसके आगे इन्होने बेरोजगारी की समस्या के बारे में कहा है कि चूंकि अभी बेरोजकारी के संबंध में कोई प्रारूप तैयार नहीं हुआ है इस लिये इसको असली तरीके से विवरण नहीं दिया जा सकता। मान्यवर, इन्होंने अपनी रोजगार नीति के सम्बन्ध में कहा है कि अधिक से अधिक संभव वृद्धि दर, उत्पादन को अधिक श्रम प्रधान बनाना, तकनीकी परिवर्तन को इस प्रकार नियंत्रित करना कि रोजगार में बृद्धि दर संतोषजनक स्तर पर बनी रहे। अब मान्यवर, मै इनसे पूछना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें। आपने काफी समय लिया है।

श्री राम दुलारे—

मैं तो यह समझता हूं कि कोई इनका प्लान नहीं है। जिससे प्रदेश के अन्दर बेरोजगारी दूर हो सके या हरिजनों की तरक्की हो सकें या हमारे किसानों की कोई तरक्की हो सके। यह तो एक रद्दी की टोकरी में फेकने की चीज है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता जी, यह छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर यहां पर बहस हो रही है। मान्यवर, योजना जो है यह 5 साल के लिये बनती है।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया समय का ध्यान रखें। बाद में एक -एक मिनट न मांगियेगा।

*श्री राम अधार—

मान्यवर, दो साल बीत गये हैं। यह सरकार योजना बनायेगी तो पूरी करेगी नहीं तो दूसरी सरकार आयेगी वह पूरी करेगी। लेकिन योजना जो बने वह स्थाई रूप से बने और पूरी हो। प्रदेश के अन्दर योजना को पूरा करने के लिये धन की जरूरत है। केन्द्रीय योजना आयोग जितना धन उत्तर प्रदेश को देना चाहिये नहीं देता है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास होना चाहिये कि योजना जो भी बने उस योजना को पूरा करने के लिये धन की व्यवस्था हो जाय। उत्तर प्रदेश को हिन्दुस्तान के अन्य सूबों के मुकाबले धन कम मिलता है। आबादी, पिछड़े धन के हिसाब से केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश को रुपया देना चाहिय ताकि उत्तर प्रदेश का विकास हो सकें।

मान्यवर, दुर्भाग्य की बात है कि 30 सालों तक इस प्रदेश में काग्रेस का शासन रहा और केन्द्र में रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश की उपेक्षा विकास के नाम पर सदैव से होती रही। उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के करीब 22 ऐसे जिले हैं जो सबसे पिछड़े हैं, आबादी ज्यादा है और आय के साधन नहीं है।

---

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम अधार]

लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं है। पटेल आयोग बना, उसकी रिपोर्ट जो थी वह रद्दी की टोकरी में चली गई। इसलिये मैं चाहता हूं कि योजना बनने के पहले बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े जिले हैं उनके लिये एक अलग से आयोग बने और वह जो रिपोर्ट दे उसके आधार पर योजना बने और केन्द्रीय सरकार से जो धन की कमी पड़े उसकी मांग की जाय। मान्यवर, इस प्रदेश के अन्दर जनता सरकार बनने के बाद पहली बार 75 फीसदी रुपया गांवों के विकास की तरफ जा रहा है। विद्युत और सिंचाई क लिये 75 प्रतिशत रुपया बजट में खर्च हो रहा है। लेकिन ग्रामीण विकास में प्राइमरी स्कूलों को देखें तो गांवों में स्कूल तो खुल रहे हैं लेकन 30 साल क जो प्राइमरी स्कूल पड़े हैं उन पर छप्पर तक नहीं है जिससे बरसात में वह बंद हो जाते हैं। इसलिये योजना बन तो यह निश्चित होना चाहिये कि 5 साल में कितने स्कूल खुलेंगे और कितने भवन बनाये जायेंगे। शहरों में तो स्कूलों के लिये रुपया मिलेगा पब्लिक स्कूल खुलेंगे लेकिन गांवों के स्कूलों के लिये छप्पर और भवन नहीं बनाये जायेंगे इसलिये इस तरफ सरकार ध्यान दे।

मान्यवर, बेरोजगारी के संबंध में कहा गया कि 10 सालों में हम बेरोजगारी मिटायेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर उद्योग के नाम पर अभी कहीं भी शिलान्यास तक नहीं हुआ है। उद्योग विभाग ऐसे मंत्री जी के पास हैं जो उद्योग के बारे में काफी जानते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब तक कृषि और उद्योग का विकास नहीं होगा तब तक प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है और न बरोजगारी मिट सकती हैं। इसलिये बेरोजगारी मिटाने के लिये निर्धारित योजना बननी चाहिये और लघु तथा बड़े उद्योग शहरों या गांवों में खुलने चाहिये। लेकिन बड़े उद्योग खुलें या छोटे उद्योग खुलें इस झगड़े में न बड़ा उद्योग खुल रहा है और न छोटा उद्योग ही, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिये उद्योगों के संबंध में आपकी निर्धारित योजना होनी चाहिये। इसी प्रकार सड़कें पिछड़े जिलों में होनी चाहिये। मान्यवर, बेरोजगारी मिटाने के लिये शासन के पास कोई निर्धारित योजना नहीं है। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो 10 साल में आप बेरोजगारी मिटाने की बात करते हैं तो बेरोजगारी मिटाने के लिये सर्विस में आयु की सीमा में संशोधन करें और जो आरक्षण के बाहर हैं उनकी उम्र की सीमा 30 या 35 साल करें। यदि यह नहीं करेंगे तो बेरोजगारी नहीं मिट सकती है।

इसी तरह मान्यवर, आबादी तेजी से बढ़ रही है। मैं नशबंदी की बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि नशाबंदी से लोग त्रस्त हैं लेकिन चाहता हूं कि इसके ऊपर भी एक योजना बनाकर लागू की जाय। मैं नशबंदी का विरोधी नहीं हूं लेकिन नशबंदी के नाम पर हरिजनों और मुसहर तथा उन गरीब लोगों की जिनकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं था उनके साथ जबरदस्ती की गयी जिसका मैं विरोधी हूं। इसलिये मैं मान्यवर, पुनः कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये एक अलग से आयोग बैठे जो विकास की योजनायें बनायें और जो लोग उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात करते हैं उन्हें चाहिये कि केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालकर अधिक से अधिक धन उत्तर प्रदेश के विकास के लिये दिलवायें।

*श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने जो योजना का प्रारूप पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ ही साथ कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रारूप के बारे में प्रथम पेज में लिखा है, जिसको आप देखें। इसमें लिखा है 'राज्यों में पंचवर्षीय योजनायें तैयार करने का कार्य केन्द्रीय योजना आयोग के मार्ग निर्देशन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में होता है तथा आयोग और राज्य सरकारों के पारस्परिक विचार विमर्श के आधार पर ही इन योजनाओं तथा उनके वित्तीय आकार को अंतिम रूप दिया जाता है। आप जानते हैं कि हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान है। 85 प्रतिशत् लोग गांव में रहते हैं। मैं आपके माध्यम से 4 सुझाव देना चाहता हूं। हमारे गांव किन चीजों से तरक्की करेंगे ? पहला है यातायात, दूसरा सिंचाई, तीसरा विद्युतीकरण और चौथा उनको सस्ती खाद और बीज।

अगर यह 4 चीजें हमारे गांव के लोगों को उपलब्ध हो जायें तो हमारे गांव के लोग आटोमेटिक तरक्की करते जायेंगे। उनका माल समय पर मार्केट में पहुंच जायगा। गांव के लोगों को यातायात की सुविधा न होने से बड़ी असुविधा है, आज आप देख रहे हैं वर्षा ऋतु आ गयी, तमाम गेंहू क्रय केन्द्र खोले गये हैं लेकिन नदी और नाले भर जात हैं, गांव के लोगों का गल्ला घर में सड़ जाता है, उसकी व्यवस्था ठीग ढंग से नहीं हो पाती है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि गांव के लोगों की जब तक क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक उनकी तरक्की नहीं होगी। उनके कच्चे माल का जो उत्पादन होता है उसका फायदा बिचौलिया लोग उठाते हैं। राज्य सरकार ने गेंहूं की कीमत 115 रु0 प्रति क्विंटल निर्धारित की है लेकिन किसान यातायात की सुविधा न होने से मजबूर होकर उसको मार्केट में नहीं पहुंचा पाता है और बिचौलिये लोग 80–85 रु0 या जितनी भी कम कीमत में उसे खरीद कर अपने गोदाम भर लेंगे जब किसानों के घर से चीज निकल जाती है तब मार्केट में उस चीज के दाम बहुत महंगे हो जाते हैं। मेरा बस्ती जनपद सदियों से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। 30 साल तक भूतपूर्व कांग्रेस सरकार रही, हमेशा वादे किये लेकिन कोई स्थाई हल बाढ़ को रोकने का नहीं किया गया। मेरा जिला और क्षेत्र, पूरा जनपद बाढ़ और सूखे से हमेशा त्रस्त रहता है।

हमारे बहुत से भाई पूर्वांचल के लिये छीटाकशी करते हैं कि कमाते हम हैं और खाते यह हैं। हमारा पूर्वांचल तमाम सुविधाओं से वंचित है। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां 2-3 हजार, 5 हजार तक आबादी है लेकिन कोई सम्पर्क मार्ग नहीं है, शहर से कटे हुए हैं। शहर में उनका माल सही समय पर नहीं पहुंच पाता है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को 4 सुझाव दूंगा कि गांव के लोगों को विद्युतीकरण, सिंचाई, सस्ती खाद और बीज और यातायात की सुविधा अवश्य प्रदान की जाए।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)––

मान्यवर, पंचवर्षीय योजना और इस पर खर्च किये हुए बजट और दस्तावेज को देखते हुए यह भ्रम टूट जाता है कि भूतपूर्व सरकार का और इस मौजूदा सरकार का जो दृष्टिकोण है वह भिन्न है। दोनों सरकारों का दृष्टिकोण एक है। यही कारण है कि बेरोजगारी और गरीबी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान योजनाओं की तरफ ले जाना चाहता हूं। अगर इस 11 करोड़ 10 करोड़ की आबादी के प्रदेश में कितने लोगों को यह सरकार फायदा पहुंचाना चाहती है। मैं आंकड़ों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सन् 1951 में 5 प्रतिशत भू-स्वामियों के पास 35 प्रतिशत भूमि थी और सन् 1971 की कृषि गणना के अनुसार 4 प्रतिशत भू-स्वामियों के पास 31 प्रतिशत भूमि है जब कि 70 प्रतिशत किसानों के पास एक एकड़ से भी कम भूमि है और ऐसे लोगों की तादाद मान्यवर, काफी है जिनके पास एक बिसवा भी भूमि नहीं है। हमारे 11 करोड़ आबादी में करीब तीस फीसदी लोग ऐसे हैं जो इन परियोजनाओं से, इस छठी पंचवर्षीय योजना से लाभ नहीं उठा सकते। इस सरकार ने इस आधार पर कौन सी इस सरकार ने रूप-रेखा की है। मजाक सा लगता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवती प्रसाद सिंह]

पिछली सरकारों की याद कीजिये। उन बातों को मैंने कई मरतबा इस सदन में दोहराया है। माननीय चौधरी साहब सत्ता में थे, स्वर्गीय गेंदा सिंह जी थे, मैंने ये बात दोहरायी थी। क्या उसी जमाने की असफल योजनाओं को यह मौजूदा सरकार लागू करेगी। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। जो यहां पर माननीय सदस्य भुक्तभोगी हैं उनकी जानकारी में होगा। यह सरकार गांवों में कमजोर वर्ग को कुछ उद्यम करने के लिये पैसा दे रही है। यह स्कीम शुरू भी नहीं हो पायी और उसके रिजल्ट फेल निकले, हमारे माननीय सदस्य अपने शब्दों में कहते हैं। सिंचाई योजनाओं का मान्यवर हमारे माननीय सदस्य, आप और मुख्य मंत्री भी इससे अवगत हैं। 5) फीसदी नहीं 60 फीसदी धन जो है योजनाओं में खर्च होने वाला वह योजनाओं के बनने और नीचे के जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं उनसे लेकर के गांव में केवल उन लोगों तक ही रहता है जो साधन सम्पन्न हैं। काफी जो लोग निर्धन हैं जिनके पास कोई श्रोत नहीं है जिनके पास कोई उत्पादन नहीं है, साधन नहीं हैं, वे विवश रहते हैं।

मान्यवर, इसी आधार पर एक और प्रदेश की सरकार है जिसने पचास हजार रुपये खर्च करने के लिये ग्राम प्रधानों को दिये हैं। मान्यवर, आप अपने प्रदेश में देखें। आपके प्रदेश में हम माननीय सदस्यों को भी पूरी जानकारी नहीं हो पाती परियोजनाओं की। यही नहीं जो गांव स्तर पर नल-कूप लगाये जाते हैं जिनके लिए जिला स्तर पर कमेटी बनायी गयी है जहां पर रूप-रेखा बनती है उनके बारे में अधिकारी हमें अवगत होने नहीं देते हैं। कारण क्या है। लोहियावादी लोग इस सत्ता में बैठे हुए हैं जिन्होंने चौखम्भे राज्य का स्वप्न देखा था। आज बार-बार हमारे हरिकेवल जी, मोहन सिंह जी, जनार्दन ओझा जी कहते रहते हैं।

चौखम्भा राज्य कहां गया। दो दलों में बंट गया, कुछ आर० एस० एस० के पेट में गया और इस सरकार के पेट में चला गया। चौखम्भा राज्य कहां है। मान्यवर आप देखें जो चौखम्भा राज्य इस तथाकथित सोशलिस्टों की जुबान में था और है लेकिन चौखम्भा राज्य की रूप-रेखा मेरे पास पूरे आंकड़े में हैं बंगाल में हैं। आपको बता दूं कि चौखम्भा राज्य की पूरी रूप-रेखा हमारी बंगाल सरकार लागू कर रही है। सारा अधिकार ग्राम पंचायतों को दें रखा है। भूमि सुधार, लघु उद्योग, सिंचाई की व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ सुधार, बैंकों से ऋण लेना ये सब अधिकार ग्राम प्रधानों को वेस्ट बंगाल में दे रखे हैं जब कि यहां इन सब अधिकारों के लिये हम ब्लाक के अधिकारी के मोहताज हैं और यह जब है कि यह सरकार बराबर कहती है कि नौकरशाही खत्म करने के लिये आचार संहिता है। जब हम कहते हैं कि टयूबवेल में इतना परसेंट बालू तथा सीमेंट का मिश्रण है तो उसका कोई असर सिंचाई विभाग के इंजिनियर्स पर नही पड़ता। इस तरह की हमारी तमाम योजनायें हैं। उनसे पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति के विवरण के संबंध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 71-72 में जो जांच की उससे पता चलता है कि 50 हजार से अधिक सम्पत्ति वाले चार प्रतिशत ग्रामीण घराने हैं। सबसे ऊपर 10 प्रतिशत के पास कुल सम्पत्ति का आधा भाग है जब कि एक हजार से कम सम्पत्ति वाले नीचे के 20 प्रतिशत के पास कुल सम्पत्ति का 1 प्रतिशत है और बहुत सारी तादात ऐसी हैं प्रदेश में जिसके पास 1 प्रतिशत भी नहीं है। उनके लिये इसमें कोई प्राविधान नही है।

आप उनको देंगे क्या एक मुर्गी, डुप्लीकेट मशीन आदि। राम अधार राय जी से मैं दुखी हूं हालांकि वह प्रगतिशील है, शोसलिस्ट हैं जब मैं उनकी जबान से सुनता हूं कि वह आबादी के कारण देश की प्रगति नही हो रही है। राम आधार राय जी नें दुनिया का लिट्रेचर पढ़ा होगा आबादी के बारे में। वह क्या बतला सकते हैं किस मुल्क के लिट्रेचर में लिखा है आबादी की वजह से गरीबी बढ़ी है। केवल हिन्दुस्तान ऐसा मुल्क है जहां इन्दिरा ने अपनी सरकार को बचाने के लिये, विश्व बैंक के मेकनमारा साहब

के कहने से अमेरिकन डालर को बचाने के लिये यह नारा दिया था। उस बात को राम अधार उठात हैं तो बड़ा दुख होता है। दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहां अबादी यहां से ज्यादा है चीन की आबादी 80 करोड़ जहां 15 मिनट में पैदल किसी भी डिस्पेंसरी तक पहुंचा जा सकता है।

पीकिंग की आबादी 80 लाख है लेकिन वहां किसी के पास कार नहीं है जब कि यहां रवीन्द्र नाथ तिवारी कार क लिय तड़प रहे हैं। मैं समझता हूं कि राम अधार राय भी फिसल गय हैं कुर्सी और कार के लिये। इसलिये यह गरीबी बढ़ रही है नीचे से जिसको दुहाई दी जाती है। 60 करोड़ की आबादी इस देश की है लेकिन योजनाओं के नाम पर 1200 की भैंस ढाई हजार में देकर बैंक के अधिकारियां को फायदा पहुंचाया जाता है और इस पर उनकी इमानदारी की दाब देते हैं। वे एक सच्चे समाजसेवी हैं, समाजवादी हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज एक-एक बी0 डी0 ओ0 ने आपकी इन योजनाओं के अन्तर्गत हजारों हजार कमा लिया है और आप किसी पर चार्ज नही लगा पाये। इसके अतिरिक्त मान्यवर, मैं सरकार को कुछ कार्यों के लिये बधाई दूंगा—जैसे निर्माण कार्य हैं, सिंचाई है, सड़कें हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि उसमें 1/4 पैसा निर्माण विभाग क अधिकारियों ने कमाया है। मान्यवर, मैं तो इस बात का कायल हूं कि हम लोग जो 425 यहां पर बैठे हैं व भी इस बात के जिम्मेदार हैं कि योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जितना पैसा योजनाओं पर खर्च होता है उसका एक अधिक हिस्सा लूट में जा रहा है। इसको रोकना चाहिये। इसके लिये हम भी जिम्मेदार हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, आपके माध्यम से 1978-83 की योजना का प्रारूप जो वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है उस योजना को लेकर हमे काफी क्षोभ है। मान्यवर, आप देखें की वजट में 1 अप्रैल से शासन योजनाओं पर खर्च करने के लिये पैसा देता है और वह 31 मार्च तक खर्च कर दिया जाता है। ऐसे निर्देश जाते हैं। धन समय पर खर्च रहे आज होता यह है कि जो भी पैसा खर्च करने के लिय दिया जाता है, वह पैसा समय से खर्च नही होता और इस तरह से करोड़ों रुपये का समर्पण हो जाता है।

(इस समय 3 बजकर 23 मिनट श्री उपाध्याक्ष पुन: पीठासीन हुए।) योजनाओं का इस पर बड़ा असर पड़ता है। मान लीजिये एक योजना को पांच साल में पूरा करना है उसका इस साल पांचवा हिस्सा बन गया और इसमें 100 मीटरी टन सीमेंट लग गया 22 रु0 25 पैसे के हिसाब से, और इसी तरह से छड़ और ईंट के दाम भी इस वर्ष के सिसाब से लग गये किन्तु जब यह योजना समय से पूरी न हो पायो तो उसका परिणाम यह होता है कि उसको अगले वर्ष के लिये ले जाते हैं तब तक वह योजना जो एक करोड़ की थी वह डेढ़ करोड़ की हो जाती है क्योंकि अधिकारी लोग समय से पैसा खर्च नहीं करते है।

लिहाजा पांच साल की योजना 6 साल में बनती है और सरकार बदनाम होती है। सारी बदमासी अधिकारयों की होती है जिससे आम जनता को योजना दिखाई नही देती है। अत: मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि जो अधिकारी योजना में दिये गये धन का समुचित प्रयोग नही करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाय। जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार मिटायेंगे लकिन अब तक पांचवां हिस्सा भी बरोजगारी का दूर हो गया होता तो हम समझते। बेरोजगारी इस वर्ष में दूर हो जायगी इस पुस्तिका के पृष्ठ 57 में आपन बेरोजगारी दूर करने के कुछ आंकड़े दिय हैं। और कुछ घोषणायें इस पंचवर्षीय योजना में की है। बिहार सरकार ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों को डिफरेन्शियल रेट पर बैंको से ऋण देने की सुविधा प्रदान की है और व्यापार करने के लिये उनको बसों और ट्रकों की सुविधा दी है।

[श्री शारदा प्रसाद जायसवाल]

हमारी सरकार ने कही ऐसा प्राविधान नहीं किया है । बेरोजगारी दूर करने के लिये हमारी तत्कालीन सरकार ने यह कह दिया था कि बेकारी भत्ता देगें , दो साल हो गये , बेकारी भत्ता किसी भी बेकार विद्यार्थी को नही दिया गया ।

और यही कारण है कि असामाजिक तत्व बढ़ रहे हैं यह बेरोजगारी के कारण हुआ है इसमें बेरोजगारों के लिये आप देखें कोई योजना नहीं है ।

हमारे यहां गंडक कमांड एरिया के अन्तर्गत सिंचाई विभाग माइनर और नहरें बन रहीं हैं । खेतों में पानी पहुंचाने के लिये नहर विभाग द्वारा जो पानी दिया जाता है कच्ची नाली से एक किलोमीटर में 12-14 क्वीसेक पानी जाता है और पक्की नाली से 40,50 क्वीसेक पानी जायेगा इससे लाभ जो है वह सिंचाई विभाग का होगा और कम पानी देकर ज्यादा रेवेन्यू किसानों से लिया जायेगा । पुल और पक्की नालियां बन रहीं हैं । गंडक कमांड एरिया बना दिया है और इसमें भी एक अलग विभाग भूमि सर्वेक्षण विभाग बना दिया है । यह काश्तकारों की हिमायती सरकार के समय में जो नालियों पर खर्च हो रहा है उसमें 50 परसेंट की लूट हो रही है और वह लूट करने के बाद जो निर्माण कार्य पर व्यय भार है वह काश्तकारों से वसूल किया जा रहा है ।

मान्यवर, आप देखें एक ओर सिचाई विभाग का क्षेत्र बढ़ेगा और फालतू पानी जो खेतों में जाता था वह बचेगा जिसका लाभ सिंचाई विभाग को मिलेगा । गंडक योजना में पुल और नालियां बनाने के लिये काश्तकारों की जमीनें मुफ्त ले ली गयीं और उसका उन को मुआवजा तक नहीं दिया गया । आज जब नाली बन गयी तो प्रति एकड़ 5 सौ या एक हजार रु0 के हिसाब से काश्तकारों से वसूल किये जा रहे हैं और उसके वसूली के लिये उनको वारन्ट जारी किये गये हैं । यह काश्तकारों की हिमायती सरकार है, काश्तकारों की बात करती है तो भूमि सर्वेक्षण विभाग से जो वसूली हो रही है वह सिंचाई विभाग से ली जाय क्योंकि लाभ उसको हो रहा है । काश्तकार से निर्माण कार्य पर दिये गये न वसूल किये जायें ।

आप देखें कि बीज संरक्षण के लिये बड़े-बड़े गोदाम बनाये जा रहे हैं । वह कहां बनेंगे जहां के मंत्री होंगे यहीं बनेंगे जहां से पोलिटिकल प्रेसर आयेगा वहां बनेंगे, मंत्रिपरिषद् के इने-गिने लोगों के क्षेत्र में । इसी तरह और चीजें भी बनेंगी । तत्कालीन सरकार ने नंदगंज में एक फैक्ट्री बना दी जिसकी कैपेसिटी इतनी है कि वह 50,50 लाख क्विंटल गन्ना क्रश कर सकती है । लेकिन वह फैक्ट्री फरवरी में शुरू होती है और मार्च में नोटिस दे देती है जिसको गन्ना देना है 18 रु0 क्विंटल में हमारे यहां भेज दो और उसमें ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी दिया जाता है । तो ऐसी जगह में फैक्ट्रियां लगा दी जहां कच्चा माल नहीं होता । वह इसलिये कि जब मंत्री हो गये तो दुबारा वापस आने के लिये या वह अपने घर नहीं आ पायेंगे, इसलिए अपने क्षेत्र में वह पोलिटिकल स्कीम बनाते हैं । जब उस क्षेत्र में कच्चा माल न होने के बावजूद भी फैक्ट्री लगाने की कोशिश करते हैं ।

हमार प्रदेश की नैपाल सीमा पर जहां से भारत का इतिहास शुरू होता है, जिसे हम उत्तर में हिमगिरि खड़ा है कहते हैं उस उत्तरी क्षेत्र में गोरखपुर क्षेत्र में, उस तराई के क्षेत्र में कोई कारखाने नहीं हैं । जहां भुखमरी है, जहां अनेक बीमारियां हैं और जहां अग्नि प्रकोप हर साल आते हैं वहां कोई भी उद्योग इस सरकार द्वारा निश्चित नहीं किये गये हैं । वहांपर कच्चा माल, गेहूं की फसल भूसा, गन्ना धान बहुत होता है, वह क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ है सहतूत के पत्तों से रेशम के कीड़े पैदा किये जाते हैं उसका धागा निकालने की योजना सिसवा निर्वाचन क्षेत्र में लगाई जाय । इसी प्रकार कारपेट का सेंटर नौतनवां में लगाया जाय ।

योजनाओं के संबंध में मुझे कहना है कि जो योजनायें बनें उनके बनने के बाद जो धन उस वर्ष के लिये खर्च करना है यदि वह खर्च नहीं होता है तो उससे योजना में नुकसान होता है क्योंकि अगले साल दाम बढ़ जाते हैं। तो जो अधिकारी उस पैसे को खर्च नहीं कर पाते हैं उनके खिलाफ ऐक्सन लिया जाय।

श्रीमन्, उसी तरह खांडसारी मिलों की बात है। जिन क्षेत्रों में गोरखपुर–देवरिया में गन्ने का बहुत बड़ा एरिया है, वहां पर प्राइवेट पार्टियों द्वारा उद्योग लगाये जा रहे हैं। वहां सन् 35 की लगी मिल का राष्ट्रीयकरण केवल पैसा लेने के लिये किया गया है। मिल मालिकों ने जितना पैसा लगाया था, उससे चौगुना सरकार से लेकर उसको जर्जर बना दिया है। मंत्री जी कहते हैं कि रिकवरी पर हम गन्ने का मूल्य देंगे। मैं कहूंगा कि जो सरकारी मिल या सरकार के नियंत्रण में मिल हैं, उन मिलों का एक्सटेंशन करने के लिए उसकी मशीनरी को बदल कर दूसरी व्यवस्था की जाय। ताकि सब काश्तकारों का गन्ना समय से पेरा जाए, उस पर रिकवरी अच्छी हो और राष्ट्र को नुकसान न हो तथा काश्तकारों को पूरा लाभ मिले।

*श्री जर्नादन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)––

माननीय उपाध्यक्ष जी, छठी पंचवर्षीय योजना के संबंध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे देश और प्रदेश में मिक्स्ड एकोनामी चल रही है और इस अर्थ-व्यवस्था का नियोजन का बहुत बड़ा स्थान है। मुझे इस प्रारूप को देखकर बड़ी निराशा हुई है। योजना की बुनियाद रीजनल इम्बैलेंश को दूर करने की दिशा में कदम उठाने की है, लेकिन इसमें उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं पूर्वी जिलों से आता हूं और उसकी गरीबी का अपना एक इतिहास है, बगावत का एक इतिहास है और संघर्ष तथा क्रांतिकारिता का एक इतिहास है। 1857 में अंग्रेजों से कड़ा लोहा लेने का काम पूर्व ने किया था और सन् 42 में भी लड़ने की शुरूआत पूरब से हुई थी और 30 साल के कांग्रेसी शासन को धूल में मिलाने का काम भी पूरब ने ही मुख्य रूप से किया है। लेकिन उसकी ओर इस जनता पार्टी ने अपनी फूटी आंखों से भी नहीं देखा है। गरीबी की गोद में क्रांतिकारिता पलती है। कुछ लोगों ने कहा है कि नैपाल और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर सी0 आई0ए0 की गतिविधियां तेज हो रही हैं और कुछ साथियों ने कहा है कि वहां पर आर0 एस0एस0 की गतिविधियां तेज हो रही हैं।

लेकिन मेरा कहना है कि वहां न आर0एस0एस0 की और न सी0आई0ए0 की गतिविधियां तेज हो रही हैं, बल्कि नक्सलवादी शक्तियां पनप रही हैं, नक्सलाईट गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। क्योंकि गरीबी को कोई ज्यादा दिन तक बरदाश्त नहीं कर सकता है और गरीबी, बेकारी और भुखमरी से नक्सलवाद जन्म लेता है। जो हमारे पास साधन हैं, हम उसे उनको दे नहीं पा रहे हैं। चाहे जिस क्षेत्र को आप लें, आप देखेंगे कि पूर्वांचल उससे एक दम अछूता है, एक दम सूना है, अर्थात् पूर्वांचल सभी दृष्टियों से काफी पीछे है। जब 47 में प्रदेश से अंग्रेज गये तो उस समय उत्तर प्रदेश सातवें स्थान पर था उद्योग में और आज हम उसमें 21 वें स्थान पर चले गये हैं। मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वांचल की ,पेक्षा ज्यादा दिन तक नहीं हो सकती है और यदि जनता सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो वहां बगावत के लिए तैयार जनता इस निजाम को भी हमेशा-हमेशा के लिये दफन कर देगी। वहां पर इतनी गरीबी और विशेष स्थिति है कि वहां पर अर्थशास्त्र के सारे सिद्धांत फेल हो जाते हैं। अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि जहां एक उद्योग लगा है, वहां से गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन पूर्वांचल में देवरिया में 14–14 चीनी मिलें हैं, पर वहां परकेपिटा इन्कम सबसे कम है। उद्योग धंधे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन गरीबी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

सबसे ज्यादा है। इस प्रदेश में चीनी उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। उसमें लगे हुए किसान मजदूरों की हालत बदतर हो रही है। चीनी मिलों के सम्बन्ध में सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए कि आप राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो आपकी क्या योजना है? करोड़ों रुपया दिये जा रहे हैं, विशेष मिले कुछ नहीं रही है। गरीबी बढ़ती चली जा रही है। सामान्य रूप से सामुदायिक योजनाएं चल रही हैं। आप आंकड़ लेकर देख लीजिये।

केवल दस प्रतिशत लोगों की पाकेट में 90 प्रतिशत पैसा चला जा रहा है, और 90 प्रतिशत आदमियों के पास केवल दस प्रतिश। जा रहा है। जब तक सोशल और इकानामिक स्ट्रक्चर आर्थिक ढांचे में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक जो कुछ अभी दिया जा रहा है, समाजवादी दिलाने की तरफ नहीं जा रहे हैं बल्कि कपिटलिस्ट इकानमी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जिसके पास कुछ नहीं दिया जा रहा है, जिसके पास कुछ है उसको दिया जा रहा है। ट्रैक्टर वाले को दिये जा रहा है लेकिन जिसके पास पैदावार भी नहीं है, खेत भी नहीं है, उसको कुछ नहीं दिये जा रह हैं। यह स्थिति ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है।

बैंकों के सम्बन्ध में बातचीत हुई। बाढ़ पीड़ित इलाके हैं। कहा गया था कि गरीबी लोगों को घर बनाने के लिए ऋण देगी। मैं आज चुनौती देना चाहता हूं, कम से कम गोरखपुर के संबंध में वित्त मंत्री जहां से आते हैं, एक भी घर बनाने के लिये जो लोग कमजोर हैं, किसी बैंक ने कर्जा नहीं दिया है। मैं जानना चाहता हूं। किसी ने नहीं दिया है। इस प्रकार से योजनाएं कुछ भी हों, अमल में जिन्होंने आशा भरी नजर से हमारे ऊपर देखा, तीस साल से कांग्रेसी निजाम को खत्म किया और जनता पार्टी को भरमार बहुमत में भेजा उनके लिए कुछ हम कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेरी यह निश्चित राय है और मेरा माननीय योजना मंत्री जी से, माननीय मुख्य मंत्री जी से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि जब तक हमार सोशल स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं होगा। हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हमार' जो हव नाट्स ह, गरीब लोग हैं वह और गरीब होते चल जा रहे हैं, जिससे पास कुछ है, जो सम्पन्न होता है, वह उससे ज्यादा सम्पन्न हो रहे हैं। इस तरह से समानता और विपन्नता की खाई बढ़ती चली जा रही है।

योजना जो दिल्ली में बनती है, जिला स्तर पर और मैं कहूंगा ब्लाक स्तर पर बनानी पड़ेगी। समाज का 90 फीसदी आदमी जिसके पास कुछ नहीं, या बहुत कम है, उसको कैसे ज्यादा दे सकते हैं, हम उसके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए कैसे काम कर सकते हैं। अभी अन्त्योदय की योजना आयी है। योजना में भ्रष्टाचार की बात मैं नहीं कहता। समाज ही है। लेकिन एक बुनियादी बात की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मरी सूचना क अनुसार पिछले साल 40 करोड़ रुपया आवंटित किया गया, 9 करोड़ ही खर्च हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इसक लिए हमारी जो ब्यूरोक्रैसी है वह जनता पार्टी की नीतियों से कमिटेड नहीं है। कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी, अव्यवस्था है। उसी के कारण देवबहादुर सिंह जी को कहना पड़त है कि अन्त्योदय की योजना सफल नहीं हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, योजना बनाते समय हमें सामाजिक परिस्थिति का मूल्यांकन करना पड़ेगा, हमें उन लोगों की तरफ देखना पड़ेगा जिनके पास कुछ नहीं है, उनकी झोपड़ी में कै। कुछ पहुंचा सकें। एक बिस्वा जमीन है, उसको वह कैसे जोत और बो सकें। इसके लिए क्या करने जा रहे हैं। इसके सम्बन्ध में सोचना पड़ेगा। इसी तरह औद्योगिक विकास के लिए बेकारों को रोजगार देने के लिये हमारी दिशा अभी तक स्पष्ट नहीं है।

तो अगर यह विषमता की खांई पड़ी रही, संपन्नता और विपन्नता की खांई को पाटने का प्रयास न किया गया, मैं यह मानता हूं कि केन्द्र से बहुत कम पैसा मिल रहा है लेकिन जितना रुपया आवंटित हो रहा है, और जो वर्ड बैंक या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है उनसे जितना रुपया मिल रहा है, अगर उसका सदुपयोग नहीं हुआ, तो प्रदेश का विकास नहीं होगा। जिस हिसाब से पैसा आ रहा है उसी हिसाब से लोगों के पास ाये। उनके पास किस प्रकार से वह जाये इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। मैं इतनी अपील करूंगा कि जो 6ठी योजना है उसके प्रारूप को तैयार करते समय इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो पैसा आ रहा है वह ठीक प्रकार से जनता तक पहुंचायें। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिम के लोग कहते हैं कि प्रदेश का बंटवारा करो तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसी प्रकार से पूर्वी जिलों की उपेक्षा की जाती रही तो वह दिन दूर नहीं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग यह मांग करेंगे कि प्रदेश का बंटवारा करो। इन शब्दों क साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे छठीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर मैंने इस पुस्तिका को बड़े ध्यान से पढ़ा है। इस प्रारूप में निश्चय ही ऐसा हमारा स्पष्ट मत है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र जिनको 32 स्वर से स्वीकार किया गया है कि ये पिछड़े क्षेत्र हैं उनको इस योजना में भी पीछे कर दिया गया है। मान्यवर, अपनी जनता सरकार आयी उसने भी हमेशा स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड का क्षेत्र, हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं, यह उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में 5 जिलों का क्षेत्र सबसे पीछे है। चाहे जिस विभाग का बजट भाषण हुआ सभी माननीय मंत्रियों ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है परन्तु इस योजना के बनाते समय यहां पर प्रस्तुत करते सभी मंत्री महोदय ने इसको पढ़ा होगा और समझा होगा और चर्चा भी की होगी, परन्तु बुन्देलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाया जाना चाहिये, परन्तु नहीं उठाये हैं। अच्छे किस्म की योजना बनायी जाय।

बुन्देलखंड की भूमि उत्तर प्रदेश के और जिलों से ज्यादा उर्वरा है। वहां पर खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ललितपुर में युरेनियम का भंडार है। विश्व के सभी वज्ञानिक मानते हैं कि वहां पर युरनियम का भंडार है। बांदा का सिल्ट सैंड और फिरोजाबाद की कांच की फैक्ट्रीज जो हैं वह प्रसिद्ध हैं। यह चीजें यहां से बाहर जाती हैं। इस योजना में कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया है कि इन चीजों की वहीं पर फक्टरियां लगायी जाये जिससे वहां पर छोटे-छोटे उद्योग धन्धे पनपे और पिछड़े हुए लोगों को काम मिल सके, अभावग्रस्त नागरिकों को काम मिले, लेकिन इस योजना में इस बारे में कोई ध्यान नहीं रखा गया है। उद्योगों के सम्बन्ध में झांसी में एक सेमीनार हुआ था वहां पर हम लोगों ने एक योजना तय की थी कि अगर यह कार्यान्वित की जाये और छोटी-छोटी यूनिटें लगा दी जायें तो बुन्देलखन्ड का जो कच्चा माल बाहर जाता है वह वहीं से देश और विदेश में जाय। इससे बुन्देलखंड का बड़ा भला होता।

उस उद्योग की बैठक और उन सुझावों का यहां पर कहीं भी समावेश नहीं किया गया है और उन पर विचार तक नहीं किया गया है। और बातें तो दूर रहीं, प्रदेश क और क्षेत्रों को जो सुविधायें दी जाती हैं, चाहे वह पर्वतीय क्षत्र हो, चाहे पश्चिमी हो और चाह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओंकार नाथ]

वह केन्द्रीय हो सभी क्षेत्रों को हर मदों में सुविधायें दी गयी हैं। लेकिन बुन्देलखंड को किसी भी प्रकार की सुविधा किसी भी मद में नहीं दी गयी है।

मान्यवर, छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के पृष्ठ 83 पर तालिका–14 म अनुसूचित जाति, जन-जाति क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार के सम्बन्ध में लिखा गया है। इसमें वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद और अन्य जिलों की कई योजनायें हैं। बुन्देलखंड क्षेत्र में केवल बांदा जिला है जिसके कोने की 2–3 योजनायें ले ली गयी हैं। बुन्देलखंड के 4 जिले बिल्कुल छोड़ दिये गये हैं। इसी प्रकार से सिंचाई सुविधाओं के सम्बन्ध में आप पृष्ठ 106 की तालिका 5 देखें। इसमें सिंचाई विभाज्य एवं सिंचन क्षमता के आंकड़े दिए हुए हैं। पूर्वी क्षेत्र के लिए 20,612, बुन्देलखंड के लिए, 1,432, पश्चिमी क्षेत्र के लिए 5,795 रखा गया है। इस प्रकार बहुत ही कंजूसी के साथ इस क्षेत्र के लिए प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार से वर्ष 1978–83 में बृहद् एवं मध्य सिंचाई के लिए अन्य क्षेत्रों के अनुपात में सबसे कम दिया गया है।

अब मान्यवर, इस प्रारूप के पृष्ठ 110 की तालिका 14 को देखने का कष्ट करें। जल सम्पूर्ति में भी बुन्देलखंड को कुल 926.51 लाख की व्यवस्था पहले 1974–78 तक की गयी थी लेकिन वर्ष 1978–83 में 2,900 लाख रुपया किया गया है, जबकि पूर्वी क्षेत्र के लिए 9000.00 पर्वतीय क्षेत्र के लिए 9500.00 और केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 5500.00 लाख रुपया दिया गया है।

जहां तक और भागों का सवाल है वह तो व्यर्थ ही प्रतीत होता है, वहां पर पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं हो सकती है तो आगे विकास के लिए सोचना ही बेकार है। बुन्देलखंड में इसके लिए भी बहुत कम हिस्सा दिया गया है। मान्यवर, आप जानते हैं कि बांदा और हमीरपुर जिलों में 50–50 गांव ऐसे हैं जहां पर खारी पानी है। वहां पर रिश्तेदार से ज्यादा एक लोटा पानी की इम्पोटेन्स मानी जाती है, इतनी वहां पर पानी की परेशानी है। वहां पर पहले की जल निगम की योजना चली आ रही है लेकिन वे भी अधूरी पडी हुई हैं और अगली पाच वर्ष की अवधि में जो प्रयास किया गया है और जिसके लिये यह चिट्ठा बनाया गया है उसमें भी हम लोगों को पीछे कर दिया गया है।

इसी प्रकार से आप पृष्ठ 114 की परिशिष्ट देखने का कष्ट करें। इसमें बुन्देलखंड को दूसरे नम्बर पर जितनी भी योजनायें दी गयी हैं ये योजनायें बहुत ही छोटी–छोटी किस्म की ह और बहुत ही थोड़ी दी गयी हैं। इसके साथ-साथ पृष्ठ 120 पर तालिका 3– लघु सिंचाई कार्यों से सिचन क्षमता की प्रगति तथा प्रस्तावित लक्ष्य को देखे उसमें भी बुन्देलखंड को बिलकुल अनदेखा किया गया है। ऐसा लगता है कि प्रदेशीय सरकार अभी तक चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों ने इस क्षेत्र को अनदेखा किया है। सरकार ने सोचा कि अगले पांच सालों के लिये बुन्देलखंड के लिये न कोई कहने वाला है और सुनने वाला। ऐसी स्थिति में कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, यह हमारे साथ पक्षपात की स्थिति कब तक रहेगी। जब हम इस लोकतंत्र और जनतंत्र में न्याय की बात और सबसे नीचे के लोगों को सुविधायें देने की बात करते हैं तो फिर पिछड़े क्षत्रों के लिये क्यों नहीं सोचा जाता है.....

मैं समझता हूं कि हमारी सरकार इस विषय पर विशेष प्रयास नहीं करती। हमारे क्षेत्र को एक उपेक्षा के भाव से देखा जाता है। मै चाहता हूं कि अगले वर्ष की योजना बनाते समय आप बुन्देलखंड के लिये ज्यादा से ज्यादा सुविधायें देने की व्यवस्था करायें।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, कल से सदन के तमाम माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये हैं । यह कितनी विडम्बना है कि जनता पार्टी की सरकार आने के बाद योजनाओं का सिलसिला ही बन्द हो गया फिर भी वह जारी है छठी योजना नाम की जो चीज यहां आज चल रही है उसे देख कर ऐसा लगता है कि सरकार के अन्दर योजना नाम की कोई चीज नहीं है । जब ऐसा है मान्यवर, तो बहस किस पर की जाय ? यह विडम्बना का विषय है । लेकिन फिर भी ।

मान्यवर, यह प्रदेश 10 करोड़ की जनसंख्या का प्रदेश है । यह सही है कि खेती की उपज बढ़ी है । पिछलीं योजनाओं के कारण सवा दो करोड़ टन गल्ले का उत्पादन हुआ और छठी योजना में यह ढ़ाई करोंड़ टन हो जायेगा, ऐसी आशा है । इससे निश्चय ही खाद्य की समस्या हल हो जायगी । लेकिन मान्यवर, देखना यह है कि इस उपलब्धि के बाद किसान को मिला क्या ? कितनी प्राप्ति उसे गल्ला नहीं रुपये के रूप में है । गल्ले की जो कैशक्राप कही जाती है उसे भी अगर देखा जाय तो हमारे यहां किसान को एक हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलता है जबकि महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक गुजरात आदि दूसरे प्रदेशों में किसान को एक एकड़ में दो तीन हजार रुपये मिलते हैं । निश्चय ही इसका अर्थ यह है कि हमारे यहां प्रति एकड़ उपज कम है । आपको इसके लिये सुनियोजित योजना बनानी होगी जिससे कि किसान को प्रति एकड़ अधिक आय हो । जब तक किसान की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, जो उसकी कैशक्राप्स हैं—कपास, जूट, तम्बाकू, मिर्च आदि, इनकी उपज प्रति एकड़ नहीं बढ़ेगी, तब तक आपका विकास सम्भव नहीं है ।

इतनी उपज बढ़ाय। जाय थोड़ी सी गन्ने की पैदावार हमारे यहां बढ़ी, मगर हमारे यहां गन्ने की जो दुर्दशा हुई मान्यवर, वह आपको मालूम ही है । सरकार को पहले से सजग रहना चाहिये था कि इस वर्ष गन्ने की इतनी उपज होने की आशंका है, उसके लिये सुनियोजित तरीके से योजना बनायी जाती, मगर वह नहीं बनी जब कि मान्यवर, महाराष्ट्र की तुलना में गन्ने की पैदावार बहुत कम है पश्चिमी अंचल में जिस प्रकार का पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय है, जैसा कि हमारे भाई ओझा साहब ने अभी कहा, उत्तर प्रदेश के पूर्वान्चल में भी ऐसा ही विश्वविद्यालय जौनपुर में खोला जाना चाहिये क्योंकि वह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है । उससे किसानों को नयी एवं तकनीकी कृषि का ज्ञान पूर्वांचल के किसानों को मिलेगा जिससे पैदावार आदि में वृद्धि होगी ।

भारतवर्ष किसानों का देश है उसमें भी यह उत्तर प्रदेश किसानों का यह सूबा है, जिस सूबे के अन्दर 8 5 प्रति त लोग ांवों में हते हैं और इस 85 प्रतिशत में से 82 प्रतिशत किसान हैं, जोकि देश के किसानों की संख्या से ज्यादा हैं और जन-संख्या का सीधासादा दबाव खाती पर पड़ता है । जब जनसंख्या का आधार खेती ही रह जायगी, तो कभी भी आर्थिक बढ़ोत्तरी हो ही नहीं सकती । उसके लिये उद्योग का भी नवीनीकरण होना चाहिये । इसलिए जहां पर इतना खेती का दबाव है, खेती के नवीनीकरण, खेती के बारे में नई-नई चीजें किसानों को उपलब्ध कराने के लिये प्राविधान किया जा रहा है, उसी प्रकार से पूर्वांचल में भी उसी पंत नगर विश्वविद्यालय की तरह एक विश्वविद्यालय जौनपुर में खोला जाय । इस हेतु माननीय मंत्री जी व्यवस्था करें । अगर ऐसा करेंगे, तो उनके प्रति सहानुभूति और किसानों का विश्वास भी उनके प्रति हो सकेगा । मान्यवर, किसी साथी ने यह जौनपुर की बात हंसी में कही लेकिन यह मेरी कोई धरोहर व्यक्तिगत चीज नहीं है । जौनपुर में पढ़े-लिखे ज्यादा लोग मिल सकेंगे, इसलिए मैंने निवेदन किया ।

[श्री अरुण कुमार]

आज जनसंख्या का दबाव खेती पर ही पड़ता है। तो खेती से आज आर्थिक विषमता दूर नहीं की जा सकती। इसके लिये मान्यवर, उद्योगों पर भी दृष्टि रखनी पड़ेगी। मान्यवर, जनता सरकार आने के बाद आपने भाषण में छोटे उद्योगों की बात की। मान्यवर, उद्योगों का समीकरण होना चाहिये, बड़े, छोटे और मध्यम। माननीय मुख्य मंत्री जी तो बहुत पहले से ही ऐसी संस्था और सरकार से सम्बद्ध रहे हैं जहां पर समीकरण की सम्पूर्ण व्यवस्था रही है। लेकिन आज वह यह सब चीजें भूलते जा रहे हैं। क्योंकि जगह गलत है। मान्यवर, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बजट का 14 परसेंट रकम, रखी थी छठी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के बजट को घटा कर 11 परसेंट कर दी जब कि इस प्रदेश की जनसंख्या 17 परसेंट है। इस देश में उद्योगों की संख्या उद्योग मध्यम और बड़े उद्योगों की संख्या 7 परसेंट, उनके अन्दर रोजगार की भी व्यवस्था 7 परसेंट के करीब है। उत्पादन भी 7–8 परसेंट के करीब है। तो ऐसी व्यवस्था में देश के पैमाने पर जन-संख्या के आधार पर इतना बड़ा प्रदेश है लेकिन उत्पादन रोजगार और उद्योग के मान में छोटा होता जा रहा है। इसको बढ़ाकर 17 तो कर ही दिया जाय, नहीं तो बढ़ाकर 21–22 कर दिया जाय।

मान्यवर, बेरोजगार के बारे में हम क्या कहें, बेरोजगार के बारे में शासन की तरफ प्राप्त पुस्तिका भी प्रर्याप्त है मंत्रीगणों ने, पिछली सरकार ने (रामनरेश) हमारे मौजूदा मुख्य मंत्री के पहले मंत्रीगणों ने बाहर बयान दिया, बड़ी-बड़ी नौकरियों की चर्चायें की, अखबारों में इन्होंने घोषणाएं कीं। लेकिन कहा गया वह सब बेरोजगार के बारे में जो शासन के द्वारा हमें किताब उपलब्ध कराई गई है, उसमें स्वत: बताया गया है कि बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी 42 लाख के करीब हो गयी है। जो व्यवस्था है किसानों को जिस ढंग से जोड़ा जाता है, अगर उन सारे किसानों को देखा जाय, यहां तो मान्यवर, 92 परसेंट जो हैं खेती पर आश्रित लोग हैं। 3 हेक्टियर के करीब सिर्फ 8 परसेंट लोग हैं, उसके बाद तो सारे के सारे एक एकड़, डेढ़ एकड़ के करीब आते हैं। 70 परसेंट लोग देश के स्तर पर हैं। इस प्रकार प्रदेश में बेरोजगार ज्यादा हैं। ऐसी व्यवस्था में कैसे सुधार हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सारी चीजों को देखकर उद्योगों के समीकरण को सही करना चाहिये जिससे इस देश का विकास हो सकता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि विकास का माध्यम सड़क हुआ करती है।

मान्यवर, सड़कों के बारे में, क्षेत्रीय विकास में सड़कें बड़ी उपयोगी हैं। जिस क्षेत्र से हमारा संबंध है वहां सड़कें पहले ही कम थीं और अब जौनपुर का दुर्भाग्य है कि सड़कें बनाना बन्द कर दी गई हैं। इसलिए सड़कों के बारे में भी सरकार ध्यान दे। सड़कें मंत्रियों के क्षेत्र में बन रही हैं, हम लोग भी आपके प्रतिनिधि हैं, आपकी कृपा हम लोगों पर भी होनी चाहिये। सड़कें एवं सिंचाई के साधन प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायें।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आप बैठिए।

श्री अरुण कुमार––

इस योजना के अन्तर्गत जो भी धनराशि शासन ने ली है उसके बारे में सजग होकर व्यवस्था करायें और समय से पूर्ण कराने में धनराशि में आयोग सक्षम हों वरना देश और प्रदेश का विकास तो दूर रहा धनाभाव भी हो जायेगा जो जो धन मिला है वह भी वापस हो जायेगा। इससे आपकी योजना कागज पर ही रह जायगी।

*श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, जो.....

(व्यवधान)

बच्चे तोमर का नम्बर है, बुजुर्ग तोमर का बाद में ।

एक सदस्य—

दोनों तोमर को इकट्ठा बुलायें, देखें कैसा लगेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं तो श्री लक्खी सिंह को जानता हूं ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मेरे विचार से यदि हम गम्भीरता से सोचें तो जो पंचवर्षीय योजनायें हो चुकी हैं, यह 6 ठी आयी है तो सारी मिलकर उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकीं जिसके लिए बनायी गयी थी । मान्यवर, थोड़ा सा समय इसमें लूं, इस देश में योजनायें क्यों बनीं ? पंडित जवाहर लाल नेहरू समाजवादी थे । सोवियत रूस को देखकर योजनायें बनायीं । हुआ क्या, सोवियत रूस से योजनायें लीं, इस देश का विकास करें लेकिन हमारे पास व्यवस्था पूंजीवादी थी, योजनायें समाजवादी और उस लागू करने की जो मशीनरी थी वह नौकरशाही की । तीनों चीजें एक दूसरे से मिसज्वाइन्ड होकर जो लाभ होना चाहिये था वह नहीं हो सका । जो इकोनामिकली एडवांस देश है, जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन में नहीं ह । सोशलिस्ट कण्ट्रीज में बनायी गई थीं कि इन देशों का विकास सही डाइरेक्शन में हो ।

मान्यवर, सोवियत रूस में जो योजनायें हैं, उनका निर्णय क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार होता है, एक विशेष विभाग के लोग बैठते हैं, कमी किस चीज की है मास्कों से बन कर नहीं आतीं, धरती से बन कर ऊपर आती हैं । ओझा जी ने और अरुण जी ने कहा कि बुन्देलखंड, पूरब, पश्चिम के क्या कष्ट है, उस पर विचार करने के लिये दिल्ली में ब्यूरोक्रेट्स हैं । उन्हे नहीं मालूम कि स्थानीय विशेषतायें क्या हैं । कितने ट्यूबवेल्स, इरींगेशन, लिफ्ट इरीगेशन, देश की धरती को किस चीज का कष्ट है, इसका निर्वहन नहीं हुआ है । अगर सूबा अलग-अलग हिस्सों में बंट जाय तो कम से कम एक हिस्से के लोग बैठकर समस्या का समाधान तो कर सकें । पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप को पढ़ने के बाद कोई योजना नजर नहीं आती । प्रोग्राम तो जरूर है, 5 सालों का एलोकेशन किया है ।

मान्यवर, इस देश में एक महान् शक्ति है । जन शक्ति । चीन और हिन्दुस्तान के पास बहुत बड़ी जन शक्ति है । अगर हम लोगों को कोई योजना बनानी है, इस देश के मनुष्यों के लिये कोई योजना बनानी है तो उस योजना में सबसे पहले इस देश की जन शक्ति का प्रयोग करना है । डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि भूमि सेना तैयार हो, हमारे देश के पास साधन है जन शक्ति का, हम इन हाथों का प्रयोग करें । सड़क बनाये तो इन हाथों से, खेत लहलहायें तो इन हाथों से, बंजर भूमि सुधारें तो इन हाथों से, । हमारे पास शक्ति है, अपार शक्ति, इस शक्ति का प्रयोग हम देश के कल्याण के लिये कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि सारी योजना में अलग-अलग इनवेस्टमेंन्ट होता है । शिक्षा में, बी० ए० के बाद कालेज चलाने की आवश्यकता नहीं है । लड़के नकल करते हैं । नकल भी नहो कर पातें ह, कापियां घर पर आती हैं और दूसरे लोग उन कापियों में लिखते हैं । तो इस शिक्षा की क्या आवश्यकता है ।

---

* वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर]

प्रौढ़ शिक्षा पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। लड़कों को हम नहीं पढ़ा सकते, उन्हें रोजगार नहीं दे सकते, उनकी शिक्षा को नहीं सुधार सकते तो हम प्रौढ़ को क्या पढ़ायेंगें। यह मूल समस्यायें नहीं हैं जो दिल्ली में बनती हैं। समस्यायें तो नीचे से बनती उत्पन्न होती हैं। मेरे पिता जी 75 वर्ष के हैं उनको पढ़ाकर क्या बनायेगें जरूरत इस बात की है कि यह हाथ जो दूसरे का खेत काट रहे हैं, जो वास्तव में देश का श्रम हैं, उसको हम क्या दें, रास्ता दें, इस मुल्क में इसकी जरूरत है। खेत खाली पड़े हैं, खलिहान खाली पड़े हैं, जब हम मुरादाबाद तक जाते हैं, तो देखते है कि सभी कुछ खाली-खाली पड़ा है, विचार आता है कि इन्हें भर पेट खाना नहीं है। दिल्ली जाते है तो देखते है कि इलेक्ट्रिक टेकनिक का डेवलमेंट कर लिया है। यदि कोई खेत 15–20 दिन खाली रहता है तो दूसरा किसान कहता है कि यह खेत का अधिकारी नहीं है, इसका खेत खाली पड़ा है। ओझा जी ने कहा कि यह ट्रैक्टर की बात करते हैं। पश्चिम में कुछ नहीं चाहिये हमको। जमीन में लगान माफी नहीं चाहिये। हमको ट्रैक्टर चाहिये हमको फर्टीलाइजर चाहिये, ट्यूबवेल नहीं चाहिये, बिजली चाहिये। ट्यूबवल हम खुद लगा लेंगे। पूर्व में आपको सब कुछ प्रारम्भ से करना होगा।

नये बीज देने पड़ेंगे, फर्टीलाइजर देना होगा, यह बताना होगा कि कौन-सा बीज कब बोयें, किस फर्टीलाइजर का कब प्रयोग करें। ट्यूबवेल लगाने होंगे। पहाड़ पर दूसरी योजनायें बनानी पड़ेंगी। मैंने यह कहा कि हमारे मुल्क की बेसिक दिक्कत यह है कि योजना दिल्ली में बनती है। वह योजना दिल्ली से चलकर लखनऊ आती है, लखनऊ से जिले में, जिले से विकास खण्ड में, फिर बी0 डी0 ओ0 से ए0 डी0 ओ0 के पास जाती है। तब देहात में रहने वाले किसान के पास जाती है। इसीलिये वह लाभान्वित नहीं हो पाता।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करिये।

श्री सोहनबीर सिंह तोमर—

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान अपनी तरक्की कर सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि योजनायें डा0 लोहिया के सिद्धांतों पर बनें, जन शक्ति का कोई उपयोग हो सकें तो हमारे देश की बेकारी दूर हो सकती है, बेहाली दूर हो सकती है।

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों और विशेषकर जबकि वह यहां नहीं हैं; नेता विरोधी दल का अनुग्रहीत हूं।.....

मैं नेता विरोधी दल का अनुग्रहीत हूं। कल वह शिकायत कर रहे थे कि योजना में सरकार की दिलचस्पी नहीं है और कल उन्होंने व्यंग किया कि यहां पर 3 मंत्रि परिषद् के सदस्य उपस्थित हैं। लेकिन आज तिवारी जी ने इस बात का सबूत जरूर दिया कि वह-केवल प्रेस के लिये भाषण दे रहे थ, उनकी वास्तविक दिलचस्पी इस प्रदेश के योजना, वद्ध विकास के अन्दर नहीं है। श्रीमन्, योजना कोई गलत राजनीति से संबंधित नहीं है इसलिये मुझे बड़ी खुशी है कि मा0 नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने इसमें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई राजनैतिक संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं रखा बल्कि प्रदेश के विकास की दृष्टि से उन्होंने सुझाव रखे । गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या, प्राथमिक आवश्यकता की चीजों की कमी यह सारी चीजें हम सब लोगों को समान दुश्मन हैं इसलिये हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिये कि हम प्रदेश को न केवल अन्य प्रदेशों के स्तर पर लाने का प्रयास करें बल्कि पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये योजना बनायी गयी है उसको भी हम पूरा कर सकें ।

श्रीमन्, मा0 नेता विरोधी दल ने इस पुस्तिका से पढ़कर सुनाया कि योजना का उद्देश्य क्या है, बेरोजगारी को दूर करना, प्राथमिक आवश्यकतायें स्वच्छ जल, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, जीवन स्तर को ऊंचा करना, यह सब पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के अन्दर लिखे हैं, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया । अभी श्री तोमर जी ने योजना और समाजवाद का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि एक पूंजीवादी व्यवस्था और एक योजना इन दोनों के अन्दर कोई संगति नहीं है । उन्होंने यह भी कहा कि यह योजनाबद्ध विकास का विचार सोवियत रूस से लिया गया है, तो संसार में विचारों का आदान-प्रदान होता है । हिन्दुस्तान में यह योजना का विचार 1951 में नहीं बल्कि 1937 में जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र बोस बने तो उनकी अध्यक्षता में यहां एक प्लानिंग कमीशन नियुक्त किया गया जिसके सेक्रेटरी हमारे देश के स्वर्गीय के0डी0 राय थे, और उस समय हिन्दुस्तान के योजनाबद्ध विकास के लिये उन्होंने काफी साहित्य का सृजन किया । तो समाजवादी व्यवस्था में ही केवल योजना की आवश्यकता नहीं है । योजना का मतलब तो यह है कि साधन हमारे कम हैं, इनकी प्राथमिकता निश्चित करना है कि हमको कहां साधन जुटाना है, इसलिये योजना की आवश्यकता है । और हमने अपने देश में जो पद्धति अपनाई है वह मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की है क्योंकि यह हम लोगों का विचार रहा है कि एक बिन्दु के ऊपर कम्युनिज्म और पूंजीवाद आकर मिल जाते हैं । उनके अन्दर केन्द्रीयकरण और कारखानों का काम रहता । सिर्फ पूंजीवाद और वर्गवाद के अन्दर अगर कोई अन्तर है, तो यह है कि पूंजीवाद के अन्दर व्यक्तिगत पूंजी होती है वरना उनके अन्दर कोई अन्तर नहीं होता । इसलिये हमारे नियोजकों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न रहा है लोकतांत्रिक योजनाबद्ध विकास । हमारा यह मंतव्य रहा है कि अगर देश का विकास भी हो लेकिन देश के विकास की कीमत लोकतन्त्र हो तो हम इस तरह के आर्थिक विकास को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं । हमारी जो योजनायें हैं, उनमें सरकारें बदली हैं, उसमें एक क्रमिकता है, कोई समाज नया नहीं खड़ा किया जा सकता है । पिछले समाज पर एक नई इमारत की श्रंखला खड़ी करनी पड़ती है इसलिये नियोजन पर कोई दोषारोपण का प्रश्न नहीं है । जो हम उसकी समीक्षा करते हैं उसका लक्ष्य यही है कि पहली भूलों को समझकर काम करें । श्री तोमर ने कहा कि इस वक्त जब हमारे हाथ खाली हैं तो योजना का प्रथम लक्ष्य होना चाहिये कि हम योजना के अन्तर्गत जो मानव हाथ हैं उनका उपयोग करें । यही महात्मा गांधी कहते थे ।

गांधी जी ने कहा कि बिजली और बड़े-बड़े कारखानों के मैं विरुद्ध नहीं हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि औद्योगीकरण देश की परिस्थिति के अनुसार हो । महात्मा गांधी ने जो कहा था और देश के अन्दर जो योजनायें चलीं, उसमें मुझे कोई अन्तर्द्वन्द नहीं नजर आता है । बिजली के कारखानें खड़े करने होंगे और स्वयं गांधी जी ने कहा था कि उनको सार्वजनिक क्षेत्र में रखना होगा । उन्होंने कहा कि मैं तो फौज रखना नहीं पसन्द करता हूं लेकिन मैं देश को यह सलाह नहीं दे सकता हूं कि फौजों का विसर्जन कर दिया जाए । फौजें रखना होंगा, डिफन्स कारखाने खोलने होंगे । रसायन कारखाने खड़े करने होंगे, रेलवेज खड़ी करनी होंगी । वे कहते थे कि बड़े उद्योगों को अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र में रखना

[श्री बनारसी दास[

होगा ताकि हाथों के उपयोग और बड़े उद्योगों में कोई विरोधाभास न हों। मैं उन व्यक्तियों में नहीं हूं जो ऐसा मानते हैं कि देश में बड़े उद्योग लगाकर भूल की गयी। अगर स्टील प्लांट, हवाई जहाज कारखानें और डिफेन्स का उत्पादन न होता तो हिन्दुस्तान सन् 1965 और 1971 की लड़ाई नहीं जीत सकता था। लेकिन आज की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए हमारे नियोजन का मुख्य लक्ष्य वह होना चाहिए जो कैपिटल इन्टेन्सिव न होकर जाब ओरियेन्टेड हो। अन्न के बदले में काम की योजना इसी विचार से उत्पन्न हुई है।

राजस्थान में एक छोटा सा प्रदेश है, पारसाल करीब 4 लाख टन का उपयोग किया, हमने 2 लाख टन से अधिक का उपयोग किया। यह अनाज खाने की आदतों से बाहर है। इस बार हमारा लक्ष्य है कि 4 लाख टन अनाज लेकर हम अपने प्रदेश में काम के बदले अन्न योजना चलाकर पुलों के बनाने, प्राइमरी स्कूलों की इमारतें सड़कों के बनाने, इन सब कामों के लिये करें। तो जो परसों आपने बजट पास किया 26 अरब रुपये का जिस में वास्तविक व्यय 19 अरब का था, जिसमें 810 करोड़ रुपया योजनाबद्ध और बाकी 11 अरब रुपया चालू योजनाओं के ऊपर था। तो अगर हम इन योजनाओं को बढ़ायें तो लोगों को काम भी दे सकेंगे, उत्पादन भी बढ़ेगा और करीब-करीब 60 करोड़ रुपये की धनराशि अनाज की शक्ल में हम अपने प्रदेश में ला सकेंगे।

तो श्रीमन्, अब तक यह पिछड़ापन क्यों रहा, कैसे रहा, यह तो एक लम्बी कहानी है और मैं दोषारोपण की दृष्टि से नहीं कहता। कल माननीय नेता विरोधी दल चर्चा करते थे कि बेरोजगारी की दिशा क्या है, रोजगार की दिशा क्या है, इसके अन्दर समृद्धि का औसत क्या होगा, आदि आदि प्रश्नों को उन्होंने उठाया था। तो सबसे पहले म निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर हमारे पिछड़ेपन का कारण क्या है। पिछड़ेपन का कारण पिछले दो सालों में पैदा हुआ नहीं। और इसमें जब आंकड़े आपके सामने रखूंगा तो मैं सिद्ध करूंगा कि पिछले दो सालों में जो प्रगति की रफ्तार रही है पहले के मुकाबले में कम से कम ड्योढ़ी गुना रही है और ज्यादा तेजी के साथ में हमने बढ़ाई है, जिसमें विकास की प्रगति बढ़ी है। लेकिन अब तक हमारे पिछड़ेपन का कारण क्या है।

1951 से लेकर 1979 तक प्रत्येक व्यक्ति पर योजनागत व्यय हमारे प्रदेश में 636 हुआ जबकि अन्य राज्यों का यह 734 रुपया था। यानी सौ रुपये प्रति व्यक्ति। इसका मतलब है दस करोड़ की हमारी आबादी तो दस अरब रुपये इनवस्टमेंट हमने कम किया है। और अगर पंजाब से तुलना करें तो पंजाब में 1500 रुपया व्यय किया। तो अगर पंजाब के समान हम होते तो कम से कम हमको 20 अरब रुपये लगाना चाहिए था। फिर उसके अन्य कारण क्या हैं। केन्द्र सहायता जो इन 28 सालों में हमको मिली वह मिली 221 रुपये प्रति व्यक्ति अन्य राज्यों का 279 रुपये। बाजार से जो कर्ज हमने लिया उसमें 35 रुपये प्रति व्यक्ति जबकि अन्य सूबों का औसत 55 रुपये से अधिक है। फाइनेन्शल इन्स्टीट्यूशन्श से जो हमको सहायता मिली, जिसका जिक्र माननीय कुछ सदस्य कर रहे थे, वह 75 रुपया प्रति व्यक्ति जब कि अन्य 14 राज्यों का औसत 129 रुपये आती है।

इसी तरह से अभी हमारे एक माननीय सदस्य तामिलनाडू की चर्चा करते थे कितने रुपये बैंक में जमा हुए--1 00 करोड़ रुपये 1300 करोड़ वहां पर लगे और हमारे यहां कम लगा। हमारे यहां कम है। वह 44 प्रतिशत है और 56 प्रतिशत हमारा जो गरीब सूबा है इसका पेशा भी बाहर की तरफ को जाता है। अन्य सूबों का औसत 64 फीसदी का है।

हमारी योजनाओं का औसत 28 सालों के अंदर 12.86 रहा । और केन्द्र पूंजी, जिसका बड़े गौरव के साथ माननीय नेता विरोधी दल जिक्र कर रहे थे, वह है केवल चार फीसदी, जिसके लिए कहते थे कि हम ये योजनायें लाये ।

तो यह सारा केवल दो साल का ही है, यहां पर कारखाने, या रोजगार या इकाइयां ये तो 28 साल की भूमिका है । (व्यवधान) मैं भी यहां हूं । मैंने बढ़ाने की कोशिश की थी । पिछले दो सालों में इस प्रदेश की औसत आमदनी प्रत्येक व्यक्ति की काफी बढ़ी है और इस वक्त 715 रु0 है जबकि देश की औसत 930 है । हमारे पिछड़ेपन का सब से बड़ा कारण क्या है ? उसके लिये मैं किसी एक पक्ष पर जोर नहीं देना चाहता हूं । (व्यवधान) मुझसे पहले भी बढ़ा है । पिछड़ापन बढ़ने का कारण यह है कि हमारे यहां के लोग पापुलिस्ट पालिसी के मानने वाले हैं ताकि कोई नाराज न हो । इस नीति को अपनाया जाता है । मैंने उस रोज बजट भाषण में कहा था माननीय तिवारी जी इस नीति को बरतते हुए लगभग 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार छोड़ कर चले गये ताकि उनको वोट ज्यादा मिल जायं । आप बतायें आपकी तरक्की कैसे होगी, सड़कें कैसे बनेंगी, पेयजल की व्यवस्था कैसे होगी जबकि अन्य प्रदेशों की औसत व्यय विकास पर 338 रु0 है और इस प्रदेश का 234 रु0 है यानी हम अपने विकास पर 104 रु0 प्रति व्यक्ति कम खर्च करते हैं । अतिरिक्त संसाधन जो छठी पंचवर्षीय योजना के लिये है, अन्य राज्य प्रति व्यक्ति 77 रुपया अधिक करेंगे और हमारे प्रदेश के लिये अन्दाजा है कि वह 68 रुपया होगा ।

हमारे पिछड़ेपन का कारण यह ही है । मैं विरोधी दल का अत्यन्त कृतज्ञ हूं कि उन्होंने कहा कि हमारी योजना का आकार जितना हमने रखा था 8,000 करोड़ उतना ही रहना चाहिये था लेकिन मैंने 5 हजार करोड़ मानकर बड़ी गलती की और मैं कोशिश करता 8,000 करोड़ के आकार के लिये ही 5 हजार करोड़ को न मान कर । कोई और व्यक्ति कहता तो मुझे आश्चर्य नहीं होता लेकिन जब माननीय तिवारी जी ने बजट प्रस्तुत किया था और पहली योजना बनाई थी और स्वयं केन्द्र में उस योजना को लेकर गये थे तो केवल 50 प्रतिशत उनको मिला था और फिर मैंने तो यह भी कह दिया है कि हमने अभी प्रयास छोड़ा नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––

3200 करोड़ रु0 की योजना बनाई और 2869 करोड़ खर्च हुआ था ।

श्री बनारसी दास––

यह योजना बड़ी थी, यह अन्तिम व्यय था जिसको कहते हैं कि रोलिंग प्लान जिसका कल आपने मजाक उड़ाया था । रोलिंग प्लान जड़ नहीं होता, जीवित प्लान होता है और जो धन आपका 2800 करोड़ का था, अब यह 4700 करोड़ है और हमारा प्रयास है कि यह 6000 करोड़ तक पहुंचे यही हमारा लक्ष्य भी है ।

श्री उपाध्यक्ष––

(नेता विरोधी दल से)––आपके लिये मुख्य मंत्री बहुत बेचैन थे ।

श्री बनारसी दास––

माननीय नेता विरोधी दल जानते हैं कि कुल धनराशि जो केन्द्र को राज्यों में वितरित करनी थी वह 6,200 करोड़ थी और इस 6,200 करोड़ में हमारा हिस्सा 1651 करोड़ आया । हमको जरूरत थी 7,793 करोड़ की, इसका मतलब यह हुआ कि हमको अपने संसाधनों से 6,144 करोड़ रुपया और जुटाना है । हमारे जो मौजूदा साधन हैं कराधान

[श्री बनारसीदास]

से 2230 करोड़ रुपया तथा अतिरिक्त साधन जैसे 600करोड़ समावेश से तथा 100 करोड़ बिजली के मोहकमें से है। इस तरह से 2230 करोड़ का कराधान से है और 700 करोड़ अतिरिक्त संसाधनों से ही हमारे पास है। मुझे तो प्रसन्नता होगी कि 8 000 करोड़ की योजनायें मिले, हम उसके लिये तैयार हैं। अगर तिवारी जी के पास कोई ऐसा रास्ता हो, वे हमें बतायें जिससे हम प्रदेश के अन्दर स्वयं संसाधन जुटा सकें।

हम जानते हैं कि हमारा जो किसान है वह ट्यूबवेल बनाता है, ट्रैक्टर खरीदता है, कर्जा लेकर यह सब करता है, जेवर और जमीन को गिरवीं रखकर करता है, प्रदेश के स्तर को ऊंचा उठानें की कोशिश करता है किन्तु हम अपनें कर्तव्यों से बचना चाहते हैं। बावजूद प्रबल इच्छा के और हमने प्रयास किया कि 1500 सफे का साहित्य पेश किया, बहुत वकालत की, लेकिन सबके बावजूद भी हम अन्त में 4700 करोड़ रुपये तक ही आ पाये। इसके अतिरिक्त अगर हमारी टेहरी और आनपारा की योजना का समावेश केंन्द्रीय योजना में हो जाता है तो हमारी योजना स्वतः ही बढ़कर 5000 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती है। मैं तिवारी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गाडगिल फारमूले के हिसाब से हमको 240 करोड़ रुपये मिलते लेकिन मिले हमको 424 करोड़। फिर भी हमको 184 करोड़ रुपया ज्यादा मिला। और जो कन्द्रीय योजनायें कार्यान्वित करनी पड़ेगी उसमें केवल 25 करोड़ रुपये हमें अपने साधनों से जुटाने होंगे। अगर उस 184 करोड़ में से हम 25 करोड़ भी निकाल दें तो तब भी आंप देखेंगे कि हमको लाभ ही हुआ है। फिर इसके अतिरिक्त केन्द्र की योजनायें हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

गाडगिल फारमूला खतम करवा दीजिये।

श्री बनारसी दास---

श्रीमन्, हमने गाडगिल फारमूला समाप्त करने का प्रयत्न किया लेकिन हमारे इस संघर्ष में न केवल महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु आदि जो समृद्ध प्रदेश हैं विरोध में थे बल्कि पिछड़े प्रदेश भी हमारे विरोध में थे। इसलिये मैने कहा था धन्यवाद देने में भी माननीय तिवारी जी ने कंजूसी की। इसीलिये मैंन धन्यवाद दिया, सारे प्रदेश यहां तक कि पिछड़े हुए प्रदेश भी खिलाफ थे उसके बावजद भी हमारे वित्त मंत्री, उप-प्रधान मंत्री और प्रधान मंत्री ने उस सिद्धान्त को माना जिसके फलस्वरूप जैसा मैनें कहा हमको न केवल 184 करोड़ मिला इसके अतिरिक्त केन्द्रीय योजनायें भी हैं। कुछ तो शत् प्रतिशत् हमको मिलेंगी और वह 17सौ करोड़ हैं, 204 करोड़ अतिरिक्त मिलेगा। 17सौ करोड़ की केन्द्रीय योजना है जिसमें 50 हमको मिलेगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 408 करोड़ हमको अतिरिक्त मिलेगा। तो केन्द्र से जो शिकायत रही कि हमारे प्रधान मंत्री रहें इसलिये ज्यादा हमको प्राप्त नहीं हो सका, अबकी मर्तबा इसमें कोई कमेंन्ट करने की जरूरत नहीं है। जो केन्द्र की सहायता है वह तमाम जो डिविजनल पूल हैं उसका 18 प्रतिशत होता है इससे पहले 12 और 14 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हुआ था, यह कम से कम न्याय हमको मिला है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

तो क्या आगे उत्तर प्रदेश का प्रधान मंत्री नहीं होना चाहिये ?

श्री बनारसी दास---

मेरा तर्क यह नहीं है, प्रधान मंत्री बने। मैं यह नहीं कहता कि पक्षपात करें लेकिन कम से कम न्यायोचित भाग तो हमें मिलना चाहिये।

माननीय तिवारी जी ने कहा कि पेय जल की क्या व्यवस्था की गयी है तो आपने जो योजना बनाई उसमें 104.92 करोड़ रूपया था उसमें हमने 78-79 में स्वयं 39 करोड़ रुपये व्यय किया तो जो रह गये उसमें हमने प्रावधान किया है अगर 5 हजार करोड़ की भी योजना रहेगी तो 220 करोड़ मिनिमम होगा। वैसे हमने पेयजल की व्यवस्था के लिये 377 करोड़ रु0 की धनराशि रखी है।

(इस समय दर्शक दीर्घा से जय भारत माता की आवाज और पर्चे फेंके गये और नारे लगाये गये)

श्री देव बहादुर सिंह—

यह भी आपके पक्ष में नारे लगा रहें हैं।

श्री बनारसी दास—

श्री मन्, नेता विरोधी दल ने कहा कि इस बजट में कहीं पर भी दिशा नहींहै। यदि आप इस पुस्तक के पृष्ट 55 और पैरा 44 देखें तो हमारी आर्थिक वृद्धि का आधार है वह 5.7 कृषि, 4 प्रतिशत उद्योग और साढ़े 7 प्रतिशत विद्युत के अन्दर है अब तक 13% था वह 16.9 प्रतिशत है।

श्री मन्, आपने विशेष रूप से चर्चा की कि हमनें जो 15 लाख व्यक्तियों को कृषि के रोजगार के लिये प्रावधान किया है उसका क्या आधार है। तो उसका आधार नेशनल एग्रीकलचर कमीशन और जो अन्य पैमाने हैं जिससे कि अतिरिक्त रोजगार मिलते हैं वह हैं।

श्रीमन्, अगर आप हमारे लक्ष्यों को देखें जिसका जिक्र श्री अरुण कुमार जी करते थे इस साल 79-80 की फीगर्स हमारे लक्ष्यों की 2 करोड़ 23 लाख टन की हैं और पिछल साल 2 करोड़ 15 लाख टन, जो पहले से वृद्धि हुई है। इसी प्रकार सिंचाई योजना में एक साल के अंदर जो हमारा प्रगति है देखने की चीज है 6 लाख 48 हजार हेक्टर अतिरिक्त की है और अगले साल की तब बत ाऊंगा, जब मैं आपकी रोलिंग प्लान का उत्तर दूंगा यह नहीं कि योजना बनायी वृद्धि और सेविंग की, दर कुछ थी, रह कुछ गयी। तो आप भी रोलिंग, हम भी रोलिंग, हम कहीं पर खड़े नहीं ह। आपकी पहली प्लान जो उसकी जड़ थी, वह आपका भ्रम था यही वजह है कि फिजिकल टारगेट्स में बड़ा अन्तर रहता था। उस प्लान में यह नहीं सोचा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में खेती के अन्दर बड़ा फ्लक्चुवेंशन होता है बाढ़ आ गयी, पैदावार कम हो गयी। तो यह हमारा रोलिंग प्लान है, उसका मतलब यह है पंजवर्षीय योजना और वार्षिक योजना-दोनों के बीच में सामंजस्य हो। हमारा परसेपैक्टिव पहली योजना का पांच साल के लिये बनता था, एक दो साल के लिये हमारी नजर नहीं थी। किन्तु इसके अनुसार हमारा अन्तिम लक्ष्य 5 साल और दूसरा लक्ष्य एक साल का हो तो लक्ष्यों को पूरा करनें में ज्यादा सहायता मिलेगी। और जो नई-नई असंगतियां जैसे प्राकृतिक प्रकोप, खेती में कमी या कोल में कमी हो तो उस दृष्टि से हमें अपनी योजना में भी परिवर्तन करना होगा। तो रोलिंग प्लान का यह अर्थ नहीं है कि हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो रखा, लेकिन उस लक्ष्य पर दृष्टि रखकर ऐसा किया कि उसकी मानीटरिंग करने में हमें आसानी हो।

इस तरह से बिजली है-35.17 मेंगावाट। अब ग्रामों में विद्युतीकरण एक साल में 49 सौ का रखा है। आप बतायें कि क्या कभी इतना अधिक रहा है। कुल मिलाकर आज तक करीब-करीब 135 हजार गांवों में बिजली पहुंची है। तो हमने जो एक साल में 46 रखा है, यह क्या कम है। हरिजन बस्तियों में 4400 बस्तियां हैं। लघु इकाइयां एक साल के अन्दर 4 हजार बढ़ाने का हमने लक्ष्य रखा है। सड़कों का जिक्र किया।

[श्री बनारसीदास—]

सड़कें जब आपने चार्ज छोड़ा था 40 हजार किलोमीटर थीं, वह बढ़ीं और करीब 48 हजार किलोमीटर हुईं। इस साल में हमारा लक्ष्य 5400 किलोमीटर का है। इसमें कुछ मैटेल्ड हैं, जिनको तार रोड कहते हैं। इसी प्रकार से आवास का एक साल में प्राधिकरण और आवास परिषद् मिलाकर 40 हजार से अधिक मकानों का है। आप कहते हैं कि विकन्द्रीयकरण नियोजन का हो, उसी को दृष्टिकोण में रखकर हमने 15 करोड़ पहली मर्तबा जिलों को दिया है, जिसमें से दो दो लाख की वह कोई भी योजना जिला स्तर पर और उससे ऊपर 4 लाख की योजना कमिश्नर की स्वीकृति से कर सकते हैं। उसके बाद हमने 25 करोड़ रुपया अन्त्योदय योजना के लिये रखा है, जिसमें पांच लाख परिवार शामिल होंगे। नीचे से नियोजन करने का प्रयास किया गया। हमारे प्रदेश की गरीबी कैसे दूर होगी यह सोचा है। चिन्ता का विषय है तो यह योजना जिन परिस्थितियों के अन्दर बनी है, अभी हमने पूर्णतया इसको स्वीकार नहीं किया है। हमारा अब भी प्रयास है कि योजना का आकार बढ़े और हम केन्द्र पर इस बात का आग्रह करना चाहते हैं कि चूंकि हम गरीब हैं, हमारे जो संसाधन हैं, सात करोड़ अतिरिक्त इससे अधिक नहीं हो सकते हैं, हमारी मदद की जाय, केन्द्र के क्षेत्र में कारखाने यहां पर बनाएं। इसके अतिरिक्त जो अब तक हमारा पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिये जहां पर प्लानिंग कमीशन ने अपना लक्ष्य रखा है कुल मिलाकर साढ़े चार प्रतिशत वृद्धि का रखा है वह साढ़े पांच प्रतिशत हो।

श्री तिवारी जी ने बड़ा बल दिया ग्रोथ रेट पर। मैं उनको स्मरण दिलाऊंगा कि उनकी मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी का जब वह चैम्बर आफ कामर्स में गयी तो एक साथ उनको यह विचार आया एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री से उन्होंने कहा कि किसी भी देश का ग्रोथ रेट वहां की समृद्धि का प्रतीक नहीं हो सकता है। ग्रोथ भी हो लेकिन ग्रोथ के साथ सोशल जस्टिस हो। ऐसा ग्रोथ हो जिससे सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। इसलिये ऐबसोल्युटली साढ़े चार परसेंट या पांच परसेंट ग्रोथ हुआ, यह काफी नहीं है। ग्रोथ के साथ यह भी देखना है कि उसका लाभ कितनी जनता को मिला है। इसीलिये जहां अब तक योजनायें रहीं उसमें हम इतना नया जोर देना चाहते हैं, कुटीर उद्योग लगाया जा रहा है या नहीं, पहले जोर नहीं था, छोटे-छोटे उद्योग, छोटो-छोटो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज उसके लिये प्रोत्साहन भी दिया गया है। उसके लिये बहुत से वित्तीय तरीके अख्तियार किये गये हैं ताकि ज्यादा लोग स्वचालित और बड़े उद्योग बड़ी तादाद के अन्दर लगायें। बड़े उद्योगों की, छोटे उद्योगों की अगर सीमाएं निर्धारित कर दी जायें उनके अन्दर कोई विरोध नहीं है। इसलिये जो यह योजना है इसका लक्ष्य यह है कि हम तेजी के साथ बढ़ें, हमारा जीवन का स्तर ऊंचा हो। उन्होंने कहा क्या है। जैसा मैंने कहा अगर साढ़े चार हजार किलोमीटर सड़कें बनेंगी तो आदमी लगेंगे, अगर हमारा अन्न उत्पादन 223 लाख टन होगा तो उसमें आदमी लगेंगे। अगर पांच लाख हेक्टयर अतिरिक्त सिंचाई होगी तो उसमें आदमी लगेगा तो उसका पैमाना उत्पादन हो सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरा मूल प्रश्न यह था कि उनकी छाप भी लगनी चाहिये, वह अभी आयें हैं शासन मे बनारसीदास जी की अभी छाप नहीं लगी है, वह लगायेंगे। नये प्लान में कहा गया है कि दस साल के अन्दर बेरोजगारी समाप्त कर देंगें। पांच साल में कम से कम 40 प्रतिशत बेरोजगारी खत्म हो जानी चाहिये। बाकी समय में 60 प्रतिशत खत्म होगी। राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी ? उसके लिये बेरोजगारी आंकड़े बतायें, लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने वाली है। अगर मैन्डेटरी बनाना है तो योजना को बदलना होगा। उसके लिये क्या करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी कितना समय लेंगे माननीय मुख्य मंत्री जी ?

श्री बनारसी दास—

यही तो मैंने कहा। हमारा प्लान जड़ प्लान नहीं है। हमारे जैसे जैसे साधन बढ़ेंगे हर साल हम देखेगें, जैसे बेरोजगारी की संख्या का सवाल है, जो विकलांग हैं, गरीबी रेखा का सवाल है, उस दृष्टि से लक्ष्य रखकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा पुस्तिका में है, कल आपने कहा कि 35 लाख आदमियोंके काम की बात है वह तो अनुमान है, 15 लाख कृषि के अन्दर है। जैसा अभी तक रहा, जो लक्ष्य रखा है कभी पूरा नहीं हुआ और उसके साथ ही साथ बैक लाग बेरोजगारों का बढ़ता गया। इसी लिए मैंने रोलिंग प्लान रखा है। लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम आगे बढ़ेंगे। श्रीमन्, इस प्रकार मैंने माननीय नेता विरोधी दल, श्री श्यामधर मिश्र जी तथा अन्य लोगों ने जो बहुत कीमती सुझाव दिए, उनका आभारी हूं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि ज्यादा पढ़ना-लिखना दिशाहीन बना देता है। तो मैं यह कह रहा था कि हमारे प्रशासन का ध्यान.....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कम पढ़ना-लिखना दिशावान बना देता है ?

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, गीता में है कि संशय आत्मा विनश्यति। ज्यादा खाने से बदहज्मी हो जाती है। विनोबा जी ने कहा कि कुछ लोगों को पढ़ने से फुरसत नहीं और कुछ को पढ़ने की फुरसत नहीं, हाथ से काम लेते हैं और कुछ को सोचना ही सोचना है। कुछ सोचते ही रहते हैं इसलिये पीछे चले जाते हैं।

श्री अरुण कुमार—

यह सरकार सोचती है या नहीं सोचती है ?

श्री बनारसी दास—

सरकार में सामंजस्य है, सोचने का और काम करने का। आप किताब पढ़ें। उसमें आंकड़ा निकाल दिया कि 419 रुपया प्रति व्यक्ति व्यय होता है। प्रशासन है, पुलिस है, न्यायालय है, असेम्बली है, सचिवालय है, मंत्री हैं लेकिन इसमें जो शिक्षा है, सड़कें हैं वह सब नहीं शामिल हो सकती हैं। मैंने कहा था कि प्रशासकीय व्यय, हिन्दुस्तान में हमारा प्रशासकीय व्यय सबसे कम है।

श्री देव बहादुर सिंह—

419 को आप 420 तो नहीं करने जा रहे हैं।

श्री बनारसी दास—

420 तो नहीं 421 कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अपने विचार दिए हैं मैं उनका बड़ा अनुग्रहीत हूं।

श्री देवकुमार (जिला बांदा)—

आपने कहा था कि इस योजना का जो वर्तमान स्वरूप है उसको स्वीकार नहीं किया है क्योंकि केन्द्र से और मिलने की आशा है, तो क्या वहां से कुछ उम्मीद है, और यह योजना कब तक फाइनल समझी जायगी।

[श्री बनारसीदास]

यह मैंने बतलाया कि अभी तक 4 700 करोड़ की है। एक दो महीने में अंतिम रूप होगा। हमने कहा कि हम मानते नहीं हैं, कुछ योजनायें हैं जिनकी ओर मैंने संकेत किया। विशेष समस्याओं के लिये धनराशि जो प्लानिंग कमीशन के पास वितरण के लिए है उस पर भी हमारी नजर है कि ज्यादा मिले और हमारा रोलिंग प्लान है। देव कुमार जी और तिवारी जी हमारी मदद करेंगे। अगर हमारे संसाधन बढ़े तो योजना का आकार हम बढ़ा लेंगे।

श्री देव बहादुर सिंह---

मान्यवर, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, उसके लिये इस योजना में कोई प्राविधान नहीं किया है जिससे हम यह सोच सकते कि वास्तव में इस दिशा में कुछ हो रहा है ?

श्री बनारसी दास---

मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि यदि आपातकाल में नसबन्दी का कार्यक्रम न चलता तो प्रशिक्षण से हम और आगे बढ़ सकते थे क्योंकि इससे लोगों में थोड़ा विरोध पैदा हुआ। 1977 में थोड़ी कठिनाई हुई परिवार कल्याण चाहे उसका नाम रख दिया गया था। लोग उससे डरते थे लेकिन हर्ष का विषय है कि अन्तर्राष्ट्रीय वर्ल्ड बैंक की 6-7 जिलों में जो योजना चल रही है, उसमें खास तौर से स्त्रियों के बारे में अधिक रेस्पांस है और जिस प्रकार से आज परसुवेशन और प्रशिक्षण के कार्य चल रहे हैं, जागरुकता बढ़ती चली जा रही है, मुझे उम्मीद है कि समझाने-बुझाने से हमारे और आपके, जैसा कि अन्य देशों में हुआ है, आबादी जरूर रुकी है, वैसे ही यहां पर भी होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें माननीय देव बहादुर सिंह का सहयोग बहुत जरूरी है।

उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 1979, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

यह कल विचारार्थ कार्य-सूची में आ जायगा।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1979, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 1979 को पारित किया गया था तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 12 जून, 1979 को ही विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 14 जून, 1979 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978 पर नियुक्त प्रवर समिति के सदस्यों के नाम निदशन का प्रस्ताव

उच्च शिक्षा मन्त्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर नियुक्त प्रवर समिति में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1978 के नियम 252 के उप-नियम (2) की मद (1) व (2) पर उल्लिखित पदेन सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य हों:--

1--आचार्य धर्म दत्त वैद्य,
2--श्रीमती कुदसिया बेगम,
3--श्री उदित नारायन शर्मा,
4--डा0 अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश",
5--श्री श्याम दत्त पालीवाल,
6--श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी,
7--श्री दिवाकर विक्रम सिंह,
8--श्री अशोक बाजपेयी,
9--श्री सरजू प्रसाद,
10--श्री लीलवत सिंह,
11--श्री राज कुमार शर्मा,
12--ठाकुर मूल चन्द, (मुजफ्फरनगर)
13--श्री नरेन्द्र सिंह (मेरठ)
14--श्री शतरुद्र प्रकाश (वाराणसी)
15--डा0 मोअज्जिज अली बेग, (अलीगढ़)
16--श्री कल्प नाथ सिंह,
17--श्री गुलाब सेहरा ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1978, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर नियुक्त प्रवर समिति में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1978 के नियम 252 के उप-नियम (2) की मद (1) व (2) पर उल्लिखित पदेन सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य हों :

1.--आचार्य धर्म दत्त वैद्य,
2--श्रीमती कुदसिया बेगम,
3--श्री उदित नारायन शर्मा,
4--डा0 अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश",
5--श्री श्याम दत्त पालीवाल,

6—श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी,
7—श्री दिवाकर विक्रम सिंह,
8—श्री अशोक बाजपेयी,
9—श्री सरजू प्रसाद,
10—श्री लीलवत सिंह,
11—श्री राज कुमार शर्मा,
12—श्री मूल चन्द, (मुजफ्फरनगर)
13—श्री नरेन्द्र सिंह, (मेरठ)
14—श्री शतरुद्र प्रकाश (वाराणसी)
15—डा० मोअज्जिज अली बेग, (अलीगढ़)
16—श्री कल्प नाथ सिंह,
17—श्री गुलाब सेहरा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बिजली की दरों में वृद्धि के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

मद 16 को पहले लेता हूं और 15 को बाद में लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी थोड़े दिन पहले यह घोषणा की गयी थी माननीय विद्युत मन्त्री के द्वारा कि 1 जून से बिजली की दरों में वृद्धि कर दी गयी है। यह वृद्धि 5 पैसे से लेकर 16 पैसे प्रति यूनिट तक की गयी है। माननीय बिजली मंत्री जी ने यह घोषणा की थी यह वृद्धि उपभोक्ताओं के घरेलू काम आने वाली तथा कृषि के काम आने वाली बिजली पर नहीं होगी। लेकिन मान्यवर, इस बात पर विचार करना होगा कि यह मध्यम, छोटे, या बड़े उद्योगों पर जो वृद्धि होगी क्या उसका असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा? जब इन उद्योगों में बनने वाली चीजों की कीमत बढ़ेगी तो निश्चय ही उसका प्रभाव उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। व्यापारिक संस्थाओं, स्कूलों, कालिजों, और अस्पतालों पर भी जो यह भार बढ़ेगा उसका भी असर उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। इससे कृषि के काम आने वाले उपकरणों की कीमतें भी तेज होंगी। पिछले वर्ष भी करीब 30 करोड़ के उपकरण लगाये गये थे। यह बात समझ में नहीं आती कि बढ़ी हुई कीमतों के कारण बिजली की दर बढ़ायी गयी है। आज जैसी बोर्ड की स्थिति है उसको देखते हुए इस बढ़ोत्तरी का कोई औचित्य नहीं है।

मान्यवर, 1 अप्रैल, 1978 को यह घोषणा की गयी थी कि बिजली में होने वाले सभी कट समाप्त कर दिये गये हैं। बिजली में अब कोई कटौती नहीं की जायगी। इस घोषणा से हमारे यहां लोग उद्योगों में रुचि लेने लगे थे। अब इस वृद्धि का क्या प्रभाव होगा? 11 जून को फिर विद्युत परिषद् द्वारा एक सर्कुलर भेजा गया है जिसमें यह कहा गया है कि विद्युत आपूर्ति की कमी को देखते हुए, केवल लाइट, फैन के लिये तो पूरी बिजली दी जाये, पर बड़े-बड़े उद्योगों की बिजली में कटौती की जाये। इसका प्रभाव औद्योगिक उत्पादन पर पड़ेगा।

*माननीय मंत्री जी ने कहा कि बिजली की दरों में हमारे प्रदेश का तीसरा स्थान है, सब जगह ज्यादा है। पर उन्होंने यह नहीं बताया कि औद्योगिक दृष्टि से हमारे प्रदेश का कौन सा स्थान है। उस दृष्टि से हमारा स्थान पांचव नंबर पर है।

मान्यवर, बिजली की दर बढ़ाये जाने के स्थान पर आवश्यकता इस बात की थी कि बिजली बोर्ड में होने वाली बरबादी को, बिजली की चोरी को, अनावश्यक खर्चे को रोका जाता । अनेकों बार यहां बिजली बोर्ड को सफेद हाथी कहा गया है । जितना रुपया खर्च करते चले गये, उत्पादन क्षमता गिरती चली गयी ।

मान्यवर, एक यह पुस्तिका मिली है उत्तर प्रदेश में विद्युत प्रसार 1978–79, इसमें यह बताया गया है कि जो लक्ष्य बिजली बोर्ड ने निर्धारित किया था वह इनकी अक्षमता के कारण पूरा नहीं हो पाया । 1978–79 में इनका लक्ष्य था 132 कि0वा0 और इसके अधिक दबाव की मुख्य लाइनों का ऊर्जन 1608 सर्किट कि0मी0 किया जायेगा,किन्तु उपलब्धि हुई केवल 958 सर्किट किलो मीटर । 66 कि0वा0 और 37.5/33 कि0वा0 लाइनों का ऊर्जन का लक्ष्य था 1445 सर्किट किलो मीटर पर उपलब्धि हुई केवल 253 सर्किट किलो मीटर । ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये निजी नलकूपों पम्पसेटों का ऊर्जन का लक्ष्य था 40,000 और उपलब्धि हुई 24,254 ।

मान्यवर, उस तथ्य की बात मैंने रखा । उत्तर प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता अधिकतम उर्जन की क्षमता का जो दिग्दर्शन कराया गया है, इसके अन्दर खुद स्वीकार किया गया है 3,057.35 यह उनकी उत्पादन क्षमता है । लेकिन इसके विपरीत 2,046.92 ऊर्जन बिजली पैदा कर पाते हैं । मान्यवर, अव्यवस्था पूरी की पूरी है । मान्यवर, वद्युत परिषद में कितनी अव्यवस्था है, कार्य क्षमता में कितनी कमी है । पश्चिमी जर्मनी की एक टीम आई थी, उसने परिषद का पूरा सर्वेक्षण किया और विशेषज्ञों नें अपनी रिपोर्ट में साफ साफ निष्कर्ष निकाला है कि प्रशासन में शिथिलता, विशेषज्ञों का अभाव और लोग पूरा काम नहीं करते । इससे बात साफ हो जाती है कि उन्होंने लक्ष्य पूरा नहीं किया । मानसिक आधार पर जो काम करना चाहते थे, वह भी नहीं किया । अब आज की स्थित देखें । एक मोटा–मोटा हिसाब मेरे सामने 32000 मेगावाट इनकी उत्पादन क्षमता है । उसमें 1300–1400 मेगावाट ये बना पा रहे हैं । 2,256 थोड़े दिन पहले बढ़ा दिया था, इसका मतलब यह कि दिन प्रतिदिन विद्युत क्षमता घटती जा रही है । इसे सम्बन्ध में सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति की जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राजेन्द्र कुमार जी आप अपना भाषण संक्षेप में दें, ज्यादा लम्बा न करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं । इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं । किसी भी सदस्य को निकालने का अधिकार हो सकता है, लेकिन यह कमेटी की रिपोर्ट है, इसमें विशेषज्ञ भी आये हुये थे । इसमें इस विधान सभा के माननीय सदस्य भी बैठे हुए थे । इसके सामने उनके अधिकारी भी आये थे । वह साफ कहते हैं कि इसमें दिन प्रतिदिन हानि बढ़ रही है । समिति ने इनकी कार्यशैली पर आपत्ति की है । इसमें पृष्ठ 5 पर लिखा है–"उत्तर प्रदेश राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों से यह अपेक्षित है कि उनका प्रबन्ध गैस व्यावसायिक सिद्धान्तों तथा व्यापारिक कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा । किन्तु उपरिलिखित तथ्यों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि परिषद द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद परिषद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा है और जिन व्यावसायिक एवं व्यापारिक सिद्धान्तों का अनुसरण परिषद को करना चाहिये था उनकी अवहेलना हुई है । मान्यवर, परिषद में सुधार लाने हेतु परिषद की प्रशुल्क दर भी 1–1–72 से पुनरीक्षित कर दी गयी, किन्तु फिर भी राजस्व में समुचित वृद्धि नहीं हुई । मान्यवर, इसी तरह से कितने भी उद्धरण दिये जायं वह कम ही होंगे।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा । रख-रखाव की कमी नहीं है, परन्तु उसके साथ-साथ विद्युत परिषद में भ्रष्टाचर बड़े पैमाने पर व्याप्त है, सामान के खरीदने, उनके रख-रखाव में बहुत ही भ्रष्टाचार है । 7 आरोप उसमें लिखा है । इसमें संदेहात्मक स्थिति पैदा हो गई है । इस संबन्ध में समिति बैठाकर इसकी जांच करनी चाहिये । कही-कहीं पर इस विभाग में लाभ पहुंचाने की दृष्टि से जानबूझ कर बिलम्ब तो नहीं किया गया है तो क्या है, यदि समिति संस्तुति करती है कि जांच की जाय और दोषी पाये गये लोगों को दंडित किया जाय । समिति नें आगे फिर लिखा है कि "समिति इसे एक गंभीर विषय समझती है और उसका दृढ़ मत है कि परिषद के संबन्धित अधिकारी इस वित्तीय अनियमितता के लिये दोषी हैं ।"

अतः समिति की यह अनुशंसा है कि उक्त अनियमितता के लिये दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व अवश्य निश्चित किया जाय और इस दिशा में दी गई कार्यवाही की सूचना समिति को तुरन्त दी जाय । किसी भी तरह से विद्युत परिषद का घाटा पूर्ण नही किया जा सकता, जब तक कि इस विद्युत परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार बन्द नहीं किया जाता है । छीजन हो रही है । इस बात का उन्हें कोई अधिकार नहीं था कि बिजली की दर बढ़ाई जाती । इसका परिणाम होगा कि हमारे प्रदेश की बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ेगी । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय विद्युत मंत्री जी, आपका भी वक्तव्य संक्षेप में होगा ।

*विद्युत मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)--

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो बातें बतायीं, मुझे लगता है कि उन्होंने सही ढंग से उसका अध्ययन नहीं किया । उसी वजह से अव्यावहारिक रूप से बातें कह दी कि बाहर से सफेद हाथी है, भ्रष्टाचार, गड़बड़ी है उसे दूर नहीं कर रहे हैं । लेकिन जो आंकड़े हैं, हमारे प्रदेश की जो स्थिति है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि पिछले साल-डेढ-साल में विद्युत परिषद में काफी सुधार हुआ है । उसका नतीजा है कि आज पूरे प्रदेश में, गांवों में, शहरों में जितनी बिजली मिली है पिछले 15-20 सालों में नहीं दी गयी । जो रेट बढ़ाये गये हैं उससे लगभग 80,85,90 फीसदी जनसंख्या प्रभावित नहीं होती । गरीब, हरिजन, किसानों तथा नलकूपों पर कोई नया इजाफा नहीं किया बल्कि 15 से घटाकर 12 रुपया ले रहे हैं । राजकीय नलकूपों का भी विस्तार किया है । जनता कनेक्शन जो छोटे छोटे किसान या हरिजन लेते हैं, उसमें कोई इजाफा नहीं किया, लाइट, फैन पर कोई इजाफा नहीं किया, दरें वहीं हैं जो पहले थीं ।

पिछले तीन-चार-पांच सालों में हर चीज की कीमतें 3-4 गुना बढ़ीं । इसके बावजूद भी नये रेट ज्यादा नहीं हैं । कुछ आंकड़े देना चाहूंगा । जो स्थिति हमारे प्रदेश में है अगर आप अन्य प्रदेशों के मुकाबले में आकलन करें, 4-5 उद्योगों के बारे में बताना चाहूंगा--रोशनी एवं पंखों में चौथा स्थान टेरिफ हिसाब से, वाणिज्य रोशनी और पंखे में 6ठा, घरेलू में 5वां, वाणिज्य में 7वां, कृषि में 13वां, लघु एवं मध्यम उद्योग में तीसरा, बड़े उद्योग मे चौथा भारी उद्योग में चौथा स्थान है हमारे प्रदेश का । इससे पता चलता है कि आज भी हमने इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं की है कि हमारे प्रदेशों के उद्योग अन्य प्रदेशों के मुकाबले में प्रतिस्पर्धा न कर सकें । इसके बावजूद मान्यवर, अन्य प्रदेशों में खासकर पंजाब, हरियाना, हिमांचल प्रदेश आदि जहां पर बिजली घरों से उत्पादन होता है, लागत कम आती है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे यहां 70 फीसदी तापीय विद्युत और 30 फीसदी पन बिजली घरों से उत्पादन होता है । इसके बावजूद रेट ऐसे हैं कि उन प्रदेशों की तुलना में हम आते हैं । श्री गुप्त ने यह कहा कि अपने खर्चे में कटौती नहीं की, इस साल जो कटौती की है उसमें लगभग 10 से 12 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष विद्युत परिषद को बचत होगी । नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा है जिससे 8 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बचत होगी । दूसरे मान्यवर, तापीय विद्युत गृहों में अतिरिक्त स्थानों पर मस्टर रोल में जो लोग काम करते थे, उसे भी हमने बन्द कर दिया है, छटनी कर दिया है जिससे मान्यवर लगभग 1.5 करोड़ रुपये की हमें बचत होगी ।ओवर टाइम भत्ता जो मान्यवर दिया जाता था उसे भी हमने बन्द कर दिया जिससे लगभग 1.3 करोड़ की बचत होगी । जो लाइन लासेज एक-दो तीन साल पहले 23 फीसदी होता था वह चाटकर 19 फीसदी कर दिया है, 19.86 कर दिया है । जो आल इंडिया एवरेज के करीब-करीब बराबर है और कम किये जाने का प्रयास किया जा रहा है । माननीय गुप्ता जी ने यह भी कहा कि 31 हजार इंस्टाल कैपेसिटी है और प्रोडक्शन 14–15 हजार होता है। मैं कहना चाहूंगा कि किसी प्रदेश में जितनी इन्सटाल कैपासिटी होती है उस के बराबर का प्रोडक्शन नहीं होता, चाहे उत्तर प्रदेश हो या कोई प्रदेश हो । हमेशा 40 से 50 प्रतिशत तक ही होती है । हमारे उत्पादन के आकड़ों से पता चलता है कि हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं । बहुत सी गड़बड़ियां हैं। कोयला नहीं मिल पाता है ।

कोयले में 25 से 30 फीसदी तक वेस्ट रहता है जिससे जितना उत्पादन होना चाहिये नहीं हो पाता है इसके साथ-साथ मान्यवर हमारी यह कोशिश रही है कि इसका गठन इस तरीके से किया जाये जिससे कि यह बिजली बोर्ड और सक्षमता से काम कर सकें। मान्यवर, उत्पादन के साथ-साथ बिजली को अधिक तत्परता से वितरित किया गया इसके लिये प्रदेश में यह स्थिति है कि आज अगर अप्लीकेशन दें तो पहले कनेक्शन स्वीकृत कर देते हैं और डेढ़ दो महीने में कनेक्शन लगा दिया जाता है । बजट भाषण में बताया था कि 460 करोड़ स्टोरेज खोले गये । लगभग 280 को बिजली दे दी गयी । 85 कोल्ड स्टोरेज को लाइसेंस दे दिये गये कनेक्शन भी दिये गये । इतने ही कनेक्शन हम इस साल देने जा रहे हैं । जितने तीस सालों में नहीं दिये गये उतने दो सालों में दिये गये हैं इसी के साथ-साथ जो राइस मिलें हैं या छोटे उद्योग हैं या ट्यूबवेल हैं किसी का भी मामला हो, दो महीने तीन महीने से ज्यादा समय नहीं लगता है । केंद्रीय एलेक्ट्रिक बोर्ड नें हमें पत्र लिखकर इस बात का आग्रह किया था कि आने वाले चार-पांच सालों के अन्दर कम से कम 60 पैसे प्रति यूनिट बिजली का रेट होना चाहिए तभी आने वाले दिनों में हम ठीक ढंग से उत्पादन कर सकते हैं । मान्यवर, इसको देखते हुए हमने यह निर्णय लिया है । उसमें 90-95 फीसदी, जनसंख्या नहीं प्रभावित होती है। मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी इसको ठीक ढंग से देखेंगे और ठीक ढंग से एनालिसिस करेंगे तो यह बात आयेगी कि यह टैक्स प्रदेश के हित के लिये लगाया गया है । यह टैरिफ प्रदेश के हित के लिये बढ़ाया गया है । आने वाले वर्षों में हम बड़े पैमाने पर नये तापीय और पन बिजली घर स्थापित करेंगे और प्रदेश आगे बढ़ सकेगा जिससे आने वाले दिनों में बिजली की कमी सामन न आये जैसे आज बिहार और बंगाल में और लगभग 12 प्रदेशों में है । इन सब चीजों को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि राजेन्द्र कुमार गुप्त जी इस बात से सहमत होंगे कि प्रदेश के हित में यह टैरिफ लगाया गया इससे ऐसा कुछ नहीं है जिससे अधिक जनसंख्या या उद्योग प्रभावित हों या गांव में रहने वाली गरीब जनता प्रभावित हो ।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)––

मान्यवर, माननीय विद्युत मंत्री जी बोल रहे थे तो मैं समझ रहा था कि विद्युत मंत्री जी बोल रहे हैं या वित्त मंत्री जी बोल रहे हैं । क्योंकि उनकी आवाज में वह वाणी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्यामधर मिश्र]

थी तो मुझे लगा श्रीमन् कि मैं यह कह रहा हूं कि इसका विरोध करता हूं। इसका रेट क्यों बढ़ाया गया है। अगर जरूरत है रेट बढ़ाने की तो बढ़ाये जायं लेकिन राजेंद्र कुमार जी ने यह नहीं कहा कि रेट क्यों बढ़ाये गये। सवाल श्रीमन्, इसमें यह है, मूलभूत बात रखी गयी है वह यह है कि जो अपना विद्युत बोर्ड है उसकी क्षमता और इफीशियेंसी क्यों नहीं सुधरी है। हम देखते हैं कि उसमें बराबर घाटा हो रहा है। उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि लाभ हो सके। इतना रुपया लगाने पर भी, 2 हजार करोड़ रुपया इस पर लगा हुआ है इसमें 15 सौ करोड़ रुपया राज्य सरकार का है और 400 करोड़ रुपया और लोगों का है। अभी डेढ़ और दो सौ करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

श्रीमन्, इस किताब में 10 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है, उस संबंध में मैंने चर्चा की थी मैं अब उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन श्रीमन्, एक बात की विडम्बना है, जब बिजली मंत्री की हैसियत से वह जवाब देते हैं तो इसकी ताईद करने आते हैं, पूरी जिम्मेदारी से आते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने पिछले दिनों सदन में सवाल उनसे किया कि आप बतायें कि टैक्स क्यों लगाया गया तो उन्होंने कह दिया कि हमसे कोई मतलब नहीं है यह तो विद्युत बोर्ड जाने। यह स्वायत्त शासी संस्था है। कहते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। यह बोर्ड ह्वाइट एलीफेंट है और मंत्री इस ह्वाइट एलीफेंट पर बैठे हैं। बोर्ड को पूरा अधिकार दिया जाय, बोर्ड को दो वर्ष से अधिकार बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। हर बात म हस्तक्षेप किया जा रहा है।

भूतपूर्व मंत्री जी के यहां बराबर दरबार लगता था ट्रांसफर्स नोटिंग बातों में। कहने के लिये जवाब देने के लिये कहा जाता है कि हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे कोई मतलब नहीं है तो क्यों मतलब रखते हैं। ह्वाइट एलीफेंट को हम ब्लेक एलीफेंट कर लेंगे लेकिन ह्वाइट एलीफेंट जो सामने बैठे हैं इनको हम लोग ब्लैक एलीफेंट कैसे करें यह समझ में नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष—

बढ़िया किस्म का रंग इनके ऊपर आप चढ़ायें।

श्री श्यामधर मिश्र—

यह पूरी तरह जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप जानते हैं अभी यह कहा गया था कि इस प्रदेश का उत्पादन काफी है बिहार बंगाल को दिया गया था। लेकिन अभी जितना उत्पादन हुआ है उससे अब कम हो गया है। हो सकता है कि मेरी बात गलत हो। 300.40 मेगावाट कम होने लगा है क्योंकि ओबरा में या और कहीं मशीन खराब हो गयी है। भूतपूर्व जो मंत्री शाही जी थे उनके जमाने में बिजली बोर्ड में राजनीति की गयी उसका नतीजा यह हुआ कि आज जो सेक्रेटरी विद्युत बोर्ड के हैं, मैं नाम नहीं लेता, मैं समझता हूं कि वह चेयरमैन से ज्यादा ताकतवर ह और आज के मंत्री उनको ज्यादा ताकतवर किये ह। उसका नतीजा है कि चेयरमैन पूरी ताकत से काम नहीं कर सकते हैं। आज क्षमता कैसे होगी जबकि मंत्री जी हर बात पर हस्तक्षेप करना चाहते हैं चाहे वह नियुक्ति का मामला हो, चाहे विजीलेंस की नियुक्ति हो, चाहे ट्रांसफर का मामला हो, चाहे कंफरमेशन का हो या किसी की सेवा में बहाली का हो। इसलिये दो हजार करोड़ क बिजली का ऐसा प्रतिष्ठान, प्रदेश में और कोई नहीं है, बल्कि यहां तक हिन्दुस्तान में रेलवे बोर्ड और पोस्ट आफिस के बाद शायद कोई दूसरा हो, लेकिन उसकी दुर्दशा हो रही है, चूंकि व्यक्तिवाद है। इसलिये मान्यवर, हमारी मांग है कि इसको या तो स्वायत्तशासी संस्था बना दें या उसको बिल्कुल

सरकारी संस्था बना दें, दोनों के बीच में इसको न लटकने दें, कि जब चाहें यह कहें कि हम जिम्मेदार हैं और जब चाहें कहें कि जिम्मेदार नहीं हैं । इसलिये आपकी कौन सी बात मानें ।

इसलिये अक्षमता का यही मुख्य कारण है । यही काम शाही जी के समय में हुआ और उसके पहले भी यही काम हुआ है जिसके संबंध में एक प्रतिवेदन इस्टीमेट कमेटी न पढ़ा। श्री राजेंद्र कुमार गुप्त के प्रतिवेदन को देख लें । मैं वैसे उनकी बहुत सी बातों से सहमत नहीं हूं । उन्होंने समय कम होने के कारण अपनी बात संक्षेप में कही लेकिन सीमित समय म श्री राजेंद्र जी ने अपनी बात बहुत विद्वता से कही । इन शब्दों के साथ, चूंकि समय सीमित है, मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस बोर्ड को सक्षम करना है, इस दो हजार करोड़ क उद्योग को सचमुच लाभकर बनाना है तो इस 30 करोड़ की बात नहीं है बल्कि मुझे तो आभास होता है कि आप अपने ही कार्यकाल में, जिस तरह आपकी क्षमता है और जो आपने कहा है कि 10 करोड़ रुपये कम किया है जबकि पुस्तिका में लिखा है कि पिछले साल 52 करोड़ रुपये बोर्ड में देते थे और इस साल 72 करोड़ देंगे और कमी 10 करोड़ रुपये की दिखा रहे हैं । तो आप ऐसा क्यों समझते हैं कि दूसरे लोग समझते ही नहीं हैं ।

आपके पास फाइल है इसलिये आप ज्यादा समझते हैं लेकिन वहां जितनी योग्यता पूर्ण बात की जा सकती है वह आपके कारण की जा सकती है, परिस्थितियों के कारण नहीं की जा रही है, इसलिये उससे गरीब और उद्योग परेशान हैं । महाराष्ट्र की तुलना में देते हैं बिजली में कि हमारा तीसरा स्थान है लेकिन उद्योग में हमारा चौदहवां स्थान है तो उससे मुकाबला क्यों नहीं करते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री देवेंद्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी विद्युत मंत्री ने जो विद्युत कर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा और जो विद्युत बोर्ड के संबंध में कहा तो मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं यद्यपि विद्युत बोर्ड है और हमारे रेट बढ़ रहे हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हमारे यहां मंसूरी-देहरादून में जबसे यह विद्युत बोर्ड बना है तबसे परिस्थिति यह है, जिसको मंत्री जी को पता होगा, कि हमारे यहां के 1500 कर्मचारियों का वतन निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है । इसके पश्चात् दो बार समझौते हो गये हैं और इसके बावजूद भी वहां के कर्मचारियों ने हड़ताल न करके केवल वेतन न लेने का निर्णय किया था । विद्युत मंत्री जी ने समझौता कराया था लेकिन वह लागू नहीं हुआ है और विद्युत मंत्री के समझौता को भंग करके विद्युत बोर्ड सारे क्षेत्र में परेशानी पैदा कर रहा है ।इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस विद्युत बोर्ड पर आपका नियंत्रण हो जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी न हो और वहां के छोटे कर्मचारियों को परेशान न किया जाए । आपका किया हुआ समझौता यदि बोर्ड के उच्चाधिकारी तोड़ते हैं तो इससे शासन की गरिमा घटती है ।

*श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

मान्यवर, जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि एक पैसा यूनिट बिजली दरों में वृद्धि की जा रही है । लेकिन उसके बाद दोबारा वृद्धि की घोषणा कर दी गई, यानी एक वर्ष में दो बार बिजली की दरों में वृद्धि की जा रही है और पिछल वर्ष भी बिजली की दरें बढ़ाई गई थी । इससे यह आशंका पैदा हो रही है कि 1980 में फिर से दरें बढ़ायी जायेंगी । अगर इसी हिसाब से बिजली की दरें बढ़ती रहीं तो क्या हाल होगा, यह आप समझ सकते हैं । किसी भी उद्योग में 10-5 करोड़ रुपया लगा दिया जाए तो उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जायेगी, क्वालिटी अच्छी हो जायेगी और कभी कभी दाम भी

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सत्य प्रकाश—]

कम हो जाते हैं । लेकिन हमारे उद्योगों में एक तरफ काम चलता है । हमारे उद्योगों की क्षमता 40–50 प्रतिशत ही है । मैं एक बार दो फर्मों का निरीक्षण करने गया था, एक विद्युत परिषद द्वारा संचालित थी और एक प्राइवेट फर्म द्वारा । प्राइवेट फर्म द्वारा 90 प्रतिशत बिजली उत्पादित होती थी और सरकारी फर्म द्वारा 70 प्रतिशत । इस तरह से विद्युत मंत्री बनने के बाद अपनी परिषदों का डिफेंस करना अच्छी बात नहीं है । करोड़ों रुपया वहां जनता का लग रहा है और उसके बाद लगातार वृद्धि की जा रही है, यह मुनासिब नहीं है । बिजलीदर की वृद्धि का सीधा असर उद्योग और सारे जनजीवन पर पड़ता है सरकार का काम है कि परिषद के काम को अच्छी तरह से देखें और वहां की कमियां दूर करें ताकि आने वाले वर्षों में विद्युत के रेट अंधाधुंध न बढ़ें । सरकार विद्युत परिषद के काम में अंकुश लगाये और बढ़ती हुई बिजली की दरों को रोके ।

*श्री विजयराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, विद्युत की जो दरें बढ़ी हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं यह दरें उन पर जिनके पास फ्रिज हैं, कूलर हैं, एयर-कंडीशनर हैं । उन पर अगर बिजली का टैक्स नहीं बढ़ेगा तो क्या गरीबों पर बढ़ेगा ? फिजूलखर्ची करने वालों पर टैक्स बढ़ाया गया है और किसानों पर घटाया गया है, यह अच्छी बात है । मंत्री जी जरा गांव वालों को बचाये रखिये और बड़े लोगों को और सख्ती से पकड़िये । विद्युत परिषद एक आटोनामस बाडी है इसलिये अपने गुरूर में किसी तरफ उचित ध्यान नहीं देते हैं ।

*श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर अभी विद्युत के विषय पर कई हमारे माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये । मैं आप के माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री को इस बात के लिए धन्यबाद देना चाहता हूं कि हमारे जिले में किसान वर्ग और हरिजन वर्ग जहां कि हरिजनों को मुफ्त बिजली दी जाती है, गांव में विद्युतिकरण हो गया है, इतनी खुशी से अपना कार्य कर रहे इस वर्ष किसान प्रसन्नता से अपना थ्रेसर और पंपिंग सेट चलाता है।जब गांव में हम लोग जाते हैं तो किसान यह कहता है कि इस वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा हमें विद्युत बड़े अच्छे ढंग मिल रही है । हो सकता है कि बड़े-बड़े उद्योगों पर बिजली में कर की वृद्धि हुई हो किन्तु किसानों पर जो 15 की अपेक्षा 12 रुपये कर दिया है वह अवश्य खुशी की बात है । अभी यह आदेश जिलों में नहीं पहुंचा है । मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा वह आदेश जिलों में शीघ्र पहुंचायें । किसानों को बिजली इसी तरह से दी जाय जिस प्रकार इस वर्ष दी गयी है।

इन शब्दों के साथ मैं विद्युत मंत्री जी का समर्थन करता हूं ।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी यह बिजली की दर बार-बार बढ़ाने का मैं समझता हूं कोई औचित्य नहीं है । मैं अपने नौजवान माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप दो बातों पर ध्यान दें तो बिजली की दर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी और आप का यह निगम घाटे से लाभ में बदल जायगा ।

एक तो बिजली की चोरी जितनी उत्तर प्रदेश में है शायद ही उतनी किसी और प्रदेश में हो । छीजन के नाम पर जो चोरी हो रही है उस चोरी को रोकने के लिये कारगर कदम आप उठायें । इस चोरी में आपके निगम के अधिकारी और कर्मचारी और समाज के जो

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उपभोक्ता वर्ग है वे सब मिले हैं । यदि इस चोरी को आप रोकें तो आप का निगम लाभ में परिवर्तित हो जायगा ।

दूसरा निगम में फिजूलखर्ची बहुत है । आवश्यकता से अधिक अधिकारी और कर्मचारी रखे गये हैं । यदि इस निगम का कार्य दुगुना बढ़ाते हैं तो जितने लोग आज कार्यरत हैं उन्हीं से काम लिया जा सकता है । आप गये होंगे । बिड़ला का रेनूसागर का बिजली घर है, छोटा सा है । आप हिसाब लगायें वहां कितने अभियंता कितने कर्मचारी उस छोटे विद्युत घर को चलाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह बिजली के रेट के बारे में चर्चा है, रेट बढ़ाने के बारे में.....

श्री मैनेजर सिंह---

उसी के संबंध में कह रहा हूं । रेट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि फिजूलखर्ची और चोरी को रोका जाय । रेनूसागर जा कर देखें और उसी अनुपात में जो आप के बिजली घर के चलाने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं उन को रखें । आप देखेंगे कि दुगुना, तीनगुना, अधिक कर्मचारी, अधिकारी रखे गये हैं । तो मैं अधिक नहीं कहना चाहता लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस निगम की फिजूलखर्ची और विद्युत चोरी रोकें तो रेट बढाने की आवश्यकता नहीं होगी । आप जो बड़े उद्योगों पर टैक्स लगाते हैं तो बड़े उद्योग वाले सन्यासी नहीं है। एक पैसा बढ़ेगा तो दो पैसा गरीब उपभोक्ता से वसूल करते हैं और सरकार को देते हैं ।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)–

मान्यवर, विद्युत मंत्री जी ने....

श्री उपाध्यक्ष---

इस के बारे में संक्षेप में विचार प्रस्तुत करें ।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)---

कारपोरेशन की ओर से बढ़ोत्तरी की है दरों की । मान्यवर किसी चीज की दर बढ़ोत्तरी उस की परफारमेंस के आधार पर होती है । अगर उसकी परफारमेंस उतनी अच्छी हो, तसलीबख्श हो तो ठीक थी । कि कंज्यूमर जो बिजली इस्तेमाल करने वाला है बहुत खुश है । इनके कामों से बढोत्तरी लाजमी है अखराजात की वजह से । आप बम्बई जा कर देखें वहां ट्रिपिंग बिलकुल नहीं होती यहां हर वक्त होती है । परफारमेंस के लिहाज से हमारा कारपोरेशन बिलकुल जीरो है । 76 परसेंट प्रोडक्शन करता ह यह भी बहुत कम है सामान खरीदने में भी बड़ी धांधलेवाजी है । 10 लाख का खरीदा हुआ एक ट्रांसफार्मर मेरठ में पड़ा है । डेमरेज में लाखों रुपया यह दे देता ह । फिर कोई कम्पीटीशन नहीं है जिसे मनमाना कर का बोझ गरीब जनता पर बढ़ा दिया जाता है । इसलिये इसकी दरों में बढ़ोत्तरी नहीं होना चाहिये क्योंकि मुद्रास्फीति और टैक्सेशन के कारण जनता पर पहले से ही काफी बोझ है वर्ना यह बोझा और बढ़ जायगा । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

*श्री जयराम (जिला गाजीपुर)---

मान्यवर, 12 रुपये प्रति हार्स पावर किसानों को बिजली देने से 40 से 51 पैसा प्रति यूनिट पड़ जाती है जब कि बड़े उद्योगपतियों को यह 4 पैसे से 14 पैसे तक पड़ती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जयराम —]

अगर विद्युत की दर बढ़ाना है तो बड़े उद्योगपतियों पर बढ़ाया जाय । इसके अलावा बिजली की चोरी की तरफ ध्यान दे कर उसे रोका जाय जिससे इसका घाटा पूरा हो सकेगा । उद्योगपति उत्पादित वस्तुओं की कीमत बढ़ाते हैं अगर गरीब लोगों से उसे वसूल करते हैं क्योंकि गरीब ही उनका उपभोग करता है, इसलिये सरकार को उद्योगपतियों पर ही बिजली का रेट बढ़ाना चाहिये ।

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)—

मैं मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं कि बिजली की जरूरत को देखते हुए गरीबों के लिये बिजली का रेट घटाया और जो बिजली ऐशो इश्रत पर इस्तेमाल होती है उनके लिये दाम बढ़ाया । जैसा मैनेजर सिंह ने कहा कि बड़े कारखाने वाले बिजली की काफी चोरी करते हैं जो दिखाई नहीं देती । इसलिये ऐसा इन्तजाम किया जाय जिससे बिजली चोरी में रुकावट आये । इस तरह से बिजली बोर्ड का घाटा भी पूरा हो सकेगा । इतना कह कर मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं ।

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय राजेंद्र कुमार ने नियम 52 के अन्तर्गत जो बिजली के रेट में बढ़ोत्तरी का सवाल उठाया है उसका उत्तर माननीय मंत्री ने यों दिया जैसे स्वतः उसे बढ़ाया हो और इसी सदन में एक दिन उन्होंने यह कहा कि यह जो टैरीफ है उसे विद्युत परिषद ने बढ़ाया है । जो रेट है वह बड़े उद्योगों पर बढ़ा दिया । 10 पैसे कोई बात नहीं है । श्रीमन्, इसमें जो छोटे-छोटे उद्योग धंध वाले लोग हैं उन पर भी पांच पैसा दर बढ़ा दी । आज यह स्थिति हो गई है कि विद्युत परिषद की डर से कोई व्यक्ति उद्योग लगाने में डरता है क्योंकि उसको कनेक्शन नहीं मिलता है, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है । तो मान्यवर, इस प्रदेश में उद्योगीकरण न होने का मुख्य कारण विद्युत परिषद ही है । विद्युत परिषद के चेयरमैन को आउट कर दिया है इसलिये सचिव और मंत्री दोनों विद्युत परिषद में हावी हो गये हैं । आप कहते हैं कि ट्रांसफारमर का लास हो रहा है । दूसरे राज्यों से अपनी तुलना करें । यह लौस न हो सके इसी को देखकर आप करोड़ों रुपये बचा सकते हैं । हालत यह है कि आपके गोदाम में तमाम तार और ट्रांसफारमर रोज गायब हो जाते हैं । जितनी क्षति विद्युत् परिषद् की असावधानी के कारण हो रही है उसे दूर किया जाय तो जो 193 करोड़ का घाटा विद्युत परिषद के ऊपर है वह पूरा हो जायेगा और ऊपर से भी कुछ मिलेगा । इसके अतिरिक्त श्रीमन्, सारी मान्यताओं को इन्होंने छोड़ दिया है ।

24 मई को बजट पास हुआ और 25 तारीख को 30 करोड़ का टैरिफ बढ़ाना चाहते हैं । यह क्या दलील हुई कि यह स्वायत्त शासी संस्था है, टैरिफ बढ़ा सकती है और सरकार की आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, आपने देखा होगा कि 25 पैसे की वृद्धि के लिये परिवहन मंत्री जी ने सदन में घोषणा की थी । इस तरह से मैं चाहता हूं कि जो भी घोषणायें हों और सत्र चलता हो तो वह पहले सदन में होनी चाहिये । उस दिन सदन में यह घोषणा नहीं की गयी । यदि उस दिन घोषणा की गई होती तो हो सकता था कि माननीय सदस्य बजट पास न करते । इसलिये जो परम्परा रही है, उसको बनाये रखना चाहिये और जो खामियां विद्युत परिषद में हैं उनको दूर करना चाहिये । 30 करोड़ का अनायास भार आपने किसानों पर बढ़ा दिया । आपने कहा कि इसका किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा । एसी बात नहीं है । बिजली की दर बढ़ने से सबसे पहले किसानों पर ही उसका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रभाव पड़ता है उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है। इसलिये मैं समझता हूं कि टैरिफ बढ़ाकर माननीय मंत्री जी ने भूल की है और जनता की भावनाओं के विरुद्ध आचरण किया है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बाबू सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, शासन ने जिस प्रकार उपभोक्ताओं पर बिजली का रेट बढ़ाया है उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ कृषकों पर बिजली का रेट घटाने की बात कही है और उसे 15 रुपये से 12 रुपये किया है किन्तु मान्यवर, स्वयं आप देखें कि बहुत से स्थानों पर 3-4 घंटे ही बिजली आ पाती है और बरसात के दिनों में तो 3-4 महीनों तक नलकूप बन्द रहते हैं जिसका बिल भी हमें पे करना पड़ता है लेकिन बिजली कितना इस्तेमाल की.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप घंटे पर न बोलें, रेट पर बोलें।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, सदन में हिंसा होने वाली है। आप देखेंगे कि यह नौजवान विधायक बैठे हैं सदन में ऐसी चीज दिखा रहे हैं जिससे मालूम होता है कोई हिंसा घटने वाली है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह महात्मा गांधी के पुजारी हैं, इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं करेंगे।

श्री देवबहादुर सिंह--

जनता पार्टी के विधायकों से और क्या आकांक्षा की जा सकती है।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैं अपने दल का अकेला सदस्य हूं। इसलिए जनता पार्टी के साथ हाथ उठाता हूं कि कभी कभी हो सकता है जनता पार्टी के लोग समाजवादी कदम उठायें। मैं बधाई दे रहा हूं मंत्री जी को जो बिजली की दर बढ़ाई हैं उसके लिये। मैं बहुत कम समय लूंगा। माननीय देव बहादुर सिंह को जो थ्रेसर दिखाई पड़ते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप रेट की बात कहिये।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

बड़ी मोहब्बत है उनके साथ हमारी। आज के युग में बिजली की आवश्यकता को देखते हुए जो उन्होंने एक सीमा तक बढ़ाई हैं उसका माननीय सदस्यों ने स्वागत किया है। माननीय सदस्य बस्ती ने जो कहा उतना अवश्य है कि कहीं उससे चीजों के दाम न बढ़े। माननीय मंत्री जी ने पूर्णरुप से समाजवादी कदम उठाया है। इससे भी ज्यादा उन उपभोक्ताओं पर जो बड़े उद्योग पति हैं उन पर लगना चाहिये। जो बात मैनेजर सिंह जी ने की उसको ध्यान में रखना चाहिये। कहीं उद्योगपति इसको उपभोक्ताओं पर न डाल दें। इन शब्दों के साथ म पुनः मंत्री जी को बधाई देता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर) माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, अधिकतर माननीय सदस्यों ने चाहे इधर के हों या उधर के, इस बात का समर्थन किया है। मुझे खुशी है इस बात की कि ज्यादातर सदस्य उन गरीब लोगों के लिये, उन तमाम लोगों के लिये जिनके लिये वह चुन कर आये हैं चिंतित हैं और उन्होंने इस बात का समर्थन किया है। मैं माननीय श्यामधर जी और देवबहादुर सिंह जी की बातों को भी जानता हूं, मान्यवर, जिस पार्टी के वह प्रतिनिधि हैं उसकी यह परम्परा रही है कि वह पूंजीपतियों का समर्थन करती रही। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने जो बातें यहां पेश की वह पूंजीपतियों के लिये कही, उनकी पार्टी जो गरीबों को कभी भला नहीं दे सकती है, जो फिज, एयरकंडीशनर के रेट बढ़े, बिडला और तमाम पूंजीपतियों के रेट बढ़े उसकी फिक्र हुई कि उनके यह रेट कैसे बढ़ गये। इसके लिये उन्हें अधिकार है इसी की उनको परेशानी है। मैं विनम्रतापूवक कहना चाहता हूं कि माननीय श्यामधर जी और देवबहादुर सिंह जी.....

श्री देव बहादुर सिंह--

हमने कहा कि बड़े उद्योगों का बढ़ाया यह ठीक है लेकिन छोटे उद्योगों का नहीं बढ़ना चाहिये।

श्री रेवती रमण सिंह--

दोनों व्यक्तियों ने इस बात को कहा कि जो रेट बढ़े हैं उसका मंत्री जी ने सदन में समर्थन किया। विद्युत परिषद का मैं कैसे समर्थन न करूं, दोनों माननीय सदस्य बहुत पुराने हैं, हमसे अनुभव में भी ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद मंत्री का कर्त्तव्य होता है क्योंकि विद्युत परिषद को मंत्री ही यहां रिप्रजेंट करता है। बार बार यह कहा जाता है कि इसमें बड़ी गड़बड़ी है, मैं उम्मीद करता था श्यामधर जी काफी पढ़ते लिखते हैं रात दिन पढ़ते हैं। मैं उनसे उम्मीद करता था कि वह कुछ ऐसी बातें बतायेंगे, जिन पर हम सोच समझकर अपनी एफीसिएंशी को और बढ़ायेंगे। बिजली का उत्पादन अधिक हो रहा है, उद्योग को और किसानों को अधिक बिजली मिल रही है।

श्री श्याम धर मिश्र--

श्रीमन्, मुझे एक स्पष्टीकरण करा लेने दें ?

श्री रेवती रमण सिंह--

फिर भी हमारा जो 20 करोड़ का घाटा था वह अब घटकर सवा 6 करोड़ पर आ गया है और मैं उनको बताना चाहूंगा कि अगले वर्ष यह घाटा समाप्त होकर विद्युत परिषद फायदे का विद्युत परिषद बनने जा रहा है। मेरी चुनौती है कि मैं इस परिषद को लाभ में परिवर्तित करके दिखाऊंगा। आप आगे देखें, पहले 82 करोड़ का बकाया था, पिछली बार 72 करोड़ रुपया हमने वसूल किया और इस बार 62 करोड़ रुपया केवल वसूल करने को रह गया है (व्यवधान) मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह--

यह चुनौती कोई चुनौती नहीं है, यदि वह इसके साथ यह नहीं कहते हैं कि इसे लाभ में नहीं बदल पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री रेवती रमण सिंह--

श्यामधर मिश्र ने यह भी कहा कि माननीय मंत्री जी बहुत हस्तक्षेप करते हैं और बहुत से सदस्यों ने यह कहा कि हम बहुत कम उसमें हस्तक्षेप करते हैं । तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीतिगत मामलों को छोड़कर उसके रोजाना के काम में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी जब विद्युत परिषद के बारे में यह कहते हैं कि मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं, जब कि इसकी खराबी के बारे में आपको गाली मिलती है ? तो उसकी अच्छाई के लिए आपको हस्तक्षेप करने में क्या एतराज है ?

श्री श्यामधर मिश्र--

मेरी भी शिकायत यह है कि आप हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

समय कम हो रहा है, आप इस तरह से समय न लें ।

(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह--

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि श्यामधर जी ने मेरे ऊपर यह भी स्पष्ट आरोप लगाये कि तमाम करप्ट अफसरों की, जि :के खिलाफ विजीलेंस इंक्वायरी चल रही है, मैंने पुनर्नियुक्ति कराई । अगर श्यामधरजी इस बारे में एक भी केस बता दें तो मैं मंत्रिशिप से क्या एम0एल0ए0 शिप से भी इस्तीफा देने को तैयार हूं । तो क्या वह भी आरोप सिद्ध होने पर इस्तीफा दे देंगे ? इसकी जांच श्रीमन्, आप करवा लें ।

श्री श्याम धर मिश्र--

मैंने आरोप लगाया है, मैं फिर यह आरोप लगाता हूं (शोर) (बहुत शोर)' शाही जी ने जिसको रखा, ऐसे व्यक्ति को रखा, जिसको इन्होंने सचिव बना दिया ।

(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह--

आप सन्तुष्ट हो जाएं, तो मेरी चुनौती मान लें ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--[×××]

(व्यवधान) (शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप कैसे खड़े हो गये, मैं आपको इजाजत नहीं देता । यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री रेवती रमण सिंह--

ज्यादा समय न लेकर मैं यह कहना चाहूंगा . . . .

नोट:--[×××]यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब चर्चा का समय समाप्त ।

श्री रेवती रमण सिंह--

एक मिनट और, मैं यह चाहता हूं कि आने वाले दिनों में श्यामधर जी कोई ऐसी बात बतायें, जिससे हम उनसे कुछ ले सकें । इस तरह से उत्तेजित न हुआ करें ।

सदन में पर्चे फेंकने वाले व्यक्ति श्री मशरूर जाफरी को विचाराधीन बन्दी के रूप में कल तक जिला कारागार में रखे जाने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--

आज अपराह्न के 4.40 मिनट पर दर्शक-दीर्घा से पर्चे फेंकने और नारे लगाने की घटना हुई। इस सम्बन्ध में मार्शल से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वह इस प्रकार है--

"आज अपराह्न 4.40 बजे जब कि माननीय मुख्य मंत्री जी भाषण दे रहे थे उस समय "नहीं" लावी की ओर ऊपर की दर्शक-दीर्घा से एक व्यक्ति ने "भारतमाता की जय" का एक नारा लगाया तथा एक पर्चा भी सदन में नीचे फेंका। दीर्घा में तैनात रक्षकों ने तुरन्त ही उस व्यक्ति को अपने वश में करके उसे दीर्घा से हटा दिया। उक्त व्यक्ति के पास से मशरूर जाफरी के नाम से जारी हुआ प्रवेश-पत्र प्राप्त हुआ है तथा फेंके हुए पर्चे पर भी कामरेड मशरूर जाफरी छपा है। पूछने पर उन्होंने अपना नाम भी यही बताया है। जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि उनका प्रवेश पत्र (सं0 11792) माननीय नेता विरोधी दल के जन सम्पर्क अधिकारी की संस्तुति से जारी किया गया है। फेंके हुए पर्चे की एक प्रति एवं प्रवेश पत्र† संलग्न है। वह व्यक्ति इस समय मार्शल की हिरासत में रक्षकों द्वारा बैठाया गया है।"

उक्त व्यक्ति ने दर्शक-दीर्घा से नारे लगा कर सदन की कार्यवाही में व्यवधान किया और सदन का अवमान किया। नियम 71 के अनुसार इन्हें दंडित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर देना न्यायसंकत होगा, यद्यपि यह अनिवार्य नहीं है। अब मैं सदन का मत जान लेना चाहता हूं कि इस प्रश्न को आज लिया जाय अथवा कल के लिए स्थगित किया जाय।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)--

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि आज दर्शक-दीर्घा से नीचे सदन में पर्चे फेंकने तथा दीर्घा में नारे लगाने की जो घटना हुई है, उस पर कल तक के लिए विचार स्थगित किया जाय और इस मामले से सम्बन्धित व्यक्ति को, जो अपना नाम मशरूर जाफरी बताता है, कल दिन के 11 बजे तक के लिये जिला कारागार, लखनऊ में विचाराधीन बन्दी के रूप में रखा जाय और कल दिन के 11 बजे मार्शल उसे उक्त कारागार से लाकर सदन में प्रस्तुत करें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि आज दर्शक-दीर्घा से नीचे सदन में पर्चे फेंकने तथा दीर्घा में नारे लगाने की जो घटना हुई है, उस पर कल तक के लिये विचार स्थगित किया जाय और इस मामले से सम्बन्धित व्यक्ति को, जो अपना नाम मशरूर जाफरी बताता है, कल दिनके 11 बजे तक के लिये जिला कारागार, लखनऊ में विचाराधीन बन्दी के रूप में रखा जाय और कल दिन के 11 बजे मार्शल उसे उक्त कारागार से लाकर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

†छापा नहीं गया।

जनपद इलाहाबाद तहसील फूलपुर के ग्राम बेलहावान से होकर शारदा सहायक नहर निकलवाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष--

अब मद संख्या 15 लिया जायगा । माननीय सिंचाई मन्त्री का वक्तव्य होगा ।

सिंचाई मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)--

ग्राम बेलहावान (ख्वाजगी पट्टी) तहसील फूलपुर जिला इलाहाबाद में होकर बारी रजबहा का निर्माण प्रस्तावित है । यह रजबहा 40 किलोमीटर लम्बा है और फूलपुर शाखा प्रणाली का एक अंग है । यह फूलपुर शाखा के किलोमीटर 12.800 बायीं पटरी से निकलती है । इस राजबहे का लगभग 2 किलोमीटर का हिस्सा (15.500 से 17.200) ग्राम बेलहावान में पड़ता है ।

इस नहर का सर्वेक्षण ग्राम के पश्चिम से ही वाटररोड को देखते हुए किया गया था और लम्ब छिन्नक दिनांक 31-12-77 को तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (दक्षिण) द्वारा अनुमोदित किया गया था ।

अनुमोदित समरेखन के विरोध में भूतपूर्व राज्य सिंचाई मन्त्री जी के माध्यम से श्री हर प्रताप सिंह जी विधायक का दिनांक 31-5-78 का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें समरेखन पर निम्नलिखित आपत्तियां दर्शायी गई थीं--

(क) नहर का समरेखन गांव की अधिक उपजाऊ जमीन से होकर जा रहा है ।
(ख) ग्राम बेलहावान में दो सरकारी नलकूपों से सिंचाई साधन उपलब्ध है ।
(ग) उपरोक्त के कारण ग्राम वासियों का विरोध है ।

इस सम्बन्ध में श्री हर प्रताप सिंह जी से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि वे शजरे पर अपना प्रस्ताव लगा दें जिस पर तदनुसार सर्वे करा लिया जाये । श्री हर प्रताप सिंह जी द्वारा ग्राम के पूर्व की ओर समरेखन प्रस्तावित किया गया । इसकी ग्राम की प्रचलित भाषा में पूर्व वाली लाइन कहा जाता है ।

उपरोक्त प्रस्तावित समरेखन पर सर्वेक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि यहां पर जमीन बहुत नीची है और नहर को बहुत अधिक भराई में ले जाना पड़ेगा जो तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है मिट्टी की भराई 1.4 किलोमीटर की लम्बाई में औसतन 0.80 मीटर (अधिकतम 1.2 मीटर) करनी पड़ेगी । एक साइफन भी देना पड़ेगा जिसके कारण निर्माण की लागत बहुत बढ़ जायेगी जो गुलें कुलाबों से बायीं पटरी पर निकलेगी वह भी भराई में होगी और भूमि के ढलान के विरुद्ध चलेगी । साथ ही सीवैज की समस्या उत्पन्न हो जायगी इसके अतिरिक्त इस समरेखन पर भी ग्रामवासियों का काफी विरोध था ।

अतः यह विचार किया गया कि किसी अन्य संभावित समरखेन को देखा जाये जो कि तकनीकी दृष्टि से सही भी हो और जिस पर जनता का विरोध कम हो ।

ग्राम बेलहावान के पूरब में नीची भूमि होने के कारण केवल एक विकल्प बचा था कि नहर का समरेखन ग्राम से और कुछ दूर पश्चिम हटा कर किया जाय जिससे ग्रामवासियों का विरोध कम हो सके । इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए एक अन्य समरेखन को जो ग्राम से दूर था और ग्राम से पश्चिम की ओर सड़क के किनारे था, प्रस्तावित किया गया ।

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

इस समरेखन पर जब विभागीय कर्मचारी सर्वेक्षण करने दिनांक 19-2-79 को गये तो ग्रामवासियों ने सर्वे नहीं करने दिया और कर्मचारियों को मारा पीटा। इस घटना की रिपोर्ट 20-2-79 को थाना फूलपुर में दर्ज कराई गयी थी।

दिनांक 20-2-79 को थाना फूलपुर इलाहाबाद में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के विषय में परगनाधिकारी फूलपुर के पत्र से यह स्पष्ट होता है दिनांक 20-2-79 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट गलत नहीं है।

इसी बीच श्री हर प्रताप सिंह जी द्वारा प्रस्तावित समरेखन के विरोध में भी कई याचिकायें जिलाधिकारी, इलाहाबाद के माध्यम से तथा अन्य श्रोतों से अधिशासी अभियन्ता को विचार हेतु प्राप्त हुई थी। श्री हर प्रताप सिंह के अनुरोध और विरोध की याचिकाओं के कारण जिलाधिकारी इलाहाबाद से दिनांक 6-1-79 को यह इच्छा व्यक्त की थी कि वह स्वयं मौके का निरीक्षण करना चाहते हैं।

जिलाधिकारी इलाहाबाद स्वयं मौके का निरीक्षण नहीं कर सके और उनके आदेशानुसार परगना अधिकारी, फूलपुर ने मौके का निरीक्षण दिनांक 23-1-79 को किया। इस निरीक्षण से तीनों समरेखन को देखा गया।

परगना अधिकारी, फूलपुर द्वारा किये गये मौके के निरीक्षण के आधार पर तथा तहसीलदार, फूलपुर द्वारा बनाये गये विवरण के आधार पर जिलाधिकारी इलाहाबाद ने दिनांक 23-4-79 को यह सुझाव प्रेषित किया कि अनुमोदित लाइन पर सबसे अधिक मालियत की भूमि ली जा रही है अतएव पूर्व वाली लाइन पर नहर का निर्माण किया जाना उचित होगा।

जिलाधिकारी,इलाहाबाद द्वारा दिये गये सुझाव तथा श्री हर प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तावित समरेखन पर नहर बनाना पैरा-5 में दिये गये कारणों से तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है। यद्यपि अनुमोदित समरेखन में अधिक मालियत की भूमि के निर्माण में जा रही है पर तकनीकी दृष्टिकोण से इसी पर नहर का निर्माण उचित है।

श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)--

इलाहाबाद के दक्षिण और उत्तर पूर्व का जो बीच है जिससे नहर का समरेखन किया है उसकी लम्बाई माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे? कितनी लम्बाई होगी?

श्री राजेन्द्र सिंह--

इस समय लम्बाई नहीं बता पाऊंगा।

श्री हर प्रताप सिंह--

जो आपने यह कहा कि डी0 एम0 नहीं गये थे, तो यह जानकारी आपने डी0 एम0 इलाहाबाद से किया या उन अभियन्ताओं से जिनकी [XXX] से यह काम हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष--

[XXX] शब्द निकाल दिया जायगा।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, जिलाधिकारी का पत्र मौजूद है जिसमें उन्होंने लिखा है कि लाइन के निर्माण के विवाद के मौके की जांच फूलपुर द्वारा करायी गयी कि तीनों लाइनों में से कौन लाइन अधिक लाभप्रद होगी।

नोटः--[XXX] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हर प्रताप सिंह—

मान्यवर, जिलाधिकारी मेरे साथ गये थे लेकिन सिंचाई विभाग वाले नहीं गये थे हालांकि उन्होंने कहा था कि वे चलेंगे। वे इतने तेज चलते हैं कि हम भी उतना तेज नहीं चल सकते हैं। 3 आदमियों ने पूर्व की ओर लाइन को देखा और पश्चिम की ओर देखा। पश्चिम की ओर लम्बाई 6 किलोमीटर थी और पूर्व की ओर 2 किलोमीटर। मैं यह जानना चाहता हूं कि अभियन्ताओं ने लिखा है कि पूर्व की ओर नीची पड़ेगी और पश्चिम की ओर ऊंची पड़ेगी तो क्या उनके पास यह सूचना भी आयी है कि पश्चिम की ओर कितनी ऊंची पड़ेगी जिस जमीन में खोदकर नहर ले जानी पड़ेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, यह तो मैंने उत्तर में बताया है कि मिट्टी की भराई 1.4 किलोमीटर की लम्बाई में होगी। जो प्रस्तावित समरेखन से वह वाटर शेड के ऊपर है जहां पर गांव की ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है। आपने जिस तरफ से निकालने के लिए कहा वहां पर जमीन काफी नीची है।

श्री हर प्रताप सिंह—

यदि समरेखन हुआ होता तो आपके पास नाप आ जाता कि इतनी किलोमीटर यह पश्चिम की ओर से पड़ेगी और इतनी पूर्व से पड़ेगी। पूर्व की ओर की नाप तो हुई लेकिन पश्चिम की ओर की नाप नहीं करायी गयी। क्या आपके पास यह सूचना है कि पश्चिम की ओर की जमीन की कीमत कितनी है और पूर्व की ओर की जमीन की कीमत कितनी है? उसका मूल्यांकन आप बतायेंगे कि कितनी वह पड़ेगी, और कितनी वह पड़ेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जहां तक समरेखन का प्रश्न है, मेरे पास नक्शा है। मैं माननीय सदस्य को दिखा दूंगा जिसमें तीनों लाइनें लगी हुई है। बिना समरेखन किये लाइनें नहीं खींची जा सकती है। मैंने अपने उत्तर में बताया है कि जहां पर प्रस्तावित है, उसका मूल्य ज्यादा है।

श्री बलदेव (जिला बाराणसी)—

जब माननीय मन्त्री जी के पास वह नाप नहीं है कि पश्चिम से जो नाला जायगा उससे और जो पूर्व से नाला जायगा उससे कितने गुने का फर्क पड़ता है लम्बाई का तो वह कौन सी सूचना है जिससे माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि पश्चिमी नाले में ज्यादा खर्चा बैठेगा बनिस्वत पूर्व की ओर के ?

श्री उपाध्यक्ष—

ये जानना चाहते हैं कि कौन से अधिकारी ने यह रिपोर्ट आपके पास भेजी है ?

श्री बलदेव—

मान्यवर, मेरा मतलब यह नहीं है। मेरा मतलब यह है कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि मेरे पास पेमायस नहीं है। जो नाप बनी कि कितनी लम्बाई उस नहर की होगी, वह नहीं है। तो जब वह नाप नहीं है तो वह कौन सा तरीका है या ढंग है जिससे माननीय मन्त्री जी को बताया गया कि पश्चिम के नाले में ज्यादा खर्च पड़ेगा, बनिस्बत पूर्व के ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, मैंने अभी बताया था कि मेरे पास मैप मौजूद है, लेकिन मुझे इस समय उसकी लम्बाई ज्ञात नहीं है। माननीय बलदेव जी को कुछ गलतफहमी है, हमारा प्रस्ताव पश्चिम का है, उनका कहना है कि इसे पूर्व हिस्से में निकलना चाहिये। यह हम मानते हैं कि पश्चिम

श्री राजेन्द्र सिंह]

में इसकी मालियत ज्यादा है। उसमें लागत भी जरूर ज्यादा आयेगी। मैं इस पर तैयार हूं कि जिस एजेंसी द्वारा माननीय सदस्य चाहें मैं इसका पुनः समरेखन करा सकता हूं। माननीय सदस्य चाहें मेरे विभाग के अधिकारी को बता दें, चाहे किसी बाहर के अधिकारी को बता दें, मैं पुनः समरखन कराने को तयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी है?

श्री राजेन्द्र सिंह—

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता की यह रिपोर्ट है।

श्री उपाध्यक्ष—

किसी और अधिकारी को भी भेज कर इसे दिखवा लें ताकि माननीय सदस्य की शंका का समाधान हो जाये।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 18 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
14 जून, 1979

अस्थायी प्रतिवेदन सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 29 (4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 196 पर]

शरीर सेमिनार के आयोजन की उपलब्धियों का विवरण

(1) सेमिनार में 125 प्रतिनिधियों ने शोध-पत्र प्रस्तुत किये हैं।

(2) सेमिनार में छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा शरीर विषय में किये गये अनुसंधान कार्य का ज्ञान हुआ है तथा विभिन्न अनुसंधान कार्यों का मूल्यांकन किया गया है।

(3) शरीर विषय के अध्यापन में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया है।

(4) अध्यापकों में अनुसंधान कार्य की अभिरुचि उत्पन्न हुई है।

(5) शरीर वर्कशाप आयोजन करने का निश्चय किया गया है।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 203 पर)

क्रम-संख्या	मांग	कार्यवाही
1	2	3
1	स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित करना ।	अस्वीकृत ।
2	समस्त स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाना ।	इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।
3	अवकाश नकदीकरण की सुविधा, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, सीमान्त भत्ता, पर्वतीय भत्ता ।	यह सभी स्वीकृत किए जा चुके हैं ।
4	पेंशन सुविधा ।	केन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों की पेंशन नियमावली लगभग बन चुकी है और केन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों की पेंशन नियमावली बनाई जा रही है ।
5	महंगाई भत्ता ।	स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जा रहा है ।
6	महंगाई भत्ते की 6 ठीं से 9 वीं किश्त उन्हीं तिथियों से देना जिन तिथियों से राज्य कर्मचारियों को दी गई है ।	अस्वीकृत ।
7.	जीवन निर्वाह निधि की सुरक्षा ।	यह आदेश जारी किये जा चुके है कि कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की जाय और प्रत्येक कर्मचारी के नाम पास- बुक खोली जाय ।
8	स्थानीय निकायों का वर्गीकरण समाप्त किया जाना ।	अस्वीकृत ।
9	12/13 अक्टूबर, 1977 को शासन द्वारा स्वीकृत मांगें लागू की जायं ।	स्वीकृत मांगों के सम्बन्ध में शासनादेश प्रसारित किये जा चुके हैं ।
10	चुंगी कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा ।	ये आदेश जारी किये जा चुके हैं कि चुंगी, टोल टैक्स आदि की समाप्ति के कारण नियमित पूर्णकालिक कर्मचारी को सेवा से निकाला नहीं जायगा ।

1	2	3
11	स्थानीय निकायों के अतिरिक्त आय के साधन छीने न जायं ।	स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने हेतु शासन प्रयत्नशील है । टोल टैक्स, चुंगी, ट्रांजिट फी की समाप्ति के आदेश जारी किये गए हैं लेकिन इससे होने वाले क्षति की पूर्ति शासन द्वारा की जायगी ।
12	कर्मचारियों के बकाये का भुगतान ।	बकायों के भुगतान के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।
13	वेतन निर्धारण की असंगतियां ।	इन असंगतियों को दूर करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।
14	सीधी भर्ती समाप्त करना ।	सेवाओं में भर्ती सेवा नियमों के अनुसार की जाती है और विभागीय कर्मचारियों की प्रोन्नति की इन नियमों में व्यवस्था है ।
15	ज्वाइन्ट कन्सल्टेंटिव कमेटी का गठन ।	महापालिका, इलाहाबाद में इस कमेटी के गठन के आदेश जारी कर दिये गये हैं । अन्य स्थानीय निकायों के लिए आदेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है ।
16	10 वर्ष तक कार्यरत अकुशल कर्मचारियों को कुशल कर्मचारियों का वेतनमान देना ।	अस्वीकृत ।
17	स्थानीय निकायों में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को नामजद करना ।	अस्वीकृत ।
18	स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ को मान्यता देना ।	कार्यवाही की जा रही है । महासंघ से कुछ सूचना मांगी गई है जो अभी उपलब्ध नहीं की जा सकी है ।
19	अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई किया जाना ।	आदेश जारी हो चुके हैं । इस सम्बन्ध में अब राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में नियमावली भी बन गई है । स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाई जा रही है । अतः नियुक्तियों को नियमित करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 205 पर)

20 व 21 सितम्बर, 1978 को आयोजित चीनी मिलों के त्रिदलीय सम्मेलन के निर्णय एवं उनके कार्यान्वियन की प्रगति का विवरण।

निर्णय	कार्यान्वियन की प्रगति
(1) वर्ष 1977–78 के बोनस के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक त्रिदलीय समिति का गठन कर दिया जाय जो 31मार्च, 1979 तक अपनी अनुशंसायें शासन को प्रस्तुत कर दें। सभी चीनी मिलें अपने श्रमिकों को उक्त वर्ष का 8.33 प्रतिशत की दर से न्यूनतम बोनस का भुगतान वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के आठ महीने के अन्दर अथवा 15 जनवरी, 1979, जो भी पहले हो, कर दें।	समिति के गठन तथा न्यूनतम बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक अधिसूचनायें क्रमशः फरवरी, 1979 तथा नवम्बर, 1978 में शासन द्वारा जारी कर दी गई थीं। कुल 73 बैकुअम पान चीनी मिलों में से, जिनको यह भुगतान करना था, 16मिलों ने 15–1–1979 तक भुगतान कर दिया था, 49 ने उक्त तिथि के बाद भुगतान कर दिया तथा अन्य 8 मिलों में से 5 मिलों ने आर्थिक कठिनाइयों के कारण भुगतान नहीं किया है तथा शेष तीन मिलों के विषय में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। बोनस समिति का कार्यकाल 31–7–79 तक बढ़ा दिया गया है और उसकी आख्या प्रतीक्षित है।
(2) चीनी मिलों के श्रमिकों के वेतन तथा महंगाई भत्ते सम्बन्धी प्रश्नों पर श्रम मन्त्री निर्णय दे दें जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।	इस सम्बन्ध में शासकीय अधिसूचना दिनांक 12–10–78 को जारी कर दी गई है जिसका कार्यान्वियन लगभग सभी चीनी मिलें कर रही हैं।
(3) नई चीनी मिलों के अकुशल श्रमिकों को तीन वर्ष तक रिटेनिंग अलाउन्स से वंचित रखा जाये अथवा नहीं के संबंध में श्रम मन्त्री अपना निर्णय दे दें जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।	इस सम्बन्ध में निहित वित्तीय भार सम्बन्धी सूचना एकत्रित की जा चुकी है तथा शीघ्र ही शासकीय आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
(4) सभी चीनी मिलें अपने श्रमिकों को पिराई का मौसम प्रारम्भ होने की तिथि से दो माह के अन्दर रिटेनिंग एलाउन्स का भुगतान कर दें।	इस सम्बन्ध मे शासकीय अधिसूचना दिनांक 6–11–78 को जारी कर दी गई थी। प्राप्त सूचना के अनुसार 39 चीनी मिलों ने इस एलाउन्स का भुगतान कर दिया है तथा शेष ने आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण नहीं किया है। शासन द्वारा श्रमायुक्त से आख्या मांगी गई है कि ऐसी मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही अपनाई जाय। उसके प्राप्त होने पर शासन द्वारा उचित निर्णय लिया जायेगा।
(5) चीनी मिलों में संविदा श्रमिकों के नियोजन का प्रश्न पुनः विचार करने हेतु स्थायी श्रम समिति को सुपुर्द कर दिया जाय।	यह कर दिया गया है।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 208 पर)

देवरिया जिले के विकास खण्ड रामकोला, नेबुआ नौरंगिया तथा खड्डा में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लिये गये गांवों की सूची—

क्रम सं0	विकास खण्ड का नाम	गांव का नाम—
	(अ) जिनका विद्युतीकरण किया जा चुका है	
1	नौरंगिया ..	विशुन पुरा खुर्द
2		परशुराम पुर
3		नेबुआ राय गंज
4		देव गांव
5		शेंखई
6		खुजरी
7		ढोलहा
8		विजयपुर
9		सिरसिया बुजुर्ग
10		लक्ष्मीपुर उर्फ कुर्मा पटओ
11		रामपुर भाट
12		नौरंगिया
13		कौआ सार
14		विन्द बलिया
15		नौगांवा
16		नरायनपुर
17		बढ़या बसन्तपुर
18		बरवा रतनपुर
19		कोटवाकला (रामपुर)
20	खड्डा ..	भुजौली बुजुर्ग
21		रुद्रपुर
22		शिवदत्तपुर
23		उधोछपरा
24		भुजौली खुर्द
25		मठिया बुजुर्ग
26		धरनीपट्टी
27	राम कोला ..	देवरिया बाबू
28		पलवरिया मशरिक
29		देवरिया मनिया छपरा
30		धुंआ टीकर
31		रामपुर खास
32		विहुली मिस्फी
33		पकड़ी बाजार

उत्तर प्रदेश विधानसभा

क्रम-सं0	विकास खण्ड का नाम	गांव का नाम
34		पकड़ी बत्ती उर्फ सेनहा
35		अमुदरिया
36		मंडिराय
(अ)		

(ब) जिनका विद्युतीकरण प्रस्तावित है

1	नौरंगिया	मन्सा छपरा
2		कोहर गड्डी
3		बरवा
4		देवतही
5		रायपुर खास
6		रायपुर भैंसही
7		हरपुर मांफी
8	खड्डा	खैरो
9	रामकोला	खेटही
10		पगार
11		बिहली शमाली

विधानसभा प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 210 पर)

संलग्न (अ)

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम	1-4-79 को बकाया धनराशि (लाख रु0 में)	बकाया धनराशि की अवधि	वसूली न होने के कारण
1	2	3	4	5
(1)	मेसर्स जी0टी0 इंडस्ट्रीज जी0टी0 हाउस, उझानी जिला बदायूं ।	3.86	1/72से 3/79तक	उपभोक्ता ने वसूली न करने एवं कनेक्शन न काटने के लिये न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किये हुए हैं । न्यायालय के आदेशानुसार इनके कुछ विवाद अरबिट्रेशन के लिये दे दिये गये हैं जब तक आरबिट्रेशन एवं न्यायालयों से इनके विवादों का निर्णय नहीं होता, तब तक वसूली नहीं हो सकती है। विवादों को शीघ्र समाप्त कराने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।
(2)	मेसर्स प्रेम स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल उझानी जिला बदायूं ।	4.99	10/74 से 8/78तक	उपभोक्ता ने देय धनराशि के खिलाफ न्यायालय एवं आरबिट्रेशन में विवाद खड़े किये हुए हैं । स्थगन आदेश जो न्यायालय ने दे दिये थे उन्हें निरस्त कराने के बाद अगस्त 78 को कनेक्शन काट दिया गया है । विवाद-न्यायालय/आरबिट्रेशन में होने के कारण वसूली नहीं हो पाई । इन विवादों को शीघ्रातिशीघ्र तय कराने के लिय प्रयास किया जा रहा है।
(3)	मेसर्स किशोर इलेक्ट्रिक सप्लाई कं0 जिला बदायूं ।	1.71	1-12-75 तक	भूतपूर्व लाइसेंसधारी को दिनांक 1-12-75 को परिषद द्वारा अधिग्रहीत किया गया था । यह देय धनराशि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार विशेष अधिकारी (विद्युत) द्वारा निर्णय करने पर अन्डरटेकिंग की कीमत में देय धनराशि को समायोजित किया जायगा ।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 212 पर)

जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के ब्लाक ब्रह्मपुर व खोराबार में आपातकाल में तथा जुलाई 1977 से मार्च 1979 के अन्त तक निम्न गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है—

क्र0सं0	ग्राम का नाम	विद्युतीकरण की तिथि	टिप्पणी
1	भमने	31–3–1976	आपातकाल में
2	नई बाजार	31–3–1976	तदैव
3	विशुनपुरा	31–3–1978	जुलाई 1977 से मार्च 1979 की अवधि में
4	कोनासोन बरसा	31–3–1978	तदैव
5	महादेव झ रखंडी नं-3	20–11–1978	तदैव
6	डिमीया	22–11–1978	तदैव
7	रापीडीह	30–12–1978	तदैव
8	वोठा	25–1–1979	तदैव
9	कजाकपुर	23–2–1979	तदैव
10	खुरहुरी	23–2–1979	तदैव
11	खरखुटा	31–3–1979	तदैव
12	मिर्जापुर बाजार	31–3–1979	तदैव

आपातकाल के दौरान इस क्षेत्र के लिये कोई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत नहीं थी तथा सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया। तत्पश्चात क्षेत्र के लिये एक ग्रामीण बिद्युतीकरण योजना अप्रैल 1977 में स्वीकृत हुई तथा ग्रामों का विद्युतीकरण इस योजना के अन्तर्गत हो रहा है।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 214 पर)

देवरिया जिले के विकास खंड रामकोला, नेबुआ नौरंगिया तथा खड्डा में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लिये गये गांवों की सूची —

क्रम सं0	विकास खंड का नाम	गांव का नाम
(अ) जिनका बिद्युतीकरण किया जा चुका है		
1	नौरंगिया	विशुन पुरा खुर्द
2		परशुराम पुर
3		नेबुआ राय गंज
4		देव गांव
5		शेखई
6		खुजरी
7		ढ़ोलहा
8		बिजयपुर
9		सिरसिया बुजुर्ग
10		लक्ष्मीपुर उर्फ कुर्मा पटग्री
11		रामपुर भाट
12		नौरंगिया
13		कौआ सार
14		बिन्द बलिया
15		नौगांवा
16		नरायनपुर
17		बढ़या बसन्तपुर
18		बरवा रतनपुर
19		कोटवाकला (रामपुर)
20	खड्डा	भुजौली बुजुर्ग
21		रुद्रपुर
22		शिवदत्तपुर
23		उधोछपरा
24		भुजौली खुर्द
25		मठिया बुजुर्ग
26		धरनीं पट्टी
27	राम कोला	देवरिया बाबू
28		पलवरिया मशरिक
29		देवरिया मनिया छपरा
30		धुंआं टीकर
31		रामपुर खास
32		बिहुली मिस्फी
33		पकड़ी बाजार
34		पकड़ी बत्ती उर्फ सेनहा
35		अमुदरिया
36		मंडिराय
(अ)		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
(ब) जिनका विद्युतीकरण प्रस्तावित है		
1	नौरंगिया	मन्सा छपरा
2		कोहर गड्डी
3		बरवा
4		देवतही
5		रायपुर खास
6		रायपुर भैसही
7		हर पुर मांफी
8	खड्डा	खैरी
9	रामकोला	खेटही
10		पगार
11		बिहली शमाली

विधान सभा पुस्तकालय

दिनांक 14-6-79 को श्री सोहनवीर सिंह तोमर द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर—

संलग्न सूची

मेरठ कमिश्नरी औद्योगिक इकाइयां जिन पर 1 लाख से अधिक विद्युत देय बकाया है ।

क्रम सं0	औद्योगिक इकाई का नाम	बकाया धनराशि	बकाया धनराशि की वसूली हेतु की गयी कार्यवाही
	जनपद मेरठ		
1	मेसर्स पी0एस0एम0 स्टील रोलिंग मिल्स परतापुर मेरठ	रु0 1.30 लाख	कनेक्शन दिनांक 15-10-75 को काट दिया गया था और ड्यूज रिकवरी ऐक्ट में वसूली की कार्यवाही करने पर न्यायालय द्वारा वसूली स्थगित कर दी गयी ।
2	मेसर्स नौनिहाल कोल्ड स्टोरेज, रुड़की रोड मेरठ	रु0 1.38 लाख	वसूली की कार्यवाही ड्यूज रिकवरी ऐक्ट के अन्तर्गत की गयी थी परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा बकाए की वसूली तथा कनेक्शन काटने के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी कर दिया गया ।
3	मेसर्स सारू इंजीनियरिंग सस्थना रोड, मेरठ	रु0 4.75 लाख	कनेक्शन स्थायी रूप से काट दिया गया है । बकाए की वसूली की कार्यवाही करने पर उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दे दिया गया है ।
	जनपद गाजियाबाद		
4	मेसर्स जैसन्स इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद	रु0 1.19 लाख	कनेक्शन दिनांक 21-10-73 को काट दिया गया था । बकाए की वसूली हेतु जिलाधिकारी के ड्यूज रिकवरी ऐक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र भेज दिये गये हैं, वसूली अपेक्षित है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं0	औद्योगिक इकाई का नाम	बकाया धन राशि	बकाया धनराशि की वसूली हेतु की गयी कार्यवाही
5	मेसर्स भगवती ग्लास वर्क्स, गाजियाबाद	रु0 1.21 लाख	कनेक्शन 26-10-75 को काट दिया गया। बकाए की वसूली हेतु जिलाधिकारी को ड्यूज रिकवरी ऐक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र निरन्तर भेजे गये हैं, वसूली अभी प्रतीक्षित है।
6	मेसर्स राही अल्वाय लिमिटेड, गाजियाबाद	रु0 6.27 लाख	बकाए की वसूली के लिए कार्यवाही करने पर उपभोक्ता ने एक मुकदमा सिविलकोर्ट, गाजियाबाद तथा दूसरा रिट पिटीशन उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में परिषद् के खिलाफ कर रखा है न्यायालय के अन्तरिम आदेशानुसार वसूली स्थगित है।
7	मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लि0, गाजियाबाद	रु0 6.47 लाख	बकाए की वसूली के लिए ड्यूज रिकवरी ऐक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी परन्तु उपभोक्ता ने सिविल कोर्ट, गजियाबाद से वसूली के खिलाफ अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं। जिसमें वसूली रुकी हुई है।
8	मेसर्स रिपब्लिक साईकिल, गाजियाबाद	रु0 3.90 लाख	बकाए की वसूली की कार्यवाही करने पर उपभोक्ता ने सिविलकोर्ट, गाजियाबाद से अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं।
9	मेसर्स अजन्ता टैक्सटाइल एण्ड काटन मिल्स, गाजियाबाद	रु0 9.53 लाख	परिषद् द्वारा भेजे गये बिल के विरुद्ध उपभोक्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है और वसूली के खिलाफ अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है, जिससे वसूली की कार्यवाही रुकी हुई है।
10	मेसर्स मोहन मिकिन्स ब्रूरीज, गाजियाबाद	रु0 3.13 लाख	परिषद् के द्वारा भेजे गये बिल के खिलाफ उपभोक्ता ने सिविल कोर्ट, गाजियाबाद में मुकदमा दायर कर रखा है और न्यायालय के आदेशानुसार बकाए के ऊपर वर्क-गारन्टी जमा की है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

11	मेसर्स इण्डियन अल्युमिनियम केबुल कम्पनी, गाजियाबाद ।	रु0 4.81 लाख	बकाए की वसूली के लिए ड्यूज रिकवरी एक्ट की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी थी, परन्तु उपभोक्ता ने बकाया धनराशि की वसूली के खिलाफ अन्तरिम स्थगन आदेश न्यायालय से प्राप्त कर लिया है ।
12	मेसर्स ब्रेमिक सूरी प्रा0 लि0, गाजियाबाद	रु0 4.34 लाख	बकाया धनराशि की वसूली के खिलाफ उपभोक्ता ने पहले सिविल कोर्ट, गाजियाबाद में मुकदमा दायर कर रखा था, जहां से परिषद् के पक्ष में निर्णय होने पर उसने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अपील दायर कर रखी है, और माननीय उच्च न्यायालय से वसूली के खिलाफ अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं, फलतः वसूली की कार्यवाही रुकी हुई है ।
13	मेसर्स बी0 जे0 डायिंग एण्ड प्रिंटिंग मिल्स, गाजियाबाद ।	रु0 1.28 लाख	बकाए की वसूली के विरुद्ध उपभोक्ता ने सिविल कोर्ट, गाजियाबाद तथा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में मुकदमें दायर करके अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है, जिससे वसूली की कार्यवाही रुकी हुई है ।
14	मेसर्स प्रकाश इन्डस्ट्रीज, बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद ।	रु0 1.04 लाख	बकाए के वसूली हेतु ड्यूज रिकवरी ऐक्ट की धारा 3 व 5 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी थी जिसमें से रु0 6,023.54 को वसूली के विरुद्ध सिविल कोर्ट, गाजियाबाद ने अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किये गए हैं । शेष बकाया राशि की वसूली जिलाधिकारी से प्रतीक्षित है । कनेक्शन 6-12-78 से कटा है ।
15	मेसर्स मोदी इण्डस्ट्रीज, मोदी नगर (आर्कफरनेस) ।	रु0 6.13 लाख	बकाए की वसूली हेतु ड्यूज रिकवरी ऐक्ट की धारा 3 के अन्तर्गत मांग पत्र जारी किया गया था, परन्तु उपभोक्ता ने वसूली करने के खिलाफ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
16	मेसर्स मोदी इण्डस्ट्रीज (वायर ड्राविंग), मोदीनगर, गाजियाबाद ।	रु0 1.37 लाख	बकाए की वसूली हेतु ड्यूज रिकवरी ऐक्ट की धारा 3 के अन्तर्गत मांग-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उपभोक्ता द्वारा बकाए के ऊपर विवाद खड़ा कर देने के कारण वसूली की अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी । विवाद का निस्तारण प्राथमिकता पर करने का प्रयास किया जा रहा है ।
17	मेसर्स मोदी इण्डस्ट्रीज लि0, मोदी नगर	(क) रु0 7.71 लाख	इस बकाए की वसूली हेतु ड्यूज रिकवरी ऐक्ट की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी थी, परन्तु इस धनराशि के विरुद्ध उपभोक्ता ने विवाद प्रस्तुत किया है, जिसका निस्तारण परिषद् द्वारा किया जा रहा है । विवाद परिषद् के अन्तिम निर्णय हो जाने तक वसूली रोक दी गयी है ।
		(ख) रु0 1.45 लाख	इस बकाये की वसूली के लिये भी ड्यूज रिकवरी ऐक्ट की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गई थी परन्तु उपभोक्ता ने वसूली के विरुद्ध उच्च न्यायालय से अन्तरिम स्थगन आदेश ले लिया है ।
18	मेसर्स आर्डिनेन्स फैक्ट्री, मुरादनगर, गाजियाबाद (सरकारी प्रतिष्ठान)	रु0 2.56 लाख	बकाया धनराशि की वसूली के लिए ड्यूज रिकवरी ऐक्ट की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गई थी, परन्तु उपभोक्ता द्वारा बकाया के विरुद्ध विवाद प्रस्तुत कर देने के कारण, उसकी आपत्तियों की जांच तथा निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है ।
	जनपद बुलन्दशहर		
19	मेसर्स रामा इंजीनियरिंग एण्ड रोलिंग मिल्स, बुलन्दशहर ।	रु0 4.68 लाख	बकाए की वसूली की कार्यवाही करने पर उपभोक्ता ने सिविल कोर्ट में परिषद् के विरुद्ध मुकदमा दायर कर रखा था, जिसमें न्यायालय ने पूरे बकाए को अपने निर्णय से निरस्त कर दिया था । परिषद् ने इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अपील कर रखी है ।

अमर प्रदेश विधान सभा

20	मेसर्स औरंगाबाद इंजीनियरिंग, बुलन्दशहर	रु0 4.88 लाख	बकाए की वसूली के लिए ड्यूज रिकवरी ऐक्ट की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी थी, परन्तु उपभोक्ता की प्रार्थना पर परिषद् ने उसे बकाए का भुगतान किस्तों में करने की अनुमति दे दी है। यदि वह किस्तों का भुगतान निर्धारित समय के अन्दर नहीं करता, तो वसूली की अग्रिम कार्यवाही ड्यूज रिकवरी ऐक्ट के अन्तर्गत जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के माध्यम से की जायगी।
21	मेसर्स कनोरिया आइरन स्टील रोलिंग मिल्स, बुलन्दशहर।	रु0 6.27 लाख	उपभोक्ता का कनेक्शन न्यायालय के अन्तरिम स्थगन आदेश के कारण काटा नहीं जा सका। बकाए की वसूली के लिए ड्यूज रिकवरी ऐक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत लगातार नोटिसें जारी की जा रही हैं, परन्तु जिलाधिकारी द्वारा वसूली अभी प्रतीक्षित है।
	जनपद मुजफ्फरनगर		
22	मेसर्स यू0पी0 स्टील लि0, मुजफ्फरनगर	रु0 14.91 लाख	बकाए के कारण उपभोक्ता का कनेक्शन दिनांक 4-5-1977 को काट दिया गया था। उसके ऊपर बकाया धनराशि की वसूली हेतु ड्यूज रिकवरी ऐक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत लगातार नोटिसें जारी की जा रही हैं, परन्तु वसूली जिलाधिकारी से अभी प्रतीक्षित है।
23	मेसर्स रेनबो स्टील लि0, मुजफ्फरनगर	रु0 26.86 लाख	बकाए की वसूली हेतु ड्यूज रिकवरी ऐक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत नोटिसें जारी की गई थी, परन्तु उपभोक्ता ने इसके विरुद्ध अन्तरिम स्थगन आदेश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त कर लिए हैं और माननीय यायालय ने इन्हें एक लाख रुपये की मासिक किस्तों में बकाए की अदायगी करने के भी आदेश दिये हैं। जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा जमा किया जा रहा है। उपभोक्ता द्वारा उठाए गए कुछ विवादग्रस्त मामले विभाग के भी विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं0	औद्योगिक इकाई का नाम	बकाया धनराशि	बकाया धनराशि की वसूली हेतु की गयी कार्यवाही
24	मेसर्स मुजफ्फरनगर स्टील लि0, मुजफ्फरनगर	रु0 14.43 लाख	बकाए की धनराशि के विरुद्ध उपभोक्ता ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं।
25	मेसर्स अरिहन्त स्टील लि0, मुजफ्फरनगर	रु0 5.38 लाख	उपभोक्ता ने विद्युत बकाये के खिलाफ परिषद् के समक्ष विवाद प्रस्तुत कर रखा है, जो अभी परिषद् के विचाराधीन है। विवाद को शीघ्र निस्तारित करने एवं तदनुसार बकाए की धनराशि की वसूली करने की आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता पर की जा रही है।
	जनपद सहारनपुर		
26	मेसर्स बी0 एच0 ई0 एल0, हरिद्वार	रु0 5.63 लाख	उपभोक्ता की आपत्ति विद्युत् परिषद् के विचाराधीन है चूंकि उपभोक्ता एक महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान है अतः इसकी बिजली काटने की कार्यवाही नहीं की गयी है आशा है इस बकाए की वसूली निकट भविष्य में हो जायेगी।
27	मेसर्स हाजी सईद अहमद आइरन एण्ड स्टील रोलिंग मिल्स, सहारनपुर।	रु0 2.02 लाख	बकाए की वसूली के लिए ड्यूज रिकवरी ऐक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत दिनांक 27-10-78 तथा 29-12-78 को नोटिसें जारी कर दी गयी थी, परन्तु उपभोक्ता द्वारा मामले को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में ले जाने के कारण वसूली सम्भव नहीं हो सकी।
28	मेसर्स लार्ड कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर	रु0 7.98 लाख	यह देय धनराशि इस मिल के राष्ट्रीयकरण से पूर्व की है जिसके भुगतान हेतु मामला राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 123 विधान सभा—29-11-79—(2747)—1980—835 (प्रो0)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा